

Vol. 269  
No. 8



Wednesday,  
10 December, 2025  
19 Agrahayana, 1947 (Saka)

PARLIAMENTARY DEBATES

# RAJYA SABHA

OFFICIAL REPORT (FLOOR VERSION)  
(PART-II)

CONTENTS

## Reference by the Chair

The Seventy-seventh Anniversary of the adoption of the Universal Declaration of Human Rights (pages 1-2)

Papers Laid on the Table (pages 2-13)

Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Industry— *Presented* (pages 13-14)

Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Coal, Mines and Steel— *Laid on the Table* (page 14)

Statements of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Finance— *Laid on the Table* (pages 14-15)

## Matters raised with Permission

Demand for Center's intervention to regulate water release from Sriram Sagar Project (SRSP) to safeguard farmers of Marathwada region (pages 15-17)

©

RAJYA SABHA SECRETARIAT  
NEW DELHI

Demand for renaming State-Level Administrative Offices to promote citizen centric governance (pages 17-18)

Demand for immediate relief and regulatory measures for passengers affected by Indigo flight disruptions and exorbitant airfares (pages 18-19)

Need for sustained strategic measures to ensure complete eradication of Naxalism from the country (pages 19-20)

Need for urgent steps for resumption of border trade through Nathula and protection of livelihood of traditional border-area traders in Sikkim (pages 21-22)

Demand for exemption of engine replacement in commercial trucks under the Vehicle Scrappage Policy (pages 22-23)

Demand for establishing 'One Block, One Digital Exam Centre' to end travel hardships faced by rural and economically weaker students (pages 24-25)

Demand for measures to improve the livelihood of tea workers in Darjeeling (pages 25-26)

Urgent need to strengthen the Right to Information Act (pages 26-28)

Demand for measures to prevent water pollution and ensure safe drinking water (pages 28-29)

Concern over rising road accidents on NH-03 at the Bijasan Ghat in Madhya Pradesh (pages 29-30)

Urgent need for dedicated emergency vehicle lanes (pages 30-31)

Demand for strengthening mental health support systems for women, especially survivors of violence (pages 31-32)

Demand for establishing a High Court Bench in Western Uttar Pradesh to ensure accessible and affordable justice (pages 32-34)

Demand for amendment of PM Kisan Samman Nidhi scheme eligibility rules to include post-2019 landholders (pages 34-35)

Demand for redressal of Income Tax Notices issued to Scheduled Tribe citizens of Mizoram State (pages 35-36)

Demand for establishment of an Agriculture University in Pratapgarh, Uttar Pradesh (pages 36-37)

Need for a uniform minimum wage for all skilled labourers across the country (pages 37-38)

Concern over environmental degradation in Punjab (pages 38-40)

Oral Answers to Questions (pages 40-86)

*[Answers to Starred and Un-starred Questions (Both in English and Hindi) are available as Part -I to this Debate, published electronically on the Rajya Sabha website under the link <https://sansad.in/rs/debates/officials>]*

Discussion on the 150th Anniversary of the National Song 'Vande Mataram'- Not concluded (pages 86-186)

Website : <http://rajyasabha.nic.in>

<https://sansad.in/rs>

E-mail : [rsedit-e@sansad.nic.in](mailto:rsedit-e@sansad.nic.in)

## RAJYA SABHA

Wednesday, the 10<sup>th</sup> December, 2025/19 Agrahayana, 1947 (Saka)

*The House met at eleven of the clock,*

MR. CHAIRMAN *in the Chair.*

### REFERENCE BY THE CHAIR

#### **The Seventy-seventh Anniversary of the adoption of the Universal Declaration of Human Rights**

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, today, the 10<sup>th</sup> of December 2025, we join the global community in commemorating the Seventy-seventh Anniversary of the adoption of the Universal Declaration of Human Rights by the United Nations General Assembly in 1948. This historic and enduring document continues to stand as the bedrock of human dignity, freedom, equality, and justice for every individual across the world.

This year's global theme, "Human Rights: Our Everyday Essentials", underscores three simple yet profound truths—human rights are positive, human rights are essential, and human rights are attainable. Human rights empower individuals and communities, prevent harm, protect dignity, and transform societies for the better.

India, drawing inspiration from its ancient ideal of *Vasudhaiva Kutumbakam*—the world is one family—and guided by a Constitution that guarantees Fundamental Rights and Directive Principles of State Policy, has always been a resolute champion of these universal values. As elected representatives of the people, it is our bounden duty to ensure that human rights remain living, breathing realities for every citizen, particularly, the most vulnerable and marginalised sections of our society.

On this solemn occasion of Human Rights Day 2025, let us pledge anew to work tirelessly towards a nation and a world where human rights are truly our

everyday essentials—positive in their impact, essential for dignified existence, and attainable for all without exception.

Papers to be laid on the Table.

---

### PAPERS LAID ON THE TABLE

- I. **Notification of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship**
- II. **Reports and Accounts (2022-23, 2023-24 and 2024-25) of NCVET, New Delhi; STARS Project, Odisha; Samagra Shiksha, Arunachal Pradesh, Manipur, and Mizoram and related papers**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. L. MURUGAN): Sir, on behalf of Shri Jayant Chaudhary, I lay on the Table:—

I. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship Notification No. G.S.R. 610(E)., dated the 8<sup>th</sup> September, 2025, publishing the Apprenticeship (Amendment) Rules, 2025, under sub-section (3) of Section 37 of the Apprentices Act, 1961.

[Placed in Library. See No. L.T. 5545/18/25]

II. (A) A copy each (in English and Hindi) of the following papers:-

- (a) Annual Report and Accounts of the National Council for Vocational Education and Training (NCVET), New Delhi, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.
- (b) Review by Government on the working of the above Council.

[Placed in Library. See No. L.T. 5548/18/25]

(B) A copy each (in English and Hindi) of the following papers:-

- (i) (a) Annual Report of the Strengthening Teaching-Learning and Results for States (STARS) Project, Odisha, for the year 2024-25.  
 (b) Review by Government on the working of the above Project.

[Placed in Library. See No. L.T. 5271/18/25]

- (ii) (a) Annual Report of the Samagra Shiksha, Arunachal Pradesh, for the year 2023-24.  
 (b) Review by Government on the working of the above Programme.  
 (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 5273/18/25]

- (iii) (a) Annual Report of the Samagra Shiksha, Manipur, for the year 2022-23.  
 (b) Review by Government on the working of the above Programme.  
 (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

- (iv) (a) Annual Report of the Samagra Shiksha, Manipur, for the year 2023-24.  
 (b) Review by Government on the working of the above Programme.  
 (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. For (iii) and (iv), see No. L.T. 5272/18/25]

- (v) (a) Annual Report of the Samagra Shiksha, Mizoram, for the year 2023-24.  
 (b) Review by Government on the working of the above Programme.  
 (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 5274/18/25]

**Reports and Accounts (2024-25) of the National Cooperative Union of India (NCUI),  
 New Delhi**

सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल): महोदय, मैं बहुराज्य सहकारी

सोसाइटी(संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 70 की उप-धारा (10) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (a) Annual Report of the National Cooperative Union of India (NCUI), New Delhi, for the year 2024-25.
- (b) Annual Accounts of the National Cooperative Union of India (NCUI), New Delhi, for the year 2024-25, and the Audit Report thereon.

[Placed in Library. See No. L.T. 5691/18/25]

**Report (2023) on the working of the Protection of Civil Rights Act, 1955 and related papers**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI RAMDAS ATHAWALE): Sir, I lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the following papers:-

- (a) Annual Report on the working of the Protection of Civil Rights Act, 1955, for the year 2023, under sub-section (4) of Section 15A of the Protection of Civil Rights Act, 1955.
- (b) Statement giving reasons for the delay in laying the paper mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 5326/18/25]

**I. Notifications of the Ministry of Home Affairs**

**II. Reports and Accounts (2024-25) of NDMA, New Delhi; NIDM, New Delhi and related papers**

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- I. (i) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Home Affairs, under sub-section (3) of Section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949:-

- (1) G.S.R. 638(E)., dated the 16<sup>th</sup> September, 2025, publishing the Central Reserve Police Force, Veterinary Cadre (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2025.
- (2) G.S.R. 711(E)., dated the 25<sup>th</sup> September, 2025, publishing the Ministry of Home Affairs, Central Reserve Police Force, Technical and Tradesmen Cadre (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2025.
- (3) G.S.R. 802(E)., dated the 30<sup>th</sup> October, 2025, publishing the Central Reserve Police Force, Sub-Inspector (General Duty), General Duty Cadre, Group 'B' Post Recruitment (Amendment) Rules, 2025.

[Placed in Library. For (1) to (3), *see* No. L.T. 5336/18/25]

(ii) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Home Affairs, under sub-section (3) of Section 141 of Border Security Force Act, 1968:-

- (1) G.S.R. 586(E)., dated the 28<sup>th</sup> August, 2025, publishing the Ministry of Home Affairs, Border Security Force, (Combatised Ministerial Cadre), Group 'A', Group 'B' and Group 'C' posts Recruitment Rules, 2025.
- (2) G.S.R. 620(E)., dated the 11<sup>th</sup> September, 2025, publishing the Border Security Force, Combatised Para-Medical Cadre (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 2025.

[Placed in Library. For (1) and (2), *see* No. L.T. 5335/18/25]

(iii) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Home Affairs Notification No. G.S.R. 155., dated the September 21 – September 27, 2025 (Weekly Gazette), publishing the Ministry of Home Affairs, Sashastra Seema Bal, Deputy Commandant (Principal Private Secretary), Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2025, under sub-section (3) of Section 155 of the Sashastra Seema Bal Act, 2007.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5702/18/25]

II. (i) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) of Section 70 of the Disaster Management Act, 2005:-

- (a) Annual Report of the National Disaster Management Authority (NDMA), New Delhi, for the year 2024-25.
- (b) Statement of Objectives and Reasons along with Statement of Explanatory Notes pertaining to the above-mentioned Report.
- (c) Review by Government on the working of the above Authority.

[Placed in Library. See No. L.T. 5337/18/25]

(ii) A copy each (in English and Hindi) of the following papers:-

- (a) Annual Report and Accounts of the National Institute of Disaster Management (NIDM), New Delhi, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.
- (b) Statement of Objectives and Reasons pertaining to the above-mentioned Report.
- (c) Review by Government on the working of the above Institute.

[Placed in Library. See No. L.T. 5338/18/25]

### **Notifications of the Department of Animal Husbandry and Dairying**

**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एस. पी. सिंह बघेल):** महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(i) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying (Department of Animal Husbandry and Dairying), under Section 38A of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960, along with delay statement:-

- (1) V-11011(18)/14/2023-Admin\_6/A., dated the 22<sup>nd</sup> August, 2024, publishing the Animal Welfare Board of India (Group 'B' posts) Recruitment Regulations, 2024.

- (2) V-11011(18)/14/2023-Admin\_6/B., dated the 22<sup>nd</sup> August, 2024, publishing the Animal Welfare Board of India (Group 'C' posts) Recruitment Regulations, 2024.

[Placed in Library. For (1) and (2), see No. L.T. 5074/18/25]

(ii) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying (Department of Animal Husbandry and Dairying) Notification No. G.S.R. 737(E)., dated the 7<sup>th</sup> October, 2025, regulating the import of horse or other equidae into India in the manner laid down in the Schedule, as mentioned therein, issued under sub-section (1) of Section 3 of the Live-stock Importation Act, 1898.

(iii) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying (Department of Animal Husbandry and Dairying) Notification No. S.O. 5378(E)., dated the 24<sup>th</sup> November, 2025, amending the Principal Notification No. S.O. 2666(E), dated the 16<sup>th</sup> October, 2014, issued under clause (d) of Section 2 and Section 3A of the Live-stock Importation Act, 1898.

[Placed in Library. For (ii) and (iii), see No. L.T. 5339/18/25]

**Reports and Accounts (2023-24 and 2024-25) of various Corporation, Samiti, Sansthan, Societies, Association and related papers**

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. एल. वर्मा): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-**

(A) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

- (a) Thirty-third Annual Report and Accounts of the National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC), New Delhi, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
- (b) Review by Government on the working of the above Corporation.

[Placed in Library. See No. L.T. 5360/18/25]

(B) A copy each (in English and Hindi) of the following papers:-

(i) (a) Annual Report and Accounts of the Shree Bhagwan Mahaveer Viklang Sahayata Samiti (BMVSS), Jaipur, Rajasthan, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Samiti.

[Placed in Library. See No. L.T. 5354/18/25]

(ii) (a) Annual Report and Accounts of the Narayan Seva Sansthan, Udaipur, Rajasthan, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Sansthan.

[Placed in Library. See No. L.T. 5359/18/25]

(iii) (a) Annual Report and Audited Accounts of the CHETNA, Aliganj, Lucknow, Uttar Pradesh, for the year 2024-25.

(b) Review by Government on the working of the above Society.

[Placed in Library. See No. L.T. 5355/18/25]

(iv) (a) Annual Report and Accounts of the Achievement of Rising Maiden (ARM), Imphal West, Manipur for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Society.

[Placed in Library. See No. L.T. 5358/18/25]

(v) (a) Annual Report and Accounts of the Surya Kiran Parents Association for the Welfare of the Mentally Handicapped Children, Guntur, Andhra Pradesh, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Association.

[Placed in Library. See No. L.T. 5356/18/25]

(vi) (a) Annual Report of the Society for Institute of Psychological Research and Health, Amroha, Uttar Pradesh, for the year 2024-25.

(b) Review by Government on the working of the above Society.

[Placed in Library. See No. L.T. 5357/18/25]

(vii) (a) Annual Report and Audited Accounts of the Pratheeksha Charitable Society, Irinjalakuda, Thrissur, Kerala, for the year 2024-25.

(b) Review by Government on the working of the above Society.

[Placed in Library. See No. L.T. 5716/18/25]

### **Notification of the Ministry of Home Affairs**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. L. MURUGAN): Sir, on behalf of Shri Bandi Sanjay Kumar, I lay on the Table a copy (in English and Hindi) of the Ministry of Home Affairs Notification No. S.O. 4249(E)., dated the 22nd September, 2025, notifying that the campus established at Chengalpattu District (Tamil Nadu) shall include as the campus of the National Forensic Sciences University, under sub-section (2) of Section 53 of the National Forensic Sciences University Act, 2020.

[Placed in Library. See No. L.T. 5361/18/25]

### **I. Notifications of the Ministry of Road Transport and Highways**

### **II. Report and Accounts (2024-25) of the Indian Academy of Highway Engineers (IAHE), Noida and related papers**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हर्ष मल्होत्रा):** महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

I. (i) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Road Transport and Highways, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988:-

- (1) S.O. 3827(E)., dated the 20<sup>th</sup> August, 2025, entrusting the stretch of National Highways, as mentioned therein, to the National Highways Authority of India, along with delay statement.
- (2) S.O. 5436(E)., dated the 26<sup>th</sup> November, 2025, entrusting the stretch of National Highways, as mentioned therein, to the National Highways Authority of India.
- (3) S.O. 5437(E)., dated the 26<sup>th</sup> November, 2025, amending the Principal Notification No. S.O. 5426(E), dated the 22<sup>nd</sup> November, 2022.
- (4) S.O. 5438(E)., dated the 26<sup>th</sup> November, 2025, rescinding the Notification No. S.O. 2040(E), dated the 28<sup>th</sup> May, 2021.
- (5) S.O. 5505(E)., dated the 28<sup>th</sup> November, 2025, entrusting the stretch of National Highways, as mentioned therein, to the National Highways Authority of India.
- (6) S.O. 5506(E)., dated the 28<sup>th</sup> November, 2025, amending the Principal Notification No. S.O. 1305(E), dated the 20<sup>th</sup> March, 2023.

[Placed in Library. For (1) to (6), see No. L.T. 5484/18/25]

(ii) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Road Transport and Highways, under Section 10 of the National Highways Act, 1956:-

- (1) S.O. 3828(E)., dated the 20<sup>th</sup> August, 2025, amending the Principal Notification No. S.O. 1096(E), dated the 4<sup>th</sup> August, 2005, along with delay statement.
- (2) S.O. 3951(E)., dated the 28<sup>th</sup> August, 2025, amending the Principal Notification No. S.O. 689(E), dated the 4<sup>th</sup> April, 2011.

- (3) S.O. 3952(E)., dated the 28<sup>th</sup> August, 2025, amending the Principal Notification No. S.O. 689(E), dated the 4<sup>th</sup> April, 2011.
- (4) S.O. 4195(E)., dated the 16<sup>th</sup> September, 2025, amending the Principal Notification No. S.O. 689(E), dated the 4<sup>th</sup> April, 2011.
- (5) S.O. 5435(E)., dated the 26<sup>th</sup> November, 2025, amending the Principal Notification No. S.O. 1096(E), dated the 4<sup>th</sup> August, 2005.
- (6) S.O. 5504(E)., dated the 28<sup>th</sup> November, 2025, amending the Principal Notification No. S.O. 689(E), dated the 4<sup>th</sup> April, 2011.
- (7) S.O. 5507(E)., dated the 28<sup>th</sup> November, 2025, amending the Principal Notification No. S.O. 1096(E), dated the 4<sup>th</sup> August, 2005.

[Placed in Library. For (1) to (7), see No. L.T. 5483/18/25]

(iii) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Road Transport and Highways, under sub-section (4) of Section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988, along with Explanatory Memoranda:-

- (1) G.S.R. 568(E)., dated the 21<sup>st</sup> August, 2025, publishing the Central Motor Vehicles (Third Amendment) Rules, 2025.
- (2) G.S.R. 819(E)., dated 4<sup>th</sup> November, 2025, publishing the Central Motor Vehicles (Fourth Amendment) Rules, 2025.
- (3) G.S.R. 834(E)., dated 12<sup>th</sup> November, 2025, publishing the Central Motor Vehicles (Sixth Amendment) Rules, 2025.
- (4) G.S.R. 835(E)., dated 12<sup>th</sup> November, 2025, publishing the Central Motor Vehicles (Seventh Amendment) Rules, 2025.

- (5) G.S.R. 850(E).., dated 17<sup>th</sup> November, 2025, publishing the Central Motor Vehicles (Fifth Amendment) Rules, 2025.

[Placed in Library. For (1) to (5), see No. L.T. 5846/18/25]

- II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers:-

- (a) Annual Report and Accounts of the Indian Academy of Highway Engineers (IAHE), Noida, Uttar Pradesh, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

- (b) Review by Government on the working of the above Academy.

[Placed in Library. See No. L.T. 5857/18/25]

- I. **Reports and Accounts (2024-25) of NCOL, New Delhi; NCEL, New Delhi; BBSSL, New Delhi; NFCSFL, New Delhi and related papers**

- II. **Reports and Accounts (2024-25) of the National Cooperative Development Corporation (NCDC), New Delhi; the National Cooperative Development Corporation Employees Provident Fund, New Delhi and related papers**

**सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल):** महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- I. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (10) of Section 70 of the Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Act, 2023:-

- (i) Annual Report and Accounts of the National Cooperative Organics Limited (NCOL), New Delhi, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

- (ii) Annual Report of the National Cooperative Exports Limited (NCEL), New Delhi, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

- (iii) Annual Report of the Bharatiya Beej Sahakari Samiti Limited (BBSSL), New Delhi, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.
- (iv) Annual Accounts of the National Federation of Cooperative Sugar Factories Limited (NFCSFL), New Delhi, for the year 2024-25, and the Auditor's Report thereon.

[Placed in Library. For (i) to (iv), see No. L.T. 5362/18/25]

II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (3) of Section 14 and sub-section (4) of Section 17 of the National Cooperative Development Corporation Act, 1962:-

- (a) Annual Report of the National Cooperative Development Corporation (NCDC), New Delhi, for the year 2024-25.
- (b) Annual Accounts of the National Cooperative Development Corporation (NCDC), New Delhi, for the year 2024-25, and the Audit Report thereon.

[Placed in Library. For (a) and (b), see No. L.T. 5745/18/25]

- (c) Annual Accounts of the National Cooperative Development Corporation Employees Provident Fund, New Delhi, for the year 2024-25, and the Audit Report thereon.

[Placed in Library. See No. L.T. 5746/18/25]

- (d) Review by Government on the working of the above Corporation.

[Placed in Library. See No. L.T. 5745/18/25]

---

**REPORT OF THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING  
COMMITTEE ON INDUSTRY**

**श्रीमती संगीता यादव** (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के निष्पादन की समीक्षा' के संबंध में

विभाग-संबंधित उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 328वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/समुक्तियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में समिति का 331वां प्रतिवेदन (अंग्रेजी तथा हिंदी में) प्रस्तुत करती हूँ।

---

**REPORT OF THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING  
COMMITTEE ON COAL, MINES AND STEEL**

**श्री आदित्य प्रसाद** (झारखंड): महोदय, मैं कोयला मंत्रालय से संबंधित 'कोयला खनन परियोजनाओं हेतु पर्यावरण तथा वन संबंधी स्वीकृति प्रक्रिया में तेजी लाना और इसे सरल बनाना' के संबंध में विभाग-संबंधित कोयला, खान और इस्पात संबंधी संसदीय स्थायी समिति के पंद्रहवें प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिंदी में) सभा पटल पर रखता हूँ।

---

**STATEMENTS OF THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING  
COMMITTEE ON FINANCE**

**श्री प्रमोद तिवारी** (राजस्थान): महोदय, मैं विभाग-संबंधित वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति (2024-25) के निम्नलिखित प्रतिवेदनों के अध्याय 1 में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की गई कार्रवाई संबंधी विवरणों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिंदी में) सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (i) Nineteenth Report (Eighteenth Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in its Eighth Report (Eighteenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2025-26)' pertaining to the Ministry of Finance (Departments of Economic Affairs, Expenditure, Public Enterprises and Investment & Public Asset Management);
- (ii) Twentieth Report (Eighteenth Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in its Ninth Report (Eighteenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2025-26)' pertaining to the Ministry of Finance (Department of Revenue);

- (iii) Twenty-first Report (Eighteenth Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in its Tenth Report (Eighteenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2025-26)' pertaining to the Ministry of Corporate Affairs;
- (iv) Twenty-second Report (Eighteenth Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in its Eleventh Report (Eighteenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2025-26)' pertaining to the Ministry of Planning (NITI Aayog);
- (v) Twenty-third Report (Eighteenth Lok Sabha) of the Standing Committee on Finance (2024-25) on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Twelfth Report (Eighteenth Lok Sabha) of the Standing Committee on Finance on 'Demands for Grants (2025-26)' pertaining to the Ministry of Statistics and Programme Implementation; and
- (vi) Twenty-fourth Report (Eighteenth Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in its Thirteenth Report (Eighteenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2025-26)' pertaining to the Ministry of Finance (Department of Financial Services).

---

### MATTERS RAISED WITH PERMISSION

MR. CHAIRMAN: Now, Matters raised with permission of the Chair. Dr. Ajeet Madhavrao Gopchade.

#### **Demand for Center's intervention to regulate water release from Sriram Sagar Project (SRSP) to safeguard farmers of Marathwada region**

**डा. अजित माधवराव गोपछड़े** (महाराष्ट्र): माननीय सभापति महोदय, मैं महाराष्ट्र के नांदेड़ जिला के धर्माबाद, बिलौली तथा देगलूर तालुका के किसानों की निरंतर बैकवाटर से जल दुर्दशा

पर केंद्रीय हस्तक्षेप की आवश्यकता पर बोलना चाहता हूँ। मैं आज आपके माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान महाराष्ट्र के नांदेड़ जिला में पिछले कई वर्षों से लगातार घटित हो रही एक अत्यंत गंभीर विनाशकारी और पूर्णतः मानव निर्मित आपदा की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। नांदेड़ जिला के बिलौली, धर्माबाद और देगलूर तालुका के 80 से अधिक गांव हर वर्ष तेलंगाना के श्रीराम सागर परियोजना के अवैधानिक और असमन्वित जल संचालन के कारण बाढ़ जैसी भयावाह परिस्थिति का सामना करते हैं। कुछ गांव ऐसे हैं, जहाँ किसानों की पूरी जमीन डूब जाती है। उनमें संगम, माचनोर, हुनगुंदा, मनोर नांदणी - इन गांवों की जमीन पूरी तरह से डूब जाती है और बाकी गांवों की जमीन 50 प्रतिशत से अधिक डूब जाती है। दुख की बात यह है कि यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक समन्वय की भारी कमी और संचालन तंत्र की गंभीर विफलता का परिणाम है। उपलब्ध मौसम पूर्वानुमान और चेतावनियों को महत्व दिए बिना अचानक तेलंगाना के श्रीराम सागर परियोजना से पानी न छोड़ने की वजह से नांदेड़ के इन तालुकाओं में बैकवाटर की समस्या उत्पन्न होती है। बिना चेतावनी के बड़े पैमाने पर बैकवाटर के पानी से इन गाँवों की जमीन डूब जाती है। श्रीराम सागर, पोचमपाड़ गांव के बैकवाटर से इस एरिया में कुछ ही घंटों में पानी का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ जाता है और इससे सीमांत ग्रामीण क्षेत्र में अकल्पनीय विनाश होता है। यह मानवजनित बाढ़ किसानों के लिए दोहरी मार बन चुका है और फसलें, पशुधन, घरबार, ग्रामीण ढांचे, सब नष्ट हो जाते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से नांदेड़ जिले के धर्माबाद, बिलौली, देगलूर के किसानों को स्थाई कायम मुआवजा देने की माँग करता हूँ। यह किसी एक वर्ष की समस्या नहीं है, बल्कि यह हर साल दोहराई जाने वाली लापरवाही से उत्पन्न त्रासदी है। अंतर्राज्यीय जल प्रबंधन के समन्वय की कमी से यह समस्या उत्पन्न हो रही है, इसलिए इस पर महाराष्ट्र और तेलंगाना की सरकार के साथ तत्काल बैठक करके उपाय करने की आवश्यकता है। मैं विशेषकर केंद्र सरकार के केंद्रीय जल आयोग से विनती करता हूँ कि तेलंगाना और महाराष्ट्र के संयुक्त जल समन्वय तंत्र की तत्काल स्थापना कर वास्तविक समय आधारित सूचना साझाकरण और निर्णय प्रक्रिया स्थापित कर इसका निवारण किया जाए। श्रीराम सागर परियोजना के संचालन हेतु वैज्ञानिक गणनात्मक और बाध्यकारी जल संचालन नियमावली तथा संचालन कैलेंडर का निर्माण किया जाए। डिजिटल सर्वेक्षण करके डीबीडी के माध्यम से मुआवजा दिया जाए।

माननीय सभापति महोदय, नांदेड़ जिला के ये तीन तालुका बहुत गंभीर अवस्था में है और वहाँ काफी सारी समस्याएँ हैं। वहाँ की सारी फसलें तथा सारे गाँव बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इन गाँवों के लिए महाराष्ट्र और तेलंगाना की समितियों को एकसाथ बिठाकर इस विषय पर निर्णय करना बहुत जरूरी है और इसमें केंद्र का हस्तक्षेप बहुत जरूरी है।

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Dr. Ajeet Madhavrao Gopchade : Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Banshilal Gurjar (Madhya Pradesh), Dr. Kavita Patidar (Madhya Pradesh), Shri Niranjana Bishi (Odisha), Dr. Medha Vishram Kulkarni (Maharashtra), Shri S. Selvaganabathy (Puducherry), Dr. Anil Sukhdeorao Bonde (Maharashtra), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur) and Dr. Sasmit Patra (Odisha).

Now, Dr. Sangeeta Balwant.

### **Demand for renaming State-Level Administrative Offices to promote citizen centric governance**

**डा. संगीता बलवन्त** (उत्तर प्रदेश): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। महोदय, मैं सम्मानित सदन का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ कि भारत अभी भी अपने प्रशासनिक ढांचे में शाही या सामंतवादी मानसिकता के अवशेषों से जूझ रहा है, जहाँ कुछ कार्यालय अक्सर शक्ति के साधन के रूप में देखे जाते हैं न कि सेवा के साधन के रूप में। यह धारणा सरकारी अधिकारियों और उन नागरिकों के बीच दूरी पैदा करती है, जिन्हें वे सेवा देने के लिए बनाए गए हैं।

महोदय, जिलाधिकारी का कार्यालय, साथ ही अन्य महत्वपूर्ण राज्य-स्तरीय अधिकारी, जैसे, उप-जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और विभागीय प्रमुख औपनिवेशिक काल में राजस्व, कानून और प्रशासन को केंद्रीकृत करने के लिए स्थापित किए गए थे। इस अधिकार-केंद्रित ढांचे ने एक स्थायी विरासत छोड़ी है, जो आज भी अधिकारियों के नागरिकों के साथ व्यवहार को प्रभावित करती है। यह अक्सर जनभागीदारी को रोकता है, पारदर्शिता को कम करता है, नौकरशाही में बाधाएँ पैदा करता है और आवश्यक सेवाओं के समय पर वितरण में रुकावट डालता है। हाल ही में, प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम "सेवा तीर्थ" रखा गया है। साथ ही, राजपथ को "कर्तव्य पथ," राज भवन को "लोक भवन" और केंद्रीय सचिवालय को "कर्तव्य भवन" नाम दिया गया है, जो नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण को दर्शाता है और स्पष्ट करता है कि शासन जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता के साथ है।

माननीय सभापति महोदय, इसी भावना से मैं अनुरोध करती हूँ कि सभी राज्य-स्तरीय कार्यालयों के नाम बदले जाएँ। जैसे, जिलाधिकारी पदनाम को जिला सेवक या उन्हें कुछ इस तरह व्यवस्थित किया जाए कि उनका वास्तविक उद्देश्य सार्वजनिक सेवा को दर्शाए। उनके पदनाम और कार्य-प्रणाली में विनम्रता, जवाबदेही और नागरिकों के प्रति सेवा को प्राथमिकता दी

जानी चाहिए, ताकि अधिकारी जनता के लिए मार्गदर्शक और सहायक के रूप में देखे जाएँ, धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Dr. Sangeeta Balwant: Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Sat Paul Sharma (Jammu & Kashmir), Shrimati Sulata Deo (Odisha), Shri Niranjana Bishi (Odisha), Shri Ratanjit Pratap Narain Singh (Uttar Pradesh), Shrimati Sangeeta Yadav (Uttar Pradesh), Shrimati Dharmshila Gupta (Bihar), Shri Kesridevsinh Jhala (Gujarat), Shri Shambhu Sharan Patel (Bihar), Shrimati Darshana Singh (Uttar Pradesh) and Shri Subhasish Khuntia (Odisha).

Now, Shri A.A. Rahim.

**Demand for immediate relief and regulatory measures for passengers affected by  
Indigo flight disruptions and exorbitant airfares**

SHRI A.A. RAHIM (Kerala): Sir, I would like to raise the plight of Indian air passengers. Everyone is calling the recent crisis as the Indigo crisis. Sir, I firmly believe that the crisis was not created by Indigo alone; the sole culprit behind this huge crisis is the Union Government. Sir, this is the direct outcome of the Union Government's neoliberal economic policies, privatization and deregulation of the Indian aviation sector. The Union Government has turned India's aviation sector into a duopoly ecosystem. Indigo now operates 65.6 per cent of all flights. Air India handles 25.7 per cent. This means that more than 90 per cent of Indian aviation sector is controlled by just two bosses, Indigo and Air India.

Sir, the Government propagated the idea that the privatization of Air India would create a miracle. But what is the reality today? In terms of safety, quality of service and quality of aircraft, the situation is extremely poor. The Government created a misconception that the public sector is useless while private players are saviours, capable of miracles. What is the Tata-led Air India doing during this so-called Indigo crisis? It is profiting from human distress. Profiting from human distress! Sir, last Friday, the Government issued an order on aircraft capping, stating that the airlines can charge only up to Rs.18,000 for routes above 1,500 kilometres. But, today morning, I would like to explain my own experience. Today, I tried to book a ticket from Delhi to Trivandrum for tomorrow. Sir, can you imagine what the price is? Sir,

the price shown is absolutely shocking! It is Rs.64,783 for today's Delhi to Trivandrum economy class! Sir, what is the control of the Government? The Government has no control on the private carriers. So, Sir, in this situation, I urge upon the Government not to dilute FDTL.

Sir, I am coming to FDTL. The Government is now forced to give exemption to the Indigo, exemption from the FDTL. So, don't dilute the FDTL rules. The Government must regulate the aviation sector and end the duopoly. A strong mechanism must also be implemented to control airfares and ensure the safety of air passengers. Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri A. A. Rahim (Kerala): Shrimati Priyanka Chaturvedi (Maharashtra), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Shri Haris Beeran (Kerala), Shri Jose K. Mani (Kerala), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Saket Gokhale (West Bengal), Shri Niranjana Bishi (Odisha), (Odisha), Dr. John Brittas (Kerala), Prof. Manoj Kumar Jha (Bihar), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shri Subhasish Khuntia (Odisha), Ms. Sushmita Dev (West Bengal), Shri Ravi Chandra Vaddiraju (Telangana), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Shrimati Sulata Deo (Odisha), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Shrimati Mausam B Noor (West Bengal), Shrimati Phulo Devi Netam (Chhattisgarh), Shrimati Sagarika Ghose (West Bengal), Shri Prakash Chik Baraik (West Bengal), Shri Sant Balbir Singh (Punjab), Ms. Dola Sen (West Bengal), Shri Meda Raghunadha Reddy (Andhra Pradesh), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Golla Baburao (Andhra Pradesh), Shri Bikash Ranjan Bhattacharyya (West Bengal) and Shri Narain Dass Gupta (NCT Delhi).

Shri Deepak Prakash.

**Need for sustained strategic measures to ensure complete  
eradication of Naxalism from the country**

**श्री दीपक प्रकाश** (झारखंड): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से देश के माननीय प्रधान मंत्री जी और भारत सरकार के तपस्वी, यशस्वी एवं सम्मानित गृहमंत्री श्री अमित शाह जी को दिल की गहराई से अभिनंदन और बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने देश को नक्सलवाद-मुक्त भारत बनाने का काम किया है तथा हिंसा-मुक्त लोकतंत्र स्थापित करने का कार्य किया है। इसके लिए भी मैं उन्हें

दिल की गहराई से साधुवाद देना चाहता हूँ। 2014 तक, पिछली सरकार के शासनकाल में, 136 जिलों में नक्सलवाद का तांडव था। लेकिन आज प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के शासनकाल में मात्र छह जिले बचे हैं। इन्हें भी 2026 तक समाप्त करने का संकल्प देश के यशस्वी प्रधान मंत्री और गृहमंत्री अमित शाह जी ने लिया है।

महोदय, मैं झारखंड से आता हूँ। मैंने वहाँ नक्सलियों का आतंक, भय और तांडव करीब से देखा है। नक्सलियों द्वारा लोगों को मरते, तड़पते देखा है और पिछली सरकारों को मौन होते भी देखा है। झारखंड में इनके शासनकाल में सूर्यास्त के बाद शहर टापू बन जाते थे, रात के समय सड़कें वीरान हो जाती थीं, लेकिन आज वहाँ अमन-चैन और शांति है, और इसका श्रेय भारत के गृहमंत्री अमित शाह जी को जाता है। इतना ही नहीं, पहले नक्सलियों द्वारा बंदी का आह्वान और आर्थिक नाकेबंदी होती थी। 365 दिनों में से दो से ढाई सौ दिन तक बाजार बंद, सड़कें बंद, व्यापार बंद, रेलवे बंद, कल-कारखाने बंद हो जाते थे, जिससे देश को भारी आर्थिक नुकसान होता था। लेकिन आज वहाँ कोई बंदी नहीं होती। पहले बंदी होने से गरीबों के सामने रोटी के लाले पड़ते थे, रोजगार पर असर पड़ता था, लेकिन आज गरीब खुश है क्योंकि आतंक को समाप्त करने का काम अमित शाह जी ने किया है।

इतना ही नहीं, पहले चुनाव बहिष्कार भी होता था - चाहे पंचायत चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव। नक्सली चुनाव का बहिष्कार घोषित करते थे और जो मतदाता मतदान में भाग लेते थे, उनकी उंगलियाँ तक काट दी जाती थीं। यह सब पिछली सरकारों के समय होता था, लेकिन आज उसी मतदाता की उंगली काटने वाला कोई माई का लाल नहीं है। यह अमित शाह जी का मैजिक है।

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Deepak Prakash : Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Banshilal Gurjar (Madhya Pradesh), Shri Sat Paul Sharma (Jammu & Kashmir), Shri Jose K. Mani (Kerala), Shri Devendra Pratap Singh (Chhattisgarh), Shri Niranjana Bishi (Odisha), Dr. Medha Vishram Kulkarni (Maharashtra), Shrimati Sudha Murty (Nominated), Shri Mayankkumar Nayak (Gujarat), Shri Shambhu Sharan Patel (Bihar) Shri Neeraj Dangi (Rajasthan), Shri Surendra Singh Nagar (Uttar Pradesh), Dr. Anil Sukhdeorao Bonde (Maharashtra), Dr. Ajeet Madhavrao Gopchade (Maharashtra), Shrimati Sangeeta Yadav (Uttar Pradesh), Shri Sadanand Mhalu Shet Tanavade (Goa), Shri Aditya Prasad (Jharkhand) and Dr. Sasmit Patra (Odisha).

Shri Dorjee Tshering Lepcha.

**Need for urgent steps for resumption of border trade through Nathula and protection of livelihood of traditional border-area traders in Sikkim**

SHRI DORJEE TSHERING LEPCHA (Sikkim): Hon. Chairman, Sir, the subject of my Zero Hour Mention is, "Need for urgent steps for resumption of border trade through Nathula and protection of livelihood of traditional border-area traders in Sikkim."

Sir, I wish to draw the urgent attention of the Government to the prolonged suspension of border trade between India and China through the historic Nathula Pass in Sikkim, which has remained closed since 2020. The closure has severely affected the economic and livelihood conditions of traditional traders, transporters, porters and local dwellers residing in border-area regions who have historically depended on cross-border commerce.

Sir, the border trade through Nathula is a vital economic lifeline for the people of Sikkim and an important confidence-building measure between the two nations. Reports in the public domain indicate that India and China have recently held discussions and reached an understanding in principle regarding the reopening of the trade routes, including the Nathula Pass.

However, there is still no official announcement or clarity regarding the timeline for resumption of trade. In this context, I wish to raise my queries on following matters: (i) Has the Government taken a financial decision regarding the resumption of border trade between India and China via the Nathula pass and, if so, what is the proposed date or timeline for reopening the trade route? (ii) Does the Government propose to give any special preference, quota or facilitation to traditional border area traders, local dwellers and registered traders from Sikkim once trade is resumed in order to revive their livelihood and economic welfare? (iii) What are the steps being taken by the Government, including financial relief, infrastructure support, customs simplification or transport support to safeguard and promote economic welfare of the local population who have faced hardship due to the prolonged closure?

Sir, the people living around Nathula have been waiting for a clear direction from the Government. This issue concerns the economic survival of border communities, national security interest and regional stability. Therefore, I request the

Government to urgently clarify the status and announce a concrete policy framework for reopening the trade route at the earliest.

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Dorjee Tshering Lepcha: Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Devendra Pratap Singh (Chhattisgarh), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Rwngrwa Narzary (Assam), Shri P. Wilson (Tamil Nadu) and Shrimati Mahua Maji (Jharkhand).

SHRI JAIRAM RAMESH (Karnataka): Sir, please give me half a minute.

MR. CHAIRMAN: All right.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, I would like the hon. Minister to kindly let us know what the Business for today and tomorrow is.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; AND THE MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): Sir, as we had discussed and agreed in the Business Advisory Committee meeting. Today, I would propose to have a lunch break and start the discussion on *Vande Mataram* at 2.00 p.m. and have it from 2.00 p.m. to 6.00 p.m., subject to the sense of the House. And, if the House agrees, with your permission, Sir, we can go up to 7.00 p.m. Then, tomorrow, we would take up discussion on election reforms here as per the time allocated. We propose to take it to Monday to conclude the discussion on election reforms.

MR. CHAIRMAN: Now, Thiru K.R.N. Rajeshkumar.

**Demand for exemption of engine replacement in commercial trucks under the Vehicle Scrappage Policy**

SHRI K.R.N. RAJESHKUMAR (Tamil Nadu): Sir, I thank you for permitting me to raise a matter of public importance concerning the commercial vehicle scrappage policy and its impact on the crucial truck sector and the national supply chain. The Government's goal of reducing pollution and improving road safety through the

scrappage policy is certainly excellent work. However, the mandatory scrapping of commercial vehicles, especially trucks older than 20 years, and a hike in the fee for getting a Fitness Certificate, is severely affecting the livelihood of countless truck owners.

Sir, many of these trucks, the very backbone of India's goods transport, have structurally sound bodies. The main reason for pollution is usually an old engine. Replacing this old polluting engine with a new Bharat Stage-VI-compliant engine and also extending the time for changing the engine is a practical and cost effective practice. This single change could technologically renew the vehicle. Why force the scrapping of the entire, serviceable truck body when only its engine needs to be changed? This policy causes a massive economic burden on small truck owners, who cannot afford lakhs of rupees for a new vehicle. It also leads to increased logistics costs due to reduced shipment capacity, ultimately causing inflation in the prices of essential goods for the common citizen.

I, therefore, urge the hon. Minister of Road Transport and Highways to re-examine this policy and request the Government to grant the crucial exemption that a truck beyond the 20 year period should be allowed to continue operating if the owner replaces the old engine with a new, certified BS-VI engine. I would also request reduction in fee for Fitness Certificate. This measure of engine replacement followed by a mandatory fitness test is a practical and gentle way to ensure environmental sustainability without disabling our economic backbone.

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri K.R.N. Rajeshkumar: Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu), Shrimati Mahua Maji(Jharkhand), (Shri Narain Dass Gupta (NCT Delhi), Shrimati Phulo Devi Netam (Chhattisgarh), Shri Prakash Chik Baraik (West Bengal), Shri Ravi Chandra Vaddiraju (Telengana), Dr. John Brittas (Kerala), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Shri A. A. Rahim (Kerala), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Ms. Dola Sen (West Bengal) and Shri Bikash Ranjan Bhattacharyya (West Bengal).

**Demand for establishing 'One Block, One Digital Exam Centre' to end travel hardships faced by rural and economically weaker students**

**श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक** (मध्य प्रदेश): सभापति महोदय, मैं आज यहाँ पर मध्य प्रदेश जिला जबलपुर से लगे उन दूरदराज़ के गाँवों के माता-पिता की आवाज़ बनकर सदन में बोल रही हूँ, जिन्हें अपने बच्चों को परीक्षा दिलाने के लिए छोटी-छोटी बचत करके, कर्ज़ लेकर उनके भविष्य की तैयारी करनी पड़ती है।

महोदय, हम सदन में डिजिटल इंडिया की बात हमेशा करते रहे हैं। माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रयत्नों से 5 जी डेटा गाँव-गाँव तक पहुँच गया है, लेकिन अभी हमारे जबलपुर जिले से लगे कम से कम 55 गाँव ऐसे हैं, जहाँ पर गाँव के होनहार दलित वर्ग के एससी/एसटी बच्चे जेईई, नीट तथा सीयूईटी परीक्षा देना चाहते हैं और उनमें काबिलियत भी है। मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि परीक्षा देने के लिए जब उनसे कहा जाता है कि उनका केंद्र 300 किलोमीटर दूर इंदौर, भोपाल या अन्य शहर में है, तो आप सोचिए कि उस 17 साल के बच्चे को कितनी मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ती है। वह परीक्षा की रात उस फार्मूले को दोहराना चाहता है, जब उसका मन शांत रहना चाहिए, लेकिन वह तब खचाखच भरी ट्रेन या बस में 8-9 घंटे सफर करता है और धक्के खाता है। उसे यह भी चिंता रहती है कि जब मैं परीक्षा केंद्र पहुँचूँगा, तो मुझे रुकने की भी व्यवस्था चाहिए, मुझे खाने की भी व्यवस्था चाहिए, कोई सस्ती धर्मशाला भी चाहिए। उसकी चिंता इस तरह की जद्दोजहद में रहती है। महोदय, यदि उसके पिता ने कर्ज़ लेकर या कमाई की बचत करके उसे रहने के लिए, खाने के लिए पैसे दिए हों, तो वह यह सोचता है कि कहीं शहर में मेरे ये पैसे कम न पड़ जाएँ।

महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि जब कोई छात्र अपनी परीक्षा कार या कैब का प्रयोग करके देता है, तो उसे दो घंटे का समय लगता है, लेकिन अगर गरीब, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का छात्र परीक्षा देने के लिए जाता है, तो उसके ऊपर आर्थिक संकट आता है।

महोदय, हमने फार्म भरने की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है, लोकतांत्रिक बना दी है, लेकिन आज भी परीक्षा देने की प्रक्रिया अमीरों का विशेषाधिकार बनी हुई है। मेरी माँग है कि हर ब्लॉक में एक डिजिटल केंद्र बनना चाहिए। मैं इसके लिए शिक्षा मंत्रालय, एनटीए से माँग करती हूँ कि वन ब्लॉक डिजिटल एग्जाम सेंटर, हमारे पास के ब्लॉक में, सरकारी स्कूल, कलस्टर में पंचायत भवन, हर ब्लॉक मुख्यालय पर एक सुरक्षित कंप्यूटरीकृत कमरे को डिजिटल परीक्षा से केंद्रित किया जाए। महोदय, मैं यह भी चाहती हूँ कि भविष्य गढ़ने वाले उन बच्चों के लिए कंप्यूटर की परीक्षा उनके गाँव तक पहुँचे। महोदय, वंचित और शोषित समाज के पास असमानता से लड़ने के लिए मात्र ...

MR. CHAIRMAN: The time is over.

The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shrimati Sumitra Balmik: Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shrimati Renuka Chowdhury (Telangana), Shri Niranjana Bishi (Odisha), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Prof. Manoj Kumar Jha (BIHAR), Shri Sant Balbir Singh (Punjab), Shri Sat Paul Sharma (Jammu & Kashmir), Shrimati Maya Naroliya (Madhya Pradesh), Shrimati Geeta alias Chandraprabha (Uttar Pradesh), Dr. Sumer Singh Solanki (Madhya Pradesh), Dr. Kavita Patidar (Madhya Pradesh), Shri Pradip Kumar Varma (Jharkhand), Shri Devendra Pratap Singh (Chhattisgarh), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Shri Sujeet Kumar (Odisha), Shrimati Priyanka Chaturvedi (Maharashtra), Shrimati Darshana Singh (Uttar Pradesh), Shri Jose K. Mani (Kerala), Dr. Sasmit Patra (Odisha) and Shrimati Mahua Maji (Jharkhand).

Shri Harsh Vardhan Shringla.

#### **Demand for measures to improve the livelihood of tea workers in Darjeeling**

**श्री हर्ष वर्धन श्रृंगला** (नामनिर्देशित): माननीय सभापति महोदय, वणक्वमा मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे देश के चाय के उद्योग और खास तौर से दार्जिलिंग चाय के महत्वपूर्ण विषय पर बात करने का मौका दिया है। Sir, you are aware that India is the second largest producer of tea in the world and we are the largest consumer. Of these teas, Darjeeling tea carries a geographical indicator, a GI, and is regarded the world over as a quality brand of India. It is a heritage. It is not just a product; it is part of our culture, our mornings, our memories. More than 10 lakh workers, farmers and over 60 lakh families and others depend on this industry. In recent times, this sector has unfortunately faced multiple challenges from a sharp rise in low quality imports to climate stress, labour shortages and price instability. Imports from African countries and Nepal have reportedly risen by nearly 45 per cent in the first half of 2025 alone and concerns have been raised that such imports are diluting the value of Indian teas, especially Darjeeling tea. Moreover, with forest cover rapidly thinning, the soil is drying out. Tea growers are now forced to rely on artificial irrigation methods to sustain their crops. Not only is the Darjeeling tea quality suffering, but its total

production also dropped significantly from 14.1 billion kgs in the 1970s to 5.1 billion kgs in 2024.

Adding to this ecological distress and our economic and social challenges, many estates are financially unviable. Labourers are uncertain about their future and issues related to land leases and ownership rights are being left unresolved for years. Further, low quality foreign teas are being sold in domestic and foreign markets under the Darjeeling name, causing immense harm to the reputation of genuine Indian tea. Darjeeling tea is not only a commodity of the highest quality but the pride of India. It would be recalled that our respected Prime Minister, Shri Narendra Modi, served Darjeeling tea when he hosted the G20 Summit for the Heads of States and Governments in New Delhi in September, 2023. It is in our national interest that we preserve this heritage.

The Tea Board of India has done a remarkably good job in trying to preserve and protect our tea industry. However, given the challenges of today, it would be important to consider redefining the scope and objectives of the Tea Board of India. At the same time, it would be important to promote Indian teas.

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Harsh Vardhan Shringla : Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Ms. Dola Sen (West Bengal), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Dr. John Brittas (Kerala), Shri A. A. Rahim (Kerala), Shrimati Sudha Murty (Nominated), Prof. Manoj Kumar Jha (Bihar), Shri Niranjana Bishi (Odisha), Dr. Meenakshi Jain (Nominated), Dr. Medha Vishram Kulkarni (Maharashtra), Shri Ramji (Uttar Pradesh), Dr. Sasmit Patra (Odisha) and Shrimati Mahua Maji (Jharkhand).

Shri Mohammed Nadimul Haque.

### **Urgent need to strengthen the Right to Information Act**

SHRI MOHAMMED NADIMUL HAQUE (West Bengal): Sir, under Article 19 of our Constitution, the right to seek information has been recognised as the Fundamental Right. Despite this, the RTI Act is being systematically demolished by this Government. When it was introduced, India's RTI Act was miles ahead of similar laws in other countries. We are the only country where there is a time limit of 30 days for providing information. Sadly, twenty years later, the NDA, that is, 'No Data Available'

Government, has made a <sup>£</sup>of the RTI Act. As of November 2025, eight of the ten posts at the Central Information Commission are vacant. To make it worse, India does not have a Chief Information Commissioner since September 2025. Due to this, it takes almost two to three years to dispose of pending second appeals, by which time, the information given becomes useless. This Government likes to talk about digital India. In reality, the RTI website is a nightmare. Over the last several months, the RTI activists have been complaining about website crashes and delayed OTPs. By not fixing the issue, the Government is showing how reluctant and scared it is about disclosing information. We saw the same issue with the Wakf UMEED portal recently, which was full of glitches. Yet the Government not only failed to fix it but also failed to extend the deadline.

The people of India demand information, which is their right. The people of Bengal deserve to know as to why Rs.52,000 crores of our pending MNREGA dues have not been released by the Union Government despite court order. We deserve to know by when Bengal's pending dues of about Rs.2 lakh crores, under various schemes, will be released by the Union Government. We have seen how this Government runs away from accountability in the Parliament. By weakening the RTI Act, the Modi Government is running away from being accountable to the people.

In the end, I can only urge the Government to fill vacancies, restore capacity and protect the sanctity of this law and Indian democracy. Otherwise, the RTI Act remains intact on paper, while transparency collapses in practice, and that collapse is entirely this Government's responsibility. *Vande Mataram! Jai Hind!*

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Mohammed Nadimul Haque: Shri Prakash Chik Baraik (West Bengal), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu), Shrimati Mahua Maji (Jharkhand), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Saket Gokhale (West Bengal), Ms. Sushmita Dev (West Bengal), Shrimati Priyanka Chaturvedi (Maharashtra), Ms. Dola Sen (West Bengal), Shri Jose K. Mani (Kerala), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Shrimati Sagarika Ghose (West Bengal), Dr. John Brittas (Kerala), Prof. Manoj Kumar Jha (Bihar), Shri Bikash Ranjan Bhattacharyya (West Bengal), Shri Ritabrata Banerjee (West Bengal), Shri A.A. Rahim (Kerala), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Shri Muzibulla Khan

---

<sup>£</sup> *Exupnged as ordered by the Chair.*

(Odisha), Shrimati Mausam B Noor (West Bengal), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Haris Beeran (Kerala), Shri Gurwinder Singh Oberoi (Jammu & Kashmir), Shrimati Jaya Amitabh Bachchan (Uttar Pradesh), Shrimati Mahua Maji (Jharkhand) and Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu).

Now, Shri Subhash Barala.

### **Demand for measures to prevent water pollution and ensure safe drinking water**

**श्री सुभाष बराला** (हरियाणा): सभापति महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे जल प्रदूषण के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। महोदय, मैं आपके माध्यम से संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि प्रकृति पंच तत्वों से बनी है, जिनमें जल सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इसलिए कहा भी गया है कि जल है तो कल है। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी इस विषय के ऊपर बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं और उन्होंने देश के अंदर हर घर नल जैसी एक अच्छी योजना शुरू की है, ताकि हर घर को पीने के लिए शुद्ध जल मिल सके।

मान्यवर, जो जल है, यानी कि पानी है, इसकी इस प्रकार की प्रकृति बनी है कि इसके अंदर अन्य तत्व सबसे ज्यादा आसानी से घुल सकते हैं, चाहे वह घरेलू उपयोग का जल हो, सीवेज का हो या फिर औद्योगिक इकाइयों का हो। बहुत सारे मामलों में देखने में आता है कि देश के बहुत सारे हिस्सों में आज भी इस पानी को, इस जल को बिना ट्रीटमेंट किए नदी-नालों में छोड़ दिया जाता है। यही जल धीरे-धीरे पृथ्वी के नीचे चला जाता है और भूमिगत जल में मिल जाता है। बाद में मानव उपयोग के लिए और पशुओं के उपयोग के लिए इसी पानी को हम ट्यूबवेल या अन्य साधनों के माध्यम से निकालने का काम करते हैं और हम उसको उपयोग करने का काम करते हैं। यह जल इतना प्रदूषित हो जाता है कि कई बार न तो यह मानव के पीने लायक रहता है और न ही पशुओं के पीने लायक रहता है। अगर पशु भी इस प्रकार के प्रदूषित पानी को पीते हैं, तो उनका दूध भी दूषित होने का एक बहुत बड़ा खतरा रहता है, जिसके कारण पशुओं के ऊपर तो उसका बुरा प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही जो लोग पशु के दूध का उपयोग करते हैं, उनके ऊपर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बात ध्यान में लाना चाहता हूँ कि पानी के शुद्धिकरण के लिए कोई इस प्रकार के नियम बनाए जाएं कि आज स्वच्छ जल जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है। इसी प्रकार से जो प्रदूषण बोर्ड है, वह स्वयं इसकी निगरानी करे और यह सुनिश्चित करे कि मानव जीवन के लिए जो अहम वस्तु है, अहम तत्व है, वह ठीक प्रकार से उनको पीने के लिए मिले।

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Subhash Barala: Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri

Niranjan Bishi (Odisha), Shri Sujeet Kumar (Odisha), Shri Sadanand Mhalu Shet Tanavade (Goa), Shrimati Sangeeta Yadav (Uttar Pradesh), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Sat Paul Sharma (Jammu & Kashmir), Shri Narain Dass Gupta (NCT Delhi), Dr. Kavita Patidar (Madhya Pradesh), Shri Khiru Mahto (Bihar), Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh), Shrimati Darshana Singh (Uttar Pradesh), Prof. Manoj Kumar Jha (Bihar), Shri Sant Balbir Singh (Punjab), Shri A.A. Rahim (Kerala), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Shri Jose K. Mani (Kerala) and Shri Ravi Chandra Vaddiraju (Telangana).

Now, Dr. Sumer Singh Solanki.

### **Concern over rising road accidents on NH-03 at the Bijasan Ghat in Madhya Pradesh**

**डा. सुमेर सिंह सोलंकी** (मध्य प्रदेश): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। नर्मदे हर! वंदे मातरम्! माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार एवं सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र का रहने वाला हूँ। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ, वहाँ विंध्याचल और सतपुड़ा की दो पहाड़ियाँ हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3 सेंधवा, बड़वानी जिले के पास में एक बिजासन घाट है, जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। यहाँ पर लगातार गंभीर दुर्घटनाएँ घटित हो रही हैं, जिनमें लगभग 190 से अधिक दुर्घटनाएँ हुई हैं और जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। एक निश्चित स्थान पर लगातार अगर दुर्घटनाएँ हो रही हैं, तो यह तकनीकी खामियों के कारण भी हो सकता है। यहाँ पर लगातार 24-24 घंटे तक जाम लगता रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर जो बिजासन घाट है, उस पर एक नई सड़क बनाकर यहाँ पर दुर्घटनाओं को रोकने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूँ कि मानपुर गणेश घाट था, जिस पर लगातार दुर्घटनाएँ होती थीं। पिछली बार शून्य काल के दौरान उस मुद्दे को उठाया गया था। हमारी सरकार ने 107 करोड़ रुपये खर्च करके एक नई सड़क बनाई है। एक साल हो गया है, लेकिन वहाँ अभी तक एक भी दुर्घटना नहीं हुई है, जबकि उस पर भी सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी।

माननीय सभापति महोदय, इन दुर्घटनाओं में कई माताओं ने अपने बेटों को खोया है, कई बहनों ने अपने भाइयों को खोया है और कई बच्चों ने अपने माता-पिता को खोया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से और परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी से यह मांग करता हूँ कि मध्य प्रदेश के निमाड़ में सेंधवा के पास भी बिजासन घाट पर होने वाली दुर्घटनाओं को तत्काल

रोकने की दिशा में तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए उचित कदम उठाने का प्रयास करें। मैं आपके माध्यम से यही मांग करता हूँ। नर्मदे हर! वंदे मातरम्!

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Dr. Sumer Singh Solanki: Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shri Niranjana Bishi (Odisha), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Shrimati Maya Naroliya (Madhya Pradesh), Dr. Kavita Patidar (Madhya Pradesh), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Shri Khiru Mahto (Bihar), Shri A.A. Rahim (Kerala), Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh) and Shrimati Darshana Singh (Uttar Pradesh).

Now, Shrimati Jaya Amitabh Bachchan.

### **Urgent need for dedicated emergency vehicle lanes**

SHRIMATI JAYA AMITABH BACHCHAN (Uttar Pradesh): Sir, in a country where groceries reach the doorsteps within 15 minutes and pizzas in 30 minutes via quick e-commerce platforms, patients bleed to death because ambulances take hours and remain trapped in traffic due to lack of dedicated emergency lanes in spite of the directives given by the Supreme Court in 2018. No national data tracks these tragedies. I would like to draw your attention towards some of the recent cases. A Mussoorie tourist died due to 40-minute jam in 2025. In Kerala, because of jam in Kozhikode, a person lost his life in 2024. In Mumbai, in 2025, an infant lost his life due to five-hour delay. There is also a recent incident of tragic death of a couple who bled to death because there was absence of trauma centre nearby. Sir, 60 per cent ambulances arrive late with urban delays averaging 15-30 minutes due to absence of green corridors and police escorts, missing the golden hour for 55 per cent accident victims. There are no dedicated lanes on highways despite National Ambulance Code, 2016. These critical failures need to be taken notice of and dealt with immediately.

Sir, through you, I suggest immediate nationwide mandate for dedicated emergency lanes with AI traffic signals prioritizing ambulances, 30-second green corridors; enforcing Supreme Court 2018 ambulance corridor directive via Ministry of Road Transport and Highways' penalties on violators; and high-level probe into

ambulance delay deaths should be taken on priority basis in Parliamentary Committee for Health and Family Welfare. Thank you. Vande Mataram!

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shrimati Jaya Amitabh Bachchan: Shri Tiruchi Siva (Tamil Nadu), Prof. Manoj Kumar Jha (Bihar), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shrimati Priyanka Chaturvedi (Maharashtra), Shri Pramod Tiwari (Rajasthan), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Shri Neeraj Dangi (Rajasthan), Shrimati Phulo Devi Netam (Chhattisgarh), Shri Prakash Chik Baraik (West Bengal), Shri A.A. Rahim (Kerala), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Subhasish Khuntia (Odisha), Shri Ravi Chandra Vaddiraju (Telangana), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Shri Muzibulla Khan (Odisha), Shri Gurwinder Singh Oberoi (Jammu & Kashmir), Prof. Ram Gopal Yadav (Uttar Pradesh), Shri Sant Balbir Singh (Punjab), Shri Narain Dass Gupta (NCT Delhi), Shri Jose K. Mani (Kerala), Shrimati Sagarika Ghose (West Bengal), Ms. Dola Sen (West Bengal), Shri Saket Gokhale (West Bengal), Ms. Sushmita Dev (West Bengal), Shri Ritabrata Banerjee (West Bengal), Shri Mohammed Nadimul Haque (West Bengal), Shri Rwngrwa Narzary (Assam), Shrimati Renuka Chowdhury (Telangana), Shri Meda Raghunadha Reddy (Andhra Pradesh), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shri Niranjana Bishi (Odisha), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri P. Wilson (Tamil Nadu) and Shri Haris Beeran (Kerala).

**Demand for strengthening mental health support systems for women,  
especially survivors of violence**

SHRIMATI REKHA SHARMA (Haryana): Sir, I rise today to draw the attention of this august House to an urgent yet often overlooked concern that profoundly impacts the lives of women across the country, the severe shortage of accessible gender sensitive mental health support, particularly, for survivors of violence, harassment and trauma. While Modi Government's initiatives such as Tele Manas and District Mental Health Programmes are commendable, some gaps persist, especially in rural, marginalized and low-income communities. Stigma, lack of awareness and scarcity of trained professionals prevent countless women from receiving timely care. Survivors of

domestic violence, cyber harassment, acid attacks, trafficking and workplace abuse frequently carry long-lasting psychological scars. These traumas affect not only emotional wellbeing but also women's ability to rebuild their lives, pursue education and employment and participate fully in society. Yet the mental health system that should support them remains fragmented and under-resourced.

I urge the Government to deploy dedicated women's mental health councillors at one stop centres, police stations and district hospitals, ensuring immediate and specialized assistance. Tele Manas outreach should be expanded and integrated with women's helpline, self-help groups and *anganwadi* worker network. Training for police, medical staff and legal aid personnel is essential to equip first responders. Additionally, community-based mental wellness programmes, through SHGs, can help reduce stigma, provide early interventions and create safe space for women to seek support. Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shrimati Rekha Sharma: Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shri Niranjana Bishi (Odisha), Shri Sujeet Kumar (Odisha), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Sat Paul Sharma (Jammu & Kashmir), Shri Narain Dass Gupta (NCT Delhi), Shrimati Priyanka Chaturvedi (Maharashtra), Shrimati Jaya Amitabh Bachchan (Uttar Pradesh), Dr. Kavita Patidar (Madhya Pradesh), Dr. John Brittas (Kerala), Shrimati Darshana Singh (Uttar Pradesh), Shri Amar Pal Maurya (Uttar Pradesh), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Dr. Radha Mohan Das Agrawal (Uttar Pradesh) and Dr. Sasmit Patra (Odisha).

**Demand for establishing a High Court Bench in Western Uttar Pradesh  
to ensure accessible and affordable justice**

**डा. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी** (उत्तर प्रदेश): सभापति जी, उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए हाई कोर्ट बेंच की माँग 50 साल से अधिक समय पुरानी है। आबादी, क्षेत्रफल और लंबित मुकदमों की संख्या को देखते हुए यह न्यायसंगत माँग है। 1986 में लोक सभा में माननीय अटल जी ने नेता, प्रतिपक्ष के नाते भी इस माँग का समर्थन किया था। उसके बाद डा. सम्पूर्णानन्द जी, नारायण दत्त तिवारी जी, श्रीमान रामनरेश यादव जी, बाबू बनारसी दास जी और सुश्री मायावती

जी ने भी सदन में और राज्य सरकार की तरफ से सहमति पत्र दिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने नसीरुद्दीन बनाम स्टेट ट्रांसपोर्ट अपील ट्रिब्यूनल में 1997 AIR, पृष्ठ 313 में UP High Court (Amalgamation) Order, 1948 के पैरा 7 और 14 की विस्तृत व्याख्या की है। उस व्याख्या में उन्होंने कहा है कि इलाहाबाद में कोई स्थायी सीट नहीं है तथा इलाहाबाद व लखनऊ की सीट परिवर्तित की जा सकती है। 18वें विधि आयोग ने तो देश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की चार पीठ की स्थापना करने की संस्तुति भी की है। इलाहाबाद में जजों के कुल 160 पद स्वीकृत हैं और कुल 70 कार्यरत हैं। लंबित मुकदमों की संख्या को देखते हुए, वहां 200 पद स्वीकृत होने चाहिए। 21.07.1986 को इसी सदन में, राज्य सभा में तत्कालीन विधि मंत्री, हंसराज भारद्वाज जी ने भी इसका समर्थन किया था।

महोदय, विशेष बात यह है कि 15.04.2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने निर्णय किया था कि आज से 15 दिनों के बाद ई-फाइलिंग सेंटर्स और हाइब्रिड सिस्टम के माध्यम से सुनवाई की जाएगी। उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया। देश के अन्य सभी जनपदों में ई-फाइलिंग सेंटर्स स्थापित हो गए हैं। 3 महीने के बाद दोबारा आदेश जारी करके उन्होंने ई-फाइलिंग सेंटर्स के अपने पुराने आदेश को kept in abeyance रख दिया।

भारत सरकार का भी निर्णय है कि देश के सभी जनपदों में 444 ई-फाइलिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे और उसके लिए भारत सरकार ने बजट में 744 करोड़ रुपए की व्यवस्था की थी। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह आदेश जारी कर दिया कि ई-फाइलिंग सेंटर्स पर केवल प्रयागराज बार में रजिस्टर्ड वकील ही फाइल कर सकेंगे। तब फिर भारत सरकार का ई-फाइलिंग सेंटर के निर्णय और 15.04.2023 को सर्वोच्च न्यायालय के कोर्ट रूम में मुख्य न्यायाधीश के निर्णय को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रशासनिक आदेश से kept in abeyance रखने का काम किया है।

महोदय, मेरा इस संबंध में विरोध है। मुंबई हाई कोर्ट ने पांचवीं बेंच कोल्हापुर में बना दी, जबकि उत्तर प्रदेश में 10 लाख, 33 हजार मुकदमे लंबित हैं और इन लंबित मुकदमों की संख्या को देखते हुए भी, उत्तर प्रदेश में अब 4 बेंचों की आवश्यकता है — मेरठ, आगरा, गोरखपुर और काशी। साथ ही, इन क्षेत्रों का पूर्ण निर्धारण हो।

महोदय, मेरा एक और निवेदन है। एक्ट में एक प्रावधान है। हमारे यहां से 682 किलोमीटर दूर इलाहाबाद है और 450 किलोमीटर दूर लखनऊ है। जब तक हमारी इलाहाबाद बेंच का परिवर्तन करके, मेरठ, आगरा, लखनऊ और बनारस में बेंच मिले, तब तक हमें लखनऊ में... (व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Dr. Laxmikant Bajpayee: Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shrimati Priyanka Chaturvedi (Maharashtra), Shri Brij Lal (Uttar Pradesh), Shrimati

Geeta *alias* Chandraprabha (Uttar Pradesh), Dr. Kalpana Saini (Uttarakhand), Shri Niranjana Bishi (Odisha), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Shrimati Sangeeta Yadav (Uttar Pradesh), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Shrimati Darshana Singh (Uttar Pradesh) and Smt. Seema Dwivedi (Uttar Pradesh).

श्री धनंजय भीमराव महादिक।

**Demand for amendment of PM Kisan Samman Nidhi scheme  
eligibility rules to include post-2019 landholders**

**श्री धनंजय भीमराव महादिक (महाराष्ट्र):** सभापति जी, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे देश के किसानों के हित में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया है। सभापति जी, भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि उत्पादों का बहुत योगदान है। हमारे देश का किसान बहुत ही मेहनती है। यह देश के करीब 140 करोड़ लोगों का पोषण भी करता है और साथ ही बहुत बड़े पैमाने पर हमारे कृषि उत्पादों का एक्सपोर्ट भी होता है। हमारे देश का किसान पूरी तरह से यहां के क्लाइमेट पर निर्भर रहता है, इसलिए कभी अकाल, तो कभी अतिवृष्टि होने के कारण यह किसान प्रभावित होता है और कृषि उत्पादन में भी इसका नुकसान होता है। इसी के चलते 24 फरवरी, 2019 को देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने 'किसान सम्मान निधि योजना' की घोषणा की थी, जिससे आज तक देश के करीब 11 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं। इस योजना के माध्यम से अब तक जो राशि दी गई है, वह 3.70 लाख करोड़ रुपये है, जोकि डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में ट्रांसफर की गई है। इसमें हमारे 11 करोड़ किसान लाभार्थी हैं, लेकिन फिर भी कई किसान इस योजना से वंचित हैं, इसलिए मैं मानता हूँ कि इसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है।

महोदय, इसमें पहला मुद्दा यह है कि वर्तमान नियमों के अनुसार, फरवरी 2019 के बाद यदि किसी व्यक्ति ने बख्शीश पत्र, खरीद अथवा किसी अन्य लीगल माध्यम से जमीन अपने नाम की हो और उसका नाम 7.12 extract और 8 में दर्ज हो गया हो, तो भी उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। इसके कारण देश भर में लाखों ऐसे नए किसान हैं, जोकि विशेष रूप से युवा हैं, ये युवा किसान, भूमिहीन से भूमि मालिक बने किसान एवं उत्तराधिकारी बंटवारे से नए रिकार्डधारक बने किसान, इस महत्वाकांक्षी योजना के लाभ से वंचित हो रहे हैं।

दूसरा, spelling mistake, आधार कार्ड mistake, bank account detail में mistake की वजह से भी कई किसान इसके लाभ से वंचित हैं। उसका rectification किया जाता है, लेकिन पोर्टल में भी कई बार इश्यू होता है और correction करने के बाद भी, सेंटर और स्टेट का जो समन्वय होता है, उसमें periodically बैठकें होती हैं और इसका अध्ययन किया जाता है, लेकिन

उसका रिफ्लेक्शन तुरंत नहीं मिलता है। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि इसका तुरंत रिफ्लेक्शन हो और उन्हें इसका लाभ मिले।

तीसरा, किसी भी किसान की अगर मृत्यु होती है, तो इस योजना का लाभ उसके सक्सेसर को नहीं मिल रहा है। इसका लाभ मिलने के लिए, वह जो सक्सेसर है, जो legal heir है, उसे उस किसान की डेथ सर्टिफिकेट, succession proof आदि सारे पेपर्स देने की जरूरत होती है, जोकि उसके द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी उसमें देरी होती है। मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि पीएम किसान पोर्टल पर भी एक ऐसा successor module बनाया जाए, जिसमें सब documents अपलोड हों। उसमें लोकल लेवल पर कोई भी verification हो सकता है जैसे तलाठी है, प्रांत है या फिर ग्राम सेवक होता है। अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए, तो इससे किसानों को सुविधा होगी।

### **Demand for redressal of Income Tax Notices issued to Scheduled Tribe citizens of Mizoram State**

SHRI K. VANLALVENA (Mizoram): Mr. Chairman, Sir, today, I want to mention about the demand for urgent redressal of income tax notices issued to the Scheduled Tribe citizens of Mizoram. As per Section 10, Clause 26, of the Income Tax Act, the Constitution of India provides tax exemption to Scheduled Tribe citizens all over the country. This Act grants income tax exemption to Scheduled Tribe individuals residing in the State of Mizoram which means that we, the Mizos, are exempted from paying income tax. Despite this exemption, some people among Mizo community used to receive income tax notices, requesting clarification on various matters, some of which date back to several financial years. Some of our tribal people, who are not accustomed to filing income tax returns due to their exempt status, often find it difficult to understand and respond. Even when some people manage to reply, provide their income tax exemption certificate, tribal certificate and residential certificate, they often perceive harassment from the officials of income tax. On behalf of the tribal people in Mizoram, we feel that our people are being unnecessarily harassed contrary to the protection provided by the Constitution.

Hon. Chairman, Sir, through you, I humbly request the Government to take necessary action and convey it to the Office of the Principal Chief Commissioner of Income Tax, North-East Region, Guwahati, Assam. Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri K. Vanlalvena: Shri Niranjan Bishi (Odisha), Dr. Sasmit Patra (Odisha) and Shri R. Girirajan (Tamil Nadu).

### **Demand for establishment of an Agriculture University in Pratapgarh, Uttar Pradesh**

**श्री अमर पाल मौर्य** (उत्तर प्रदेश): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद की एक अत्यंत महत्वपूर्ण दीर्घकालिक और जनहित से जुड़ी हुई आवश्यकता की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। महोदय, प्रतापगढ़ एक कृषि प्रधान जिला है, जहाँ पर लगभग 70 परसेंट लोग खेती पर अपना जीवनयापन करते हैं।

महोदय, यहाँ का आंवला उत्पादन पूरे देश में विशिष्ट पहचान रखता है। इसके अलावा हमारे जिले में धान, गेहूँ, दलहन, आम, सब्जी - इन सबकी उपज होती है। यहाँ की आबादी भी लगभग 30 लाख प्लस है। प्रतापगढ़ में एक सनई अनुसंधान केंद्र है, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के अंतर्गत आता है, जिसका संबंध पटसन एवं समवर्गीय अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर कोलकाता से है। इस केंद्र की स्थापना 1963 में हुई थी। उस समय प्रतापगढ़ देश का सबसे बड़ा सनई उत्पादक जिला हुआ करता था।

महोदय, गौरव का विषय है कि यह केंद्र सनई पर शोध का एकमात्र केंद्र है। अब तक यहाँ से सनई की 6 उन्नत प्रजातियाँ डेवलप की गई हैं और अलसी की भी एक प्रजाति विकसित की जा चुकी है। यह ऐतिहासिक अनुसंधान आधारित आधार बताता है कि प्रतापगढ़ जिला कृषि, शिक्षा एवं अनुसंधान का स्वाभाविक केंद्र बनने की पूर्ण क्षमता रखता है।

महोदय, यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना होने से इस जिले के किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा। यह जिला बहुत पिछड़ा हुआ है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि जब यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, तो यहाँ के किसानों को उन्नत तकनीकी, वैज्ञानिक परामर्श और प्रशिक्षण का सीधा लाभ मिलेगा। इससे आंवले के उत्पादन हो, प्रसंस्करण हो, मूल्य संवर्धन हो, जब किसानों को इससे संबंधित वैज्ञानिक आधार प्राप्त होगा, तो उससे उनमें एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी और हमारे प्रतापगढ़ के जिले के युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन होगा। जिले की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान होगी। मैं आपसे माँग करना चाहता हूँ कि प्रतापगढ़ जनपद में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। अगर प्रतापगढ़ जनपद में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रस्ताव पर प्राथमिकता के आधार पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा, इसकी स्वीकृति प्रदान की जाएगी, तो यह निर्णय प्रतापगढ़ के किसानों की आय बढ़ाने में बहुत ही सहायक सिद्ध होगा, बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Amar Pal Maurya: Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shri Sujeet Kumar (Odisha), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Pramod Tiwari (Rajasthan) and Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur).

Shri Digvijaya Singh, not present. Prof. Manoj Kumar Jha.

### **Need for a uniform minimum wage for all skilled labourers across the country**

PROF. MANOJ KUMAR JHA (Bihar): Sir, I have been submitting this Zero Hour issue which I wanted to speak about – Uniform minimum wage for skilled labourers. सर, अर्थव्यवस्था और आर्थिक विकास के जितने अफसाने हम सुनते हैं, वे सब बेमानी लगते हैं, अगर हम संविधान की धारा 39 के संदर्भ में उनका आकलन करें। सर, आय की असमानता से यह पूरा देश जूझ रहा है। इस देश में एक देश, एक कर हो सकता है, तो एक देश, श्रमिकों को एकसमान भुगतान क्यों नहीं हो सकता? मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि Minimum Wages Act, 1948 के तहत राज्यों को यह कहा गया है कि आप अपने-अपने राज्य में वेज का निर्धारण करें। सर, कितनी विसंगतियों का जन्म होता है कि एक ही कुशल श्रमिक एक ही क्षेत्र में, एक राज्य में उसका मॉड्यूल कुछ और है, उसकी पेमेंट कुछ और है और उसी राज्य में एक और विडंबना यह है कि अलग-अलग क्षेत्रों में यह अलग-अलग है। जैसे, टेक्सटाइल, मैनुफैक्चरिंग आदि किसी भी क्षेत्र को लें, तो हमारे बिहार-झारखंड में जो पेमेंट है, वह तमिलनाडु और केरल की तुलना में बहुत कम है। इससे अक्सर यह होता है कि हमारी पलायन की जो पूरी एक संरचना है, वह भी अनियमितताओं और विसंगतियों को जन्म देती है।

माननीय सभापति महोदय, सरकार के लिए यह मुश्किल नहीं है। सरकार के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर पॉलिटिकल विल हो, तो मेरे हिसाब से इस पर फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए पूरे देश में स्केल्ड लेबरर्स के लिए एक यूनिफॉर्म वेज निर्धारित की जाए, अन्यथा हम जैसे गरीब राज्यों पर यह तमगा हमेशा लगता रहेगा कि इनके यहाँ मजदूरी कम है, इसलिए इनके यहाँ पूंजी नहीं चाहिए। आप ट्रेनें दे दो, ताकि श्रमिक अलग-अलग राज्यों में जाकर अपनी सेवाएँ दें, उन राज्यों को बढ़ोतरी दें, उन राज्यों की तरक्की के हिस्सेदार बनें, लेकिन हमारा अपना राज्य, हमारा अपना क्षेत्र, हमारी अपनी मजदूरी, हमारे अपने परिवार, हमारे अपने बंधु इस पूरी संरचना में असमानता का बोझ ढोते रहें। जय हिंद!

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Prof. Manoj Kumar Jha: Dr. V. Sivadasan (Kerala), Shri A.A. Rahim (Kerala), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Dr. John Brittas (Kerala),

Shrimati Sagarika Ghose (West Bengal), Shri Narain Dass Gupta (NCT Delhi), Shri Niranjana Bishi (Odisha), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri P. Wilson (Tamil Nadu) and Shri Ramji (Uttar Pradesh).

Ms. Swati Maliwal.

SHRI DEREK O' BRIEN (West Bengal): Sir, I have a suggestion.

MR. CHAIRMAN: One minute, let her complete.

### Concern over environmental degradation in Punjab

**सुश्री स्वाति मालिवाल** (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): सर, पंजाब पर आज लगभग 4 लाख करोड़ का कर्ज है और मुझे बहुत दुःख के साथ इस सदन में यह कहना पड़ रहा है कि पंजाब में खुलेआम नदियों से अवैध सैंड माइनिंग चल रही है। सर, हमारी नदियाँ, सतलुज, रावी, व्यास, जो कभी समृद्धि का प्रतीक होती थीं, वे आज इल्लीगल सैंड माइनिंग की वजह से अंदर तक खोखली हो रही हैं। सर, पंजाब की रूह, पंजाब की रेत रात के अंधेरे में ट्रकों में भरकर चोरी की जा रही है। कई गांवों में नदी के किनारे कट रहे हैं, खेतों की जमीनें कमजोर पड़ रही हैं, पुलों और सड़कों की नींवों पर लगातार खतरा बढ़ रहा है।

सर, दिल्ली के एक बड़े नेता का वादा था कि पंजाब में रेत 5.5 रुपये प्रति क्यूबिक फीट पर मिलेगी, पर लोग आज भी 35 से 40 रुपए देने को मजबूर हैं। वादा था कि माइनिंग से 20,000 करोड़ रुपये का रेवेन्यू आएगा, लेकिन आया कितना?

सालाना मुश्किल से 200 करोड़, यानी 99% पैसे की £ हो गई। सर, हाई कोर्ट ने जनवरी, 2025 में चेतावनी दी थी कि इल्लीगल माइनिंग से नदियों का फ्लो बिगड़ेगा और फ्लड्स आएंगे और वही हुआ। अगस्त, 2025 में पंजाब में 40 साल की सबसे भयंकर बाढ़ आई, जिसमें लाखों किसान-परिवारों की फसलें, घर, उनकी पूरी जिंदगी पानी में बह गई। सर, यह कोई natural calamity नहीं, यह manmade disaster था। सर, एनजीटी, हाई कोर्ट बार-बार यह कह रहे हैं कि geo fencing करो, geo tagging करो, पर सीएजी की 2022-23 की रिपोर्ट खुलकर बोल रही है कि न कोई सर्विलेंस हुई और न ही कोई मॉनिटरिंग।

सर, खुद को दिल्ली का बेटा कहने वाले नेता आज conveniently पंजाब दा पुत्त बन गए हैं और वहीं शीश महल की जिंदगी दोबारा जी रहे हैं। दिल्ली के ज्यादातर rejected ex-MLAs पंजाब पहुँचकर पंजाब में अपना retirement plan बना रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Please conclude. ...*(Interruptions)*...

<sup>£</sup> Exupnged as ordered by the Chair.

**सुश्री स्वाति मालिवाल:** सर, पंजाब की जनता के साथ यह साफ-साफ £ है। ...**(व्यवधान)**...

**श्री सभापति:** आप लोग बैठिए। ...**(व्यवधान)**... Nothing would go on record except her speech. ...**(Interruptions)**...

**सुश्री स्वाति मालीवाल:** मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि पंजाब में illegal sand mining की CBI और ED द्वारा जांच हो। सर, यह नेक्सस तोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो न ecology बचेगी, न ही economy बचेगी और न पंजाब का भविष्य बचेगा।

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Ms. Swati Maliwal: Shrimati Sudha Murty (Nominated), Shri Niranjana Bishi (Odisha), Shri Meda Raghunadha Reddy (Andhra Pradesh) and Dr. Kalpana Saini (Uttarakhand).

Now, Shri Derek O' Brien, what do you want to say?

SHRI DEREK O' BRIEN: Sir, I just want to make a suggestion. Under your Chairmanship, in the last one week or ten days,...

MR. CHAIRMAN: This is Question Hour. Come to the point.

SHRI DEREK O' BRIEN: Yes, Sir, during this Zero Hour, we are covering eighteen to nineteen Zero Hour mentions. But, through the ballot, which we are having in the morning, we are selecting only fifteen Zero Hour mentions. My suggestion is this. Since we are covering eighteen to nineteen, we can ballot for eighteen Zero Hour mentions instead of fifteen. That is all, Sir.

MR. CHAIRMAN: Now, Question No.106.

SHRI DIGVIJAYA SINGH (Madhya Pradesh): Sir, I have a point of order. Among the fifteen Zero Hour mentions that you have taken up, my name was not there. Now, I was called by name! But, I was not aware that this is listed.

---

*Expunged as ordered by the Chair*

MR. CHAIRMAN: Your name was there in the list. That is why I called you.

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, it was not listed among the fifteen, and what Derekji has said is absolutely correct.

MR. CHAIRMAN: No; after fifteen, as per the lot only, we are taking.

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, this is exactly what I am requesting. At least, we should be informed. I was in the House at that time and I just went out.

MR. CHAIRMAN: I will ask them to inform you. Please... *...(Interruptions)...* Okay, I will ask them to inform you.

MR. CHAIRMAN: Now, we will take up Question Hour.

---

**12.00 Noon**

### **ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**

#### **Modernisation of Cooperative Societies & PACS digitalisation in Bihar**

\*106. SHRI AKHILESH PRASAD SINGH: Will the Minister of COOPERATION be pleased to state:

- (a) whether the Ministry has reviewed district-wise progress of Primary Agricultural Credit Societies (PACSS) computerisation in Bihar upto October, 2025, including functioning of new workflow and payment modules;
- (b) the steps taken to convert PACS into multi-service centres offering storage, retail, agricultural inputs and doorstep financial services to farmers; and
- (c) the funds sanctioned under national cooperative infrastructure strengthening and digitisation initiatives?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COOPERATION (SHRI MURLIDHAR MOHOL): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

### Statement

(a) Yes, Ministry has reviewed progress of Computerisation of PACS Project in Bihar upto October, 2025 including functioning of new workflow and payment modules. Regular monthly review meetings are conducted with States/UTs to assess progress, particularly in the PACS computerization Project. Key stakeholders like States/UTs, including NABARD have been engaged to review the implementation of this project. A structured monitoring framework has also been established, comprising the National Level Monitoring and Implementation Committee (NLMIC), State and District Level Implementation and Monitoring Committees (SLIMC and DLIMC), State Cooperative Development Committee (SCDC) (under the Chief Secretary), and District Cooperative Development Committee (DCDC) (under the District Collector). These bodies ensure effective implementation, oversight, and coordination of all cooperative sector initiatives, including PACS computerization.

It is also reviewed through visit of Senior Officers from Ministry of Cooperation to the States/UTs.

(b) PACS are developed as hubs for delivering benefits from schemes such as Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY), Pradhan Mantri Kisan Samridhi Kendra (PMKSK), interest subvention, fertiliser and seed distribution, PDS outlets, LPG/Petrol/Diesel dealerships, custom hiring, PM Jan Aushadhi Kendras, Common Service Centres, etc.. and Integration with the state specific portal like, Bhulekh portal (In U.P and M.P), e-KYC and e-Uparjan (M.P), e-Crop, CCRC (Andra Pradesh) and other schemes of other States and also with the Cooperative Banking systems.

Various steps taken to convert PACS into multi-service centres for farmers in Bihar, are as under:

**Storage** — Under State Plan in Bihar, 7,221 Godowns have been constructed in PACS throughout the state creating storage capacity of 17.14 Lakh MT, thereby fortifying the

physical infrastructure. 278 Godowns carrying storage capacity of 2.49 lakh MT have been sanctioned during present FY 2025-26.

As on date, 36 PACS with capacity of 1,33,500 MT have been identified by Cooperative Department, Govt. of Bihar under the World's Largest Grain Storage Plan (WLGSP). A tripartite MoU has been signed between PACS, Cooperative Banks, and Bihar State Warehousing Corporation (BSWC) for construction of godowns under WLGSP.

As per National Cooperative Database (NCD), 7,398 PACS are working as Custom Hiring Centres. The list of those centres are at **Annexure 'A'**.

**Retail —**

i. In Bihar, so far, 12 PACS have applied for petrol/diesel retail outlets in CC2/open category, and 05 PACS have been selected by Oil Marketing Companies.

ii. Further, out of 412 applications received from PACS as PM Jan Aushadhi Kendras, drug license has been issued to 30 PACS and currently 21 Jan Aushadhi Kendra are operational in PACS.

**Agricultural Inputs —** At present, 2271 PACS have fertilizer license, out of which 1681 PACS have been upgraded as PM Kisan Samridhhi Kendras. These Kendras provides additional services such as soil testing, training etc.

**Doorstep Financial Services:**

i. Under Financial Inclusion Fund, NABARD and Bihar State Cooperative Bank have sanctioned an amount of Rs. 1.76 cr for 785 micro-ATMs during FY 2024-25 and Rs.53.77 lakh for 239 micro-ATMs in FY 2025-26. Further, Rs.22.11 lakh has been sanctioned for conducting 390 Financial Literacy Awareness Programmes (FLAPs) to DCCBs for organizing FLAPs for dissemination of financial literacy to rural population including farmers. During FY 2025-26, 130 FLAPs with grant assistance of Rs. 7.53 lakh have been sanctioned to DCCBs for conducting financial literacy under FIF (Financial Inclusion Fund).

ii. At present, 5256 PACS are functioning as Common Service Centres providing services on banking education, Digi Pay, IRCTC, Electricity bill, KVK crop health care etc.

(c) The funds sanctioned all over India under the Computerisation of PACS Project and Strengthening of Cooperative Societies through IT Interventions

(Computerisation of Agriculture and Rural Development Bank(ARDBs)and Computerisation of Registrar of Cooperative Societies(RCS)) are as under :

Under Centrally Sponsored Project for Computerization of PACS (CSPCP), total funds sanctioned to State of Bihar are Rs. 51.76 Crore and a year wise and state-wise details are at **Annexure-‘B’**.

Under Strengthening of Cooperative Societies through IT interventions Project, funds are released in two components i.e a) Computerisation of ARDB b) Computerisation of Registrar of Cooperative Societies Office(RCS). The funds sanctioned are under these two abovementioned components are at **Annexure-‘C’ and Annexure ‘D’** respectively.

As on 25.11.2025, National Cooperative Development Corporation (NCDC) has cumulatively disbursed ₹4,67,455.66 crore for the development of cooperative institutions across the country. Out of which ₹11,534.17 crore has been disbursed for cooperative development in **Bihar**. The details of disbursement of last five in Bihar is provided at **Annexure-‘E’**

NCDC has been providing financial assistance to the cooperative sector under its Corporation-sponsored schemes, covering a wide range of notified commodities and services, as amended from time to time. In recent years, NCDC has introduced sector-specific schemes and focused products to align with the evolving needs of the cooperative sector, with special emphasis on women empowerment, digitization of cooperatives, and rural healthcare. Details of the activities supported and schemes implemented are provided at **Annexure-‘F’**.

An amount of Rs.21,20,552/- (Rupees Twenty-One Lakh Twenty Thousand Five Hundred Fifty-Two Only) has been sanctioned to 09 Primary Agriculture Credit Societies(PACS) under Comprehensive Infrastructure Support to PACS under the Cooperative Development Fund (CDF- 005) over a period of 5 years from FY 2020 to FY 2025.

NABARD has conducted training of Core Master Trainers/ Master Trainers and PACS officials to create a competent pool of resources for operationalization of the e-PACS software given to PACS under the PACS Computerization Project. So far, an amount of Rs.2,15,11,259 (Rupees Two Crore Fifteen Lakh Eleven Thousand Two Hundred Fifty-Nine Only) has been sanctioned during FY 2024-25 to FY 2025-26 for training of officials of System Integrator (SI), DCCB and PACS.

## Annexure-‘A’

## List of Custom Hiring Centres

S.No	State	Hiring Agricultural Implements
1	ANDHRA PRADESH	5
2	BIHAR	2,661
3	GOA	2
4	GUJARAT	34
5	HARYANA	24
6	HIMACHAL PRADESH	5
7	JAMMU AND KASHMIR	4
8	JHARKHAND	12
9	KARNATAKA	108
10	KERALA	43
11	MADHYA PRADESH	87
12	MAHARASHTRA	25
13	MANIPUR	30
14	MEGHALAYA	17
15	MIZORAM	2
16	NAGALAND	1
17	ODISHA	31
18	PUDUCHERRY	29
19	PUNJAB	2,024
20	RAJASTHAN	1,046
21	TAMIL NADU	857
22	TELANGANA	3
23	TRIPURA	6
24	UTTAR PRADESH	169
25	UTTARAKHAND	1
26	WEST BENGAL	172
Total		7,398

## Annexure-‘B’

## Computerisation of PACS Project

Rs. in crores

S.No	States/UTs	Amount released in FY 2022-23	Amount released in FY 2023-24	Amount released in FY 2024-25	Amount released in FY 2025-26	Total amount released
1	Maharashtra	87.95	33.65	-	9.14	130.73
2	Rajasthan	23.78	43.30	11.00	6.76	84.83

3	Gujarat	-	58.30	22.19	13.48	93.97
4	Uttar Pradesh	11.28	42.30	-	13.51	67.10
5	Karnataka	40.25	15.39	-	12.19	67.83
6	Madhya Pradesh	33.23	25.42	-	7.78	66.43
7	Tamil Nadu	33.20	12.48	-	6.05	51.73
8	Bihar	32.95	-	14.66	4.15	51.76
9	West Bengal	30.54	-	-	15.25	45.79
10	Punjab	25.52	-	-	7.42	32.94
11	Andhra Pradesh	14.93	3.74	14.54	2.10	35.31
12	Chhattisgarh	14.86	-	10.21	3.28	28.35
13	Himachal Pradesh	9.56	7.32	3.09	6.77	26.74
14	Jharkhand	10.99	-	15.10	8.21	34.30
15	Haryana	4.85	2.44	-	1.50	8.79
16	Uttarakhand	-	3.69	-	-	3.69
17	Assam	6.41	2.45	6.39	1.76	17.02
18	J&K	5.25	1.52	1.85	1.75	10.37
19	Tripura	2.95	1.13	3.03	-	7.11
20	Manipur	2.55	-	-	0.59	3.14
21	Nagaland	0.36	2.46	1.60	0.01	4.43
22	Meghalaya	1.23	-	-	1.11	2.34
23	Sikkim	1.18	0.90	0.79	0.41	3.28
24	Goa	0.32	0.13	0.44	0.31	1.19
25	ANI	-	0.69	-	-	0.69
26	Puducherry	0.44	0.17	-	0.06	0.67
27	Mizoram	0.27	-	0.44	0.56	1.27
28	Arunachal Pradesh	0.15	0.12	0.09	-	0.36
29	Ladakh	-	0.12	-	-	0.12
30	Odisha	-	-	-	18.07	18.07
31	DNH&DD	-	-	0.12	-	0.12
32	<b>Sub-Total</b>	395.00	257.71	105.54	142.24	900.49
33	NABARD	100.00	40.92	25.00	-	165.92
34	<b>Total</b>	495.00	298.63	130.54	-	1,066.41

Annexure-‘C’

**Computerisation of ARDB Project**

Rs. in crores

S. No.	States/UTs	Amount released in FY 2023-24	Amount released in FY 2024-25	Amount released in FY 2025-26	Total Amount released
1	Puducherry	0.04	-	0.07	0.11
2	Punjab	0.47	-	0.48	0.94

3	J&K	0.26	-	-	0.26
4	Tripura	0.04	-	-	0.04
5	Uttar Pradesh	1.27	-	0.48	1.75
6	Karnataka	0.80	-	0.48	1.28
7	Tamil Nadu	-	1.49	0.48	1.96
8	Haryana	-	0.76	-	0.76
9	Himachal Pradesh	-	0.56	0.48	1.04
10	Gujarat	-	0.82	-	0.82
11	Rajasthan	-	0.67	0.48	1.14
	<b>Total</b>	<b>2.88</b>	<b>4.29</b>	<b>2.93</b>	<b>10.10</b>

Note:- Jammu & Kashmir has now opted out from the project.

### Annexure-‘D’

#### Computerisation of RCS Office

S. N	States/UT	1st instalment released in 2023-24 (In Lakhs)	1st instalment released in 2024-25 (In Lakhs)			1st instalment released in 2025-26 (In lakhs)		1st instalment released in 2025-26 (In lakhs)	
			for Hardware & cloud	without CSNA for Software Development	Funds transferred to NCDC (CSNA) for Software Development	for Hardware & cloud	Funds transferred to NCDC (CSNA) for Software Development	for Hardware (SPARS H) & cloud	Funds transferred to NCDC (TSA) for Software Development
1	Andaman and Nicobar	2.175	6.525						

2	Andhra Pradesh	-			75				
3	Arunachal Pradesh	-	50.9		37.5				
4	Assam	14.9175						30	
5	Bihar	10.9125	32.74		52.41				
6	Chandigarh	-	14.9	75					
7	Chhattisgarh	-	46.45		37.5		61.82		
8	Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu	-	14.9	75					
9	Goa	0.765	8.95		75				
10	Gujarat	13.8375			43.65				
11	Haryana	-			74.6		56.55		
12	Himachal Pradesh	-	35.76						
13	Jammu and Kashmir	7.71						13.98	
14	Jharkhand	6.975							
15	Karnataka	13.0725	35.15		50			2.035	
16	Kerala	-			-				
17	Ladakh	1.725	14.9	75					
18	Lakshadweep	0.6375							
19	Madhya Pradesh	18.405							
20	Maharashtra				75				
21	Manipur	7.2225							
22	Meghalaya	3.40875							
23	Mizoram	-			75			15.79	
24	Nagaland	7.2225	21.67						
25	NCT of Delhi	-	13.45		73.45			14.42	
26	Odisha	-			75			12.89	
27	Puducherry	2.1	11.95		75			9.1	
28	Punjab	6.435						18.55	

29	Rajasthan		81.36					
30	Sikkim	3.1725	6.3				1.61	
31	Tamil Nadu	-			75		42.85	
32	Telangana	13.8375					20.755	
33	Tripura	3.9825	11.94		65			
34	Uttar Pradesh	25.065						
35	Uttarakhand	4.82625	9.7					
36	West Bengal		23.76		61.39			
<b>Total</b>		168.405	441.305	225	1020.5		118.37	181.98
				1805.175				181.98
<b>Grand Total</b>		2155.56						

**Annexure-‘E’****Last 5 Years Activity wise Disbursement by NCDC in Bihar**

Rs. in Crores

S. No	Activity	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 as on 25.11.2025	Total
1	SERVICE COOP.	1,600.00	2,800.00	4,000.00				8,400.00
2	I C D P	14.48	1.22	3.53	12.36			31.59
3	INPUTS	13.00	52.00	39.76		0.10	0.09	104.95
4	DAIRY & LIVE STOCK	6.12	3.65	6.58				16.35
5	FPO		0.94	3.64	2.98	5.64	5.78	18.98
6	FISHERIES		0.09	0.08	0.39	0.39		0.95
7	FISHERIES FPO (FFPO)			0.16	0.10	1.19	0.25	1.70
8	STORAGE				800.00		0.25	800.25
	<b>Total</b>	1,633.60	2,857.90	4,053.75	815.83	7.32	6.37	9,374.77

**Annexure – ‘F’****SCHEMES / ACTIVITIES ASSISTED BY NCDC****1) CORPORATION SPONSORED SCHEMES:****A) ACTIVITIES ASSISTED:**

NCDC provides financial assistance in the form of loans (both Term Loans and Investment Loans) and subsidy to the cooperative societies for their development. The loan component is provided from out of NCDC's own funds while the eligible subsidy is provided after dovetailing from other Central Sector Schemes. The list of activities assisted by NCDC is as under:-

- a) **Marketing:**
- b) **Processing:**
- c) **Storage:**
- d) **Cold Chain:**
- e) **Industrial:**
- f) **Distribution of essential consumer articles through cooperatives:**
- g) **Credit & Service Cooperatives/ Notified Services:**
- h) **Cooperative Banking Unit:**
- i) **Agricultural Services:**
- j) **District Plan Schemes:**
- k) **Weaker Section Cooperatives:**
- l) **Assistance for Computerization of Cooperatives:**
- m) **Promotional and Developmental programmes.**

**B. FOCUSED PRODUCTS OF NCDC:****a) YUVA SAHAKAR - Cooperative Enterprise Support and Innovation Scheme:**

The scheme launched in the financial year 2019-20 aims at encouraging newly formed cooperative societies with new and/ or innovative ideas.

**b) AYUSHMAN SAHAKAR:** The scheme launched in the financial year 2020-21 has a comprehensive approach to cover hospitals, healthcare, medical education, nursing education, paramedical education, health insurance and holistic health systems such as AYUSH.

c) **NANDINI SAHAKAR:** The scheme is in operation since financial year 2020-21, which aims to improve the socio-economic status of women and supports the entrepreneurial dynamism of women through women's cooperatives. It will converge critical inputs of women's enterprise, business plan formulation, capacity development, credit and subsidy, and/ or interest subvention of other schemes.

d) **DAIRY SAHAKAR:** The scheme launched in the financial year 2021-22 is a cooperative dairy business focused framework of financial assistance for encouraging cooperatives to achieve higher outcomes in ESG (environmental, social, governance) linked activities. It includes the creation of infrastructure by cooperatives for new projects and modernization and/or expansion of existing projects.

e) **DIGITAL SAHAKAR:** The scheme is in operation since 2021-22 aligned with the principles of Digital India, NCDC has conceived a focused financial assistance framework for Digitally Empowered Cooperatives for handholding and credit linkage by NCDC, dovetailed with grant, subsidy, incentives, etc. from the Government of India / State / UT / agencies with the objective of cooperatives actively partaking in Digital India.

f) **SWAYAM SHAKTI SAHAKAR YOJNA:** The scheme launched in the financial year 2022-23 for providing NCDC's financial assistance to Agricultural Credit Cooperatives for providing loan/advances to Women Self Help Groups (SHGs).

g) **DEERGHAVADHI KRISHAK PUNJI SAHAKAR YOJNA:** The scheme launched in the financial year 2022-23 for extending NCDC's long-term financial assistance to Agricultural Credit Cooperatives towards their onward lending of long-term loans/advances for activities/commodities/services under the purview of NCDC.

## **II Other Central Schemes:**

a) **Agricultural Marketing Infrastructure (AMI) sub scheme of Central Sector Integrated Scheme on Agriculture Marketing (CSISAM) for Storage and other than Storage Infrastructure**-DAC&FW, MOA&FW Rashtriya Krishi Vikas Yojana (Training) - DAC&FW, MOA&FW

b) **Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH)** - DAC&FW, MOA&FW

c) **Interest Subvention & Credit Guarantee through Financing Facility under Agriculture Infrastructure Fund** scheme - Ministry of Agriculture & Farmers' Welfare.

- d) Assistance for Boosting Seed Production component under Sub-Mission for Seed and Planting Material (SMSP) of **National Mission on Agricultural Extension and Technology (NMAET)**
- e) **PM Matsya Sampada Yojana (PMMSY)** – Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying
- f) **PM Matsya Kisan Samridhi Sah-Yojana (PM-MKSSY)** – sub scheme under PMMSY by Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying.
- g) **PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME)**- Ministry of Food Processing Industries
- h) **Scheme for Formation and Promotion of 10,000 Farmer Producer Organizations (FPOs)** – Ministry of Agriculture & Farmer's Welfare.
- i) (i) **Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojna (PMKSY) – Scheme for Food Processing and Value Addition** - Ministry of Food Processing Industries.  
 (ii) **Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojna (PMKSY) - Integrated Cold Chain and Value Addition Infrastructure Scheme** - Ministry of Food Processing Industries.
- j) **National Scheduled Tribes Finance and Development Corporation (NSTFDC)** - Ministry of Tribal Affairs.
- k) **National Livestock Mission (NLM) and Rashtriya Gokul Mission (RGM)** - Department of Animal Husbandry and Dairying, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying.
- l) **Re-aligned Animal Husbandry Infrastructure Development Fund (AHIDF)**, Department of Animal Husbandry and Dairying, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying.

MR. CHAIRMAN: First supplementary; Shri Akhilesh Prasad Singh.

**श्री अखिलेश प्रसाद सिंह:** सभापति महोदय, बिहार अन्य राज्यों की तुलना में कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रबंधन पहले से ही काफी लचर है और इसी कारण वहां किसानों के भुगतान में काफी देरी होती है। PACSs का नॉन-परफॉर्मिंग एसेट भी अन्य राज्यों की तुलना में काफी अधिक है। यदि इन PACSs का सही तरीके से कंप्यूटराइजेशन हो तथा स्टाफ को उचित प्रशिक्षण दिया जाए, तो इस डिजिटल इंटरवेंशन से वहां की स्थिति में अवश्य सुधार आ सकता है।

महोदय, मैंने जो सवाल पूछा था कि क्या बिहार में PACSs के कंप्यूटराइजेशन की district-wise monitoring होती है या नहीं, तो उसके उत्तर में केवल एक स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। हमें लगा था कि चूँकि प्रश्न गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, इसलिए कम से कम उत्तर सटीक मिलेगा, लेकिन महोदय, दिए गए जवाब में मूल प्रश्न का जवाब ही नहीं है। यदि मॉनिटरिंग होती है तो यह बताया जाना चाहिए था कि कंप्यूटराइजेशन की फिजिकल प्रोग्रेस क्या है, कितने प्रतिशत PACSs का कार्य पूरा हो चुका है और कहां नहीं हुआ है, यह कम से कम उल्लेख किया जाना चाहिए था।

इसलिए मैं चाहूंगा कि मंत्रालय की ओर से पहले इस प्रश्न का ठोस उत्तर आए कि बिहार में PACSs के कंप्यूटराइजेशन की district-wise अद्यतन स्थिति क्या है? इसी से जुड़ा एक और बिंदु है कि उत्तर में कहा गया है कि 9 PACSs को इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के लिए 21 लाख रुपये दिए गए हैं, यानी प्रति PACS लगभग सवा दो लाख रुपये दिए गए हैं, ऐसे ऊंट के मुंह में ज़ीरा डालने...

MR. CHAIRMAN: Come to your question, please. You are giving a long speech. Be specific about your question.

**श्री अखिलेश प्रसाद सिंह:** महोदय, ऊंट के मुंह में ज़ीरा डालने जैसी राशि से कैसे PACSs को इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट होगा? यह भी बताएं।

**श्री मुरलीधर मोहोल:** माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने बिहार के PACSs computerization के बारे में पूछा है, उसका विस्तृत जवाब पटल पर रखा है, लेकिन फिर भी मैं बिहार की आज की स्थिति के बारे में आपके माध्यम से उनको जानकारी देना चाहूंगा। बिहार में कुल PACSs में से 4,536 PACSs का computerization पहले फेज़ में किया जा रहा है, जिसके लिए लगभग 52 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। 4,181 PACSs में ऑडिट पूरा कर लिया है, अब तक 1,552 PACSs में डायनेमिक Day-End पूरा हो चुका है। 1,147 PACSs आज e-PACS के रूप में कार्य कर रहे हैं। अभी तक 656 नए PACS bye-laws के तहत register किए गए हैं। इसका मतलब यह है कि हम देश के सभी राज्यों के साथ मिलकर PACS computerization का काम अच्छी तरह से कर रहे हैं। बिहार में computerization करने के लिए सरकार द्वारा धनराशि जारी की गई। वित्त वर्ष 2022-23 में 32, करोड़, 95 लाख, वित्त वर्ष 2024-25 में 14 करोड़ 66 लाख और वित्त वर्ष 2025-26 में 4 करोड़ 15 लाख है, तो अब तक कुल 51 करोड़ 76 लाख की राशि खर्च की गई है। इसका मतलब यह है कि PACS computerize करने के बाद उनका कारोबार अच्छी तरह से चले, transparency रहे, उसके माध्यम से वह जिला बैंक, State Cooperative Banks और NABARD से सीधा जुड़े। इसी उद्देश्य की वजह से हम PACS

computerization की योजना लेकर आए हैं। पूरे देश में इसको अच्छा response भी मिल रहा है। मुझे लगता है कि बिहार में भी यह काम ठीक तरह से चल रहा है।

**श्री सभापति:** सेकेंड सप्लीमेंटरी, श्री अखिलेश प्रसाद सिंह।

**श्री अखिलेश प्रसाद सिंह:** सभापति महोदय, आपने भी जवाब सुना। मैंने पूछा कुछ और है और जवाब कुछ और दिया जा रहा है। इसमें आपका प्रोटेक्शन चाहिए। सर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पिछले साल नाबार्ड में 193 rural cooperative banks में cyber insurance की सुविधा शुरू की गई थी। क्या बिहार के किसी PACS में cyber insurance की सुविधा शुरू की गई है?

**श्री मुरलीधर मोहोल:** महोदय, माननीय सदस्य ने जो स्पेसिफिक सवाल पूछा था, मैंने उसका स्पेसिफिक जवाब दिया है। उन्होंने स्थिति के बारे में पूछा था, तो मैंने स्थिति ही बताई है। अभी उन्होंने PACS computerization के बारे में पूछा है। मैंने PACS computerization के बारे में डिटेल्स भी दी हैं। मुझे लगता है कि नाबार्ड के सरकार के सारथी के माध्यम से insurance का भी काम किया गया है, तो ऐसे जितने भी PACS हैं, उनके बारे में मैं आपको जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा।

**श्री सभापति:** थर्ड सप्लीमेंटरी, श्री सत पाल शर्मा।

**श्री सत पॉल शर्मा:** सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने as per the annexure-B, computerization of PACS में पूरे भारतवर्ष की फिगर्स दी हैं। 1066.41 करोड़ में से 1,021 करोड़ 19 प्रदेशों के लिए है। जब मैं small UTs की बात करता हूँ और अपनी UT की भी बात करता हूँ, because now, we are a Union Territory. लगभग 12 UTs ऐसी हैं, जिनमें मात्र Rs. 45 crores computerization पर spend हुआ है।

सर, आपके माध्यम से मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि वे एक्स्प्लेन करें कि क्यों इतना कम पैसा यूटीज़ के ऊपर खर्च हो रहा है? माननीय होम मिनिस्टर के माध्यम से, माननीय केन्द्रीय मंत्री जी के माध्यम से हर जगह पर हम लोग cooperatives बढ़ावा दे रहे हैं, तो क्यों इतना कम पैसा यूटीज़ के लिए खर्च हुआ है?

**श्री मुरलीधर मोहोल:** सभापति महोदय, सदस्य ने UTs के बारे में पूछा है, तो मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहूंगा कि हरेक राज्य में PACS की संख्या अलग-अलग है। जैसेकि हम देखते हैं कि महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, इन स्टेट्स में सहकारिता का स्ट्रक्चर

ज्यादा दिखाई देता है। उसमें PACS की संख्या बहुत है। मेरे पास स्टेट्वाइज़ ब्यौरा है, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि जितनी PACS की संख्या है, उसके हिसाब से वहां पर राशि आवंटित की जाती है। जैसेकि मैं एक उदाहरण यहां देना चाहूंगा कि महाराष्ट्र स्टेट में 12,178 PACS का computerization किया जा रहा है। दूसरी तरफ जम्मू-कश्मीर, जो हमारी UT है, वहां पर 7 से 8 PACS का computerization किया जा रहा है। यह first phase है। Second phase में पूरे PACS की संख्या कवर की जाएगी। जैसेकि पिछले जितने आते हैं, उनका 2023 तक ऑडिट होना जरूरी होता है और राज्यों से PACS की जो संख्या आती है, उनका ऑडिट होना जरूरी होता है। उसके बाद ही उन्हें इन्क्लूड किया जाता है। राज्य से जो संख्या आती है, अगर उनका ऑडिट नहीं होता है, तो हमारी पैक्स कंप्यूटराइजेशन की स्कीम में उनका समावेश नहीं होता है। महोदय, जितनी संख्या आती है, हम फेजवाइज़ सभी को इन्क्लूड करते हैं।

SHRIMATI MAHUA MAJI: Sir, my question is this. झारखंड के कई जिलों में प्राथमिक कृषि साख समिति या पैक्स दूरदराज़ और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में किसानों के लिए एकमात्र वित्तीय सहारा है। डिजिटलीकरण की प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद अनेक पैक्स आज भी तकनीकी संसाधनों की कमी, प्रशिक्षित मानव बल के अभाव तथा नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या से जूझ रही हैं। क्या मंत्रालय यह स्पष्ट करेगा कि झारखंड जैसे भौगोलिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण राज्य के लिए कोई विशेष पैकेज या राज्य विशिष्ट रणनीति बनाई गई है, जिससे छोटे और सीमांत किसानों तक यह डिजिटल सुविधा वास्तव में पहुँच सके?

**श्री मुरलीधर मोहोल:** माननीय सभापति महोदय, हम जो पैक्स कंप्यूटराइजेशन की स्कीम लाए हैं, उसका पूरे देश के सभी राज्यों में काम शुरू हो चुका है। पैक्स को सक्षम बनाने के लिए हम जो model bylaws लाए हैं, उनको सभी राज्यों ने एडॉप्ट किया है। राज्य की सरकार चाहे किसी भी विचार की हो, सभी ने उसका साथ दिया है। हमारे माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की जो कल्पना है, माननीय अमितभाई जी के नेतृत्व में हम जो काम कर रहे हैं, उसका उद्देश्य यह है कि देश के सभी राज्यों में, सभी जगहों पर एक समान सहकारिता का विकास हो और उससे काम हो। यही हमारी मूल कल्पना है।

महोदय, झारखंड जैसे राज्य ने भी model bylaws adopt किये हैं और वहाँ पर पैक्स कंप्यूटराइजेशन का काम भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। माननीय सदस्य ने यहाँ झारखंड राज्य का प्रश्न पूछा है, इसलिए मैं उन्हें यह जवाब देना चाहूंगा कि आपके राज्य से स्वीकृत पैक्स की संख्या 2,797 है, ईआरपी ऑनबोर्ड पैक्स की संख्या 1,439 है और पैक्स हार्डवेयर जहाँ डिलिवर हो गए हैं, वह संख्या 1,500 है। यानी कि हमने अभी फर्स्ट फेज़ में झारखंड के 2,797 पैक्स स्वीकृत किए हैं और उन पर बिल्कुल काम चल रहा है। उसके बाद, सेकंड और थर्ड फेज़ में बाकी पैक्स भी कंप्यूटराइज्ड किए जाएंगे।

**श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाई:** माननीय सभापति महोदय, मैं आपके ज़रिये माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में पैक्स को मजबूत किया जा रहा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि गुजरात में कंप्यूटराइजेशन की वजह से कितने पैक्स अलग-अलग व्यवसाय कर रहे हैं?

**श्री मुरलीधर मोहोल:** सभापति महोदय, मैंने पहले भी कहा है कि सभी राज्यों में कंप्यूटराइजेशन का काम अच्छी तरह से शुरू हो चुका है। गुजरात सहकारिता क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य है। वहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा मिलकर सहकारिता का विस्तार किया जा रहा है, जिसमें पैक्स एक महत्वपूर्ण घटक है। गुजरात राज्य में अभी तक कुल 5,721 पैक्स हैं, जो कोई न कोई व्यवसाय भी कर रहे हैं। पैक्स का कंप्यूटराइजेशन हो जाने से उनकी कार्यक्षमता में भी बढ़ोतरी हुई है और अब 1,308 ऐसे पैक्स हैं, जो दो व्यवसाय कर रहे हैं। महोदय, 1,838 ऐसे पैक्स हैं, जो वहाँ पर तीन या उससे अधिक व्यवसाय कर रहे हैं। हमारा मंत्रालय पैक्स को अलग-अलग व्यवसाय करने में सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार के विभिन्न सात मंत्रालयों के साथ समन्वय करता है। इसमें माननीय अमितभाई जी की अध्यक्षता में Inter-Ministerial Committee बनाई गई है। उसके माध्यम से यहाँ पर सभी मिनिस्ट्रीज का समन्वय होता है और यहीं से पैक्स को अलग-अलग व्यवसाय दिए जाते हैं। हम नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट जैसे हर स्तर पर संचालन समिति, जो वहाँ पर गठित की है, उसके समन्वय का काम करते हैं।

\*107. [Question was withdrawn.]

MR. CHAIRMAN: Now, Question No. 108. ... (Interruptions)...

**श्रीमती रंजीत रंजन:** सभापति जी, प्रश्न 107 को क्यों हटाया गया है?..(व्यवधान).. सर, प्रश्न 107 क्यों विद्वद्धा किया गया है?

MR. CHAIRMAN: That is the right of the hon. Member. I can't interfere in that. ... (Interruptions) ... Now, Q.No.108, Shri S. Niranjana Reddy; not present. Any supplementaries?

### Deep-sea and offshore fishing

\*108. SHRI S NIRANJANA REDDY: Will the Minister of FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING be pleased to state:-

- (a) whether it is a fact that the country remains an underperformer in the deep-sea and offshore fisheries sector, according to recent NitiAayog report;
- (b) whether Government is aware that the country's fisheries fleet in high-seas operations is limited to only 4 Indian-flagged vessels as compared to more than 1000 vessels with Sri Lanka and Iran;
- (c) the key reasons identified for the country's limited presence in deep-sea and offshore fishing; and
- (d) the measures being taken by Government to enhance the country's capacity and self reliance?

THE MINISTER OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING (SHRI RAJIV RANJAN SINGH ALIAS LALAN SINGH): (a) to (d) A Statement is placed on the Table of the House.

#### **Statement**

(a) The Government of India, Department of Fisheries, has taken up several transformative reforms for the holistic development of the fisheries sector and socio-economic upliftment of fishers and fish farmers in the country. Due to concerted efforts by the Union Government, States/UTs, and fishers and fish farmers, India's fisheries sector has shown remarkable progress. Overall fish production of the country across marine and inland segments has increased by 106.44%, rising from 95.79 lakh tonnes (2013-14) to 197 lakh tonnes (2024-25), making India the second largest fish-producing country. While Inland Fisheries has shown exceptional growth, increasing by 142% during this period, Marine Fisheries, with production of 44.94 lakh tonnes in 2023-24, has registered a steady growth of 36% during this period. As a result of various well thought policies and initiatives of Government of India, India's seafood exports have more than doubled from ₹30,213 crore in 2013-14 to ₹62,408 crore in 2024-25 by showing more than 100% growth.

Notably, the Marine Fisheries sector in the country has been small-scale in nature, and fishing efforts are mostly confined to the nearshore waters. The NITI Aayog report has highlighted the immense potential for further expansion in deep-sea and offshore fisheries. With an estimated potential of approximately 71.6 lakh tonnes within India's Exclusive Economic Zone (EEZ), spanning both conventional and non-

conventional species, the sector offers substantial opportunities for sustainable growth.

(b) India is a member of the Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), which is a Regional Fisheries Management Organization (RFMO) wherein 04 Indian vessels belonging to the Fishery Survey of India (FSI) are currently registered as Authorized Fishing Vessels. It is a fact that the country's fishing fleet presently operates within the EEZ. However, occasionally, some fishing vessels from the Kanniyakumari district of Tamil Nadu have reportedly ventured into high seas beyond the Indian EEZ.

(c) and (d) Fishing in the deep-sea and offshore regions requires technologically advanced deep-sea fishing vessels capable of undertaking voyages of long endurance and a highly skilled crew to operate such fishing vessels. Besides, an enabling regulatory framework for sea-safety and compliance with conservation and management measures of the RFMOs is required to be followed for the fishing of shared fishery resources in the offshore and high sea areas.

The Department of Fisheries, Government of India (DoF, Gol) had introduced a sub-component namely "Assistance for Deep Sea Fishing" in March, 2017 and another component of "Conversion of Trawlers into Resource Specific Deep-Sea Fishing Vessels" in August, 2018 under the Centrally Sponsored Scheme (CSS) of 'Blue Revolution' to provide financial assistance to traditional fishermen for promoting deep-sea fishing. Subsequently, the financial assistance is also being provided by the DoF, Gol, under the flagship scheme, Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY), through States/UTs to traditional fishermen for acquiring deep-sea fishing vessels (DSFVs) and for up-gradation of existing fishing vessels for export competitiveness. Support for DSFVs is also provided by the DoF, Gol, under the Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund (FIDF). Under the schemes of Blue Revolution, PMMSY, and FIDF, a total of Rs. 895.9 crore worth of projects have been sanctioned towards the acquisition of 1243 deep-sea fishing vessels (DSFVs) by traditional fishers and for the upgradation or conversion of 1330 existing fishing vessels for export competency. Besides, training and capacity-building for deep-sea fishing have also been supported under the Blue Revolution and PMMSY schemes. The DoF, Gol, has also taken steps towards the creation of fisheries infrastructure and has sanctioned 117 Fishing Harbours and Fish Landing

Centre projects with a total project cost of ₹9,917.27 crore to benefit the whole sector and augment fish production and exports.

The Ministry of External Affairs, on 04<sup>th</sup> November, 2025, has notified the *Sustainable Harnessing of Fisheries in the Exclusive Economic Zone Rules, 2025* under the *Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and Other Maritime Zones Act, 1976*. This landmark initiative aims to empower traditional and small-scale fishermen, Fisheries Cooperative Societies, and Fish Farmer Producer Organizations (FFPOs) to expand operations, harness untapped resources through deep-sea fishing, and access new income streams through processing and exports, thereby enhancing the country's capacity and self-reliance in deep-sea and offshore fisheries.

The EEZ Rules are framed to promote sustainability of marine ecosystem with optimum utilization of untapped fishery resources. Emphasis is also given to promote ecosystem approach for sustainable harnessing of resources in the EEZ and implementation of the conservation and management measures, such as uniform ban on fishing during monsoon or fish breeding season, minimum legal size of fish, bycatch reduction, best practices for reducing post-harvest losses, conservation of fish stocks or rejuvenation measures including sea ranching, installation of artificial reefs, etc. The Rules also prohibit destructive fishing and juvenile fishing in the EEZ to protect the marine biodiversity of our seas.

The Department of Fisheries (DoF, GoI), by adopting the "whole of government approach", is collaborating with the Ministry of Cooperation through a Joint Working Group (JWG) to promote small-scale fishermen, cooperatives, and fishers' societies in deep-sea fishing, post-harvest processing, and exports. Ministry of Cooperation supports this initiative by strengthening cooperative institutions and facilitating access to cooperative credit through the National Cooperative Development Corporation (NCDC). As an example, in Maharashtra, 14 DSFVs have been supported by NDCD with a total project cost of ₹20.30 crore, including NCDC loan assistance of ₹11.55 crore, PMMSY assistance of ₹6.72 crore, and society contribution of ₹2.03 crore. Adopting this model, two fishermen societies of Mumbai city have recently received 02 DSFVs under PMMSY on 27.10.2025. This initiative serves as a model of cooperative-led development in the fisheries sector, empowering traditional fishermen to venture into deeper waters and advancing India's

transition towards more sustainable and economically rewarding marine harvesting practices. The mechanism further reinforces government efforts by facilitating access to credit, modern technology, training, and insurance. It enables small-scale fishermen, societies, and cooperatives to acquire and operate modern deep-sea fishing vessels, while also supporting the establishment of processing facilities.

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, as per the statement of the Minister, the Ministry of External Affairs has notified, on 4th November, the 'Sustainable Harnessing of Fisheries in the Exclusive Economic Zone Rules, 2025' under the 'Territorial Waters, Continental Shelf, EEZ and Other Maritime Zones Act, 1976.' This landmark initiative aims to empower traditional and small-scale fishermen. But, on the contrary, the Tamil Nadu fishermen are repeatedly being manhandled by...

MR. CHAIRMAN: What is your question, please? Don't give lecture. Please come to your specific question.

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, I am coming to the point.

MR. CHAIRMAN: Please be specific about your question. Please.

SHRI TIRUCHI SIVA: I am talking about the small fishermen, Sir.

MR. CHAIRMAN: You can raise any question regarding the small fishermen; I have no objection.

SHRI TIRUCHI SIVA: This is the statement of the Minister.

MR. CHAIRMAN: You raise your question instead of giving a long speech.

SHRI TIRUCHI SIVA: This is the statement of the Minister. Sir, I am very precise and want to be very sharp with my points.

MR. CHAIRMAN: Come to it.

SHRI TIRUCHI SIVA: This landmark initiative aims to empower traditional and small-scale fishermen, whereas the Tamil Nadu fishermen are always put to hardships by Sri Lankan Navy. So, what are the steps the Ministry is taking by way of this notification and will it help or will it stop the humiliation the Tamil Nadu fishermen are facing by the Sri Lankan Navy? ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Hon. Shri Rajiv Ranjan Singh. ...*(Interruptions)*...

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, why was Question No. 107 unilaterally withdrawn?

MR. CHAIRMAN: You know the rules. ...*(Interruptions)*... आप बैठिए, आप बैठिए। ...*(व्यवधान)*... No, no; no need. ...*(Interruptions)*... Rule 53 permits a Member to withdraw any Question as he likes. ...*(Interruptions)*... You also can withdraw, if you want. ...*(Interruptions)*... I cannot interfere in the rights of the Members. ...*(Interruptions)*... No, no; you have no right to raise it. It is the will of the Member. ...*(Interruptions)*...

SHRI JAIRAM RAMESH: Please tell us.

MR. CHAIRMAN: Why do I have to tell? ...*(Interruptions)*... I have no right to tell. It is his will. ...*(Interruptions)*... It is his will. You also can withdraw. Tomorrow, you also can withdraw some question, and I will not interfere in that. ...*(Interruptions)*... Now, the hon. Minister. ...*(Interruptions)*... Nothing will go on record except the Minister's reply. ...*(Interruptions)*... Rule 53 permits a Member to withdraw the Question. ...*(Interruptions)*... Hon. Minister, please answer. ...*(Interruptions)*... आप प्लीज़ बैठिए। ...*(व्यवधान)*... Please answer. ...*(Interruptions)*... Don't disturb the Question Hour. ...*(Interruptions)*... Mr. Minister, you please address me. ...*(Interruptions)*...

**श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:** सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा कि विदेश मंत्रालय ने जो अभी... ...*(व्यवधान)*...

MR. CHAIRMAN: You please address me. ...*(Interruptions)*...

**श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:** अभी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 12 नॉटिकल माइल्स से आगे फिशिंग के लिए जो अधिसूचना जारी की गई है, क्या उसमें छोटे मछुआरों के हितों की रक्षा होगी? ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except the question and the answer by the hon. Minister. ...**(Interruptions)**... Mr. Minister, you please address me.

**श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:** सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूँ कि आज की तारीख तक... ...**(व्यवधान)**... जब तक यह अधिसूचना जारी नहीं हुई कि हम एक्सक्लूसिव... ...**(व्यवधान)**... Don't you know, as per Rule 53, he can withdraw it. ...**(Interruptions)**... You also can withdraw. ...**(Interruptions)**... Mr. Minister, please address me. ...**(Interruptions)**...

SHRI KIREN RIJJU: Sir, ... ...**(Interruptions)**...

MR. CHAIRMAN: No need to respond, hon. Minister. Mr. Ranjan, you please answer. ...**(Interruptions)**... No need to respond. ...**(Interruptions)**...

*(At this stage, some hon. Members left the Chamber.)*

**श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:** इससे छोटे मछुआरों के हितों की रक्षा करने के लिए, उनकी आय में बढ़ोतरी करने के लिए और इस देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने के उद्देश्य से ही इसे बनाया गया है। ...**(व्यवधान)**... EEZ के आगे, 12 नॉटिकल माइल्स से आगे डीप सी फिशिंग और हाई सी फिशिंग के लिए हमने जो अधिसूचना जारी की है, उसमें सभी स्टेकहोल्डर्स, चाहे वे छोटे मछुआरे हों, तटरक्षक हैं, नौसेना है, अनुसंधान संस्थान हैं, मछुआरा सोसायटी आदि के साथ सात महीनों तक दस बैठकों में कन्सल्टेशन किया गया। सभापति महोदय, उस कंसल्टेशन के बाद हम लोगों ने जो गाइडलाइन्स तैयार कीं, जो रूल्स तैयार किए हैं, उनको हम लोगों ने अपलोड किया। हम लोगों ने राज्य सरकारों से, सभी स्टेकहोल्डर्स से उन पर सजेशन मांगे थे। कुछ राज्य सरकारों और कुछ मछुआरा संघों ने उस पर समय की भी मांग की और हम लोगों ने उसको 15 दिन एक्सटेंड किया। उसको 15 दिन एक्सटेंड करने के बाद जो सुझाव आए, उन सभी सुझावों को समाहित करके हम लोगों ने फाइनल गाइडलाइन्स, रूल्स जारी किए।

हम माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहते हैं कि नरेन्द्र मोदी जी की सरकार मछुआरों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उनके हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

MR. CHAIRMAN: Fourth supplementary, Dr. John Brittas. ...(*Interruptions*)...

SHRI TIRUCHI SIVA: \*

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except Dr. John Brittas's question. ...(*Interruptions*)... To whatever you have said, he has given the answer in an elaborate way. Dr. John Brittas, please go ahead with your question. ...(*Interruptions*)... Please do not waste the time of Question Hour.

*(At this stage, some hon. Members left the Chamber.)*

DR. JOHN BRITTAS: Sir, the Union Government has proposed Rs. 35,000 crore offshore mining project off the Kerala coast. It is a huge project that has been announced with nil environmental, hydrological or socio-economic impact assessment. My precise question to the Minister is this: Will the Ministry of Fisheries undertake a scientific study, community consultation or impact analysis on how such large-scale offshore mining will affect traditional fishing zones, fish breeding grounds and the livelihood of — Sir, please note this — around 2.5 lakh fishing families depending on it? This is my precise question. If you are not undertaking the study, will the Ministry...

MR. CHAIRMAN: Isn't your question over? Make it precise. Every Member has to get a chance.

DR. JOHN BRITTAS: Sir, this is the second part of my question. What will you do to ensure meaningful protection of the coastal families? These are my precise questions.

**श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:** सभापति महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, उसका इस मूल प्रश्न से कोई मतलब नहीं है। ...(*व्यवधान*)...

---

\* Not recorded.

DR. JOHN BRITTAS: Sir, I seek your protection...

MR. CHAIRMAN: Let him complete.

**श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:** उन्होंने माइनिंग के बारे में पूछा। प्रश्न फिशिंग से रिलेटेड है। ...**(व्यवधान)**... Exclusive economic zone में फिशिंग के लिए अभी मोदी जी की सरकार ने जो रूल्स बनाए हैं, उनके लिए जो गाइडलाइन्स तय की हैं, उन गाइडलाइन्स पर यह प्रश्न है। केरल के अलग-अलग क्षेत्रों में, समुद्री इलाकों में जो माइनिंग हो रही है, उन्होंने उसके संबंध में पूछा है।

DR. JOHN BRITTAS: Sir, this is about...

MR. CHAIRMAN: Please be seated.

**श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:** हालांकि इस प्रश्न से उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हम माननीय सदस्य को बताना चाहते हैं कि माइनिंग प्रोजेक्ट में एन्वायर्नमेंटल असेसमेंट हो रहा है और यह माइनिंग का जो प्रोजेक्ट है, यह माइनिंग मिनिस्ट्री के द्वारा होता है। उसके एन्वायर्नमेंटल असेसमेंट के बाद ही उसमें किसी तरह के लाइसेंसिंग का प्रोविज़न है, हालांकि यह प्रश्न इससे संबंधित नहीं है, फिर भी चूंकि माननीय सदस्य ने जानना चाहा, तो मैंने उनको बता दिया है। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Ms. Dola Sen. Be specific about your question. Don't give a lecture, please. ...**(Interruptions)**...

DR. JOHN BRITTAS: Sir, you know that it is a very important question.

MR. CHAIRMAN: Please sit down. Let the hon. Member put her question.

MS. DOLA SEN: Sir, through you, I would like to know from the Union Government whether the concerned Ministry has any policy to protect the deep sea fishermen through any compensation and rehabilitation scheme and whether the deep sea fishermen get social security as per the law of the land and as per the Constitution. Does the concerned Ministry have any policy to take the concerned State Governments into confidence as per the principles of federalism and as per the Constitution?

**श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:** सभापति महोदय, माननीय सदस्या ने मछुआरों के हितों के बारे में जानना चाहा है। प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने मछुआरों के हितों के संबंध में कई योजनाएँ चलाईं। उन्हीं योजनाओं का परिणाम है कि marine and inland fish production जो 2013-14 में मात्र 95.7 लाख टन था, वह 10 साल के बाद 2023-24 में 197 लाख टन हो गया है। इसमें 106.44 परसेंट की growth हुई। इससे जो fishermen हैं, उनकी economy भी बढ़ी और आर्थिक रूप से उनकी आमदनी बढ़ी। अगर production बढ़ता है, तो उनकी आमदनी बढ़ती है। इतना ही नहीं, जो fish production हुआ, उसमें 2013-14 तक देश का मात्र 30,213 करोड़ रुपए का export होता था, जो अब बढ़ कर 2023-24 में 62,408 करोड़ रुपए हो गया। इसमें दोगुनी से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई।

जहाँ तक माननीय सदस्या ने राज्य सरकारों के बारे में पूछा है, तो मैंने उनको पहले भी बताया कि इन rules को notify करने के पहले हम लोगों ने सभी stakeholders के साथ consultation किया, सभी मछुआरा co-operative societies के साथ consultation किया, मछुआरा संघ के साथ consultation किया। 7 महीने तक हम लोगों ने 10 बैठकें कीं और उन बैठकों के आधार पर जो सुझाव आए, उनको समाहित करके हम लोगों ने website पर upload किया। हमने और भी suggestions माँगे। फिर कुछ राज्य सरकारों ने 15 दिन की बढ़ोतरी की माँग की। उसको भी हम लोगों ने बढ़ोतरी दी। उस बढ़ोतरी के बाद अंतिम रूप से जो सुझाव आए, उनको हम लोगों ने समाहित किया।

जहाँ तक पश्चिमी बंगाल की बात है, तो हम इनको बता दें कि प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रारंभ की, आपकी राज्य सरकार ने दो वर्षों तक उसको स्वीकार नहीं किया था। यही आपका काम है। आप खुद अपनी राज्य सरकार को सलाह दीजिए कि वह मछुआरों के साथ, उनके हितों के साथ समझौता नहीं करे और केन्द्र सरकार जो काम कर रही है, उसको करे।

MR. CHAIRMAN: Now, Question No. 109.

### **World's largest grain storage scheme**

#\*109. SHRIMATI DARSHANA SINGH: Will the Minister of COOPERATION be pleased to state:-

- (a) whether Government has proposed to establish the world's largest grain storage scheme in the cooperative sector, and if so, the details thereof and the progress made in its implementation;

# Original notice of the question was received in Hindi.

- (b) whether said scheme has been implemented under the pilot project, if so, the States where it has been implemented; and
- (c) the outcomes of the pilot scheme and the lessons learned for the expansion of the scheme?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COOPERATION (SHRI MURLIDHAR MOHOL): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

### Statement

(a) to (c) Yes, Sir. In order to address the shortage of storage capacity for food grains in the country, the Government, on 31st May, 2023, has approved the Plan for the “World’s Largest Grain Storage Plan in Cooperative Sector”, which has been rolled out as a Pilot Project. The Plan entails creation of various agri infrastructure at PACS level, including godowns, custom hiring centers, processing units, Fair Price Shops, etc. through convergence of various existing schemes of the Government of India (GoI), such as, Agriculture Infrastructure Fund (AIF), Agricultural Marketing Infrastructure Scheme (AMI), Sub Mission on Agricultural Mechanization (SMAM), Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises Scheme (PMFME), etc. The status of State-wise implementation and progress is shown in **Annexure**.

The key lessons learnt during the Pilot Project were outdated AMI construction cost norms, lack of uniform cost provisions for both Plain and North-Eastern regions, absence of subsidy for ancillary infrastructure, limited financial strength of PACS and difficulty in arranging margin money, lack of standard documentation/SOPs causing delays, non-issuance of hiring assurances by State agencies hampering loan sanctioning, and the need to align PACS identification with storage-deficit locations mapped by FCI, NAFED, NCCF and SWCs.

In light of these learnings, several structural and policy-level improvements were implemented. Under the AIF Scheme, the loan repayment period was extended from **2+5 years to 2+8 years** to ease credit servicing for PACS. Under the AMI scheme, comprehensive revisions were introduced: Margin money requirement reduced from 20% to 10%.

- The construction cost revised from ₹3000—3500/MT to ₹7000/MT for plain areas and from ₹4000/MT to ₹8000/MT for northeastern states.
- The subsidy increased for PACS from 25% to 33.33% (from ₹875/MT to ₹2333/MT for plain areas and from ₹1333.33/MT to ₹2666/MT for northeastern states).
- A provision made to provide an additional subsidy of 1/3 (one third) of the total admissible subsidy for ancillary infrastructure such as internal roads, weighbridges, boundary walls, etc., for PACS.

Further, to streamline implementation, a detailed Margdarshika/SOP, Model DPRs, and standard documents were shared with all stakeholders to eliminate inconsistencies and delays. To resolve issues related to hiring assurances, which were found critical for loan sanctioning, the Food Corporation of India (FCI) agreed to provide a uniform 9-year hiring assurance for all PACS godowns of 2,500 MT and above.

Recognizing the transformative potential of PACS, States were encouraged to integrate backward and forward linkages such as processing units and Custom Hiring Centers alongside godown construction to convert PACS into multipurpose entities.

Finally, in order to broaden implementation capacity and scale, the Plan was expanded beyond PACS to include all Cooperative Societies, Cooperative Federations, and Multi-State Cooperative Societies (MSCS).

The Pilot Project demonstrated that PACS-level godowns can effectively function as multipurpose centres supporting procurement, Fair Price Shop operations, and Custom Hiring Centres.

#### Annexure

Status of Grain Storage Plan(as on 15-11-25)					
S.No	State / Union Territory	Identified PACS/Cooperative Societies	DPR Submitted	Construction Completed	Capacity Created (MT)
1	Maharashtra	216	77	16	17,952
2	Odisha	120	19	0	0
3	Rajasthan	102	101	71	35,250
4	Gujarat	93	57	1	750
5	Jharkhand	50	0	0	0
6	Haryana	48	11	0	0

7	Uttar Pradesh	27	24	1	1,500
8	Chhattisgarh	14	0	0	0
9	Assam	12	1	1	500
10	Tripura	9	8	1	250
11	Jammu & Kashmir	6	1	0	0
12	Himachal Pradesh	2	0	0	0
13	Telangana	1	1	1	500
14	Karnataka	1	1	1	1,000
15	Tamil Nadu	1	1	1	1,000
16	Uttarakhand	1	1	1	500
17	Madhya Pradesh	1	1	1	500
18	Punjab	0	0	0	0
19	Nagaland	0	0	0	0
20	Meghalaya	0	0	0	0
21	Manipur	0	0	0	0
22	Arunachal Pradesh	0	0	0	0
23	Bihar	0	0	0	0
24	Andhra Pradesh	0	0	0	0
	<b>Total</b>	704	304	96	59,702

MR. CHAIRMAN: First supplementary, Shrimati Darshana Singh.

**श्रीमती दर्शना सिंह:** सभापति महोदय, कृषि उत्पादन के क्षेत्र में मेरा राज्य, उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि आज उत्तर प्रदेश में अन्न भंडारण योजना की क्या स्थिति है तथा पायलट प्रोजेक्ट के बाद expansion plan में उत्तर प्रदेश में कितने गोदाम बनाए जाएँगे?

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

**श्री मुरलीधर मोहोल:** माननीय सभापति महोदय, हमारे देश के किसानों की मेहनत से हम दुनिया में कृषि उत्पादन में तीसरे स्थान पर हैं, लेकिन देश में अनाज उत्पादन की तुलना में स्टोरेज की

क्षमता लगभग 166 मिलियन मीट्रिक टन कम है। देश के हर प्रदेश में ऐसी कुछ परिस्थितियाँ हैं, जिनकी वजह से अनाज का wastage होता है और transportation cost में बढ़ोतरी हुई है। इससे अंत में देश के किसानों का ही नुकसान हो जाता है। इसलिए यह बात ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और माननीय अमित भाई के नेतृत्व में हमारे मंत्रालय ने, भारत सरकार ने आज इस अनाज स्टोरेज के लिए दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना पर काम शुरू किया है। इससे पहले यह होता था कि किसानों को गोडाउन ढूँढ़ना पड़ता था। ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट, अनाज की सुरक्षा - ये सारे इश्यूज होते थे। अब किसानों को गोदामों के पास नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि गोदाम ही किसानों के पास आएगा। हमने इस चीज पर आधारित एक योजना बनाई और उसके माध्यम से आज पूरे देश में हमने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 11 राज्यों में 11 गोदामों का निर्माण किया है।

माननीय सदस्या ने जो पूछा है कि इसके बारे में उत्तर प्रदेश में आज क्या स्थिति है, तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश भी कृषि उत्पादन में एक अग्रणी राज्य है। इसको ध्यान में रखते हुए, हमारा मंत्रालय उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियों के माध्यम से अन्न भंडारण क्षमता को बढ़ाने पर बल दे रहा है। यानी यह योजना तो लाई गई है, लेकिन यह PACS के माध्यम से लाई गई है। इससे PACS को एक और बिजनेस मिले तथा पैक्स PACS आर्थिक दृष्टि से और मजबूत हो, इसीलिए इसके माध्यम से यह योजना बनाई गई है। इस योजना के पायलट प्रोजेक्ट के तहत हमने देश भर में जो 11 गोदाम बनाये हैं, उसके तहत मिर्जापुर जिले में 1,500 मीट्रिक टन के एक गोदाम का निर्माण किया जा चुका है। यह गोदाम FCI द्वारा किराए पर लिया गया है।

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश में 24 अन्य PACS भी चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से सभी 24 PACS को hiring का आश्वासन भी दिया गया है। अगर कहीं पर कोई गोडाउन बनता है, तो उसके बाद उसे किराए पर दिया जाना चाहिए, नहीं तो वह PACS commercially viable नहीं हो सकता है और उसे नुकसान भी हो सकता है, इसलिए हमने उनको hiring assurance भी दे दिया है। इनमें से 10 PACS का लोन भी मंजूर हो चुका है और इनमें जल्द ही कार्य शुरू होगा।

माननीय सदस्या ने expansion के संदर्भ में पूछा है कि इसके expansion के लिए आगे की रणनीति क्या है, आगे का प्लान क्या है, तो मैं माननीय सदस्या को अवगत करना चाहता हूँ कि चाहे FCI हो, NAFED हो या NCCF हो, इनके द्वारा उत्तर प्रदेश में करीब 2.5 लाख मीट्रिक टन के जिलावार भंडारण की आवश्यकता भी आज साझा की गई है, जिसकी प्लानिंग हमने की है। इसके लिए राज्य सरकार को 2,500 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम के आधार पर 96 उपयुक्त PACS की वहां पर पहचान भी की गई है, ताकि उनके माध्यम से यह योजना आगे बढ़ायी जाए।

MR. CHAIRMAN: Second supplementary, Shrimati Darshana Singh.

**श्रीमती दर्शना सिंह:** सभापति महोदय, मेरा सेकंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यह है कि अन्न उत्पादन के बाद सबसे महत्वपूर्ण घटक यह है कि उस अनाज के लिए पर्याप्त मात्रा में भंडारण की व्यवस्था हो। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि सहकारिता के माध्यम से गोदामों का निर्माण करने से किसानों को क्या लाभ होगा?

**श्री मुरलीधर मोहोल :** माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि अन्न भंडारण की जो जरूरत है, वह किसानों के लिए क्यों है और हमारे PACS के माध्यम से यह कार्य क्यों होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत करना चाहता हूँ कि देश में पहली बार अन्न भंडारण क्षमता का निर्माण सहकारी समितियों के माध्यम से चल रहा है कि सहकारी समितियां भी उसमें काम करें। उसके माध्यम से किसानों को अपने गांव के नजदीक, अपने घर के पास, भंडारण की सुविधा उपलब्ध हो, इसलिए हमने उस पर काम किया है। PACS के स्तर पर भंडारण क्षमता निर्माण से किसानों को अलग-अलग तरह से अनेक लाभ प्राप्त होंगे। जैसे, वे PACS गोदामों में फसल भंडारण कर सकेंगे और उचित समय पर उसे बेचने से उनको बेहतर दाम भी मिलेंगे। उस भंडारण के आधार पर किसानों को लोन भी उपलब्ध होगा और उनको मजबूरी में कम दाम पर अपनी फसल की बिक्री नहीं करनी पड़ेगी। अगर भंडारण की सुविधा नहीं होती है, तो उनकी फसल भी सुरक्षित नहीं रह सकती है, वह खराब हो सकती है और इसीलिए पहले उसकी जो भी कीमत मिलती थी, उस कीमत पर उनको बेचना पड़ता था। लेकिन अभी उसके भंडारण होने के बाद, मजबूरी में उनको कम दाम पर अपनी फसल की बिक्री नहीं करनी पड़ेगी। उसके साथ ही, किसानों के लिए पंचायत और गांव स्तर पर कृषि इनपुट और सेवाएं भी उपलब्ध होंगी, विविध कृषि गतिविधियों से अतिरिक्त इनकम के अवसर बढ़ेंगे तथा पर्याप्त भंडारण सुविधा उपलब्ध होने से फसलों का नुकसान भी कम होगा और उससे लाभ भी होगा।

महोदय, सहकारिता क्षेत्र को अन्न भंडारण योजना से जोड़ने से किसानों को अनेक फायदे हुए। जैसे, PACS Procurement Centre और FFC, दोनों की भूमिका निभाएंगे। वहां hiring सेवाएं शुरू करने से अतिरिक्त इनकम भी मिलेगा। FFC और खरीद केंद्र एक ही स्थान पर होंगे, जिससे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में कमी आएगी और किसानों को उसका भी फायदा होगा। इसी तरह, PACS के सशक्तिकरण से सहकारिता क्षेत्र और मजबूत होगा तथा इसके माध्यम से किसानों को अच्छी तरह से ज्यादा सुविधा अपने घर के नजदीक में ही प्राप्त होगी।

MR. CHAIRMAN: Third supplementary, Shri Rajinder Gupta.

**श्री राजिन्दर गुप्ता:** माननीय सभापति जी, आपने मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसा आप जानते हैं कि आँकड़ों के हिसाब से स्टोरेज की कमी के कारण 7,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नुकसान हो रहा है। मैं पंजाब से आता हूँ

और पंजाब की बात रखना चाहता हूँ। पंजाब में 90 प्रतिशत गेहूँ open and covered plinth में रखी जाती है, इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि अनाज को सही तरीके से रखने के लिए क्या सहायता या सपोर्ट किया जाएगा ताकि अनाज की बरबादी न हो और उसको सही तरीके से रखा जाए, जिससे देश का भी नुकसान न हो तथा किसान का भी नुकसान न हो?

**श्री मुरलीधर मोहोल:** माननीय सभापति महोदय, मैंने अभी कहा कि 11 अलग-अलग जगहों पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको किया जा रहा है। अन्न भंडारण योजना के लिए 500 से भी अधिक जगहों पर पैक्स को चिन्हित भी किया गया है। अब तक पंजाब से 9 डिस्ट्रिक्ट्स से पाँच प्रस्ताव आए थे। हमने वहाँ पर 240 पैक्स को चिन्हित भी किया है, जहाँ पर अन्न सुरक्षा के लिए भंडारण का निर्माण किया जाएगा। हमने पंजाब में अभी 240 पैक्स को चिन्हित किया है, जिससे वहाँ के किसानों को लाभ होगा, फायदा होगा। इसके लिए हमने वहाँ भी अन्न भंडारण की योजना शुरू करने का फैसला किया है। अगर राज्य सरकारों से डिमांड आती है, तो हम उस पर काम कर सकते हैं। अगर पंजाब से इसके अतिरिक्त भी कोई प्रस्ताव आता है, तो हम उस पर बिल्कुल काम करेंगे।

MR. CHAIRMAN: Fourth supplementary; Dr. Bhim Singh.

**डा. भीम सिंह:** माननीय सभापति महोदय, सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने पैक्स की मजबूती के लिए काफी काम किया है। इसके लिए वह कस्टम हायरिंग और पैक्स स्तरीय गोदाम का भी निर्माण कर रही है, लेकिन जो सूची दी गई है, उसमें बिहार के बारे में प्रगति शून्य दिखायी गयी है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि बिहार में ऐसी स्थिति क्यों है? क्या केंद्र सरकार इसके लिए बिहार को sensitize करने के लिए कुछ एडवाइजरी या इस तरह का कुछ निर्देश देना चाहेगी?

**श्री मुरलीधर मोहोल:** माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले ही 11 जगहों के बारे में बताया है, लेकिन अगर राज्यों से प्रस्ताव आते हैं, तो हम उनके माध्यम से वहाँ पर अन्न भंडारण की योजना शुरू कर सकते हैं। अभी बिहार सरकार के द्वारा बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में दो जगहों पर 10,000 मीट्रिक टन क्षमता का अन्न भंडारण बनाने का प्रस्ताव आया है, जिस पर काम किया जा रहा है। राज्य सरकार के द्वारा गया, नवादा, जहानाबाद - ऐसे पाँच जगहों के लिए प्रस्ताव आया है, उस पर हम काम कर रहे हैं। बिहार राज्य से टोटल 70,000 मीट्रिक टन के लिए अन्न भंडारण योजना का प्रस्ताव आया है, उस पर हम काम कर रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Fifth supplementary; Dr. Fauzia Khan.

DR. FAUZIA KHAN: Sir, since the financial viability of PSEs-run godowns depends on predictable rental incomes, procurement volumes and access to collateral financing, I would like to know whether the Ministry has evaluated project revenue models from the pilot phase and whether the viability gap support is being considered for PSEs in regions with low grain procurement volumes.

**श्री मुरलीधर मोहोल:** माननीय सभापति महोदय, इस योजना के लिए सहकारिता मंत्रालय ने आगे आकर इस पर काम करने का निर्णय लिया, इसके लिए सभी संबंधित मंत्रालय साथ में काम कर रहे हैं। पैक्स को आर्थिक रूप से जो मदद करना चाहिए, उसके लिए यानी भंडारण के निर्माण के लिए अलग-अलग मंत्रालय से, जैसे AIM, AIF के माध्यम से उसको आर्थिक सहायता देने का प्रोविजन है। उसके बाद NCDC, NABARD, NABCONS, FCI, NAFED, NCCF आदि भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालय तथा सभी डीसीसीबी, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स आदि कई संस्थाओं के सहयोग से हम पैक्स को मदद करते हैं, उनको आर्थिक सहायता देते हैं।

सर, मैंने अभी जो नाम लिए, इन सभी संस्थाओं के माध्यम से अलग-अलग दो-तीन तरह के प्रकल्प हैं, जिनके माध्यम से PACS को आर्थिक सहायता दी जाती है। मार्जिन धनराशि की आवश्यकता पहले जो 20% थी, उसको घटाकर हमने 10% किया, क्योंकि जब हम अन्न भंडारण की टोटल एस्टीमेटेड कॉस्ट निकालते हैं, तो उसमें से पहले उनको 20% देना पड़ता था, जिसको घटाकर अब हमने 10% किया है। जैसा कि मैंने अभी बताया, इन सभी संस्थाओं और मंत्रालयों के माध्यम से, चाहे वह कृषि मंत्रालय हो, सहकारिता मंत्रालय हो या NCDC हो, इन सभी के माध्यम से अलग-अलग स्कीम्स के अंतर्गत PACS को मदद दी जाती है, ताकि उनके लिए अन्न भंडारण की यह योजना viable हो।

MR. CHAIRMAN: Question No. 110.

### School Infrastructure Modernization Framework

#\*110. SHRI TEJVEER SINGH: Will the Minister of EDUCATION be pleased to state:-

- (a) the progress made in setting up smart classrooms, digital labs and skill-based training facilities in Government schools under the School

---

# Original notice of the question was received in Hindi.

Infrastructure Modernization Framework recently announced by Government;

- (b) whether any new digital inclusion policy is being introduced to address the teaching-learning gap for students in rural and tribal areas so that all students may access equal quality education; and
- (c) whether the Ministry is formulating a new time-bound action plan to ensure this?

THE MINISTER OF EDUCATION (SHRI DHARMENDRA PRADHAN): (a) to (c) A statement is laid on the table of the House.

### Statement

(a) Education is in the concurrent list of the Constitution and majority of the schools are under the domain of respective State and UT Governments. The Department of School Education and Literacy (DoSE&L), Ministry of Education (MoE) is implementing Samagra Shiksha – an Integrated Scheme for School Education from 2018-19. It is an overarching programme envisaging the ‘school’ as a continuum from pre-school to Grade 12, running in the country. The vision of the scheme is to ensure inclusive and equitable quality education in accordance with the National Education Policy (NEP) 2020.

Under Samagra Shiksha, financial assistance is provided to States/UTs for setting up of ICT labs and Smart Classrooms in Government and Government Aided Schools having classes VI to XII.

Till 2025-26, 1,77,088 ICT Labs and 1,76,728 Smart Classrooms have been sanctioned to State/UT Governments, out of which 1,15,534 ICT Labs and 87,888 Smart classrooms are functional. This includes 3,564 ICT Labs and 3,655 Smart Classrooms sanctioned in 2024-25, to saturate all Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas (KGBVs). This also includes 20,553 ICT Labs and 29,910 Smart Classrooms sanctioned to saturate all functional secondary and senior secondary schools with ICT Labs and Smart Classrooms in 2025-26.

The Government of India, in the Budget 2025-26, has announced provision of broadband connectivity to all Government Secondary Schools in rural areas, under the 'BharatNet' project to enhance digital infrastructure in remote areas by BSNL.

In the Union Budget 2025-26, it was announced that 50,000 Atal Tinkering Labs (ATL) will be set up in the Government Schools in next five years, to cultivate the spirit of innovation and foster a scientific temper among young minds. Currently, 10,000 ATLs are established in the country.

The Government of India provides financial assistance to States for giving exposure to Skill Education to students of Grades VI to VIII and introduction of skill courses from Grades IX to XII, which are aligned with the National Curriculum Framework for school education (NCF-SE) and New Education Policy (NEP) 2020. Assistance is also provided for capacity building of Skill Education teachers/skill trainers, development of competency-based curriculum and teaching learning material, development of management information system for monitoring and evaluation, and taking up innovative programmes under Skill Education. Kaushal Bodh, the activity book of vocational education for Grade 6 to 8 has been launched by National Council of Educational Research and Training (NCERT) aligned with the NCF-SE & NEP-2020.

Skill education aims to help students explore job-related skills in various sectors and make informed subject choices for higher studies. The details of implementation of Skill Education for Students of grade IX to XII under Samagra Shiksha and PM SHRI Schemes is as under: -

Scheme Name	Schools Approved (till 2025-26)	Schools where Skill Education Implemented	Students Enrolled in Skill Education
Samagra Shiksha	31,477	21,342	27,97,620
PM SHRI	4,988	3,798	7,58,710

The provision for Hub and Spoke Model has been introduced, under which, the infrastructure available in the Hub schools are utilised by the students of nearby schools (spoke schools) for Skill training. ITIs, Polytechnics etc. are also being used as hubs. Under the Hub & Spoke model, 975 Spoke schools have been approved nationwide.

The Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE) has been implementing PMKVY since 2015 to create an industry ready workforce and enhance the employability skills. MoE coordinates for the implementation of PMKVY in schools. The scheme targets schools/college drop outs, out-of-school children and unemployed youths in the age group of 15-45 years. Under the scheme the targeted groups are offered demand driven and industry-linked skilling courses that will enable them to choose a career path aligned with their abilities and aspirations. It has been envisaged to leverage the existing infrastructure of schools after the school hours or on non-working days as 'Skill Hub' for imparting Skill Education and Training.

The Ministry of Education launched "My Career Adviser," a mobile application. This app is designed to provide comprehensive career guidance to students, leveraging AI and machine learning to analyze their interests, skills, and academic performance. It offers personalized recommendations for various career paths, educational courses, and vocational training programs. It features information on over 1,500 job roles, detailed career profiles, and provides insights into educational requirements and vocational training programs. Aimed at students, teachers, and parents. MoE has launched Career Guide book for school students. This Career guide Book consists of 500 career cards in 21 domains. Each career card contains work profile, essential Personal Traits, Course fee, Scholarships, Loan prospects, Entry Pathway, Details about course providing Institutions (Govt./Private/Online course) and example of pionerrrs in the field. A copy of this book is available at <https://dsel.education.gov.in/careers/index.html>.

(b) and (c) A comprehensive initiative called PM eVidya was initiated as part of 'Atmanirbhar Bharat Abhiyaan' on 17th May, 2020, which unifies all efforts related to digital/online/on-air education to enable multi-mode access to education across the country under the aegis of National Education Policy (NEP) 2020. States/Union Territories (UTs) collaborate with NCERT to utilise, monitor and evaluate the effectiveness of these initiatives as per their requirements in mother tongue/local/regional languages. PM eVidya includes 200 DTH TV Channels allotted to States/UTs/Autonomous Bodies (ABs)/Other Ministries in Government of India and 400 Radio channels to enable them to provide supplementary education as per their requirement in various Indian languages for classes 1-12.

Digital Infrastructure for Knowledge Sharing (DIKSHA) is the Nation's One Nation, One Digital platform for providing quality e-content for school education in States/UTs along with QR coded Energised Textbooks (ETBs) for all grades. As a participant in DIKSHA, States/UTs/ABs have generated and contributed over 3.7 lakh content in mother local/regional languages enabling multilingualism. Overall, 565.28 crore learning sessions have been completed on DIKSHA by students, teachers and other stakeholders. The stakeholders have access to more than 450 Virtual Labs and 100 Virtual skill labs (50 each in Hindi and English) on DIKSHA.

To ascertain/measure Learning Outcomes for Class 3, 6 and 9, DoSE&L conducts PARAKH (Performance Assessment, Review, and Analysis of Knowledge for Holistic Development) Rashtriya Sarvekshan in every 3 years across the country. The PARAKH Rashtriya Sarvekshan is conducted across different management types, across rural & urban schools and across social groups to engineer interventions for equitable access & quality in education. The latest round of the PARAKH Rashtriya Sarvekshan 2024 was conducted on 4<sup>th</sup> December, 2024 by the National Assessment Centre, PARAKH under the aegis of the MoE. The report can be accessed at <https://dashboard.par`akh.ncert.gov.in/en>.

**श्री तेजवीर सिंह:** सर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा हाल ही में घोषित विद्यालय अवसंरचना आधुनिकीकरण रूपरेखा के अंतर्गत सरकारी विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम्स, डिजिटल लैब्स और कौशल आधारित सुविधाओं की स्थापना के साथ-साथ, विशेषकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षकों के प्रशिक्षण और डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराने की क्या व्यवस्था की गई है?

**श्री धर्मेन्द्र प्रधान:** चेयरमैन सर, माननीय सदस्य ने स्कूली शिक्षा में Digital class rooms, skill-based education, teacher's capacity building आदि विषयों के बारे में कुछ मौलिक प्रश्न उठाए हैं, जो कि बहुत अच्छे प्रश्न हैं। सभापति महोदय, स्कूली शिक्षा मूलतः राज्यों के दायित्व में चलने वाली एक व्यवस्था है, लेकिन भारत सरकार अभी समग्र शिक्षा योजना के तहत राज्यों के लिए Centrally-sponsored scheme की एक महत्वाकांक्षी योजना चलाई है। उसका विशेष विवरण, जैसे year-wise allocation क्या किया गया है, किस-किस सेक्टर को प्रायोरिटी दी गई है, उसका उल्लेख किया गया है। मैं उसके एडिशन में माननीय सदस्य की बातों को ध्यान में रखकर तीन प्रश्नों का उत्तर देना चाहूँगा।

इसी साल बजट में इसी विषय को आगे बढ़ाने के लिए दो महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा की गई है। आने वाले दिनों में, एक-दो सालों के अंदर भारत की सभी सेकेंडरी स्कूल्स, यानी जितने हाई स्कूल्स या सेकेंडरी स्कूल्स हैं, उन सभी में BharatNet broadband के तहत 60% internet penetration हो, इसके लिए कम से कम 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा के अंदर सभी सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट करने की बजटीय व्यवस्था करने की घोषणा इस बार के बजट में की गई है। चूंकि आगे चलकर एजुकेशन technology driven होगी, जिसकी मूल आवश्यकता infrastructure होगी, जिसमें केवल digital board ही नहीं, बल्कि global network से जुड़ने के लिए उसकी connectivity की भी आवश्यकता होगी, जिसकी व्यवस्था की घोषणा इसी बजट में हुई है।

दूसरा, इन दिनों इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि विद्यार्थियों में capacity बढ़े, skill बढ़े और वे innovation की ओर जाएँ, इसके लिए Atal Tinkering Labs का सफल प्रयोग देश के 10,000 स्कूलों में हुआ है। उसकी सफलता को देखते हुए माननीय प्रधान मंत्री जी ने उसको और वृहद आकार देने का निर्णय लिया है और इस बार भी बजट में आने वाले पाँच सालों में 50,000 Atal Tinkering Labs सरकारी स्कूलों में खोलने की व्यवस्था की गई है।

माननीय सदस्य ने teachers' capacity के बारे में एक मौलिक प्रश्न पूछा है। जो हमारे राज्यों के द्वारा चलने वाला जो DIET, यानी District Institute of Education and Training है, उसके आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार ने लगभग सभी DIETs को आर्थिक मदद देने की व्यवस्था की है।

**श्री तेजवीर सिंह:** सर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में डिजिटल समावेशन बढ़ाने हेतु high speed internet, digital device और स्थानीय भाषा आधारित e-learning सामग्री उपलब्ध कराने की पहल किस चरण में है और इसे समयबद्ध तरीके से लागू करने का क्या रोड मैप है?

**श्री धर्मेन्द्र प्रधान:** चेयरमैन महोदय, मैंने जैसे कहा कि चाहे ग्रामीण क्षेत्र हों, दूरस्थ इलाके हों या विशेषकर हमारे जो वंचित वर्ग ट्राइबल क्षेत्रों में रहते हैं, वह इलाका हो - सरकार ने यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि आने वाले तीन वर्षों के भीतर भारत के सभी इलाकों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बाकी यह कि आधुनिक Edutech को कैसे शामिल करना है। महोदय, भारत में जो Edutech की दुनिया बनी है, इसमें broadly चार प्रकार के लोगों का काम देखने को मिलता है।

पहला, कुछ प्रोफेशनल और बड़ी प्राइवेट कंपनियां काम कर रही हैं, वे अपना काम कर रही हैं, बाज़ार में व्यवस्था आदि कर रही हैं।

दूसरा, अनेक philanthropic organizations और स्वयंसेवी संगठन भी समाजहित में बहुत महत्वपूर्ण Edu-technology लेकर आए हैं। कई राज्य सरकारें और अनेक विद्यालय समूह, जैसे भारत सरकार के नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, एकलव्य मॉडल स्कूल, welfare schools, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आदि focused होकर Edutech को लाने के लिए इन संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

तीसरा, जो बड़े कॉर्पोरेट समूह हैं, जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में कारोबार कर रहे हैं, वे अपने CSR के माध्यम से स्कूल शिक्षा में काफी निवेश कर रहे हैं - चाहे वह AI क्षमता निर्माण हो, स्कूल नॉलेज इको सिस्टम को मजबूत करना हो या क्वांटम जैसी उभरती तकनीकों को प्राइमरी स्तर तक पहुंचाना हो।

चौथा, प्रधान मंत्री जी की दूरदर्शी नीति के कारण देश में स्टार्टअप इको सिस्टम तेजी से बढ़ा है। ये स्टार्टअप मॉडल, जो थोड़े बहुत commercial और थोड़े बहुत philanthropic हैं, उनमें बहुत होनहार विद्यार्थी हैं। उनके माध्यम से बहुत सारे innovations, tinkering lab capacity आदि देखने को मिलती है। सरकार का उद्देश्य है कि इन सभी को एक बड़ा alliance बनाकर NEP के तहत Technological - Education Forum बनाए जाएं, जिससे अधिकतम लाभ सरकारी स्कूलों के बच्चों तक पहुंच सके।

महोदय, सरकार की मूल चिंता और प्राथमिकता यही है कि हमारे सरकारी विद्यालयों के बच्चों को आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराई जाए। इसी दिशा में सरकार निरंतर कार्यरत है।

**डा. परमार जशवंतसिंह सालमसिंह:** महोदय, हमारे मंत्री जी ने अभी बताया कि आने वाले समय में गवर्नमेंट स्कूलों में 50 हजार से ज्यादा अटल टिकरिंग लैब्स बनाने वाले हैं। सर, अटल टिकरिंग लैब का core concept बच्चों में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना है। हमारा जो main question arise होने वाले हैं, वह teachers with scientific temperament है। मेरा मंत्री जी से यह प्रश्न है कि क्या हम आने वाले समय में separate cadres of teachers with scientific temperament develop करने वाले हैं?

**श्री धर्मेन्द्र प्रधान:** महोदय, मैंने जो उत्तर रखा है, उसमें भी बताया है कि हमारे देश में लगभग 1 करोड़ स्कूल टीचर्स में करीब 60-70 परसेंट सरकारी स्कूलों में टीचर्स हैं, इनकी capacity building करना हमारी प्राथमिकता है। सर, विद्या में तीन चीजों की प्रमुखतः आवश्यकता है। Scientific approach, holistic approach, उसकी एक uprootedness, उसका एक philosophical and spiritual background, ये सब जुड़ना चाहिए। यह horizontal topic है। इतिहास भी पढ़ाया जाए, लेकिन उसका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, mathematics पढ़ाएं, तब विज्ञान तो रहेगा ही, लेकिन भूगोल भी पढ़ाएं, तो उसका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। इस horizontal विषय को आगे लेने के लिए DIETs में NEP ने इन्हीं बातों को रिकमेंड

किया है। हम teachers' education का जो नया curriculum बना रहे हैं, जो नया pedagogy बना रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि माननीय सदस्य की अपेक्षा के अनुसार हम उसी दिशा में कार्यरत हैं।

SHRI SANDOSH KUMAR P: Sir, we are talking about smart classrooms. At the same time, the content of teaching and syllabus in schools are also relevant. Sir, through you, I would like to put this question to the hon. Minister. Over a hundred renowned mathematicians have written a letter to you expressing their serious concern over mathematics syllabus. Have you received that letter? Is there any chance to review NEP 2020?

SHRI DHARMENDRA PRADHAN: Mr. Chairman, Sir, with a heavy heart, I would like to say that this House is an august House. We should not put questions with bias. Hon. Member has a point of view. I respect that point of view. NEP is the unanimous philosophical policy accepted by the entire country. In almost all the States, they are implementing NEP with their terminology, with their own letter and spirit. We have not fixed any words for it. Mathematical capacity is the inherent capacity of this country. As I said, just before this question, how can we create scientific approach among the teaching community and the students? Mathematical strength is the inherent capacity of this country. As I said, new edutechs, new approach, envisioned by NEP and NCERT, are properly apt. Unfortunately, due to some bias, few friends have their own imagination. I have full respect for this imagination. But NEP's focus is on futuristic education. We are ready to take the challenge of how we can achieve the goal of Viksit Bharat by 2047. NEP is a philosophical document in that direction.

MR. CHAIRMAN: Fifth supplementary; Shri Masthan Rao Yadav Beedha.

SHRI MASTHAN RAO YADAV BEEDHA: Sir, as of October, 2025, thousands of schools across India have been equipped with smart classrooms and digital labs, and over 10,000 Atal Tinkering Labs have been established, engaging more than 1.1 crore students in hands-on learning and innovation. 87,802 smart classrooms and 806 ICT labs are also currently present in the State of Andhra Pradesh. In this context, given the success of CSR-driven initiatives in Andhra Pradesh, will the hon. Minister clarify

whether the Ministry is encouraging and facilitating CSR funds from corporate to build smart classrooms across the country? What steps are being taken to replicate the Andhra Pradesh model in other States to ensure that every child benefits from modern inclusive education?

SHRI DHARMENDRA PRADHAN: Sir, almost all the States have their priority on school education. Frankly, I appreciate the initiatives by almost all the State Governments in their respective States looking at their resources. Every State is not fortunate to have quality CSR funds. But, with that limited fund also, I can cite a few examples from the North-Eastern States which have successfully implemented new method of technology-driven smart classrooms.

Specific to Andhra Pradesh, certainly, I appreciate the approach of visionary leadership of Shri Chandrababu Naidu and the Education Minister, Shri Nara Lokesh Naidu, for specifically creating quality education ecosystem in Andhra Pradesh. Certainly, that is a good model. According to CSR policy, it is giving priority to education. So, the way Andhra Pradesh has developed an ecosystem in a focused manner, any State can develop that approach in their respective States. I can appreciate that Andhra Pradesh is a good model. But, simultaneously, I would say that almost all States and Union Territories of our country are creating innovative education models.

MR. CHAIRMAN: Question No.111.

### **Empowerment of Cooperatives under Pradhan Mantri Sahakar Se Samriddhi Yojana**

#\*111. SHRI PRADIP KUMAR VARMA: Will the Minister of COOPERATION be pleased to state:-

- (a) the number of new cooperative societies provided registration and technical assistance across the country under the Pradhan Mantri Sahakar Se Samriddhi Yojana;
- (b) whether it is a fact that digital cooperative system has brought improvement in transparency and accounting management of cooperative societies;

---

# Original notice of the question was received in Hindi.

- (c) the incentives being provided by the Ministry to cooperatives involved in agriculture and rural livelihoods; and
- (d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COOPERATION (SHRI MURLIDHAR MOHOL): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

### Statement

(a) to (d) In order to realise the vision of 'Sahakar Se Samridhhi', the Ministry has taken various initiatives for development of Cooperative Sector. One such initiative is approval of the plan to establish new multipurpose PACS/dairy/fisheries cooperatives, aiming to cover all panchayats and villages in the country over the next five years. As per the National Cooperative Database, a total of 30,083 new PACS, Dairy and Fishery Cooperative Societies have been registered; and 15,793 Dairy and Fisheries Cooperative Societies have been strengthened as on 15.11.2025 across the country. These newly registered Primary Agricultural Credit Society (PACS)/Dairy Cooperative Societies (DCS)/Fishery Cooperative Societies (FCS) have been provided with various support measures as under:

- Capacity-building programmes for Members, Secretaries and Boards of newly registered PACS are conducted through National Council for Cooperative Training (NCCT) and NABARD. NCCT has conducted 153 training programmes under which 6817 cooperatives personal of MPACS have been trained.
- Also, under PACS Computerization project, capacity-building programs have been introduced as part of the implementation to support PACS in adopting and managing the new ERP software which includes, training of PACS personnel on ERP usage, data entry, and operational modules such as accounting, credit, procurement, and distribution, regular webinars, helplines and user manuals in regional languages for ease of adoption.
- Support from NDDDB for dairy cooperatives (training, animal health, breeding, feed and fodder, cold-chain, and digital tools).
- Support from National Fisheries Development Board (NFDB) for fisheries cooperatives, including training, cage culture, biofloc adoption, infrastructure grants,

and cluster-based wetland management. The NFDB, under Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) Scheme, is facilitating the formation of 6,000 new Fisheries Cooperative Societies (FCS) during 2024-25 to 2028-29, with financial support of Rs 3.00 lakh for each newly formed fisheries cooperative societies towards establishment, maintenance, training of members. A total of 1,225 of newly formed fisheries cooperatives have been supported with financial grant of Rs 3.00 lakh each covering 34 States/UTs

Ministry has taken several measures for creating a digital cooperative system in the country. One of such major initiatives is that all functional Primary Agricultural Credit Societies are being brought onto a unified ERP-based common national software through the Computerisation of PACS Project with aim to improve transparency and accounting. This platform captures end-to-end data on both credit and non-credit functions, thereby ensuring real-time record-keeping and operational accuracy and transparency.

The ERP (Enterprise Resource Planning) based common national software brings about efficiency in PACS performance through Common Accounting System (CAS) and Management Information System (MIS). Further, governance and transparency in PACS also improves, leading to speedy disbursement of loans, lowering of transaction cost, reduction in imbalances in payments, seamless accounting with DCCBs and StCBs. It aims to enhance trustworthiness in the working of PACS among farmers. PACS have been provided Enterprise Resource Planning (ERP) software training and support by the NABARD and System Integrator under this project for working on the ERP Software. 22 Modules have been provided in the Software, which are Membership, Loan, Thrift Deposit, Savings, Term Deposit, Pigmy Deposit, Lockers, Merchandise, Warehousing, Procurement, PDS, Investments, Borrowings, Assets, FAS, Audits, Governances, Report Builders, Statistics, BDP, CSC, Legacy Documents.

Beyond PACS, digital cooperative ecosystem are being extended across the broader cooperative system. The computerisation **of the Agricultural and Rural Development Banks (ARDBs), Central Registrar's office** for Multi-State Cooperative Societies, and the **Centrally Sponsored Project for the computerisation of RCS offices** in States/UTs, enable paperless, transparent, and time-bound regulatory interactions. The establishment of **Sahakar Sarathi**, a Shared Service Entity approved

by RBI for rural cooperative banks, strengthens financial and audit management through modern technological services. The onboarding of cooperative banks under the **RBI Integrated Ombudsman Scheme** further enhances accountability and grievance redressal. In addition, the **Cooperative Ranking Framework** launched on 24 January 2025 uses digital parameters—such as audit compliance, operational performance, and financial strength—to objectively assess cooperatives and promote transparency and competitiveness.

Digital data transparency has been significantly strengthened through the **National Cooperative Database (NCD)**, which serves as an updated repository of 8.4 lakh cooperatives. Standard APIs developed by the Ministry enable real-time two-way integration between State RCS portals and the NCD, ensuring synchronization, accurate reporting and policy visibility. Complementing these reforms, the deployment of **Micro-ATMs** through Bank Mitra Cooperative Societies (Dairy and Fisheries), supported by NABARD, enhances digital financial inclusion and ensures transparent, traceable, door-step financial services. Additionally, the integration of **Aadhaar Enabled Payment System (AEPS)** through PACS functioning as Bank Mitras and transaction points is enabling secure, traceable financial transactions, doorstep banking and digital financial inclusion for rural members.

The Ministry of Cooperation is providing a wide range of incentives and support measures to cooperatives involved in agriculture and rural livelihoods which broadly include following:

**Policy-related initiatives** — such as the Model Bye-laws for PACS, the National Cooperative Policy 2025, and amendments to the Multi-State Cooperative Societies (MSCS) Act, which make cooperatives multipurpose, improve governance and transparency, and mandate more inclusive, broad-based membership with adequate representation for women and SC/ST members.

**Banking and credit-related initiatives** — including regulatory relaxations and enabling measures for cooperative banks (UCBs, StCBs, DCCBs) to expand branch networks, extend doorstep banking, avail higher housing and gold loan limits, and participate in schemes such as CGTMSE, thereby improving credit flow to agriculture and rural livelihood cooperatives.

**Financial incentives** — These include major tax relief measures such as reducing the surcharge for cooperatives with income between ₹1 crore and ₹10 crore

from 12% to 7%, lowering the Minimum Alternate Tax (MAT) from 18.5% to 15%, and introducing a concessional 15% tax rate for new manufacturing cooperatives established before March 31, 2024. For Primary Agriculture Credit Societies (PACS) and Primary Cooperative Agriculture and Rural Development Banks (PCARDBs), the permissible limits for cash deposits, payments, loans and loan repayments have been enhanced from ₹20,000 to ₹2 lakh per member, easing their operational flexibility.

Significant financial support has been extended for infrastructure development, including a total outlay of ₹2,925.39 crore for the computerisation of functional PACS. Under the Agricultural Marketing Infrastructure (AMI) Scheme, margin money requirements for PACS godowns have been reduced from 20% to 10%, subsidy rates have been increased from 25% to 33.33%, and an additional subsidy equal to one-third of the total admissible subsidy is provided for ancillary facilities such as internal roads and weighbridges. The Ministry has also facilitated the disbursement of ₹190 crore to Farmer Producer Organisations (FPOs) and ₹98 crore to Fish Farmer Producer Organisations (FFPOs) through National Cooperative Development Corporation (NCDC). A Cabinet-approved grant of ₹2,000 crore to NCDC over four years enables it to raise an additional ₹20,000 crore for long-term and working-capital loans across cooperative sectors.

For sugar cooperatives, a dedicated ₹10,000 crore loan scheme has been launched through NCDC for setting up ethanol plants, cogeneration units and for working capital, along with an interest subvention of 6% per annum (or 50% of actual interest) for five years to support ethanol diversification. Cooperative banks have been extended financial facilitation through their inclusion as Member Lending Institutions under the Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) Scheme, enabling up to 85% risk coverage on collateral-free loans. The licence fee for onboarding cooperative banks to the Aadhaar Enabled Payment System (AePS) has also been rationalised and made free for the initial pre-production phase, while the Priority Sector Lending (PSL) limit for dairy cooperatives has been enhanced from ₹5 crore to ₹10 crore.

Additional income-tax relief for sugar cooperatives includes allowing mills to treat payments made to farmers prior to the 2016–17 assessment year as expenditure, providing relief exceeding ₹46,000 crore, exempting them from additional tax for paying cane prices up to FRP/SAP from April 2016 onwards, and

reducing GST on molasses from 28% to 5%. Collectively, these financial incentives make cooperative societies more viable, competitive and capable of delivering enhanced livelihoods across rural India.

**श्री प्रदीप कुमार वर्मा:** सभापति महोदय, सहकार से समृद्धि का मंत्र लेकर सहकारिता मंत्रालय द्वारा देश में डिजिटल सहकारी प्रणाली का एक पारदर्शी, सदस्यों के कल्याण एवं आर्थिक संपन्नता हेतु जवाबदेह व्यापक सहकारी तंत्र को विस्तारित किया जा रहा है। हमारे राज्य झारखंड में सहकारी समितियों के माध्यम से काम करने के लिए अनेक संभावनाएं हैं। मधु उत्पादन एवं अन्य वन उपजों का संग्रहण, मूल्यवर्धन एवं विपणन, फिशरीज़ पर्यटन, ग्रामीण आजीविका हैंडलूम उत्पादन एवं विपणन आदि के क्षेत्र में कार्य करने के लिए क्या कोई केन्द्र सरकार नई लक्षित सहकारी समितियां बना रही है, जिससे राज्य के किसानों एवं नए उद्योगों के अनुकूल इको सिस्टम बनाया जा सके।

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

**श्री मुरलीधर मोहोल:** माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने यहाँ पर 'सहकार से समृद्धि योजना' के अंतर्गत सवाल पूछा है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि चार साल पहले, जब से इस मंत्रालय की स्थापना हुई है, तब से पूरे देश में एक समान सहकारिता का विकास हो, सहकारिता सब जगह पहुँचे, इसके लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। इसमें देश भर की सभी पंचायतों व गाँवों को कवर करने का उद्देश्य निहित था। महोदय, नई बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और फिशरीज़ समितियों की स्थापना की जा रही है, पैक्स का कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है, जिससे उनकी कार्य क्षमता और कार्य कुशलता में वृद्धि हो। इसके साथ ही पैक्स को 25 अलग-अलग तरह के व्यवसाय भी दिए जा रहे हैं।

महोदय, माननीय सदस्य ने झारखंड के बारे में सवाल पूछा है, इसलिए मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि अभी तक झारखंड सहित देश के 32 राज्यों और संघशासित राज्यों ने नए मॉडल बाईलॉज को अपनाया है। इसमें क्रेडिट, बैंकिंग, फिशरीज़, डेयरी जैसे अनेक क्षेत्रों में आवश्यकता के अनुसार बदलाव लाकर सामूहिक भावना के माध्यम से पूरे देश में सहकारिता क्षेत्र का विकास और विस्तार किया जा रहा है। महोदय, 2002 के बाद पहली बार राष्ट्रीय सहकारिता नीति बनाई गई है, जो पूरे देश के सहकारिता क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करेगी। सहकारिता क्षेत्र में जरूरी मैनपावर को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने त्रिभुवन सहकारी युनिवर्सिटी की भी स्थापना की है।

महोदय, सवाल सहकार से समृद्धि तक की संकल्पना से है, इसलिए मैं इसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड भी बताना चाहूंगा। आगे आने वाले समय में पूरे देश में सहकारिता क्षेत्र में काम करने के

लिए कम से कम 17 लाख लोगों की, एक ट्रेंड मैनपॉवर की जरूरत है, इसके लिए इस युनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। इन सभी पहलुओं के माध्यम से सहकारिता मंत्रालय का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं को आत्मनिर्भर, आधुनिक और बहुउद्देशीय बनाना है।

महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और किसानों के कल्याण की मदद करना भी इसका उद्देश्य है। माननीय सदस्य ने यहाँ पर झारखंड राज्य के बारे में पूछा है, मैं आपके माध्यम से उन्हें बताना चाहूंगा कि झारखंड जैसे जनजातीय राज्य में शहद, दूध, फिशरीज़, वन उपज और अन्य कृषि आधारित उत्पादों के माध्यम से सहकारी समितियों द्वारा कार्य करने की अनेक संभावनाएँ हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा किसानों और ग्रामीण समुदायों को प्रत्यक्ष लाभ पहुँचाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। वहाँ पर कई नई मल्टीपरपज पैक्स का गठन किया जा रहा है, जो कि शहद कलेक्शन और प्रोसेसिंग, दूध उत्पादन, फिशरीज़, वन उपज और अन्य स्थानीय उत्पादों से जुड़ी गतिविधियाँ कर रहा है।

MR. CHAIRMAN: Second supplementary, Shri Pradip Kumar Varma.

**श्री प्रदीप कुमार वर्मा:** सभापति महोदय, सहकारिता मंत्रालय की नीति संबंधी पहल से पैक्स के लिए आदर्श उपविधियाँ लागू करना, राष्ट्रीय सहकारी नीति, 2025 के आलोक में पैक्स में शासन सुधार से साथ-साथ महिलाओं, एससी/एसटी सदस्यों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व के साथ-साथ व्यापक सदस्यता को अनिवार्य किया गया है। मेरा राज्य झारखंड एक ट्राइबल स्टेट है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से 'सहकार से समृद्धि' के मंत्र को साकार करने के लिए झारखंड के पैक्स को मजबूत करने के लिए और क्या-क्या कार्य किए जा रहे हैं?

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

**श्री मुरलीधर मोहोल:** माननीय सभापति महोदय, झारखंड में पैक्स हो, डेयरी हो, फिशरीज़ हो, इनके माध्यम से सहकारिता को ताकत देने का प्रयास चल रहा है। माननीय सदस्य ने अभी बताया है कि झारखंड एक ट्राइबल स्टेट है और ट्राइबल स्टेट होने के कारण यहाँ पर सहकारी संस्था की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। झारखंड राज्य में सहकारिता मंत्रालय द्वारा 'सहकार से समृद्धि' के मंत्र को साकार करने के लिए, पैक्स को मजबूत बनाने के लिए देश के मंत्रालय के माध्यम से वहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं। महिलाओं और अनुसूचित जनजातियों को प्रतिनिधित्व देते हुए पैक्स की सदस्यता को अब अधिक समावेशी बनाने के लिए कुछ और प्रावधान भी किए गए हैं। झारखंड राज्य सरकार ने भी नए मॉडल बाईलॉज को अपनाया है और अब वहाँ के पैक्स भी multipurpose बन रहे हैं। अलग-अलग तरह के जो 25 व्यवसाय दिए जा रहे हैं, वे झारखंड में भी हैं। वहाँ अनेक

पैक्स अभी उनमें काम कर रहे हैं। इसी वजह से पैक्स क्रॉप लोन के साथ कॉमन सर्विस सेंटर भी चला रहे हैं। वहाँ पर प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र भी चला रहे हैं, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र भी चला रहे हैं। ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएँ की गई हैं।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over. The House stands adjourned to meet at 2.00 p.m.

*[Answers to Starred and Un-starred Questions (Both in English and Hindi) are available as Part — I to this Debate, published electronically on the Rajya Sabha website under the link <https://sansad.in/rs/debates/officials>]*

*The House then adjourned for lunch at one of the clock.*

The House reassembled after lunch at two of the clock,

MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

**§ DISCUSSION ON THE 150<sup>TH</sup> ANNIVERSARY OF THE NATIONAL SONG  
'VANDE MATARAM'**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Further discussion on 150<sup>th</sup> Anniversary of National Song 'Vande Mataram'. Shri Narhari Amin.

SHRI NARHARI AMIN (Gujarat): &“The words "Vande Mataram" are more than just a slogan. This poem became our national song during India's freedom struggle and it lived in the hearts, lips, and minds of the people as a symbol of national pride. "Vande Mataram" is a mantra of Revolution that touches the hearts of all 140 crore Indians. It is not only the national song of India but also an inspiring sacred song that has held a special place in people's hearts from the freedom movement to the present

<sup>§</sup> Further discussion continued from the 9<sup>th</sup> December, 2025.

& English translation of the original speech delivered in Gujarati.

day. Millions of Indians have experienced a deep love for the nation through the song "Vande Mataram."

It is a priceless gem of Indian culture, originally composed by the famous Bengali poet Shri Bankim Chandra Chattopadhyay in a mixture of Sanskrit and Bengali languages, on November 7, 1875. Shri Atal Bihari Vajpayee used to say that Vande Mataram is the song of the soul of India. The year 2025 marks 150 years of its composition. Hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi, and the Government of India has announced a grand celebration to mark the 150<sup>th</sup> anniversary, aiming to help the nation and especially the younger generation, understand its importance and pride. The Government of India plans to organize many events related to "Vande Mataram" to honor this historic song. Many important moments in the Indian history are linked to "Vande Mataram." Before the song was composed, there was no clear image of Mother India. Inspired by the map of India, and having considered the map of India as Mother India, a Gujarati painter Maganlal Trivedi portrayed a beautiful picture of India as a goddess, and millions of copies of this portrait were shared across the country. The song became deeply embedded in the nation's consciousness. Surendranath Banerjee was the first to hoist the Indian national flag in Kolkata, which had "Vande Mataram" written on its yellow stripe. Similarly, the flag hoisted by Sardar Singh Rana and Madam Bhikhaji Cama in Germany also featured Vande Mataram. The popular slogan "Bharat Mata Ki Jai" (Victory to Mother India) was inspired by this song. Shri Aurobindo Ghosh wrote a related poem called "Bhavani Bharati," praising Mother India, which ended with the chorus "Bharat Mata Ki Jay." Young freedom fighters like Khudiram Bose and Madanlal Dhingra happily climbed the scaffold and marched to their deaths chanting "Vande Mataram,". This slogan became a life mantra for many leaders like Swami Vivekananda, Subhash Chandra Bose, and Veer Savarkar.

Sir, the song is closely tied to the Swadeshi movement. In 1906, during an exhibition of Indian products in Ahmedabad, "Vande Mataram" was sung publicly for the first time in Gujarat. It was also sung at the Hindi National Mahasabha in Surat in 1907. Sardar Vallabhbhai Patel often signed his letters with "Vande Mataram," and leaders like Dr. Rajendra Prasad and Dr. Babasaheb Ambedkar played key roles in establishing it as the national song. Hon. Prime Minister of India Shri.Narendrabhai Modi, is honouring "Vande Mataram" on its 150th anniversary and encouraging the youth to understand their duties towards the nation's independence. In 77 years of

independence, he is the only Prime Minister focusing strongly on passing down the legacy of freedom fighters like Mahatma Gandhi, Sardar Patel, Subhash Chandra Bose, and Babasaheb Ambedkar to the next generation.”

**श्री उपसभापति:** माननीय नरहरी अमीन जी, धन्यवाद।...(व्यवधान)... माननीय श्री जयराम रमेश जी।...(व्यवधान)... माननीय सदस्य, बहुत वक्ता हैं, कृपया समय का पालन करें। Nothing will go on record. माननीय जयराम रमेश जी।

SHRI JAIRAM RAMESH (Karnataka): Mr. Deputy Chairman, Sir. I am speaking after a former colleague of mine. Sir, the debates in the Lok Sabha and in the Rajya Sabha have proved once again that we have far too little history in our politics and far too much politics in our history. प्रधान मंत्री, गृह मंत्री और सभी लोग, जो उस तरफ से बोले हैं, उन्होंने यह बिल्कुल साबित कर दिया है कि निकले हैं historian बनने, पर actually बने हैं distorian. जो कुछ मैं कहूँगा, मेरे पास लिखित प्रमाण हैं और बिना आपके आदेश दिए हुए मैं authenticate करूँगा और सभा पटल पर रखूँगा।

डिप्टी चेयरमैन सर, मैं सिर्फ तीन बातें करना चाहता हूँ - पहली, वंदे मातरम गीत पर; दूसरी, 1937 और 1940 के बीच में वंदे मातरम को लेकर देश में जो बहस हुई, उस पर और तीसरी, मैं बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय जी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, जिनको आज हम नमन करते हैं, जिनको आज हम याद कर रहे हैं।

Sir, first thing I want to start with this. On the 28<sup>th</sup> of September, 1937, Dr. Rajendra Prasad writes to Sardar Vallabhbhai Patel, raising concerns and worries prevalent in large sections in our political system on Vande Mataram and requesting Sardar Vallabhbhai Patel that the Congress Working Committee should take a stand. क्या यह तुष्टीकरण था? क्या डा. राजेन्द्र प्रसाद के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि वे तुष्टीकरण कर रहे हैं? क्या सरदार पटेल तुष्टीकरण कर रहे हैं? सर, दूसरी बात। 16 अक्टूबर, 1937 के बारे में कल हमारे एलओपी साहब ने भी जिक्र किया। 16 अक्टूबर, 1937 को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस गुरुदेव रबीन्द्रनाथ टैगोर को लिखते हैं। मेरे पास original बंगाली खत है, जिसका अनुवाद भी है, जो मैं टेबल पर रखूँगा। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस गुरुदेव से पूछते हैं कि गुरुदेव, वंदे मातरम को लेकर बड़ी चिंता है, कांग्रेस पार्टी का क्या stand होना चाहिए; Congress Working Committee में इस पर क्या बहस होनी चाहिए। हमें सलाह देने के लिए आपसे बेहतर और कोई व्यक्ति नहीं है। वे गुरुदेव से advice माँगते हैं। सर, तीसरी बात। रबीन्द्रनाथ टैगोर नेताजी सुभाष चन्द्र बोस को 19 अक्टूबर, 1937 को वापस लिखते हैं। सर, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे इनका खत नहीं मिला, पर कल रात को खूब प्रयासों के बाद मैंने

एक किताब ढूँढी। यह किताब किसने लिखी थी? तृणमूल कांग्रेस के एक पूर्व सांसद, प्रो. सुगाता बोस। प्रो. सुगाता बोस कौन थे? वे शरत चन्द्र बोस के पोते थे। शरत चन्द्र बोस कौन थे? वे नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के बड़े भाई थे। इस किताब में सुगाता बोस, जो कोलकाता में Netaji Research Bureau के Director हैं, उन्होंने गुरुदेव रबीन्द्रनाथ टैगोर का जवाब अंग्रेजी में दिया है।

मैं उसे पढ़ूँगा नहीं, ऑथेंटिकेट करके यहां रख दूँगा। मैं सिर्फ ये डेट्स गिनाना चाहता हूँ। हमारे गृह मंत्री जी के अमर शब्दों में आप क्रोनोलॉजी समझिए। इतिहास मत समझिए, परन्तु क्रोनोलॉजी समझिए। सर, चौथा, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस 17 अक्टूबर, 1937 को जवाहरलाल नेहरू को लिखते हैं; पांचवां, जवाहरलाल नेहरू बोस को 20 अक्टूबर, 1937 को वापस लिखते हैं। फिर, रबीन्द्रनाथ टैगोर 26 अक्टूबर, 1937 को जवाहरलाल नेहरू को लिखते हैं, जिसका जिक्र एलओपी ने किया। आखिर में, 28 अक्टूबर, 1937 को वंदे मातरम को लेकर सीडब्ल्यूसी का प्रस्ताव पारित होता है, इसका भी जिक्र हुआ। उस सीडब्ल्यूसी में, कोलकाता में कौन-कौन थे - महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, गोविंद वल्लभ पंत, आचार्य कृपलानी। आप इनके खिलाफ तुष्टिकरण का इल्जाम लगा रहे हैं! तुष्टिकरण इनका है! सारी वर्किंग कमेटी - तुष्टिकरण, तुष्टिकरण! गृह मंत्री जी बोलकर चले गए। उन्होंने तुष्टिकरण, तुष्टिकरण कहा। सीडब्ल्यूसी की कोलकाता की बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित होता है। इसके बाद 30 अक्टूबर, 1937 को गुरुदेव रबीन्द्रनाथ टैगोर खुद एक प्रेस वक्तव्य देते हैं, जो 'आनंद बाजार पत्रिका' में छपता है। वे उस प्रेस वक्तव्य में कहते हैं कि मैंने सीडब्ल्यूसी को यह एडवाइस दिया और मेरे एडवाइस पर उन्होंने यह रेजोल्यूशन पारित किया, ताकि सारा 'वंदे मातरम्' नहीं, पर 'वंदे मातरम्' की कुछ पंक्तियां रहें। तब उन्होंने National Anthem कहा था, जो बाद में National Song बना।

सर, उसके बाद 1939 में क्या होता है, वह देखिए। डेढ़ साल बाद, आचार्य कृपलानी 02.12.1939 को सी. राजगोपालाचारी को पत्र लिखते हैं। क्या यह तुष्टिकरण है? उसके बाद राजगोपालाचारी, जिनका जन्मदिन आज हमने मनाया है, वे 7 जनवरी, 1939 को सरदार पटेल को लिखते हैं। क्या यह तुष्टिकरण है? गोविंद वल्लभ पंत 8 जनवरी 1939 को जवाहरलाल नेहरू को लिखते हैं। क्या यह तुष्टिकरण है? और अंत में, महात्मा गांधी पहली जुलाई, 1939 को अपनी पत्रिका 'हरिजन' में 'वंदे मातरम्' को लेकर एक लेख लिखते हैं। ये सब चीजें मैं टेबल पर रखूँगा। यह इतिहास है, इसे पढ़िए। मैं ऑथेंटिकेट करके रखूँगा। मैं यहां इससे ज्यादा पढ़ना नहीं चाहता हूँ, परन्तु यह क्रोनोलॉजी देना चाहता हूँ, क्योंकि 1937 में जो माहौल पैदा किया गया था, सांप्रदायिक माहौल, कई संस्थाएं थीं, जो इसके लिए जिम्मेदार थीं। एक संस्था आज अपने 100 साल मना रही है। उसका गठन 1925 में हुआ था। उसने भी सांप्रदायिकता की चिंगारी भड़कायी और आज हमें ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने तुष्टिकरण की, कांग्रेस पार्टी ने तुष्टिकरण की! तो यह क्रोनोलॉजी है।

सर, मैं अब इस बात पर आऊंगा कि और किन-किन लोगों ने तुष्टिकरण किया। पहली बात, मेरे हाथ में यह किताब है। यह किताब 2003 में छपी थी। इस किताब का नाम है — "वंदे मातरमा" इसके लेखक एक प्रसिद्ध इतिहासकार सब्यसाची भट्टाचार्य हैं। सब्यसाची भट्टाचार्य विश्व भारती के वाइस चांसलर थे। वे इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के अध्यक्ष थे। सर, विदेश मंत्री बैठे हुए हैं। सब्यसाची भट्टाचार्य उसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, जिस विश्वविद्यालय में हमारे ज्ञानी वित्त मंत्री, हमारे ज्ञानी विदेश मंत्री और हमारे जेडीयू के नेता संजय झा जी पढ़े थे। यह किताब सब्यसाची भट्टाचार्य ने लिखी है। 'सब्यसाची' का क्या मतलब है? डिप्टी चेयरमैन सर, यह इनको जानना चाहिए। 'सब्यसाची' भगवान विष्णु का एक नाम है। यह "विष्णु सहस्र नामम्" में आता है।

सब्यसाची का अर्थ है - जो बाएँ हाथ से तीर मारता है और दाएँ हाथ से भी तीर मारता है यानी टू हैंडेड। सब्यसाची भट्टाचार्य टू हैंडेड इतिहास थे। वे लेफ्ट के नहीं थे, राइट के नहीं थे। वे एक सचमुच बुद्धिजीवी थे। उन्होंने यह किताब लिखी और मैं सारे सांसदों को आज रात तक यह किताब पहुँचा दूँगा। यह 150 पेज का किताब है। आप पढ़िए कि इसका इतिहास क्या है। सब्यसाची भट्टाचार्य लिखते हैं कि 1875 में पहला 'वंदे मातरम्' लिखा गया। उसके बाद जब 1882 में 'आनंदमठ' प्रकाशित हुआ, उसमें और पंक्तियाँ जोड़ी गईं यानी 1875 में एक 'वंदे मातरम्' था और 1882 में उसको और ज्यादा बड़ा किया गया। इसलिए सब्यसाची भट्टाचार्य की इस किताब में इतिहास को लेकर बहुत सारी चीजें हैं जैसे क्यों यह राष्ट्रगीत बना, किस माहौल में इसका सभी भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेशन हुआ - इसका विवरण इसमें है। डिप्टी चेयरमैन सर, इसलिए मैं गुजारिश करूँगा कि सभी सदस्य इसको पढ़ें। जो मैं कह रहा हूँ, उस पर विश्वास मत कीजिए, पर यह जो प्रोफेसर कहते हैं, जिन्होंने हमारे विदेश मंत्री को इतिहास पढ़ाया है, हालाँकि आज वे वह इतिहास भूल गए हैं, वित्त मंत्री को पढ़ाया है, हमारे जेडीयू के अध्यक्ष को पढ़ाया है, उसी अध्यापक की एक किताब पढ़िए।

सर, मैं दूसरी बात बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में कहना चाहता हूँ। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में बहुत चीजें कही गई हैं, पर क्या आप सब लोग जानते हैं कि 1876 में कोलकाता में एक संस्था, The Indian Association for the Cultivation of Science का गठन हुआ और उसके जिम्मेदार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। उन्होंने पूरा प्रयास किया कि The Indian Association for the Cultivation of Science बने और इसी The Indian Association for the Cultivation of Science में काम करके भारत का पहला विज्ञान में नोबेल पुरस्कार सी. वी. रमन को मिला। सी.वी. रमन ने अमेरिका में काम नहीं किया, इंग्लैंड में काम नहीं किया, बल्कि कोलकाता के The Indian Association for the Cultivation of Science में काम किया, जिसकी स्थापना करने में महेंद्र लाल सरकार और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का बहुत बड़ा योगदान था। महेंद्र लाल सरकार के बारे में सुखेंदु बाबू जानते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी कहते थे कि विज्ञान और आध्यात्मिकता, दोनों का संगम, दोनों का मिलन होना जरूरी है।

सर, यह 'आनंदमठ' किताब है। मैं बंगाली पढ़ नहीं सकता हूँ, पर मैंने अंग्रेजी में पढ़ा। इसमें इंट्रोडक्शन में कहा जाता है, "There is an incident worth recalling. There was a wedding party at the Calcutta home of Romesh Chandra Dutt, a literary disciple of Bankim Chandra Chattopadhyay. The young Tagore" — Rabindranath Tagore — "was a guest and Chatterjee was the guest of honour. When the party had settled down, Tagore introduced himself to Chatterjee and sat at the great man's feet. Dutt, himself a big name in the world of literature, made a speech in praise of Bankim Chandra Chattopadhyay and placed a garland of flowers around the great novelist's neck." सुनिए, सर। "To the surprise of the other guests, Chattopadhyay removed the garland and placed it around the neck of the young Tagore. "The garland really belongs to him, Bankim said. "I am the setting sun. He is the now the sun rising, Romesh. Have you read his *Sandhya Sagar*?"

सर, आज सिर्फ नेहरू जी बदनाम नहीं हो रहे हैं, बल्कि रबीन्द्रनाथ टैगोर बदनाम हो रहे हैं। यह सरकार क्या कर रही है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बनाम रबीन्द्रनाथ टैगोर - यह क्या है? यह क्या हो रहा है? गुरुदेव रबीन्द्रनाथ टैगोर का अपमान हो रहा है, गुरुदेव रबीन्द्रनाथ टैगोर को बदनाम किया जा रहा है। निकले हैं नेहरू जी का अपमान करने, पर असली बात यह है कि इन्होंने गुरुदेव रबीन्द्रनाथ टैगोर, जन-गण-मन के लेखक, गीतांजलि के लेखक, 1913 के नोबेल पुरस्कार विजेता का अपमान किया है और कहते हैं कि नेहरू ने तुष्टीकरण किया है।

सर, बंकिम चंद्र चटर्जी ने बांग्ला में "बंगाल दर्शन" में 1880 और 1885 के बीच में कुछ लेख लिखे, जो बंगाली मत तक ही सीमित थे। 2002 में इसका अनुवाद किया गया। सर, मेरी बंगाली को माफ कर दीजिए। *आमी बांग्ला बुझते पारी, बोलते पारी न!* इसके अनुवाद की गई किताब का नाम है - 'Equality.' रीताब्रता जी, "Samya." सर, इसका अनुवाद किसने किया? इसका अनुवाद Bibek Debroy ने किया। Bibek Debroy कौन थे? वे एक जाने-माने अर्थशास्त्री थे, जो प्रधान मंत्री इकोनामिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन थे। वे मेरे अच्छे मित्र थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका देहांत हो गया, पर Bibek Debroy ने यह किताब लिखी है। इसमें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कहते हैं - भारत की सबसे बड़ी समस्या जातिवाद है। हमारा इतिहास जातिवाद का इतिहास है। इतिहास में सिर्फ तीन ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्होंने इक्वैलिटी की बात की है - गौतम बुद्ध, जीसस क्राइस्ट और Jean-Jacques Rousseau, जो French Revolution के प्रेरणास्त्रोत थे। आज जब आप बंकिम चंद्र जी को याद करते हैं, तो इस बंकिम चंद्र जी को भी याद कीजिए, जो विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच में मिलन की बात करते थे। वही बंकिम चंद्र जी, जिन्होंने यह "Samya" लिखा, जिसमें कहा गया है कि भारत के समाज पर जातिवाद एक शाप है, भारत की संस्कृति पर जातिवाद एक भयंकर शाप है। उसको तो आप भूल जाते हैं और वंदे मातरम्, वंदे मातरम् का मंत्र जपते रहते हैं। सर, मैं दो मिनट में अपनी बात खत्म कर दूँगा।

सर, तुष्टीकरण, तुष्टिकरण, तुष्टिकरण! गृह मंत्री और मेरे बाद हमारे लीडर ऑफ दि हाउस! गृह मंत्री और लीडर ऑफ दि हाउस में फर्क यही है कि गृह मंत्री जब तुष्टिकरण कहते हैं, तो वे अपने चेहरे पर नाराजगी दिखाते हैं, पर लीडर ऑफ दि हाउस हँसते-हँसते तुष्टिकरण कहेंगे, तो हमें इतना चुभता नहीं है, पर मुझे कोई शक नहीं है कि वे भी तुष्टिकरण की बात करेंगे। सर, तुष्टिकरण के मायने क्या हैं? जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ए.के. फजलुल हक के साथ कोलिशन गवर्नमेंट का एक अंग बनते हैं, वही फजलुल हक, जो 23 मार्च, 1940 को लाहौर में पाकिस्तान रेजोल्यूशन मूव करता है, तो क्या वह तुष्टिकरण नहीं है? वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनके कहने पर हिंदू महासभा सिंध और नॉर्थ-वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मिली-जुली सरकार बनाती है। क्या वह तुष्टिकरण नहीं है? ...**(समय की घंटी)**... जब 4 जून, 2005 को "भारत रत्न" ...**(समय की घंटी)**... सर, मैं दो मिनट में समाप्त कर दूँगा।

**श्री उपसभापति:** आप समाप्त करें, क्योंकि समय लिमिटेड है। ...**(व्यवधान)**... आप लोग बैठिए। ...**(व्यवधान)**... आप अब कन्क्लूड कीजिए।

**श्री जयराम रमेश:** सर, मैं यहाँ चुपचाप सुबह 10.30 बजे से लेकर रात तक बैठा रहता हूँ, मुझे सिर्फ दो मिनट का टाइम दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

**श्री उपसभापति:** मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप अब खत्म करें। समय के बारे में सबको पता है। ...**(व्यवधान)**...

**श्री जयराम रमेश:** सर, 4 जून, 2005 को "भारत रत्न," लालकृष्ण आडवाणी कराची जाते हैं और वे किसकी प्रशंसा करते हैं? नेहरू जी से इतनी नफरत है कि वे जिन्ना की प्रशंसा करते हैं। क्या वह तुष्टिकरण नहीं है? 2009 में जिन्ना की एक बायोग्राफी छपती है, उसके लेखक कौन है? वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल के पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व विदेश मंत्री, जसवंत सिंह। ...**(समय की घंटी)**... नेहरू से इतनी नफरत कि आप जिन्ना को गले लगाओगे? ...**(व्यवधान)**... सर, मैं अंत में यही कहूँगा कि बहुत सारी चीजें कही गई हैं। हमें इतिहास पढ़ाया गया है, विभाजन के बारे में, इमरजेंसी के बारे में, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, हम अलग से उस पर बातचीत करेंगे। सर, मैं एक ही बात कहूँगा कि इस पूरी डिबेट का मकसद नेहरू जी को बदनाम करने के लिए है। यह एक प्रोजेक्ट का अंग है। यह इतना भयंकर प्रोजेक्ट कि एक सीधा-सादा, विनम्र, सोबर रक्षा मंत्री भी इसके जाल में आ जाता है और रक्षा मंत्री भी बहुत कुछ बोलते हैं, जिसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है।

उपसभापति महोदय, कांग्रेस के हर एक सेशन में वंदे मातरम् गीत गाया जाता है। 1937 में रबीन्द्रनाथ टैगोर जी की सलाह और विचार के आधार पर यह resolution पारित किया गया।

महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभभाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभपंत जी सहमत थे और आप जो नेहरू जी का नाम बार-बार ले रहे हैं, असली बात यह है कि आप उन लोगों का अपमान कर रहे हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए तब अपनी कुर्बानी दी, जब आप लोग ब्रिटिशर्स के साथ मिल-जुल कर काम करने के लिए तैयार थे। शुक्रिया।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Ritabrata Banerjee.

SHRI RITABRATA BANERJEE (West Bengal): &“Sir, first of all, on behalf of my party, the All India Trinamool Congress, I pay my respects to the unfading memory of Rishi Bankim Chandra Chattopadhyay. Along with him, I also pay respect to the unfading memory of all those brave Indians, most of whom were brave Bengalis, who sang the victory song of life while chanting "Vande Mataram" on the gallows. Now, I don't know, Sir, on whose advice but someone must have advised that there should be a discussion on "Vande Mataram." The very slogan that was forbidden in the parliamentary bulletin is now being discussed in Parliament. Perhaps the person who gave this advice thought that discussing "Vande Mataram" or playing the "Vande Mataram card" would make it possible to conquer Bengal, that it would aid in winning Bengal. The discussion is happening, and the timing of the discussion points in that direction. But I want to say this, Sir, there is no place for divisive politics in Bengal and because of that, the BJP has no spiritual, cultural or intellectual connection with Bengal. This is the absolute truth. I will not go into history; Shri Jairam Ramesh has spoken in detail, and many others before him have spoken in detail. I will only say that in 1885, when Rishi Bankim was still alive, the poet of the world, Rabindranath Tagore, composed the tune for this song in 1885, in *Raga Desh Raagini*. Bankim was so mesmerized by the first seven lines that they were included in the third edition of *Anandamath* -- the tune composed by Rabindranath... those seven lines... In 1896, at the Calcutta session of the National Congress, Rabindranath himself performed this song, the portion he had composed.”

In 1905, Lord Curzon decided to divide Bengal. Anti-partition movement erupted, with Rabindranath Tagore as the nerve-centre. On 7<sup>th</sup> August, 1905, there was a Town Hall meeting. It was the first mass meeting of the anti-partition movement, and Tagore himself sung *Vande Mataram*; remember, Sir, only the first

---

& English translation of the original speech delivered in Bengali.

two stanzas! Bengal was boiling literally. On 16<sup>th</sup> October, 1905, Tagore spearheaded the famous anti-partition protest, where Hindus and Muslims tied rakhis to each other. Thunder of slogans of *Vande Mataram* and the famous protest song, penned by the polymath himself, took Calcutta and Bengal by storm. What was the song?

*“My Bengal of gold, I love you.  
Forever your skies, your air set my heart in tune  
as if it were a flute.  
My Bengal of gold, I love you”*

Recently, Sir, this has become the national anthem of Bangladesh. After the 1971 Bangladesh Liberation War, it became their national anthem. Sir, a sedition case has been filed for the crime of singing this song. The song that Rabi Thakur (Tagore) sang in 1905 to ignite the fire of the Anti-Partition movement, for the crime of singing that very song, \*

Sir, we have no national language. Our country has no single national language; all languages are supposed to have equal status. But Bangladesh has a State language. It is the language of Rabindranath, the language of Bankim, the language of Nazrul, the language of Jibanananda, it is the language of us all. Sir, I am speaking in Bengali; I am delivering my speech in Bengali. Does that mean that I too will be branded as a Bangladeshi? Will it be said, Sir, that I am a Bangladeshi?

Now, naturally, it is not just that one song. Rabindranath is a true polymath; he was a true polymath. Rabindranath wrote multiple songs at that time: "*May the soil of Bengal, the water of Bengal, the air of Bengal, the fruit of Bengal be blessed, O Lord.*" Our State's hon. Chief Minister, mass leader Mamata Banerjee, has recognized this song as our State Anthem. It was written during this time. Rabindranath wrote, "*If no one answers your call, then walk alone*" during this time. It was during this time he wrote, "*O my country's soil, I bow my head to you... in you the mother of the world has spread her anchal.*" These were written then, Sir. These are in history.

Now, history... as we are discussing history, Sir, while discussing history, I naturally want to discuss what happened in the other House, Lok Sabha, when the

---

\* Not recorded.

hon. Prime Minister of the country was speaking, I suddenly heard mention of "Master. "Now, "Master" can mean a tailor-master too. We Bengalis know only one "Master" - 'Master da' Surya Sen.

Rabindranath was a true polymath. Master Da Surya Sen was the hero of Chittagong armoury raid. Master Da Surya Sen along with Tarakeswar Dastidar were the only two revolutionaries in India whose bodies were not given back to their relatives. They were boarded onto a ship and dumped into the Bay of Bengal because the dead Master Da was more dangerous than the living one. That "Master da" is being called just "Master"? Sir, will Bengalis listen to this? Will Bengalis accept that Master da is being called "Master"? Sir, I want to mention here that a BJP MP recently said that *Jana Gana Mana* was allegedly written for King George V. There can be no greater insult to the Poet Guru (Tagore) than this.

The Poet Guru sang this song at the National Congress session in 1911. The choir of the Brahma Samaj, led by Sarala Devi Chaudhurani, sang that song. Rabindranath himself was present. The future Prime Minister of the country, Pandit Nehru, was also present there. From that very day, the discussion began that the first stanza of this song would be our National Anthem. On January 24, 1950, our country's Constituent Assembly made the first stanza of *Jana Gana Mana Adhinayaka Jaya He, Bharat Bhagya Bidhata* our National Anthem. To those who say... has anyone condemned it? Has any BJP leader condemned the claim that it was written for King George V? Look at the fourth stanza, Sir.

In the fourth stanza, it says: "*Through the thickest darkness of the night, in a land struck by sickness and unconsciousness/Your unwavering auspicious gaze remained awake, unblinking/In nightmares and terror, you protected us in your lap, O affectionate Mother.*" Is George V a woman? Is George V a mother? These agents who spoke such things back then, attacking Rabindranath, the same continuity is going on, Sir.

There was no electricity in Andamans. From Calcutta, batteries were sent to Andaman Cellular jail to lit up the houses and the rooms of the jailors. The jailors used those batteries to give electric shock to a revolutionary. Sir, the unparalleled great revolutionary, Ullaskar Dutta! No one else was given electric shocks. Those who were writing mercy petitions sitting in that jail were not given electric shocks. Electric shocks were given to the great revolutionary, Ullaskar Dutta. If that jail is to be named

after anyone, it should only be in the name of Ullaskar Dutta. Revolutionaries like Ullaskar Dutta were not in the Cellular Jail of Andaman to write mercy petitions. When he used to become unconscious from electric shocks; a faint sound would come out of his mouth: "Vande Mataram, Vande Mataram." If you have guts enough, target the man who suggested adopting the first two stanzas of *Vande Mataram*. It was not Nehru, it was not Netaji. In 1937, three days prior to the Session of the Congress, Gurudev told categorically for adoption of the first two stanzas. ...(*Time bell rings*)... Sir, I will take half a minute. I crave your indulgence. If you have the courage, stand in Bengal before the 2026 elections and say that Rabindranath is responsible for the partition of the country. If you have the courage, stand and say it, and then contest the election. 10 crore Bengalis will teach you the meaning of "Vande Mataram." Rishi Bankim Chandra does not sit and sip tea with you at a tea stall. He does not drink tea with you at a tea stall; he is not your friend that you will call Bankim Chandra "Bankim da." Offer an unconditional apology. This is our demand, the demand of the All India Trinamool Congress, the demand of the entire Bengal including Mamata Banerjee and Abhishek Banerjee-unconditional apology. Jai Hind. VandeMataram. Jai Bangla.

SHRI SANDOSH KUMAR P (Kerala): Sir, on behalf of my party, CPI, I am very happy to take part in this important discussion. The song 'Vande Mataram' was inspirational to thousands of our freedom fighters, leaders like Bhagat Singh, Chandra Shekhar Azad and Khudi Ram Bose. It still inspires all of us and it is very much there on the soil and in the soul of our nation. In this regard, I would like to suggest, through you, Sir, that there should be a special discussion on the contributions of Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru and Ambedkar. It is all the more important today because Godse is creeping into the social fabrics of our lives. So, I request the hon. Leader of the House who is also present here that we need to have a special discussion on Mahatma Gandhi's contribution especially.

Sir, I would like to raise one more important issue in this connection. Meta AI, the mother company of Facebook, WhatsApp and Instagram is now circulating a figure of Mahatma Gandhi with guns in his hands. This is very disturbing to see, Sir. I think this august House should take note of this, and the Communications Ministry and the related Ministries and offices should take note of it. This must be banned and Meta AI must be made responsible for this.

Sir, this gives us a chance to talk about India's freedom movement. But, the Parliament must not be misused to disseminate a distorted version of history. But unfortunately, that is what is happening. So, who made this as a controversy? The first speaker was the hon. Prime Minister of our country. This could have been a very healthy discussion on the contribution of Bankim Chandra Chatterjee, the role of Vande Mataram, Sanyasi Rebellion, many connected things are there.\*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please speak on the subject.

SHRI SANDOSH KUMAR P: Sir, 'Vande' is very much there.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No words will go beyond your subject.

SHRI SANDOSH KUMAR P: Sir, please don't say like that. I am just making my observations. I think that is the slogan. So, I have every right to speak that. One can agree or disagree, that is not my problem. Sir, there are ample examples for that.

**श्री उपसभापति:** यह आपका अधिकार है। ..(व्यवधान)... रूल्स के तहत बोलने का अधिकार है।

SHRI SANDOSH KUMAR P: Sir, kindly understand, I have only three minutes. So, I can't give a long lecture. As rightly pointed out by Jairam Ramesh ji, there were many examples of Hindu Mahasabha and the Muslim League coalition in history. Hindu Mahasabha and Muslim League worked together on many occasions during the past. So, can they deny that legacy? Fazlul Haq's case was aptly quoted by Jairam Ramesh ji. Who was Haq? He was the mover of the Pakistan Resolution for the first time in 1940 in Muslim League's meeting. Then, Shyama Prasad Mukherjee, the icon of almost all these leaders,

**श्री सामिक भट्टाचार्य (पश्चिमी बंगाल):** वह गवर्नमेंट बनी थी। ..(व्यवधान)... 1947 में।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, please. Let him speak.

---

\* Not recorded.

SHRI SANDOSH KUMAR P: Sir, these are all simple history facts; very, very simple history facts; very, very simple things. He should learn more. Then, Mukherjee was the Finance Minister. How can they explain this? They actually shared the Ministry, shared the power, with Muslim League leader who moved Pakistan Resolution. ..(Interruptions).. Don't try to teach us history. You had no role in India's independence movement for sure. And you cannot escape from that. ...(*Time-bell rings*)... It is my request that Vande Mataram should not be a point to divide the people. You should not try to divide the people in the name of Vande Mataram. This is my request. ...(*Time-bell rings*)... Thank you, Sir, for giving me time.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Sandosh Kumar P ji, you got five minutes, not three.

SHRI DEBASHISH SAMANTARAY (Odisha): Thank you, Sir, for giving me this opportunity to participate in this historic Discussion on the 150<sup>th</sup> Anniversary of the National Song 'Vande Mataram.' I will go back to my childhood first. I was sent to Sri Aurobindo International Centre of Education run by Sri Aurobindo Ashram in Pondicherry. I was born in 1960. So, I was born in free India. There we grew up singing Vande Mataram in every assembly of our school and during physical and sports activities. Vande Mataram was written by Rishi Bankim Chandra Chattopadhyay. Subsequently, the magazine was edited by none other than Sri Aurobindo himself. Bande Mataram as a newspaper was founded by Bipin Chandra Pal and edited by Sri Aurobindo. We are all forgetting, and even my colleagues from Bengal also, that Bande Mataram was the voice to free India and I would say that Sri Aurobindo was the first freedom fighter. Nobody is mentioning Sri Aurobindo in this House. For his articles against the British rule, he was imprisoned in Alipore Jail. All of us know that. He had to escape to Chandan Nagar and then travel to Pondicherry where he set up Sri Aurobindo Ashram. I come from there. I studied there up to my higher education. I was growing up singing Vande Mataram. Then, I came back to Odisha to do business and, later on, I joined politics. The whole concept then changed to Jana Gana Mana. That became our national anthem. I grew up singing Vande Mataram as our national song. The words have been explained in Bengali and Sanskrit. I do not need to elaborate that here. What I want to say is, why we are debating it today when we have lived with Jana Gana Mana and also Vande Mataram.

We should not cast aspersions on history and who did what. None of us can correct it. It is done. We are living in a free country. Why do we have this debate first of all? Vande Mataram is our national song. Jana Gana Mana is our national anthem. So let us accept the truth. We all are living with it. I was listening to debates. It is a sentimental thing for all Indians. ...(*Time-bell rings*)... Vande Mataram! Jai Ho! Jai Ho! Jai Ho!

**श्री उपसभापति:** माननीय सदस्यगण, मैं सिर्फ आपकी सूचना के लिए कह रहा हूँ कि we are left with 55 speakers और सदन ने तय किया है कि शाम सात बजे तक बैठेंगे। चेयर आपसे सिर्फ उसी टाइम के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, जो आपकी पार्टी ने आपके लिए allocate किया है।

**श्री जयराम रमेश (कर्नाटक):** सर, यह उधर के लिए भी होना चाहिए।

**श्री उपसभापति:** अगर आप 12 बजे तक बैठने के लिए तैयार हैं, तो hon. Chairman is always *udarvaadi*. श्रीमती रमिलाबेन बेचारभाई बारा, आप गुजराती में बोलने वाली हैं।

**श्रीमती रमिलाबेन बेचारभाई बारा (गुजरात):** &“ Hon’ble Deputy Chairman Sir, I extend my most sincere and heartfelt gratitude for graciously granting me this golden opportunity to address this august House on the timeless and revered theme: Vande Mataram — The Eternal Song of India.

Hon’ble Deputy Chairman Sir, I wholeheartedly and fervently congratulate the hon. Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, for his landmark and historic decision to commemorate the 150th anniversary of Vande Mataram. This momentous announcement, made during the Cabinet meeting on 1st October 2025, will undoubtedly be etched in golden letters in the annals of India’s history. It holds the profound promise to inspire and uplift future generations with the enduring spirit and timeless message of Vande Mataram. I also extend my deepest congratulations to the Hon’ble Prime Minister of India, Shri Narendrabhai Modi, for his visionary and historic initiative in orchestrating a comprehensive nationwide series of events centered on Vande Mataram. These thoughtfully planned programs are meticulously designed to instill in every Indian—particularly the youth—a deep and abiding appreciation of the

---

& English translation of the original speech delivered in Gujarati.

song's profound essence and immense significance, while also evoking a vivid understanding of the noble thoughts and revolutionary fervor of the freedom fighters from that era.”

उपसभापति जी, वंदे मातरम् पर चर्चा करने से पहले यह सब की दुविधा थी कि अभी वंदे मातरम् पर चर्चा क्यों? वैस्ट बंगाल का चुनाव आ रहा है, इसलिए यह लाया गया है। यह बात चर्चा में हर रोज कोई न कोई बोलता रहता है। मैं एक बात यहां पर रखना चाहती हूँ। श्यामजी कृष्ण वर्मा के नाम से सभी परिचित हैं। वह गुजरात का रहने वाला था और विदेश में क्रांति गुरु के नाम से प्रसिद्ध था। वह इंग्लैंड में रहते हुए भारत आजाद हो, इस बात की चिंता करता था, चिंतन करता था और वहां रहकर हिंदुस्तान के क्रांति वीरों और सेनानियों की मदद भी करता था, लेकिन जब यह अंग्रेजों को मालूम हुआ और वे उनके पीछे लगे, तो वह इंग्लैंड छोड़कर जिनेवा चला गया। जिनेवा में रहकर भी वह वंदे मातरम् का साहित्य हमारे आंदोलनकारियों तक पहुंचाता था। वह मातृभूमि को बहुत प्यार करता था। वह गुजरात के मांडवी का रहने वाला था। उसकी इच्छा थी हिंदुस्तान आजाद हो और वह आजाद हिंदुस्तान को देखना चाहता था, मगर 30 मार्च, 1930 को उसका देहांत हो गया। देहांत होने से पहले उनकी जिनेवा सरकार के साथ विल थी कि मैं जानता हूँ कि मैं आजाद हिंदुस्तान नहीं देख पाऊंगा, लेकिन मेरी मृत्यु के बाद मेरी अस्थियां आजाद हिंदुस्तान, मेरे मादर-ए-वतन मांडवी, गुजरात में ले जाई जाएं। माननीय उपसभापति जी, यह अफसोस की बात है कि उनकी अस्थियों को जॉर्ज सीमेट्री के पास उनकी विल के मुताबिक रखा गया था। वह इंतजार करता रहा, हिंदुस्तान 1947 में आजाद हुआ। उनकी अस्थियां वहां पुकारती रहीं कि आजाद हिंदुस्तान का कोई लाल आए और मुझे मेरे मादर-ए-वतन ले जाए, लेकिन कोई नहीं गया। 55 वर्ष बीत गए थे, लेकिन आज मैं गौरव के साथ कहूंगी कि हमारे गुजरात के तत्कालीन मुख्य मंत्री और हाल के प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी 22.8.2003 में खुद जिनेवा गए और श्यामजी कृष्ण वर्मा और उनकी पत्नी भानुमति दोनों की अस्थियां गुजरात लेकर आए। आज गुजरात में क्रांतिवीर के रूप में एक स्मृति चिह्न है। मेरे कहने का तात्पर्य ...(समय की घंटी)...

**श्री उपसभापति:** धन्यवाद, आपका समय खत्म हो गया।

**श्रीमती रमिलाबेन बेचारभाई बारा:** सर, मैं conclude तो कर दूँ।

**श्री उपसभापति:** ठीक है, आप जल्दी से एक लाइन में बोल दीजिए।

**श्रीमती रमिलाबेन बेचारभाई बारा:** सर, जब बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम् गाया था, तब उनकी प्रेरणा थी कि भारत माता को हम अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराएँ। आज हमें वे प्रेरणा देते हैं कि हम भारत माता की संतान होकर भारत माता को कैसे बचाएँ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Manas Ranjan Mangaraj, three minutes.

SHRI MANAS RANJAN MANGARAJ (Odisha): Hon. Deputy Chairman, Sir, there are moments in a nation's life when we must speak not softly, but with clarity and courage. Today is one such moment. I rise to speak on *Vande Mataram*, with the conviction that this House must give our Motherland the honour long overdue. Our civilizational wisdom says — “*Mātā bhūmih putro 'ham pṛithivyāḥ*” — the Earth is my mother, and I am her son. *Vande Mataram* is the most powerful articulation of that sacred truth. When Bankim Chandra Chattopadhyay wrote these immortal words, he did not merely write a poem; he awakened a nation. As Mahatma Gandhi said, the freedom struggle and *Vande Mataram* were inseparable. It did not provoke hatred; it summoned sacrifice and courage. Odisha responded to that call long before the nation realized its power — from the Paika Bidroha of 1817 under Buxi Jagabandhu, to Veer Surendra Sai in Sambalpur, to the patriotic work of Gopabandhu Das and Madhusudan Das. The spirit of *Vande Mataram* lived here even before the words were penned. When Tagore first sang it at the 1896 Calcutta Congress, the entire assembly rose in tears. From Bengal to Odisha, from Cuttack to Puri, one line became the pulse of resistance: *Vande Mataram*. On 24<sup>th</sup> January, 1950, Dr. Rajendra Prasad declared that *Vande Mataram* should enjoy equal honour with the National Anthem. Yet, after 75 years, it still lacks constitutional recognition.

Sir, this song belongs to every citizen, every farmer, every soldier, every child of India. Just as Odias say “*Jai Jagannath*” to express civilizational identity, *Vande Mataram* is a unifying, inclusive anthem. A nation that forgets the songs that liberated it, risks forgetting the sacrifices that built it. Therefore, I submit with full conviction: *Vande Mataram* must receive constitutional recognition, be taught with respect in schools, and reclaim its rightful place as India's spiritual anthem. *Vande Mataram*, Sir.

**श्री उपसभापति:** श्रीमती महुआ माजी।

**श्रीमती महुआ माजी (झारखंड):** ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन सर, आज हम वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा कर रहे हैं। वही वंदे मातरम्, जो देशवासियों को राष्ट्र धर्म की दीक्षा देने का मंत्र

बन गया था। ऋषि बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनन्द मठ में शामिल यह छः स्टैंजा वाला गीत अपने दो प्रारंभिक शब्दों से ही अमर हो गया - वंदे मातरम्। ऋषि बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय ने दुर्गेशनंदिनी, कपालकुंडला, देवी चौधरानी और आनन्द मठ जैसे महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे। एक साहित्यकार होने के नाते मुझे उन पर फ़ख़ है और बंगाली होने के नाते गर्व भी। हर रचना का अपना भाग्य होता है और वंदे मातरम् के भाग्य में अमरत्व लिखा था। 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा, तो पूरा बंगाल प्रतिवाद में खड़ा हो गया। देशभक्तों के मुख से एक ही नारा गूँज रहा था - वंदे मातरम्। ये ही दो शब्द कर्जनशाही की नजर में राजद्रोह बन गए थे और लेफ्टिनेंट गवर्नर, फुलर ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। पर इसे जितना दबाया गया, उतना ही यह देश भर में फैलता गया। 1906 में बरिशाल के प्रांतीय अधिवेशन में निषेधाज्ञा की उपेक्षा कर यह गीत गाया गया।

'अमृत बाजार पत्रिका' के संपादक, मोतीलाल घोष ने अंग्रेजों को ललकारते हुए कहा - चाहे तो मेरा सिर फोड़ दो, मगर हम 'वंदे मातरम्' हम गाएंगे ही। लाठियां चलीं, युवक घायल हुए, परन्तु हजारों प्रतिनिधियों ने खड़े होकर इन दो शब्दों से अंग्रेजी जुल्म का प्रतिवाद किया। यह ध्यान देने योग्य बात है कि उस समय भी गीत के सभी छह stanzas नहीं गाए गए थे। रबीन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी 7 lines को ही सुर दिया था, गाया था। उनकी ही सलाह से बाद में महात्मा गांधी, सुभाष चन्द्र बोस, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, राजेन्द्र प्रसाद, गोविंद बल्लभ पंत, आचार्य कृपलानी, इन सभी ने मिलकर इन्हीं दो stanzas को स्वीकृति दी। सीडब्ल्यूसी में सर्वस्मति से इसे पारित किया गया। जैसे - राष्ट्रगान "जन-गण-मन" के 5 stanzas में से केवल एक stanza को ही 'राष्ट्रगान' का गौरव मिला। अफसोस की बात है कि आज सत्ता पक्ष ऐसे ऐतिहासिक निर्णयों के लिए केवल पूर्व के दिग्गज नेताओं पर दोषारोपण करता है, जबकि उस समय हमारा देश, विभाजन के दंश, दंगों और सांप्रदायिक तनाव से जूझ रहा था। नेताओं के सामने चुनौती थी - सौहार्द्र बनाए रखना, शांति स्थापित करना और नवगठित राष्ट्र को स्थिरता देना। आज यहां बैठकर उनके बुद्धिमतापूर्ण निर्णयों की आलोचना करना न केवल अनुचित है, बल्कि उन नेताओं का अपमान करना है, देश के सौहार्द्र को चोट पहुंचाने जैसा है। पंडित नेहरू पर आज जिस तरह तुष्टिकरण के आरोप लगाए जाते हैं, वे इतिहास की कसौटी पर टिकते ही नहीं। आज इंडिया गठबंधन पर भी तुष्टिकरण का आरोप लगाया जाता है। यदि तुष्टिकरण की ही बात होती, तो पाकिस्तान से कटकर बांग्लादेश जैसे एक नए राष्ट्र का निर्माण नहीं होता, जहां इंदिरा गांधी ने 1971 में पाकिस्तानी सेना के विरुद्ध भारतीय सेना भेजी थी, जबकि उस वक्त अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था। आज इसके उलट, बांग्लादेश का पाकिस्तान के करीब आ जाना, सामरिक रूप से चिंताजनक है, परन्तु इस विषय पर बात ही नहीं होती। हमारे सदन का बहुमूल्य समय बेरोजगारी, शिक्षा, विज्ञान, टेक्नोलॉजी ...(समय की घंटी)... सर, दो मिनट।

**श्री उपसभापति:** मिनट नहीं। बस आप खत्म कीजिए, conclude कीजिए।

**श्रीमती महुआ माजी:** सर, दो-चार सेकंड। महिला सशक्तिकरण और विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता बढ़ाने में लगना चाहिए। तक्षशिला और नालंदा के गौरव को पुनर्जीवित करने की जरूरत है, ताकि हमारे युवाओं को उच्च शिक्षा और शोध के लिए विदेश नहीं जाना पड़े। लेकिन हम क्या कर रहे हैं - 150 वर्ष पुराने एक महान गीत के stanzas की गिनती पर बहस कर रहे हैं। ...**(समय की घंटी)**... सत्य तो यह है कि 'वंदे मातरम्' सिर्फ एक गीत नहीं, स्वतंत्रता संग्राम का मूल मंत्र था।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. श्री रामचंद्र जांगड़ा जी। सिर्फ पांच मिनट।

**श्री रामचंद्र जांगड़ा (हरियाणा):** मान्यवर, विद्वानों का मानना है कि 1873 में एक घटना घटी, जिसमें बंकिम चंद्र चटर्जी को एक अंग्रेज अधिकारी, बहरामपुर छावनी के कमांडिंग ऑफिसर, लेफ्टिनेंट कर्नल डफिन द्वारा अपमानित किया गया। इस घटना ने उनके मन पर बड़ा गहरा प्रभाव डाला। उनको एक मैदान पार करने से रोक दिया गया था और रास्ता बदलने के लिए मजबूर किया गया था। औपनिवेशिक अन्याय और संकट के खिलाफ उनकी मनोभूमि खड़ी हुई।

मान्यवर, यह ऐतिहासिक सत्य है कि जब 'वंदे मातरम्' की रचना हुई, उस समय यहां अंग्रेजों की हुकूमत थी। तब वह काल था, जब अंग्रेजी हुकूमत ने एक तुगलकी फरमान जारी किया था, जिसमें भारत में 'God Save The Queen' नामक गीत गाए जाने के लिए कहा गया था। ब्रिटिश हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ हमारे महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने 'God Save The Queen' गीत के खिलाफ 7 नवंबर, 1875 को अक्षय नवमी के दिन इस महान गीत की रचना की थी।

मान्यवर, इस गीत की कुछ लाइनों के ऊपर आपत्ति की बात जो कही जाती है, इसमें सबसे पहली बात यह है कि उस समय आज का ओडिशा, आज का बिहार, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का हिस्सा, हमारा पूर्वी बंगाल, वह पूरा एक ही एरिया था और उसकी 7 करोड़ की आबादी थी। उस 7 करोड़ की आबादी को संबोधित करते हुए उन्होंने इसी गीत के अंदर कहा था कि — "कोटि-कोटि कण्ठ कल-कल निनाद कराले" यानी यह 7 करोड़ लोगों की एक सामूहिक आवाज है। इसमें कोई हिंदू और मुसलमान का कोई जिक्र नहीं है। उसके साथ-साथ उन्होंने कहा कि — "कोटि-कोटि भुजैर्धृत खरकरवाले" यानी 7 करोड़ लोगों के जो 14 करोड़ हाथ हैं, यह उन सबकी एक ताकत है। उसमें हिंदू और मुसलमान का कोई जिक्र नहीं था। तो इस गीत में उन्होंने जो एक-एक शब्द कहा है, अपनी मातृभूमि की शक्ति के बारे में कहा है कि हे मातृभूमि, जब 14 करोड़ हाथ तेरी सेवा के लिए हैं, तो "के बोले माँ तुमि अबले", यानी इतना बल होते हुए भी, हे मातृभूमि, तू अबला कैसे कही जा सकती है! इसलिए "बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं, रिपुदलवारिणीं" हे मां, तू शत्रु का संहार करने वाली है।

"तुमि विद्या तुमि धर्म, तुमि हृदि तुमि मर्म,  
त्वम् हि प्राणाः शरीरे, बाहुते तुमि माँ शक्ति,  
हृदये तुमि माँ भक्ति, तोमारेई प्रतिमा गड़ि मन्दिरे-मन्दिरे।"

3.00 P.M.

अब इसमें कौन-सी सांप्रदायिकता है - यह तो हमारी समझ में नहीं आई। यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि इसमें ऐसा क्या था, जिसके कारण यह कहा गया कि इससे कुछ लोग नाराज हो जाएँगे। इसमें अगली बात कही गयी है:

'त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी  
कमला कमलदल विहारिणी  
वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वाम्  
नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम्  
सुजलाम सुफलाम मातरम्॥'

इसमें सांप्रदायिकता कहाँ से आ जाती है या किसी वर्ग विशेष के खिलाफ कोई बात कहाँ आ जाती है।

मान्यवर, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ इतना ही है कि हे भारत माता विद्यादायिनी, तू सरस्वती भी है, समृद्धिदायिनी लक्ष्मी भी है, अस्त्रों-शस्त्रों को धारण करने वाली दुर्गा भी है। हमें ऐसे ही राष्ट्र का निर्माण करना है, जिसमें विज्ञान, टेक्नोलॉजी और सब ज्ञान और विज्ञान हो, सब कुछ हो, शीर्ष के ऊपर भारत हो, तो इसमें सांप्रदायिकता जैसी कोई बात है ही नहीं। इसलिए अगर इस गीत के कुछ अंशों को लेकर किसी बैठक के अंदर किसी ने यह कहा कि इससे फलां वर्ग नाराज हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि यह तुष्टीकरण का ही विषय हो सकता है। इसके पीछे कोई और अर्थ हो नहीं सकता है, क्योंकि आजादी से पहले जिस समय यह गीत गाया गया था... यह एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में है कि 20 मई, 1906 को बरिशाल में, जो अब बांग्लादेश में है, एक विशाल 'वंदे मातरम्' जुलूस निकाला गया था, जिसमें 10,000 से अधिक हिंदू और मुस्लिम 'वंदे मातरम्' के झंडे लेकर सड़कों के ऊपर मार्च कर रहे थे, इसलिए इसमें सांप्रदायिकता की कोई बात ही नहीं है।

मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहूँगा। \*

**श्री उपसभापति:** आप विषय पर ही बोलें। वही रिकॉर्ड पर जाएगा।

**श्री रामचंद्र जांगड़ा:** मान्यवर, मैं विषय पर ही बोल रहा हूँ। \* ...(व्यवधान)...

\* Not recorded.

**श्री उपसभापति:** आपके जो इस विषय से संबंधित तथ्य होंगे, वही रिकॉर्ड पर जाएँगे। आप भी वैधानिक स्थिति जानते हैं।

**श्री रामचंद्र जांगड़ा:** मान्यवर, \* ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please speak on the subject. ...**(Interruptions)**...

**श्री रामचंद्र जांगड़ा:** मान्यवर, मैं यह कहता हूँ कि जिस भारत मां की कल्पना की गई है, उसके हाथों में भिक्षा पात्र नहीं है, ...**(समय की घंटी)**... 14 करोड़ हाथों की कल्पना की गई है, जिसमें देश की रक्षा के लिए खड़ग है, इसलिए 'वंदे मातरम्' गीत भारत का प्रेरणास्रोत है।

**श्री उपसभापति:** सुश्री स्वाति मालिवाल। तीन मिनट।

**सुश्री स्वाति मालिवाल** (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): सर, 'वंदे मातरम्' केवल एक गीत नहीं है, यह वह भावना है, जिसने कभी साधारण भारतीयों को दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य से लड़ने की शक्ति दी थी। 'वंदे मातरम्' हमारे स्वतंत्रता संग्राम की पहली धड़कन है। 1880 के दशक में जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा, '*सुजलां सुफलां मलयजशीतलाम्*', तो शायद उन्हें भी यह नहीं पता था कि यह पंक्तियाँ कोलकाता की गलियों से लेकर पंजाब के खेतों और महाराष्ट्र के बागों तक गूँजती हुई एक दिन इस देश की चेतना बन जाएगी। 1896 में जब गुरुदेव रबीन्द्रनाथ टैगोर जी ने कांग्रेस सत्र में पहली बार 'वंदे मातरम्' गाया, तो पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया, मानो पूरी सभ्यता पहली बार खुद को पहचान रही हो।...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let her speak.

**सुश्री स्वाति मालिवाल:** उस दिन के बाद से 'वंदे मातरम्' भारतीय राष्ट्रियता की ध्वनि बन गया। It became the sound-track of our freedom movement. 1905 के 'स्वदेशी आंदोलन' में लाखों भारतीय हिंदू, मुसलमान, स्त्री, पुरुष - सभी सड़कों पर 'वंदे मातरम्' का नारा लगाते हुए मार्च करते थे। ब्रिटिश रिकॉर्ड मानते हैं कि 'वंदे मातरम्' का नारा उन्हें किसी भी हथियार से ज्यादा डराता था। राज्य के सबसे काले जेलों में भी जहाँ कैदियों पर अमानवीय अत्याचार होते थे, क्रांतिकारी बार-बार 'वंदे मातरम्' बोलते थे। उनकी आखिरी सांसों तक 'वंदे मातरम्' ही आत्मबल था, प्रतिरोध था और आशा भी और इसीलिए 1950 में 'संविधान सभा' ने 'वंदे मातरम्' को

---

\* Not recorded.

राष्ट्रगीत का दर्जा दिया। भारत अपने शहीदों के अंतिम शब्द कभी नहीं भूल सकता। आज भी भारत के बच्चों की पहली देशभक्ति की धुन 'वंदे मातरम्' है। इस स्वाभिमान का सबसे हालिया उदाहरण हमें अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिला। जहाँ नागरिकों ने बाहरी देशों के दावों के बीच पूर्ण शांति और साहस के साथ 'वंदे मातरम्' गाकर यह संदेश दिया कि भारत की भूमि, भारत की एकता अटूट है।

भारत की सीमाएँ न कोई तोड़ सकता है, न ही तोड़ने का सपना देख सकता है। सर, वंदे मातरम् इस देश की आत्मा है। इसके बोल हमेशा हमें देश के लिए कुर्बानी देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह भी सच है कि सुजलाम्, सुफलाम्, मलयजशीतलाम् का जो आदर्श वंदे मातरम् हमें दिखाता है, आज वही जल, वही धरती और वही हवा धीरे-धीरे प्रदूषण के संकट से गुजर रही है। सर, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया। आज उनका त्याग हमें याद दिलाता है कि देशभक्ति केवल इतिहास में नहीं, हमारी दैनिक जिम्मेदारियों में बसती है। वंदे मातरम् हमें पूछ रहा है कि क्या हम उसी समर्पण से अपनी मातृभूमि की रक्षा करेंगे, जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने किया था?

**श्री उपसभापति:** माननीय श्री निरंजन बिशी जी, मैं आपको बुलाऊँ, इसके पहले मैं सभी के सूचनार्थ बताना चाहता हूँ कि माननीय चेयरमैन ने जिन नामों को बोलने की अनुमति दी है, मैं उन्हीं को बुला रहा हूँ। माननीय निरंजन बिशी जी।

**श्री निरंजन बिशी (ओडिशा):** उपसभापति महोदय, पवित्र राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ पर हो रही इस चर्चा में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। महोदय, इस ऐतिहासिक कालखंड में जब राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, उसी समय महान जनजातीय क्रांतिकारी वीर भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को हम जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं। यह संयोग भारत की स्वतंत्रता चेतना, सांस्कृतिक अस्मिता और आदिवासी स्वाभिमान का अद्भुत प्रतीक है।\*

**श्री उपसभापति:** निरंजन बिशी जी, विषय कुछ और है।

**श्री निरंजन बिशी :**\*

**श्री उपसभापति:** चर्चा का विषय वंदे मातरम् है।

**श्री निरंजन बिशी :**\*

---

\* Not recorded.

**श्री उपसभापति:** आप उस विषय पर अलग से किसी पार्लियामेंटरी डिवाइस के तहत माननीय चेयरमैन की अनुमति के लिए दे सकते हैं। आप उस विषय पर अलग से बोलिएगा, पर रूल्स के तहत अभी आप वंदे मातरम् पर बोलें।

**श्री निरंजन बिशी:** सर, ये सब भी वंदे मातरम् का नारा देते हुए शहीद हुए। इन आदिवासी नेताओं के साथ लाखों लोग शहीद हुए। वंदे मातरम् की भावना और मातृभूमि की रक्षा के लिए हमारे आदिवासी वीरों ने अपना बलिदान दिया।\*

**श्री उपसभापति:** निरंजन बिशी जी, आप इस विषय पर बोलिए, नहीं तो मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा।

**श्री निरंजन बिशी:** सर, वंदे मातरम् बोलते-बोलते ही हमारे सारे आदिवासी अपने अधिकारों के लिए आगे आए हैं और उन्होंने इसकी भावना को साकार भी किया है। वे वंदे मातरम् के प्रभाव से प्रभावित हुए। बंकिम चंद्र चटोपाध्याय का वंदे मातरम् का जो सपना है, ...(समय की घंटी)...सर, आधा मिनट दीजिए।

**श्री उपसभापति:** नहीं, आपका समय समाप्त हो गया है, अब आप concluding line बोलिए।

**श्री निरंजन बिशी:** धन्यवाद, सर।

**श्री उपसभापति:** डा. भागवत कराड़, आपके पाँच मिनट्स हैं।

**डा. भागवत कराड़ (महाराष्ट्र):** माननीय उपसभापति जी, आपने मुझे वंदे मातरम्, इस राष्ट्रीय गीत पर सभा गृह में बोलने का वक्त दिया, इसके लिए मैं आपका और अपनी पार्टी का आभार व्यक्त करता हूँ।

माननीय प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में 1 अक्टूबर, 2025 को वंदे मातरम् के स्मरण में एक साल तक देश भर में अलग-अलग कार्यक्रम मनाने का निर्णय लिया गया। मैं सभा गृह को यही बताना चाहता हूँ कि इसका कोई भी पॉलिटिकल उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य केवल और केवल उन स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों का स्मरण करना है, जिन्होंने कष्ट उठाए, बलिदान दिया। साथ ही, युवाओं, छात्रों और सभी 140 करोड़ देशवासियों को इस गीत के माध्यम से क्रांतिकारी भावना से प्रेरित करना है तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए इस गीत की विरासत को संरक्षित करना

---

\* Not recorded.

है। लेकिन बार-बार बताने के बावजूद हमारे विरोधी पक्ष - कांग्रेस या अन्य दल - इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं। सर, मराठी में एक कहावत है - &“You can only wake a person who is asleep, not the one who is pretending to sleep.” खड़गे साहब मराठी जानते हैं, उन्हें इसका अर्थ पता है। मैं अंग्रेजी में इसका अनुवाद कहना चाहता हूँ: “You can only wake a person who is asleep, not the one who is pretending to sleep.” मैं विरोधी पक्ष से पूछना चाहता हूँ कि माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम हुए, उनमें कौन-सी पॉलिटिक्स थी? ये सभी कार्यक्रम देश को समर्पित थे - चाहे अहिल्याबाई होल्कर जी की 300वीं जयंती हो, भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती हो, सरदार वल्लभभाई पटेल जी के स्मरण में ‘राष्ट्रीय एकता दिवस’, वीर बाल दिवस, संविधान दिवस, आज़ादी का अमृत महोत्सव और अब वंदे मातरम्। ये सभी कार्यक्रम देशभक्ति को समर्पित हैं और यह गीत भी देशभक्ति के लिए गाया जा रहा है।

महोदय, 7 नवम्बर को बंकिम चंद्र चटोपाध्याय जी ने यह गीत लिखा था और 1882 में यह आनंदमठ उपन्यास में प्रकाशित हुआ। 1896 में गुरुदेव रबीन्द्रनाथ टैगोर जी की सलाह पर अधिवेशन में पूरा वंदे मातरम् गीत गाया गया। इसी गीत को गाते हुए स्वतंत्रता आंदोलनों की शुरुआत हुई। इसके बाद 1923 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में, कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने वंदे मातरम् गाने का विरोध किया और यहीं से इसका विरोध शुरू हुआ। उसी समय से कांग्रेस नेतृत्व द्वारा तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो गई। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ कि जब गुरुदेव रबीन्द्रनाथ टैगोर जी ने पूरा गीत गाया था और बंकिम चंद्र चटोपाध्याय जी ने पूरा गीत लिखा था, तो बाद में इन्हें दो छंदों में लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी?

महोदय, मैं एक छोटे से शहर मराठवाड़ा से आता हूँ, जहां निज़ाम का शासन था। 1938 में वहां के गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में छात्रों ने वंदे मातरम् गाया, जिसके कारण 60 छात्रों को rusticate किया गया और कॉलेज से निकाल दिया गया। उसी समय एक प्राध्यापक गोविंदभाई श्रॉफ ने उनका साथ दिया, इस्तीफ़ा दिया और आंदोलन में शामिल हुए। मैं बताना चाहता हूँ कि 1988 में जब महानगर पालिका के चुनाव हुए, तब वहां के कांग्रेस के महापौर ने भी वंदे मातरम् गाने का विरोध किया। ऐसा लगता है कि कांग्रेस की संस्कृति में वंदे मातरम् का विरोध करना बहुत पहले से ही शामिल है। पूरे देश की तरह महाराष्ट्र में भी यह आवाज़ गूंज रही थी। 1960 के दशक में धुले जिले में एक विशाल सभा में वंदे मातरम् का नारा लगाया गया। स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक और वीर सावरकर जी ने वंदे मातरम् मंत्र को अपनाया और स्वतंत्रता आंदोलनों का नेतृत्व किया। उसी वक्त अंग्रेज भी लोकमान्य तिलक को भारत में अशांति फैलाने वाला व्यक्ति कहने लगे थे। महोदय, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, वीर सावरकर आदि क्रांतिकारियों पर वंदे मातरम् का गहरा प्रभाव था। वे यह नारा लगाते हुए फाँसी पर चढ़ गए। सुभाषचंद्र बोस हों या झांसी

& English translation of the original speech delivered in Marathi.

की रानी, जिन्होंने नारा लगाया कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी — ऐसे हजारों महान स्वतंत्रता सेनानियों ने इस गीत की भावना से प्रेरणा ली।...(समय की घंटी)...

अंत में, मैं मराठी की एक कविता की पंक्ति कहना चाहता हूँ और अपने भाषण का समापन करना चाहता हूँ:

& "O Bharat Mata,  
 You are our strength,  
 You are our breath,  
 You are our pride,  
 You are our hope.  
 At your sacred feet, we bow.  
 O Bharat Mata, today I vow.  
 To serve you in this life  
 and in every life to come."

**डा. सैयद नासिर हुसैन** (कर्नाटक): उपसभापति महोदय, कल से काफी लोग इस पर बात कर चुके हैं। हमारे एलओपी और हमारे नेता जयराम रमेश जी ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से काफी बातें रखी हैं। मैं कल से इस हाउस में और उस हाउस में भी सुन रहा हूँ कि लगातार कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को घेरने की कोशिश की गई है, जिसमें ये नाकाम रहे हैं, क्योंकि पिछले दो-तीन दिन में इनका पर्दाफाश होता आ रहा है। यह ऐतिहासिक सच है कि कांग्रेस पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं ने अपने प्रोग्रामों के तहत, सेशन के तहत, अपनी मीटिंग्स के तहत पूरे देश के कोने-कोने में वन्दे मातरम् को फैलाने का काम किया है, कोने-कोने में वन्दे मातरम् को ले जाने का काम किया है। यह ऐतिहासिक सच है, इससे कोई भाग नहीं सकता।

सर, बार-बार यह आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने 1937 में ऐसा किया था, वैसा किया था और जिसके बारे में जयराम रमेश जी ने एक-एक चीज़ यहां खोलकर रखी है। मैं यहां सिर्फ इतना ही कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि 1937 में सुभाष चंद्र बोस जी की सलाह के ऊपर, रबीन्द्रनाथ टैगोर जी का ओपिनियन लेकर, महात्मा गांधी जी के ड्राफ्टेड लैटर के ऊपर एक सॉल्यूशन के ऊपर हम लोगों ने अराइव किया था। उस सॉल्यूशन को पूरे देश ने तस्लीम किया, पूरे देश ने माना। 1937 के आस-पास हिंदुस्तान में वन्दे मातरम् को लेकर दो broad political formulations थे। एक मुस्लिम लीग का था और दूसरा हिंदू महासभा का था। जब वह confusion था, जब controversy हो रही थी, जब बंटवारा हो रहा था, जब हमारे राष्ट्र गीत वन्दे मातरम् को लेकर आपस में बहुत सारी controversies create हुई थीं, तब कांग्रेस पार्टी को और

---

& English translation of the original speech delivered in Marathi.

कांग्रेस पार्टी के नेताओं को यह तय करना था और रबीन्द्रनाथ टैगोर जी की सलाह पर तय किया कि हम लोग inclusive नारा लेंगे और वहां पर two stanza का डिस्सीजन हुआ था। आज ये बार-बार तुष्टीकरण, तुष्टीकरण के बारे में कह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि बार-बार ये आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कांग्रेस के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं, बल्कि ये रबीन्द्रनाथ टैगोर जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ये सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ये महात्मा गांधी जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जिस Constituent Assembly के अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद जी थे, जिन्होंने इसको पारित किया था, उनके खिलाफ ये आरोप लगा रहे हैं। ये डा. बीआर अम्बेडकर के खिलाफ आरोप लगाने का काम रहे हैं। ये उन पर भी तुष्टीकरण का आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो प्रॉब्लम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये well-settled question है, ये जो भी controversy या dispute था, 1937 की कांग्रेस की CWC मीटिंग के बाद और उसके बाद Constituent Assembly में जब दो दिन अडोप्ट करने के पहले राजेन्द्र प्रसाद ने कहा था, उसके बाद यह settle हो गया है। हिंदुस्तान का राष्ट्र गीत वन्दे मातरम् है। हर कोई उसको तस्लीम करता है, हर कोई उसका एहताराम करता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है, लेकिन बार-बार ये इसको डिप्लॉय करने की जो कोशिश की जा रही है। किसी को वन्दे मातरम् से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वन्दे मातरम् को जिस तरह से डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके डिप्लॉयमेंट में प्रॉब्लम है। आखिरकार कौन-सी ऐसी बात है। 1947 से लेकर आज तक किसी भी कांग्रेस रूल स्टेट में कभी भी वन्दे मातरम् को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। जहां-जहां अपोजिशन रूल करती थी, किसी भी स्टेट में वन्दे मातरम् को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। एनडीए के अलायंस बहुत सारी स्टेट्स में रूल करते हैं, लेकिन आज तक उन स्टेट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर वन्दे मातरम् के डिप्लॉयमेंट को लेकर कहीं प्रॉब्लम होती है, तो भाजपा शासित स्टेट में ही प्रॉब्लम होती है। जब आप बार-बार अग्रेसिव नारे लगाते हैं, हिंदुस्तान में रहना है, तो वन्दे मातरम् कहना है। अरे कौन लगाता है नारा। यह नारा कौन लगाता है। चलती ट्रेन में किसी की दाढ़ी खींचकर आप बोलते हैं कि वन्दे मातरम् कहना है और हिंदुस्तान में रहना है। anti-social elements, fringe elements - ये लोग डिसाइड करेंगे कि हमारा राष्ट्र गीत क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। उनकी बदौलत क्या हम हमारे राष्ट्र गीत को छोड़ देंगे। यह राष्ट्रीय पार्टियां हिंदुस्तान के अंदर क्या कर रही हैं। हमें किसी को वन्दे मातरम् से एतराज नहीं है, लेकिन जिस तरह भाजपा उसको डिप्लॉय करने की कोशिश कर रही है, उससे जरूर प्रॉब्लम है।

सर, आज़ादी के आंदोलन के टाइम पर लोग अपनी जुबान पर वन्दे मातरम् लेकर फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे, वन्दे मातरम् कहते-कहते जेलों में चले गए। उसमें हिंदू महासभा का एक भी बंदा नहीं था। इनके पूर्वजों का एक भी बंदा नहीं था। इतिहास में आज़ादी के आंदोलन में ये लोग नहीं थे और अब इतिहास में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये इतिहास में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जहां ये इतिहास में नहीं थे। आज मैं लगातार भाषण पर भाषण, भाषण पर भाषण सुन रहा

हूँ, ये राष्ट्र गीत को राष्ट्रवाद से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और राष्ट्रवाद के जरिए यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ पार्टियां राष्ट्रवाद के तहत नहीं चलती हैं। कल यहाँ खड़े होकर इनके महान नेता कह रहे थे कि उस तरीके का राष्ट्रवाद होना चाहिए। महोदय, राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? देशवासियों के लिए राष्ट्रवाद है, देशवासियों की वजह से राष्ट्रवाद है, हरेक नागरिक के लिए राष्ट्रवाद है, जो हिंदुस्तान में पैदा होता है, उसके लिए राष्ट्रवाद है। ..(समय की घंटी)... क्या अब ये हमें राष्ट्रवाद सिखाएंगे? राष्ट्रवाद ये हमें सिखाएंगे, जो जिन्ना के ..(व्यवधान)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Naseer Hussainji, please conclude. ...(*Interruptions*)...  
Shrimati Sulata Deo.

**डा. सैयद नासिर हुसैन:** सर, एक मिनट दे दीजिए। ये हमें राष्ट्रवाद सिखाएंगे, जो जिन्ना की मज़ार पर जाकर माथा टेकते हैं? वे राष्ट्रवाद सिखाएंगे, जो जिन्ना को ..(व्यवधान)..

**श्री उपसभापति:** श्रीमती सुलता देव, आप बोलिए, आपकी बात ही रिकॉर्ड पर जाएगी।

**श्रीमती सुलता देव (ओडिशा):** उपसभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ..(व्यवधान).. सर, मैं ऐसी स्थिति में कैसे बोलूँ?

**श्री उपसभापति:** आप बोलिए, नहीं तो मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊँगा। ..(व्यवधान).. केवल आपकी बात ही रिकॉर्ड पर जाएगी। अगर आप नहीं बोलेंगी, तो मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊँगा। ..(व्यवधान).. आप खड़े होकर बोलिए।

**श्रीमती सुलता देव:** सर, मेरा टाइम अब शुरू कीजिए।

**श्री उपसभापति:** आपका टाइम तीन मिनट है, आप बोलिए।

**श्रीमती सुलता देव:** उपसभापति महोदय:

‘सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम,  
शस्य श्यामलाम मातरम्।  
वंदे मातरम्!  
शुभ्र ज्योत्स्नाम पुलकित यामिनीम्,  
फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम्,  
सुहासिनीम् सुमधुर भाषिणीम्,  
सुखदाम वरदाम मातरम्।  
वंदे मातरम्!’

उपसभापति महोदय, आज वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगाँठ पर चर्चा हो रही है। इस गीत में ही सब कुछ है। मैं एक और गीत गाऊँगी:

"जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी",

महोदय, हमारे ओडिशा में जन्मभूमि माँ को ही सब कुछ माना जाता है। मैं यहाँ से रवीन्द्रनाथ टैगोर जी, बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय जी, ओडिशा से सुभाष चंद्र बोस जी, जगबंधु बख्शी जी, बाजी राउत और सभी स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्होंने बलिदान दिया, उनको नमन करना चाहूँगी। महोदय, आज इसकी आलोचना हो रही है। मैं इस बात से खुश हूँ, इसकी आलोचना होनी चाहिए, यह एनसीईआरटी की बुक में भी आना चाहिए। बच्चे इसको पढ़ें, मगर हमारा जो पाइका रेवोल्यूशन है, उसको भी एनसीईआरटी की बुक से निकाल दिया जाएगा। हमारा वह भी था। ..(व्यवधान).. अभी देखिए, मैं क्या बोलना चाहती हूँ, मैं यह क्यों बोली थी कि इस गाने में ही सब कुछ है? सर, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम में आज न तो कुछ सुजलाम सुफलाम है और न ही मलयज है, \*

**श्री उपसभापति:** आप सब्जेक्ट पर बोलिए। वही बात रिकॉर्ड पर जाएगी।

**श्रीमती सुलता देव:** उपसभापति महोदय, यह कितना हैरान कर देने वाली बात है...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Speak on the subject. नहीं तो मैं अगले स्पीकर को बुलाऊँगा।

**श्रीमती सुलता देव:** उपसभापति महोदय, सभी भारत माता के बच्चे हैं। ..(व्यवधान)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Speak on the subject; otherwise, this will not go on record. ...(*Interruptions*)...

**श्रीमती सुलता देव:** ठीक है सर, मैं एक और बड़ी बात बोलती हूँ। यहाँ पर इतनी बड़ी चर्चा हो रही है, तो मैं यह कहना चाहती हूँ\*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It will not go on record. ...(*Interruptions*)... Speak on 'Vande Mataram'. ...(*Interruptions*)...

---

\* Not recorded.

**श्रीमती सुलता देव:** ठीक है सर, वह आपके ऊपर निर्भर करता है, मगर मैं यही बोलूंगी कि आज वंदे मातरम् कण-कण में है। इसकी आलोचना कीजिए या मत कीजिए, लेकिन यह मेरे खून में है, मेरे रग में है, जन-जन में है, हमारी आन-बान-शान है वंदे मातरम्। जब झंडा उड़ता है, तो हम लोग वंदे मातरम् गाते हैं। ..(समय की घंटी)..में अंत में यही बोलूंगी – वंदे मातरम्- वंदे मातरम्- वंदे मातरम्।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The next speaker is Shri Kartikeya Sharma.

SHRI KARTIKEYA SHARMA (Haryana): Thank you, hon. Chairman, Sir, for this opportunity. I rise not merely to speak about a song, but about a civilisational milestone that gave India its first language of nationalism, about a creator whose contribution has been systematically neglected, about a song that was truncated under political pressure and about our collective responsibility today to reclaim, restore, reaffirm what is rightfully ours. When Bankim Chandra Chattopadhyay composed 'Vande Mataram' in 1875, it was not merely emerged as a song that addressed 'Bharat' not as a territory, not as an administrative unit, but as a 'Mother'. The single idea transformed the very meaning of 'nationalism'. This is precisely why the British feared of 'Vande Mataram'. They did not suppress ordinary songs. They suppressed ideas that awakened political consciousness. Singing it invited fines, arrests, expulsions and reprisals. Yet, the song travelled from classrooms to jails, from Bengal to rest of India and from whisper to war cry.

During the Swadeshi Movement of 1905, *Vande Mataram* gave moral force to economic self-respect and indigenous production. Revolutions are not sustained by arms alone; they are sustained by ideas, and *Vande Mataram* was among the strongest ideas of our freedom struggle. In 1937, under the Congress leadership, following the objections raised by the Muslim League, the song was officially restricted to the first two stanzas. Pandit Nehru himself acknowledged that the remaining verses might irritate certain sections. The opposition came from the Muslim League, which opposed the song even after dilution. The distinction is clear. Those who favoured partition were the only ones who opposed *Vande Mataram*. Nationalist Muslims never did. At 50 years in 1925, *Vande Mataram* was the cry for a people against an empire. At 100 years in 1975, it lived in a democracy where liberty had been

put on hold. The contrast speaks volumes about the moral inconsistency of those who claim solo ownership of India's freedom.

The tragedy of the song is parallel to the neglect of its creator. Bankim Chandra Chattopadhyay, the father of modern Bengali literature and architect of cultural nationalism, is nearly erased from our academic discourse. In universities, secular historians dismissed him as Hindu communalist, while his profound philosophical and literary contributions remain unexplored. For nearly seven decades after independence, his house in Uttar Barasat, the sacred site where *Vande Mataram* was composed in 1875, was ignored. It is only under the leadership of hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi, that dignity and recognition have been restored to the historic site. I urge the same resolve to be extended to restoring Bankim Babu's rightful place in our academic and intellectual tradition because a civilisation that forgets its creators is a civilisation that has forgotten itself. *Vande Mataram* is not history; it is a philosophy still in motion. Its philosophy of self-reliance, moral courage, knowledge and national confidence is more relevant today than ever before.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI KARTIKEYA SHARMA: Sir, I would just like to complete.

सर, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि भारत के सामने हम सबके लिए पार्टी बाद में है, राष्ट्र पहले है, राजनीति बाद में है, राष्ट्र पहले है, धर्म और मजहब बाद में है, राष्ट्र पहले है।  
...(समय की घंटी)...

**श्री उपसभापति:** श्री नरेश बंसल जी, आपके पास पाँच मिनट हैं।

**श्री नरेश बंसल (उत्तराखंड):** उपसभापति महोदय, वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ पर मैं बंकिम बाबू और स्वतंत्रता के उन सभी नौजवानों को, जिन्होंने फाँसी के फंदे को वंदे मातरम् का गान करते हुए हँसते-हँसते चूमा, अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं वंदे मातरम् के संबंध में अपने भाव व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूँ:

“वंदे मातरम् महा शती के शुभ अवसर पर,  
150वीं पूर्ति विषय पर, जन्मदिवस के पुण्य क्षणों में,  
स्वागत है, वंदन है, जागरण गीत तुम्हारा अभिनंदन है।

वंदे मातरम् - यह बंकिम बाबू की एक रचना मात्र नहीं,  
 आनंद मठ का प्रेरक अध्याय है।  
 यह प्रश्न है अतीत के गौरव का,  
 राष्ट्र के विराट वैभव का,  
 स्वाधीनता के संघर्ष का,  
 भारत के उत्कर्ष का।  
 यह केवल एक गीत नहीं,  
 वंदन है पावन माटी का,  
 चंदन है पावन माटी का,  
 संदर्भ है अपनी परिपाटी का।  
 यह जननी का अमर गान है,  
 स्वत्व की पहचान है।  
 यह मंत्र है उस चेतना का,  
 जो क्रांति-वीरों के अंतरमन में हुंकार बनकर गूँजता था,  
 प्रत्येक देशवासी अर्चक बन इसे पूजता था।  
 सुनो मेरे इतिहास के स्वर्णिम अतीत,  
 तुम साक्षी हो उस त्याग और तप के,  
 उस सतत संघर्ष के,  
 जो कहता है गुलामी नहीं, वह संघर्ष का काल था।  
 शहीदी आन, बान, शान असंख्य अमर बलिदान,  
 जो निरंतर अविराम है,  
 अदृश्य शिलापट पर जिनके नाम हैं,  
 किंतु आज माँ का कौन वह लाल है,  
 जो मातृ-वंदना के विरोध में खड़ा है?  
 जिसकी आँखों पर स्वार्थ का आवरण जड़ा है?  
 कौन है जो निज विरासत को पहचानता नहीं,  
 परंपरा - संस्कृति को जानता नहीं?  
 हम भारतवासी ही नहीं,  
 हम भारत-माँ के पुत्र हैं।  
 यदि हम सुपात्र हैं,  
 तो फिर देश के लिए जिएँगे  
 यही संकल्प-मंत्र है।  
 इसलिए मुक्त कंठ से कहें - वंदे मातरम्!

यह भारत माँ की आराधना है,  
 पीढ़ियों की साधना है।  
 वंदे मातरम् राष्ट्रीय चेतना का मंत्र है।  
 इसकी प्रेरणा से भारत स्वतंत्र है।  
 बस यह मंत्र है, मंत्र है, मंत्र है।  
 आज 150वीं वर्षगांठ पर इस भारतीय संसद में  
 वंदे मातरम् गीत पर चर्चा चिंतन का  
 यह शुभ अवसर है।”

इन शब्दों के साथ, मैं श्रद्धांजलि देते हुए यह कहना चाहता हूँ कि वंदे मातरम् 1875 में लिखा गया, 1896 में बाबू रबीन्द्रनाथ टैगोर ने इसको संगीतबद्ध किया और गया, 1882 में आनंद मठ में इसने स्थान पाया। स्वाधीनता आंदोलन में इसकी भूमिका रही। 1905 के बंग भंग आंदोलन के दौरान यह गीत राष्ट्रीय जागरण का प्रमुख प्रतीक बना। उस समय जुलूसों, सभाओं और आंदोलनों में वंदे मातरम् का उद्घोष ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का स्वर बना।

माननीय उपसभापति जी, मुझे इसकी स्वर्ण जयंती मनाने का सौभाग्य मिला। जिस समय 1975 में वंदे मातरम् की स्वर्ण जयंती थी, उस समय देश में आपातकाल था। सभाएं करने की अनुमति नहीं थी। मैं उसे समय कॉलेज का छात्र था और विद्यार्थी परिषद् का कार्यकर्ता था। वंदे मातरम् की स्वर्ण जयंती के लिए सभा करने की अनुमति मांगी गई, लेकिन अनुमति नहीं मिली। एक अन्य संस्था वाणी परिषद् का गठन करके हम कुछ कार्यकर्ताओं ने वंदे मातरम् की जयंती मनाई। अभी लोग कह रहे थे कि आपका स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान है। मैं बताना चाहता हूँ कि जिस समय स्वतंत्रता पर आपने <sup>£</sup> डाला था, आपातकाल लगाकर देश को जेलखाना बनाया था और सबको जेलों में डाला, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, किसी पत्रिका में छप नहीं सकता था, तब भी हमने वंदे मातरम् कहकर आपके उस <sup>£</sup> रवैये के खिलाफ जेलों को भरने का काम किया और आपको मजबूर किया कि आप आपातकाल हटाएं। लोकतंत्र सेनानियों ने इस काम को करके अपने आपको वंदे मातरम् के साथ बताया। आपने देश को किस प्रकार से तोड़ने का काम किया, आप तुष्टिकरण के लिए झुकते चले गए। यह 1936 तक आपके अधिवेशनों में भी गाया जाता रहा। उस समय कांग्रेस का ही कार्यकर्ता उस गीत को गा रहा था और अध्यक्षता करने वाले नवाब अली जौहर उसको छोड़कर बीच में चले गए। फिर कमेटी बनी, अगर आप उस समय नहीं झुके होते, तो मैं कह सकता हूँ कि भारत माँ का बंटवारा नहीं होता, क्योंकि आपने समझौता किया और आपके समझौते में ...**(समय की घंटी)**...

**श्री उपसभापति:** धन्यवाद बंसल जी।

<sup>£</sup> Exupnged as ordered by the Chair.

**श्री नरेश बंसल:** सर, मैं एक मिनट में कन्क्लूड कर रहा हूँ।

**श्री उपसभापति:** अभी बहुत स्पीकर्स हैं। प्लीज़, समाप्त करें।

**श्री नरेश बंसल:** धन्यवाद उपसभापति जी।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Dr. Vikramjit Singh Sahney. You have three minutes.

DR. VIKRAMJIT SINGH SAHNEY (Punjab): Hon. Deputy Chairman, Sir, I rise today to speak on *Vande Mataram*. It is not merely a song but heartbeat of our civilization. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Sahney ji, one minute. अठावले जी, आप मंत्री हैं। आपका नाम क्रम से है और उसी में पुकारा जाएगा। Please do not disturb. Yes, Mr. Sahney. Please speak.

**डा. विक्रमजीत सिंह साहनी:** बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय जी की रचना वंदे मातरम् ने करोड़ों फ्रीडम फाइटर्स, शहीद भगत सिंह से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक, it instilled in them an unmatched courage and sacrifice. Sir, I want to submit that Punjab and Punjabis have been at the forefront of freedom struggle and I want to flag it before this House that out of 121 freedom fighters, जिनको फांसी हुई, उनमें से 93 पंजाबी थे, who got martyred singing *Vande Mataram* for our country.

Sir, as we pay tribute to this National Song of ours, it is important to remember, with greatest *vandana* to our Mother, India does not lie in symbolism but in strengthening the foundations of our children, whether it is education, healthcare, jobs, dignity and right of expression for every Indian. Hon. Deputy Chairman, Sir, I bow to the timeless wisdom of our Sikh Gurus whose teachings form bedrock of our identity. In one line, *Vande Mataram* means, 'I bow to the motherland.' I bow to Guru Nanak Dev ji, who taught us that true love for the divine is incomplete without the love for humanity; Guru Gobind Singh ji, who gave us clarion call to rise with unmatched courage for the defence of righteousness and, of course, Guru Tegh Bahadur ji, whose 350<sup>th</sup> martyrdom year we are observing, made the supreme sacrifice so that others can live with freedom and dignity. From Baba Banda Singh Bahadur to the

defenders of our supreme seat of Akal Takht; and, from the fiery spirit of Ghadari babas to countless Sikh soldiers, who laid their lives in both the World Wars and Freedom Struggle of India while serving the nation and our motherland, supreme sacrifices have been made. It is the highest form of worship. Whether it is a call to defend the nation or to excel in the sports field or to toil in the farms to feed our country, Punjabis have never stepped back.

From borders to the barns, from medal stands to the humanitarian missions, the Sikh community has always stood at the forefront, ready to serve, ready to sacrifice, ready to uphold the honour of Bharat. Sir, the nationalism, when rooted in compassion, courage and collective responsibility, is a sacred duty, and that is exactly the spirit of *Vande Matram*. It reminds every Indian that this land is not just a soil. Our Constitution enshrines these very ideals. The Fundamental Rights guarantee us Freedom of Speech and Expression. Today, as we celebrate 150 years of this immortal song, we must do the introspection: Are we rejecting the hate and choosing harmony? ..(*Time-bell rings*).. Are we empowering the weak, uplifting the poor, protecting the vulnerable? ..(*Time-bell rings*)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you Vikramjit Singh ji.

DR. VIKRAMJIT SINGH SAHNEY: At the end, I would invoke the spirit of Guru Gobind Singh ji:

" चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊँ, गीदड़ों से मैं शेर बनाऊँ,  
सवा लाख से एक लड़ाऊँ, तभी गोबिंद सिंह नाम कहाऊँ।"  
बोले सो निहाल, सत श्री अकाल! जय हिन्द!

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Now, Shri Subhasish Khuntia, not present. Shri Ramdas Athawle. आपका क्रम अभी था, इसलिए मैंने आपको बुलाया। आपके पास तीन मिनट हैं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले): डिप्टी चेयरमैन सर:

" मैं करता हूँ बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय, रबीन्द्रनाथ टैगोर,  
सुभाष चन्द्र बोस, महात्मा गांधी,  
डा. बाबा साहेब अम्बेडकर जी को सलाम।

मैं करता हूँ इन सभी नेताओं को सलाम,  
 क्योंकि मैं अब नहीं रहा हूँ अंग्रेजों का गुलाम।  
 हम नहीं हैं कुछ भी कम,  
 इसलिए हम सब बोलते हैं वंदे मातरम।  
 नरेन्द्र मोदी जी में बहुत ही है दम,  
 इसलिए वे उनके की चोट पर बोलते हैं वंदे मातरम।  
 भारत माता के सुपुत्र हैं हम,  
 फिर क्यों नहीं बोलेंगे वंदे मातरम?  
 कुछ लोगों के मन में है कुछ गम,  
 इसलिए वे बोलना नहीं चाहते हैं वंदे मातरम।  
 वंदे मातरम है हमारी प्रेरणा,  
 वंदे मातरम है हमारी धारणा।  
 वंदे मातरम है हमारी शक्ति,  
 वंदे मातरम है हमारी भक्ति।  
 वंदे मातरम था हमारा जंग,  
 अंग्रेजों का सपना हुआ था भंग।  
 आंदोलन करने वाले थे यंग,  
 इसलिए उन्होंने बदल दिया था अंग्रेजों का रंग।  
 हम सब बोलते हैं मातरम वंदे।  
 क्योंकि हम हैं भारत माता के बंदे।  
 कांग्रेस वाले काम करते थे गंदे,"

श्री उपसभापति: आप सिर्फ parliamentary words बोलें।

श्री रामदास अठावले:

"इसलिए नरेन्द्र मोदी जी ने बंद किए हैं इनके धंधे।  
 अब हम नहीं रहे हैं अंधे,  
 हम तो एनडीए के हैं कंधे।  
 वंदे मातरम का गान,  
 था आजादी के आंदोलन की शान।  
 वंदे मातरम बोलता था तुम जागो,  
 वंदे मातरम बोलता था अंग्रेजों, तुम यहां से भागो।  
 वंदे मातरम बोलता था अपने दुश्मनों को डागो। "

डिप्टी चेयरमैन सर, यह वंदे मातरम् ...(समय की घंटी)...

**श्री उपसभापति:** आपका समय खत्म होने वाला है। आप जल्दी खत्म करिए।

**श्री रामदास अठावले:** हमारा जो राष्ट्र गान है, वंदे मातरम् बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1875 में लिखा गया था। वर्ष 2025 में वंदे मातरम् के 150 साल पूरे हो रहे हैं।

**श्री उपसभापति:** धन्यवाद, मैं दूसरा नाम बुलाऊंगा। प्लीज़।

**श्री रामदास अठावले:** वंदे मातरम् केवल एक शब्द नहीं है, यह एक मंत्र है, एक ऊर्जा है, एक स्वप्न है और एक गंभीर संकल्प है।

**श्री उपसभापति:** धन्यवाद।

**श्री रामदास अठावले:** यह शब्द हमें अपने इतिहास से जोड़ता है, हमारे वर्तमान को आत्मविश्वास से भर देता है और हमारे भविष्य को यह विश्वास ...

**श्री उपसभापति:** आपका समय समाप्त हो गया। माननीय श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाई। आपके पास पांच मिनट हैं। माननीय अठावले जी, आपका समय खत्म हो गया। प्लीज़, आप बैठ जाएं। बाबूभाई जी, आप बोलिए।

**श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाई (गुजरात):** माननीय उपसभापति महोदय, वंदे मातरम्। आज हम एक महान साहित्यकार राष्ट्र जागरण के शिल्पी और भारत की आत्मा को जगाने वाले महापुरुष बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को नमन करने के लिए एकत्र हुए हैं। ...(व्यवधान)...

**श्री उपसभापति :** माननीय अठावले जी, आप बैठ जाएं। आपकी बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। आपका समय खत्म हो चुका है। प्लीज़ आप बैठ जाएं। ...(व्यवधान)...

**श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाई:** बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में 'वंदे मातरम्' गीत की रचना की, जिसने न केवल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को दिशा दी, बल्कि पूरे राष्ट्र के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चरित्र को भी आकार दिया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ब्रिटिश शासन में उच्च प्रशासनिक पद पर कार्यरत थे, परन्तु उनका हृदय सतत भारत माता की स्वतंत्रता के लिए

धड़कता था। 1882 में प्रकाशित उनके प्रसिद्ध उपन्यास 'आनंद मठ' में 'वंदे मातरम्' को स्थान मिला और यहीं से यह गीत घर-घर, नगर-नगर पहुंचा और अंततः यह पूरे भारत में एक क्रांतिकारी मंत्र बन गया।

माननीय उपसभापति महोदय, इस गीत के शब्दों का आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक अर्थ है। वंदे मातरम् केवल एक पुकार नहीं, बल्कि यह मातृभूमि के सौंदर्य, समृद्धि और कृपा का मंत्र है। जब हम कहते हैं- "सुजलाम् सुफलाम्, मलयज शीतलाम्", तो उसका अर्थ होता है - 'सुजलाम्' यानी जल से परिपूर्ण, 'सुफलाम्' यानी फल-फूल से संपन्न और 'मलयज शीतलाम्' यानी मलय पर्वत की शीतल तथा सुगंधित वायु से पावन। यानी भारत माता वह धरती है, जो जल भी देती है, अन्न भी देती है और जीवन को पवित्र करने वाली हवा भी देती है।

कविता के अन्य अंशों में भारत की धरती को 'शस्यश्यामलाम्', यानी अन्न से लहराती; 'मातरम्', यानी मां स्वरूप; 'त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी', यानी दस भुजा दुर्गा की शक्ति और 'त्वं हि रामासिता', यानी त्याग, धैर्य और मर्यादा की पराकाष्ठा, इसके रूप में दर्शाया गया है।

महोदय, ये प्रतीक भारत की प्राकृतिक संपदा, सांस्कृतिक विविधता और आध्यात्मिक शक्ति का समग्र प्रदर्शन प्रस्तुत करते हैं। यह गीत मात्र साहित्य नहीं, बल्कि एक क्रांति का उद्गम था। महर्षि अरविंद, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, रास बिहारी बोस और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जैसे महान क्रांतिकारियों ने इस गीत से प्रेरणा लेकर अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध असाधारण संघर्ष किया।

महोदय, ऐसे कुछ ऐतिहासिक क्षण भी आए, जो 'वंदे मातरम्' को अमर बनाते हैं। जैसे, 1905 का बंग-भंग - जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, तब सड़कों पर, सभाओं में, विद्यालयों में, कॉलेजों में, हर ओर एक ही स्वर गूंजा — 'वंदे मातरम्।' यह गीत स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व करता हुआ, आत्मविश्वास, साहस और एकता का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। 1917 और 1900 के बीच हुए राष्ट्रीय आंदोलनों में छात्र, मजदूर, किसान, महिलाएं, सभी इस गीत को स्वतंत्रता की पुकार के रूप में गाते थे। ब्रिटिश सरकार ने 'वंदे मातरम्' बोलने तक पर दंड दिया, पर लोग रुके नहीं। यह गीत उनके भीतर अटूट शक्ति जगाता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज ने इसे राष्ट्रीय सम्मान का स्थान दिया। आजाद हिंद फौज की सभाओं में हजारों सैनिक 'वंदे मातरम्' का जयघोष करते थे और उनकी आवाज में स्वतंत्रता की धड़कन होती थी। यह वह गीत था, जिसकी धुन से अंग्रेजी शासन में भय पैदा होता था और भारतीयों के भीतर वीरता का समुद्र उठ खड़ा होता था।

महोदय, गीत पर उठे विवादों की बात करें, तो समय-समय पर कुछ समूहों ने गीत के कुछ अंशों पर धार्मिक भाव का आरोप लगाया। राष्ट्र की एकता को ध्यान में रखते हुए, स्वतंत्रता के बाद उसके पहले दो अंतरों को राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता दी गई, क्योंकि वे शुद्ध रूप से राष्ट्रभक्ति और मातृभूमि का स्तवन करते हैं, फिर भी इन विवादों के बावजूद 'वंदे मातरम्' का स्थान भारतीयों के हृदय में अटल और अमिट रहा है।

महोदय, आज इसकी 150वीं वर्षगांठ पर उल्लेखनीय है कि वर्तमान सरकार माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रभक्ति और सांस्कृतिक अस्मिता के पुनर्जागरण में निरंतर अग्रसर है। 'आजादी का अमृत महोत्सव', राष्ट्रीय प्रतीकों को सम्मान, स्कूलों तथा विश्वविद्यालयों में राष्ट्रभक्ति की पुनःस्थापना, स्वतंत्रता संग्राम के भूले-बिसरे नायकों का गौरवपूर्ण पुनःस्मरण - इन पहलों ने 'वंदे मातरम्' के जैसी राष्ट्रीय धरोहरों को नई पीढ़ी तक पहुंचाया है।

महोदय, 'वंदे मातरम्' राष्ट्र की आत्मा है। 'वंदे मातरम्' हमें यह सिखाता है कि मातृभूमि सर्वोपरि है, राष्ट्र धर्म ही नागरिक का परम धर्म है, भारत माता की सेवा ही सच्ची देशभक्ति है। जब भारत वैश्विक मंच पर उभरती हुई शक्ति बनकर खड़ा है, तब भी कुछ समूह और नेता इस पवित्र गीत को विवाद का विषय बनाते हैं। ...**(समय की घंटी)**... वे इसे कभी धार्मिक बताते हैं, तो कभी इसे नहीं गाने की सलाह देते हैं। ...**(समय की घंटी)**... मैं पूछना चाहता हूँ कि ...**(व्यवधान)**...

**श्री उपसभापति:** बाबूभाई जेसंगभाई देसाई जी, अब आप कंक्लूड कीजिए।

**श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाई:** थैंक यू, सर। वंदे मातरम्!

**श्री उपसभापति:** श्री रामजी, 3 मिनट।

**श्री रामजी** (उत्तर प्रदेश): मान्यवर, आपने मुझे 'वंदे मातरम्' की चर्चा पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। साथ ही, मैं अपनी पार्टी के मुखिया, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, 'वंदे मातरम्' केवल एक नारा नहीं, बल्कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा भी है। इसे महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में लिखा था। जब देश में 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने बड़े स्तर पर दमन शुरू कर दिया, तब 'वंदे मातरम्' ने करोड़ों भारतीयों के दिलों में हिम्मत, प्रेरणा और देशभक्ति से डूबी हुई क्रांति की ज्वाला को जलाया। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने 'वंदे मातरम्' के स्वर में अपना सब कुछ देश के लिए न्यौछावर कर दिया। उस वक्त आजादी की जंग में आपस में धर्म और मजहब की दीवार नहीं थी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, दलित, आदिवासी, सभी ने आजादी की जंग में हंसते-हंसते अपने आपको न्यौछावर कर दिया है। मैं उन तमाम दलित आदिवासी क्रांतिकारियों को भी नमन करता हूँ, जिन्हें इतिहास के पन्ने में भुला दिया गया। उनमें लखनऊ की वीरांगना ऊदा देवी पासी, झलकारी बाई, मातादीन भंगी, गोपाल बाबा वलंगकर, एटा से चेताराम जाटव, बल्लूराम मेहतर, कैराना की महाबीरी देवी वाल्मीकि, सीतापुर से परागी लाल, रमापति जाटव,

उदैया जाटव, तिलका मांझी, रानी गाइदिन्ल्यू, तमिलनाडु के एम.एल. सेकरण आदि हैं, उनको भी मैं करता हूँ और उनको सच्ची श्रद्धांजलि भी देता हूँ।

मान्यवर, मैं लखीमपुर खीरी से आता हूँ। जब देश की आजादी में जंग की ज्वाला गांव-गांव और शहर-शहर में फैली, तब लखीमपुर का योगदान भी गौरवशाली रहा। उस पूरे शहर के अंदर, गांव के अंदर 'वंदे मातरम्' और 'इंकलाब जिंदाबाद' के नारों से गूँजने लगा।

**श्री उपसभापति:** माननीय रामजी, 'वंदे मातरम्' पर बोलें।

**श्री रामजी:** मान्यवर, उन प्रमुख क्रांतिकारियों में राजनारायण मिश्रा, रंपा तेली, राजा लोने सिंह ने अंग्रेजों के हुकूमत को हिलाने का काम किया। उसी वक्त लखीमपुर खीरी के अंदर वहाँ के कलेक्टर, रॉबर्ट विलियम डगलस विलोबी को 20 अगस्त, 1920 के दिन, बकरीद के दिन नसीरुद्दीन मौजी, बसरुद्दीन और माशूक अली ने वहाँ पर उस अंग्रेज की तलवार से गला काट की हत्या कर दी। मान्यवर, नसीरुद्दीन, मासूक अली और बसरुद्दीन को फांसी की सजा दी गई और वे 'वंदे मातरम्' और 'इंकलाब जिंदाबाद' के नारे लगाते हुए फांसी को गले से चूम कर हंसते-हंसते फांसी पर झूल गए।

मान्यवर, आज जो देश में धर्म की आड़ में नफरत फैला कर राजनीति करना चाहते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि देश की आजादी की जंग में न कोई मुसलमान था, न कोई सिख था, न कोई हिंदू था, बल्कि सभी ने इस सरजमीं पर अपना लहू बहाया। हमें 9 अगस्त, 1925 की काकोरी ट्रेन की घटना को याद करना चाहिए, जिसमें प्रमुख क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद की दोस्ती में कोई मजहबी दीवार नहीं थी।

मान्यवर, अंत में, मैं आपके माध्यम से सभी पार्टियों से कहना चाहता हूँ कि 'वंदे मातरम्' हर भारतीय के रगों में आज भी दौड़ता है और आज भी हमारी सेना सरहद पर जंग लड़ती है, तो 'वंदे मातरम्' के नारों से दुश्मन कांप जाता है। 'वंदे मातरम्' को किसी भी मायने में विवादित न बनाया जाए। यह देशवासियों की भावना और आत्मा से जुड़ा हुआ है।...(समय की घंटी)... यही मेरा आपके माध्यम से कहना है, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत!

**श्री उपसभापति:** धन्यवाद, माननीय रामजी। श्रीमती धर्मशीला गुप्ता। पांच मिनट।

**श्रीमती धर्मशीला गुप्ता (बिहार):** माननीय उपसभापति महोदय, सबसे पहले मैं यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिनके नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर नई ऊर्जा, नए आत्मविश्वास और नए राष्ट्रीय गौरव के साथ खड़ा है। चाहे आजादी के 'अमृत काल' का संकल्प हो, 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' का सपना, राष्ट्रीय धरोहरों का पुनरुत्थान

या हर नागरिक में भारत प्रथम की भावना जगाने का अभियान, इसी दृढ़ संकल्प और देशभक्ति की भावना के कारण आज हम राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के 150 वर्ष पूरा होने पर उत्सव भी गर्व और भव्यता के साथ मना पा रहे हैं।

माननीय उपसभापति महोदय, 'वंदे मातरम्' केवल एक गीत नहीं, यह भारतीय आत्मा की अभिव्यक्ति है। यह वह भाव है, जिसने लाखों-करोड़ों भारतीयों के हृदय में स्वतंत्रता का ज्वार जगाया। वह स्वर है, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींद हराम कर दी। इस राष्ट्रीय गीत की रचना 1872 में महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी और 1882 में इस गीत को भारतीय चेतना में दूर-दूर तक पहुंचाने का श्रेय श्रद्धेय गुरु रवींद्रनाथ टैगोर को जाता है। वंदे मातरम् हमारे स्वतंत्रता संग्राम का उत्साह, शक्ति और आध्यात्मिक प्रेरणा बना।

इतिहास इस बात का अद्वितीय प्रमाण है कि वंदे मातरम् किसी एक धर्म का नहीं, यह संपूर्ण भारत का गीत है। इस गीत ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी को एक ही सूत्र में बांधा। कई मुस्लिम नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों ने इसका खुले रूप से समर्थन किया, जिनमें मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, अल्लामा इकबाल, रफी अहमद किदवई का नाम प्रमुख है, जिनका समर्थन मिला। मोहम्मद रफी ने अपनी आवाज से इसकी देशभक्ति को पीढ़ियों तक अमर कर दिया।

माननीय उपसभापति महोदय, मैं आज जब बंगाल के बारे में सोचती हूँ या वहां की खबरें सुनती हूँ, तो मेरा मन अत्यंत दुख और व्यथा से भर जाता है।

**श्री उपसभापति:** आप विषय पर बोलें।

**श्रीमती धर्मशीला गुप्ता :** \* ...(व्यवधान)...

**श्री उपसभापति:** आप विषय पर बोलें। ...(व्यवधान)... धर्मशीला जी, आप विषय पर बोलिए। ...(व्यवधान)...अगर यह विषय से अलग होगा, तो रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा।

**श्रीमती धर्मशीला गुप्ता:** यह स्थिति केवल दुर्भाग्यपूर्ण नहीं, बल्कि चिंताजनक भी है।

माननीय उपसभापति महोदय, मैं अपने वक्तव्य के समापन में अपने प्रिय बिहार राज्य का उल्लेख करना चाहती हूँ। बिहार वह भूमि है, जहां स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक चेतना का इतिहास सबसे गहरा रहा है।

**श्री उपसभापति:** आप विषय पर बोलिए। ...(व्यवधान)...

---

\* Not recorded.

**श्रीमती धर्मशीला गुप्ता:** जहां चंद्रगुप्त, चाणक्य, राजा जनक, बुद्ध, महावीर जैसे महापुरुषों ने राष्ट्रधर्म को परिभाषित किया।

**श्री उपसभापति:** धर्मशीला जी, आप जो विषय पर बोल रही हैं, वही रिकॉर्ड पर जाएगा। ...**(व्यवधान)**...आप वंदे मातरम् पर बोलिए।...**(व्यवधान)**...

**श्रीमती धर्मशीला गुप्ता:** जहाँ सारण, मुजफ्फरपुर, जैसे बिहार के हर जिले में यह गीत जन-जन की आवाज है।

**श्री उपसभापति:** आप वंदे मातरम् पर बोलिए।...**(व्यवधान)**...

**श्रीमती धर्मशीला गुप्ता:** चंपारण सत्याग्रह में भी वंदे मातरम् ने किसानों और गरीबों को असाधारण हिम्मत दी और आज भी बिहार का हर बच्चा, हर युवा और हर नागरिक स्कूलों में, सार्वजनिक समारोहों में, खेल मैदानों में गर्व से, आदर से और दृढ़संकल्प के साथ वंदे मातरम् के साथ खड़ा है। वह वंदे मातरम् गाता है। बिहार के लोग कभी राष्ट्रभक्ति के भाव से डगमगाए नहीं। यह गीत आज भी बिहार की धड़कन में बसता है।

**श्री उपसभापति:** आप विषय पर बोलिए। ...**(व्यवधान)**...

**श्रीमती धर्मशीला गुप्ता :** \* ...**(व्यवधान)**...

**श्री उपसभापति:** आप विषय पर बोलिए। ...**(व्यवधान)**... अब रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। माननीय श्री जी.के. वासन जी।

SHRI G.K. VASAN (Tamil Nadu): Sir, I thank the Government on behalf of my Party for initiating the landmark discussion on *Vande Mataram* on the 150<sup>th</sup> Anniversary of the National Song. Each Indian is proud of this debate on *Vande Mataram* in the Parliament. The word *Vande Mataram* means unity of India from Kashmir to Kanyakumari. The word *Vande Mataram* is a *mantra* that paved the way for our freedom. Today, the country is developing in all aspects. This is the time to infuse more patriotism in youngsters and all the citizens of this nation. The word *Vande Mataram* means not only peace, unity, security, freedom and democracy. Today, it

---

\* Not recorded.

also means development. Today, the NDA Government stands for development which is a tribute to *Vande Mataram* in the 150<sup>th</sup> year. States like Tamil Nadu are known for prominent leaders who fought for the freedom movement. Women in Tamil Nadu were also aggressively involved in the freedom movement. I would thank the hon. Prime Minister for remembering and mentioning *Sekkizuththa Semmal V.O. Chidambaram Pillai* and great Poet Bharati in his speech.

Sir, the State of Tamil Nadu has given many warriors, who fought for the freedom— Velu Nachiyar, Veerapandiya Kattabomman, Dheeran Chinnamalai, Tirupur Kumaran, Marudhu Pandiyar Sagodharargal and Veeran Vanjinathan. Likewise, Sir, we can be counting the persons.

Sir, to conclude, I would like to mention a great leader who was known as kingmaker, "Periyandavar Kamarajar". He was imprisoned for nine years for the cause of the freedom struggle. Kamaraj was known for his honesty and transparency in his Government. Today, people also say that his Government is a "Puth Kalam", which is golden period of Tamil Nadu.

With these words, I salute the person from the great Bengal who made this song, '*Vande Mataram*'. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: *Mananiya* Subhasish Khuntia; three minutes.

**श्री शुभाशीष खुंटिया (ओडिशा):** माननीय सभापति महोदय, आज जब राष्ट्र वंदे मातरम् के 150 वर्ष मना रहा है, तब हम केवल एक गीत का स्मरण नहीं कर रहे, बल्कि हम एक राष्ट्रीय चेतना, एक सभ्यतागत स्पंदन और अपनी मातृभूमि के प्रति अटूट समर्पण को नमन कर रहे हैं। 1875 में जब बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम् लिखा, तब वे केवल एक कविता की रचना नहीं कर रहे थे, बल्कि वे भारतीय राष्ट्रवाद की ज्योति प्रज्वलित कर रहे थे। औपनिवेशिक दमन के बीच यह गीत एक आह्वान, एक जागरण और एक विद्रोही स्वर बनकर उठा। इसके मंत्र, "सुजलाम् सुफलाम् मलयज-शीतलाम्" मातृभूमि की समृद्धि, हरियाली और शांति का वर्णन करते हैं और "शस्य श्यामलाम् मातरम्" भारत की उर्वरता और उसकी श्रमशील जनता की आत्मा को अभिव्यक्त करते हैं। महोदय, वंदे मातरम् हमें जोड़ता है, विभाजित नहीं करता। माता अपने सभी संतानों को समान प्रेम से देखती है - धर्म, भाषा, जाति या क्षेत्र से ऊपर उठकर। इसी कारण स्वतंत्रता संग्राम में सभी समुदायों ने इसे अपनी आवाज़ बनाया। ओडिशा का प्रतिनिधि होने के नाते, मैं गर्व से उल्लेख करता हूँ कि 1882-84 में बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय जी ओडिशा के जाजपुर में डिप्टी कलेक्टर रहे। इसी काल में वंदे मातरम् का संदेश पूरे देश में प्रसारित हो रहा था।

ओडिशा की संस्कृति, जगन्नाथ परंपरा और लोकजीवन ने उनके व्यक्तित्व और लेखन को प्रभावित किया और यही हमारे प्रदेश व इस अमर गीत के बीच एक स्वाभाविक सांस्कृतिक संबंध स्थापित करता है।

ओडिशा ने वंदे मातरम् को केवल स्वर नहीं, अपने संघर्षों का संबल बनाया। उत्कल सम्मिलनी, प्रजामंडल आंदोलनों और पुरी के लवण सत्याग्रह में उत्कलगौरव मधुसूदन दास से लेकर उत्कलमणि गोपाबंधु दास तक, पंडित नीलकंठ दास से लेकर वीर बालक बाजी राउत तक - हर ओड़िया ने इसे अपने संकल्प की धड़कन बनाया। आज, 150 वर्ष बाद, यह गीत हमें एक दायित्व सौंपता है कि हम इस राष्ट्रभावना को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। युवा समझें कि वंदे मातरम् केवल धुन नहीं, बल्कि त्याग, साहस और राष्ट्रकर्तव्य का प्रतीक है - स्वच्छता बनाए रखने से लेकर सीमाओं की रक्षा तक, उत्पादन बढ़ाने से लेकर उत्तरदायी उपभोक्ता बनने तक, पारदर्शी शासन की मांग से लेकर जिम्मेदार नागरिक बनने तक - हर आचरण में मातृभूमि सर्वोपरि रहे।

अंत में, उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को कोटि-कोटि नमन, जिन्होंने इस गीत को अपने संघर्ष की धड़कन बनाया। जय जगन्नाथ। वंदे उत्कल जननी। वंदे मातरम्।

**श्री उपसभापति:** माननीय श्री बाबू राम निषाद, आपके पास बोलने के लिए 5 मिनट का समय है।

**श्री बाबू राम निषाद** (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति महोदय, आपने मुझे वंदे मातरम् गीत की चर्चा में बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और निश्चित रूप से आज मेरा सौभाग्य है कि सदन के माध्यम से उस गीत के बारे में चर्चा हो रही है, जिस गीत ने इस देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया, जब यह देश गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था।

4.00 P.M.

इस गीत के माध्यम से उस टाइम जो जनसंचार हुआ और पूरा जनमानस एकसाथ हुआ और यात्रा आगे बढ़ी। आखिर गीत के माध्यम से हमें आज़ादी मिली। मैं प्रधान मंत्री माननीय मोदी जी का आभार और अभिनंदन करता हूँ कि वन्दे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ पर आपने हम सबको यह अवसर दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि जब से आप इस देश की सरकार में आए हैं, जैसे बंकिम बाबू जी ने गीत के माध्यम से समाज को, देश को जोड़ने का काम किया था, उसी तरीके से नरेन्द्र मोदी जी ने भी देश को जोड़ने का काम किया। नरेन्द्र मोदी जी ने जब से इस देश की सत्ता संभाली, तब उन्होंने 'सबका साथ, सबका विकास' कहा। मैं आज कह सकता हूँ कि मैं बुंदेलखंड की बेतवा के किनारे का रहने वाला निषाद बाबू राम हूँ। निश्चित रूप से जब गांव, गली और

मोहल्लों में पिछड़ों और दलितों के यहां जाता हूं, तो देखता हूं कि आपकी जो सुविधाएं हैं, आपने जो नारा दिया, वह नारा चरितार्थ हुआ है।\*...(व्यवधान)...

**श्री उपसभापति:** बाबू राम निषाद जी, आप विषय पर बोलिए।

**श्री बाबू राम निषाद:** मोदी जी ने इस देश को वन्दे मातरम् गीत के माध्यम से जोड़ा, तो सरकार के माध्यम से सदन में उस गीत के बारे में चर्चा हो रही है, तो स्वाभाविक रूप से मैं अपने प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का अभिनंदन करूंगा, आभार व्यक्त करूंगा। मैंने यहां इस गीत की चर्चा के लिए अमित शाह जी और विपक्ष के नेताओं को भी सुना है। विपक्ष के नेता, जो INDI गठबंधन के लोग हैं, डेर सारे ऐसे लोग हैं, जो इस गीत के बारे में negative बात करते हैं। वे बैठकर सुनते हैं और उसका जवाब भी नहीं देते हैं। कल हमारे राधा मोहन जी ने विषय रखे और उन्होंने यहां तक भी कह दिया कि मैं अपनी सदस्यता त्यागने के लिए तैयार हूं, अगर मैं असत्य बोल रहा हूं। कुछ लोगों ने कहा कि बंगाल का चुनाव है। अरे मित्रों, पूरा देश वन्दे मातरम् के नाते जब एकजुट हुआ था, उसी नाते आज देश भी नरेन्द्र मोदी जी की योजनाओं से जुड़ा है और इस गीत से जुड़ा है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे प्रधान मंत्री मिले हैं, जिन्होंने सबको जोड़ने का काम किया है। हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का नारा लगाते हैं, लेकिन कुछ लोग नारा नहीं लगाते हैं। हम लोग कहते हैं - हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में हैं भाई-भाई। इस तरफ के लोग यह नारा लगाते हैं, लेकिन उस तरफ के कुछ लोग यह नारा लगाने में भय खाते हैं। वे भय इसलिए खाते हैं कि जात आधारित और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। गीत में भी तुष्टीकरण की राजनीति करने का प्रयास करते हैं। पश्चिम बंगाल के लोग यहां मन से चर्चा नहीं करते हैं। ...(व्यवधान)...

**श्री उपसभापति:** धन्यवाद, आपका समय समाप्त हो गया।

**श्री बाबू राम निषाद:** जब यहां चर्चा हो रही है, तो उनको चर्चा में भाग लेना चाहिए।  
...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...(*Interruptions*)... Nothing is going on record now. Shri Masthan Rao Yadav Beedha. You have three minutes.

SHRI MASTHAN RAO YADAV BEEDHA (Andhra Pradesh): Sir, I rise today on behalf of Telugu Desam Party and our leader, Shri Nara Chandrababu Naidu garu, to join

---

\* Not recorded.

this august House in celebrating 150 years of Vande Mataram, a powerful hymn that offered our nation courage and strength. To appreciate the importance of Vande Mataram, one must revisit the historical context. From the start of 19<sup>th</sup> century right until we won our independence, Vande Mataram was sung in meetings, whispered in prisons, chanted in the processions and banned repeatedly by the British who feared it. Even today, singing it inspires love and confidence across our country. Sir, Vande Mataram was not restricted to one region. It travelled across linguistic and cultural borders. In Andhra Pradesh, the Swadeshi Movement was known widely as the Vande Mataram Movement. It was fuelled by visits from national leaders such as Bipin Chandra Pal in 1907, whose speeches in coastal Andhra sparked an intellectual and moral awakening. His call for self-reliance led to the establishment of national schools and colleges, where the day often begins with the singing of Vande Mataram. The impact of Vande Mataram in Andhra was not fleeting. We see it during the Non-Cooperation Movement of 1920-22, when young students across Guntur, Nellore and Krishna districts of Andhra Pradesh walked out of the Government institutions. During the Quit India Movement of 1942, the chant of Vande Mataram once again filled Andhra's streets as people launched strikes, set up underground networks and braved lathi charges. Sir, as a proud son of Nellore, Andhra Pradesh, I carry a special pride in highlighting my region's extraordinary contributions, many of which were directly shaped by ideals embodied in Vande Mataram. Shri Potti Sreeramulu, our revered Amarajeevi, was a stalwart of freedom struggle, participating in the Salt Satyagraha and the Quit India movement. He endured multiple imprisonments and carried out pioneering work for Dalit upliftment in Nellore. He was a man for whom Vande Mataram was not just a song, it was his duty. Alongside him stands the luminous figure of Ponaka Kanakamma, Potluru Balasaraswati *Amma*, Potti Sreeramulu garu, Alluri Sitarama Raju garu, Pingali Venkayya, Andhra Kesari Prakasam Pantulu garu and likewise, men and women freedom fighters from Andhra Pradesh.

Sir, in conclusion, as we honour 150 years of this timeless hymn, I humbly submit that its legacy is not merely to be celebrated, but to be carried forward. With these sentiments, I bow my respect to Shri Bankimji, to the millions who marched with his song on their lips and to the great land that continues to inspire us our *Bharat Mata*. Thank you. Jai Hind! Vande Mataram!

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Now, Shrimati Priyanka Chaturvedi.

**श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी** (महाराष्ट्र): उपसभापति महोदय, मुझे वंदे मातरम् के 150 साल पूरे होने पर इस चर्चा में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और मुझे इसकी बेहद खुशी है। महोदय, मुझे उससे भी ज्यादा खुशी इस बात की है कि जब हम इस चर्चा सुन रहे थे, तो वंदे मातरम् का 150 साल का जो सही इतिहास है, जो देश की जनता के सामने पहुँचा है, वह तब पहुँचा है, जब विपक्ष ने पूरे इतिहास की सही क्रोनोलॉजी जनता के सामने रखी है। मैं देशवासियों से अपील करूंगी कि इस चर्चा को ध्यान से सुनें और जो WhatsApp history 2014 से चालू हुई है - मैं तो कहती हूँ कि जो उससे प्रभावित हैं, जो उससे पीड़ित हैं, वे जरूर इस चर्चा को सुनें, क्योंकि जनता के सामने सही इतिहास लाना बहुत जरूरी था और यह इस चर्चा के माध्यम से संभव हुआ है। महोदय, मैं आपके माध्यम से अब यह भी रिक्वेस्ट करूंगी कि क्विट इंडिया मूवमेंट पर चर्चा हो, स्वतंत्रता संग्राम पर चर्चा हो और वे सारी चर्चाएँ हों, जिन्हें 2014 से धूमिल करने की कोशिश की गई है। वे सारी बातें चर्चा का विषय बनें और ये जो इतिहासकार हैं, जो WhatsApp history के माध्यम से WhatsApp history फैलाते हैं, उनके करियर का दि एंड हो।

सर, मैं हैरान थी, जब कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम् की चर्चा करना चाह रही है! यह वही भारतीय जनता पार्टी है, वही सरकार है, जिन्होंने यह सेशन शुरू होने से पहले वह notification जारी किया था, जिसमें लिखा था कि यहाँ के कोई भी सांसद वंदे मातरम् और जय हिंद वाला नारा नहीं लगा सकते हैं। मैं मानती हूँ कि इससे बड़ा राष्ट्रद्रोह और राष्ट्र विरोधी सोच कुछ और हो ही नहीं सकती है। इसलिए हमने, मेरी पार्टी ने, मेरी पार्टी के लीडर ने चेयरमैन सर को लिखा था कि यह नोटिफिकेशन इमिडिएटली विद्वान हो।

**श्री उपसभापति:** वह नया नोटिफिकेशन नहीं था, बल्कि पुराने नोटिफिकेशन के continuation में ही था। Please continue on the subject. ...(व्यवधान)... आप बोलिए।

**श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी:** सर, हम तो वंदे मातरम् की ही चर्चा करने आए हैं। मैं सवेरे से, उस तरफ से बहुत सारे भाषण सुन रही थी, जो वंदे मातरम् की जगह वंदे भारत की चर्चा करने को तैयार थे। आप देख लीजिएगा, लोक सभा में भी यही हुआ है। मैंने राज्य सभा में भी बहुत सारे लोगों को देखा है। उनका प्रेम उसी से स्पष्ट हो गया कि उन्हें वंदे मातरम् और वंदे भारत में कितना अंतर पता है।

**श्री उपसभापति:** प्लीज़ बैठकर न बोलें। ...(व्यवधान)... प्रियंका जी, आप बोलिए। ...(व्यवधान)... आप बैठ जाइए। ...(व्यवधान)...

**श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी:** सर, तीसरी बात, गृह मंत्री जी ने कहा कि यह सेलिब्रेशन है। मैं कहना चाहती हूँ कि यह बिल्कुल सेलिब्रेशन है, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी का सेलिब्रेशन नहीं था, क्योंकि उन्हीं के भाषण में उन्होंने ध्रुवीकरण की बात रखी, अपना पॉलिटिकल एजेंडा चलाने की बात रखी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को लेकर उन्होंने क्या-क्या बातें नहीं रखीं। उन्होंने कहा कि विभाजन तब से शुरू हुआ, जब से 1937 में इसका तीसरा और चौथा स्टैंजा हटाया गया। सर, जब हमारे देश के जवान बॉर्डर पर लड़ते हैं, जब हमारे तुकाराम ओम्बले जी आतंकवादी को पकड़ते-पकड़ते वंदे मातरम् कहकर अपनी जान देते हैं, बलिदान देते हैं, वे यह नहीं पूछते कि इसका तीसरा और चौथा स्टैंजा कहाँ है। वे इससे प्रेरित होते हैं कि वे वंदे मातरम् के लिए सेवा कर रहे हैं, वंदे मातरम् के लिए बलिदान दे रहे हैं। **...(समय की घंटी)...** सर, मैं 30 सेकंड और लूँगी। मैं आपके माध्यम से बस यही कहूँगी कि जो ध्रुवीकरण वाली राजनीति और पंडित जवाहरलाल नेहरू की छवि धूमिल करने वाली राजनीति हो रही है, वह समाप्त होनी चाहिए। लोकसभा में मेरे जो साथी हैं, उन्होंने भी यह माँग रखी है कि नेहरू जी पर चर्चा होनी चाहिए और उसके बाद यह चर्चा समाप्त होनी चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम्। **...(व्यवधान)...**

**श्री उपसभापति:** धन्यवाद। अब आपकी बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्या, प्रियंका चतुर्वेदी जी, ने एक बात कही, मैं उसके संदर्भ में स्पष्ट करना चाहता हूँ। Hon. Members, before each Session of Rajya Sabha, we reiterate the parliamentary customs and conventions which are mentioned in the Publication, "Handbook for Members" for information. The para regarding the same was issued in the Parliamentary Bulletin Part II on earlier occasions also. This forms part of etiquettes to be observed ... **...(Interruptions)...** बोलने से मना नहीं किया था। आप भाषण में उन नारों को क्वोट न करें, भाषण होने दें, यह इस बारे में था। **...(व्यवधान)...** Please take your seat. Nothing is going on record. **...(Interruptions)...** This forms part of etiquettes to be observed in the House and impresses upon the Members to desist from interrupting the speech of another Member by shouting slogans. There is no intention to stop any Member from singing *Vande Mataram*, to use as a phrase, as a part of his or her speech. आज़ादी के बाद माननीय स्पीकर के भाषण के दौरान जो लोग यह करते थे, etiquettes का पालन नहीं करते थे, यह बात उस संदर्भ में कही गई थी। That was mentioned....**...(व्यवधान)...** आप बैठकर कमेंट न करें। हमने सिचुएशन क्लियर कर दी है। माननीय सदस्य, डा. दिनेश शर्मा।

**डा. दिनेश शर्मा (उत्तर प्रदेश):** उपसभापति महोदय, आपका आभार कि आपने मुझे अवसर दिया और एक आभार इसके लिए भी कि आपने एक बहुत बड़े गैर-तथ्यात्मक विषय को स्पष्ट किया कि जो आदेश है, वह काँग्रेस के समय से चली आ रही परिपाटी है।

मान्यवर, आज हम लोकतंत्र के इस मंदिर में वंदे मातरम् के 150 गौरवशाली वर्षों का उत्सव मना रहे हैं। हम केवल गीत का उत्सव नहीं मना रहे हैं, बल्कि हम भारत की अनादि आत्मा का आदर और आराधन कर रहे हैं। जब हम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय महोदय वर्णन करते हैं कि उन्होंने 1875 में इस अमर वाणी की पंक्तियाँ लिखीं, तो यह कागज़ पर स्याही नहीं थी, यह स्याही का अंकन नहीं था, बल्कि राष्ट्र में सोए हुए सद्पुरुषों में जागरण का भाव पैदा करना था। राष्ट्र की आज़ादी के प्रति चैतन्यता लाने का उनका प्रयास था। उन्होंने भारत माता को केवल मिट्टी नहीं माना, बल्कि उन्होंने उन्हें समृद्धि की लक्ष्मी, ज्ञान की सरस्वती, अजय शक्ति की दुर्गा के रूप में पूजित किया। जब गुरुदेव रबीन्द्रनाथ टैगोर ने इन शब्दों को स्वर दिया, तब यह केवल संगीत नहीं बना, बल्कि यह स्वदेशी आंदोलन की चिंगारी और क्रांति की धड़कन बन गया। मुझे ताज्जुब है कि इस प्रकार के गैर-तथ्यात्मक शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया है। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर अधिकांश सकारात्मक तथ्यों सहित प्रस्तुतीकरण हुआ और कुछ नकारात्मक तथ्य-रहित प्रस्तुतीकरण भी हुए। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। विद्वत लोगों के सामने चर्चा का विषय बना रहता है। आदरणीय जयराम रमेश जी ने बहुत अच्छे उदाहरण दिए थे। उन्होंने उदाहरण देते समय तमाम लोगों की सहमति, 1937 की बैठक, वंदे मातरम् कैसे लागू हुआ, स्टैंजा क्यों हटाया गया — इस सबका वर्णन किया, लेकिन वे एक बात भूल गए। जो उनके पक्ष में था, उन्होंने उसका वर्णन किया और जो विपक्ष में था, उसका नहीं किया। उनमें एक नाम और भी था - अबुल कलाम आज़ाद। उनमें अबुल कलाम आज़ाद भी थे, जिन्होंने इसकी प्रशंसा की थी और कहा था कि इसे लागू किया जाना चाहिए।

यह हिंदू और मुसलमान का प्रश्न नहीं था, लेकिन इसको हिंदू और मुसलमान का विषय बनाकर उस जिन्नाई सोच के अधीन कांग्रेस ने अपने मतों का परिवर्तन किया। दूसरी चीज़, जो कहा जाता है कि इसमें नेहरू जी का योगदान नहीं था, समिति का योगदान था। मैं माननीय विद्वतजनों के संज्ञान में यह लाना चाहूंगा कि एक पत्र 1937 में जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने परम मित्र, जिनसे वे परामर्श करा करते थे, उर्दू के लेखक अली सरदार जाफरी को एक पत्र लिखा है। मैं समझता हूँ कि वह भी किसी किताब में हमारे सत्पुरुषों को, विद्वत पुरुषों को मिला होगा। अली सरदार जाफरी को उस लिखे पत्र में उन्होंने, यानी नेहरू जी ने देवी मां के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में व्याख्यायित किया और उन्होंने इसे बेतुका बताया। साथ में उन्होंने इस गीत की भाषा की आलोचना करते हुए कहा कि बहुत सारे कठिन शब्द हैं, जिन्हें लोग समझ नहीं पाते और तर्क दिया कि इसके विचार राष्ट्रवाद और प्रगति की आधुनिक अवधारणा के अनुरूप नहीं हैं और सरल भाषा में अधिक उपयुक्त राष्ट्र गीतों की उन्होंने वकालत की। गीत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक गहराई को इस शुरुआती दौर में कम करके आंकने से नेहरू जी का असली झुकाव उजागर हुआ। जो हेड होगा, किसी चीज़ का अध्यक्ष होगा, जो नेता होगा, उसके मत पहले से जान लेंगे, तो समिति के लोगों के मत का परिवर्तन होने में देर नहीं लगती। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि समिति की बैठक के पहले ही यह उनका मन था और जिन्ना के दबाव में, जिन्नाई सोच

के अनुपालन में, उन्होंने अपने मतों को पत्र के माध्यम से लिखा, लेकिन इस लिखावट के बाद भी, जो अली सरदार जाफरी जी थे, उनकी सहमति उनको नहीं मिली। इसको वे विवाद का मुद्दा नहीं बनाना चाहते थे।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि यहां पर तो जन गण मन अधिनायक है और जो हमारा वंदे मातरम् है, उसके बीच में भी भेद पैदा कर दिया गया। अभी तो तृणमूल के मित्र और कांग्रेस के विद्वत जन कह रहे थे कि जैसे रबीन्द्रनाथ टैगोर का और बंकिम चन्द्र चटर्जी के बीच में मतभेद पैदा करने का उपक्रम उन्होंने अपने शब्दों में किया है, क्यों? क्योंकि यह जो विभाजन है, अंग्रेजों की संपत्ति थी - लेकिन यह जो कांग्रेस है, मैं समझता हूँ कि यह गंभीर<sup>£</sup> की साक्षी है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, 1937 में कांग्रेस कार्यसमिति ने इस पवित्र गीत के चार अंतरो को जानबूझकर हटा दिया। वे अंतरे भारत मां का देवी स्वरूप में वंदन करते थे। केवल राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए यह आधुनिक भारत में वोट बैंक की पहली सबसे बड़ी राजनीति थी। सांस्कृतिक सत्य को राजनीतिक फायदे के आगे उन्होंने गिरवी रखा और तथ्य दिया कि समिति ने किया है। यह सुधार नहीं, यह समर्पण था और यह समर्पण उस क्षण का संकेत करता है कि जहां हमारी जड़ें भी राजनीतिक सौदेबाजी का विषय बन गईं। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिन्नाई सोच के आगे जो कांग्रेस का आत्मसमर्पण था, उसने सबसे पहले विभाजनकारी सोच को पोषित किया और जो उसका पोषण था, उसने अंततोगत्वा इस देश का विभाजन कर दिया। विभाजन पहले उन्होंने वंदे मातरम् का नहीं किया, बल्कि विभाजन की नींव डाली और वही नींव 1947 में हमारे देश के विभाजन का कारण बनी। मैं यह कहना चाहता हूँ कि वंदे मातरम् को बांटना ही विभाजन की नींव था, बीज बोना था। माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा कि यह बात सही है कि लाखों लोग मारे गए और उजड़ गए। उन पर चार अंतरो की चुप्पी आज भी एक त्रासदी की चीख की तरह चिल्ला रही है। यह सत्य कभी विस्मृत नहीं होना चाहिए।

मान्यवर, अरुणा आसिफ अली, मातांगिनी हाजरा 1942 में वंदे मातरम् कह कर भारत छोड़ो आंदोलन की प्रहरी बनकर सामने आई थीं। ये मुस्लिम थीं और वंदे मातरम् का नारा दे रही थीं। आप भूल गए ब्रिगेडियर उस्मान को, आप भूल गए मौलाना आजाद को, मोहम्मद रफी ने तो गाना गाया था। अशफाक उल्ला खान हमारे उत्तर प्रदेश के थे और वंदे मातरम् कहते हुए फांसी पर चढ़ गए और बेगम हज़रत महल का गान सारे लोगों ने किया। यानी जो मुस्लिम क्रांतिकारी थे, वे भी वंदे मातरम् के साथ जुड़े थे। आपने उनका विभाजन किया। यह विभाजन, काटो, डांटो, बांटो, अलग करो और राज्य करो, कांग्रेस का कार्य था। वह शायद अंग्रेजों से विरासत के रूप में मिल गया था। मैं कहना चाहता हूँ कि आज समय का बदलाव है और इस समय के बदलाव के साथ आज की एक महती आवश्यकता यह है कि हम पूर्ण वंदे मातरम् के पक्षधर हैं।

हम एक शक्तिशाली, एकीकृत भारत के हिमायती हैं। हम उस किसी भी राजनीति को अस्वीकार करते हैं, जो हमारी राष्ट्रीय आत्मा को कमजोर करे। हम 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के

<sup>£</sup> Exupnged as ordered by the Chair.

निर्माण में संकल्पित हैं, जो सांस्कृतिक रूप से आत्मविश्वासी, आर्थिक रूप से सशक्त और आध्यात्मिक रूप से जागृत हो। यह सदन एक संदेश दे कि कोई हमारी मां को बांट नहीं सकता, कोई वंदे मातरम को बांट नहीं सकता, कोई भारत को बांट नहीं सकता। यह उद्घोष केवल इसलिए नहीं है, मैंने इसीलिए कहा कि आज कुछ लोग बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय महोदय और रबीन्द्रनाथ टैगोर जी के मत को मतांतर करके विसंगति पैदा करना चाहते हैं।

उपसभापति महोदय, मैं आज पुरानी संभावनाओं में एक समाचार पत्र देख रहा था। लाहौर में एक उर्दू अखबार छपता था। वह जो उर्दू अखबार था, उसका नाम था - वंदे मातरम। उस उर्दू अखबार के मालिक और सारे कर्मचारी मुस्लिम हुआ करते थे। मैं और देख रहा था 1947 का हिन्दुस्तान का पत्र। वह 16 जुलाई, 1947 का है। उसमें 16 जुलाई, 1947 को heading थी - कांग्रेस द्वारा भारत विभाजन की योजना को स्वीकृति। यानी कांग्रेस ने विभाजन की योजना को स्वीकृत कर दिया। आप कहते हैं कि हम कारण नहीं थे। कारण परिस्थितियां थीं, लेकिन आपने परिस्थितियां पैदा क्यों होने दीं?

तृणमूल कांग्रेस के जो विद्वत लोग थे, उन्होंने उद्घोष किया। मैं उनसे कहूंगा कि आप वहां जाकर देखिए, हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी के एक मुस्लिम सांसद ने अपनी सांसद निधि से उसको बनवाया था। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं, लेकिन उन्होंने क्या किया, बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय जी के नाम पर बनी हुई जो लाइब्रेरी थी, आज वह उजाड़ पड़ी है, कुत्ते सो रहे हैं, मजदूर सो रहे हैं, गंदे कपड़े पड़े हुए हैं। जब वहां कोई गया, तो सड़क तोड़ दी गई। ...**(व्यवधान)**... आप इस प्रकार की विकृतियों को ...**(व्यवधान)**... आप वोट चाहते हैं, ...**(व्यवधान)**...

**श्री उपसभापति:** आप बोलिए, आपकी बात रिकॉर्ड पर जाएगी।

**डा. दिनेश शर्मा:** लेकिन वंदे मातरम का जो उद्घोष है, उसको तो आप करते हैं, लेकिन आज उनकी जो विरासत है, ...**(व्यवधान)**... आप उनकी विरासत को देखना नहीं चाहते। ...**(व्यवधान)**... इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह समसामयिक परिचर्चा वंदे मातरम के संदर्भ में नहीं है, यह राष्ट्र के स्वाभिमान के संबंध में है। ...**(समय की घंटी)**...

**श्री उपसभापति:** आप खत्म करिए।

**डा. दिनेश शर्मा:** सर, आपने मुझे समय दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Sana Sathish Babu; he will speak in Telugu.

SHRI SANA SATHISH BABU (Andhra Pradesh): Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir. I will speak in Telugu. &“This subject is closely connected to my constituency, Kakinada. It is indeed an honour for me to participate in this Special Discussion today, marking 150 years of our national song, “*Vande Mataram.*” *Vande Mataram* was written by Bankim Chandra Chatterjee. Through this song, he did not advocate any particular religion. Instead, he gave a soul to India at a time when the nation was under foreign rule. This song embodies the Indian ethos of revering the motherland as a mother.

Mr. Deputy Chairman Sir, I wish to share an important historical fact here. Exactly 102 years ago, on 28<sup>th</sup> November 1923, a sorrowful incident took place during the All India National Congress Session held in my hometown, Kakinada. At that AICC meeting, the then President of the Indian National Congress, Maulana Mohammad Ali Jauhar, walked out of the proceedings, demanding that *Vande Mataram* be boycotted. We consider that walkout an unfortunate moment an insult to the national song. Last month, we celebrated the 150th anniversary of *Vande Mataram* in Kakinada. Yet, for the past century, the very road taken by Maulana Mohammad Ali Jauhar during that walkout continued to bear his name.

Responding to the call given by Shri Nara Chandrababu Naidu Garu, the entire State Government of Andhra Pradesh was celebrating *Vande Mataram*. On the occasion of the 150th anniversary of *Vande Mataram*, on 7<sup>th</sup> November 2025, we took a historic decision. On that day, along with my colleagues, Shri Radha Mohan Das Agarwal and the Andhra Pradesh BJP President Shri P. V. N. Madhav Garu, I had the privilege of officially renaming that street as “Vande Mataram Marg.” I consider this nothing short of a blessing. This is not merely a change of a street name. It is a tribute to India’s national consciousness. It is history giving justice to a song that united our nation. The message that goes from my hometown, Kakinada, to the entire country is this. History should not divide us. We must learn from history and unite.

Sir, on this solemn and historic occasion of celebrating 150 years of *Vande Mataram*, I express my heartfelt gratitude to my Party President, Shri Nara Chandrababu Naidu Garu, for giving me the opportunity to speak in this august House. Vande Mataram! Bharat Mata Ki Jai!”

---

& English translation of the original speech delivered in Telugu.

[THE VICE-CHAIRMAN (DR. DINESH SHARMA) *in the Chair.*]

THE VICE-CHAIRMAN (DR. DINESH SHARMA): Now, Shri Shambhu Sharan Patel. You have five minutes.

**श्री शंभू शरण पटेल (बिहार):** उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे 'वंदे मातरम्' जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए अवसर कर दिया। मैं इसके लिए फिर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

महोदय, हमारे राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत हम सभी लोक सभा और राज्य सभा में, दोनों सदनों में, सभी सांसदगण इसकी अच्छाइयों पर चर्चा कर रहे हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जो दोनों सदन में चर्चा के लिए आया है। मैं देश के यशस्वी प्रधान मंत्री, आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी को इस बात के लिए धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ कि आपने राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के 150 वर्ष पूर्ण होने पर, इस पर के चर्चा के लिए दोनों सदनों में यह विषय लाए हैं।

महोदय, 'वंदे मातरम्' केवल दो शब्दों का संयोजन ही नहीं है, बल्कि यह भारत माता के चरणों में अर्पित एक स्तुति है, एक अर्चना है। 'वंदे मातरम्' बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय जी के कलम से निकला वह उद्घोष है, जिसने परतंत्र की बेड़ियों को तोड़ने का हौसला दिया। यह गीत पहली बार उनके उपन्यास 'आनंद मठ' में प्रकाशित हुआ और देखते-देखते यह स्वतंत्रता संग्राम का रणघोष बन गया। लाठी-गोली की परवाह नहीं करते हुए हमारे क्रांतिकारियों ने इस मंत्र को अपने होठों पर सजाकर, हंसते-हंसते फांसी के फंदों को चूमा। यह सिर्फ एक गीत ही नहीं है, बल्कि यह भारत की समृद्धि, सुंदरता और शक्ति का वर्णन है। यह उस सभ्यता और संस्कृति का गुणगान है, जिस पर हम सभी भारतीयों को गर्व है।

महोदय, करोड़ों कंठ का मधुर नाद, करोड़ों हाथों में मां की रक्षा का संकल्प, यही है - हमारा 'वंदे मातरम्'। 'वंदे मातरम्' पर बहुत से लोगों ने बहुत कुछ कहा। ...**(व्यवधान)**... उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा माइक काम नहीं कर रहा है।

**उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा):** आपका माइक काम कर रहा है।

**श्री शंभू शरण पटेल:** जी, अब काम कर रहा है।

महोदय, कल विपक्ष के साथियों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनसे जुड़े हुए लोगों के बारे में टिप्पणियां कीं कि उनको राष्ट्रवाद से कोई मतलब नहीं है। मैं एक छोटा-सा एक example देकर, एक घटना का जिक्र करते हुए, आगे बढूंगा।

महोदय, जब बंग-विभाजन के बाद ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियां लोगों पर थोपी जाने लगीं और यह सरकारी आदेश जारी हुआ कि विद्यालयों में जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, वे राजनीतिक गतिविधियों और स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनों में भाग नहीं लेंगे। इसके अलावा एक नोट जारी हुआ, जिसको Risley Circular के नाम से जाना जाता था। इसके अतिरिक्त, 'वंदे मातरम्' और 'तिलक महाराज की जय' उद्घोष को भी प्रतिबंधित कर दिया गया था।

महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि सन् 1907 ईस्वी में नागपुर में City School नामक एक विद्यालय में जब वार्षिक निरीक्षण करने के लिए एक अंग्रेज ऑफिसर आया था। जब उस अंग्रेज ऑफिसर ने स्कूल में प्रवेश किया, तो वहां के छात्रों ने अपने आप में एक योजना बनाई कि जब भी कोई अंग्रेज इस स्कूल में आएगा, तब हम लोग उसका 'वंदे मातरम्' से स्वागत करेंगे। उस समय उन छात्रों का नेतृत्व केशव नामक एक छात्र कर रहा था। मैं उसके बारे में आगे बताऊंगा। जब अंग्रेज ऑफिसर नागपुर के उस स्कूल में निरीक्षण करने के लिए आया, तब उनका 'वंदे मातरम्' से वहां स्वागत किया गया। इससे वह अंग्रेज ऑफिसर नाराज हो गया और नाराज होकर वह वहां से चला गया। इसके बाद उस समय उस स्कूल के जो प्रबंधक थे, चेयरमैन थे, वे बिपिन कृष्ण बोस जी थे। उसने इनको पत्र लिखा और कहा ...(व्यवधान)...

महोदय, मुझे और एक मिनट का समय दीजिए।

**उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा):** नहीं, नहीं, जो समय है, उसी में आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

**श्री शंभू शरण पटेल:** महोदय, मुझे 1 मिनट का और समय दीजिए, उसको आगे मेरे समय से काट लीजिएगा।

**उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा):** ऐसा नहीं होता है। कृपया आप बोलिए।

**श्री शंभू शरण पटेल:** महोदय, उन्होंने प्रबंधन को यह निर्देश दिया कि जो छात्र 'वंदे मातरम्' कह रहे हैं, उनको स्कूल से निष्कासित किया जाए और उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। महोदय, वह छात्र कोई और नहीं, बल्कि छात्र का नेतृत्वकर्ता केशव जी थे, जिन्होंने बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना की। उनका नाम डॉ. केशवराव बलिराम हेडगेवार है। उन्होंने 'वंदे मातरम्' नहीं बोलने के आदेश को इंकार कर दिया था।...(व्यवधान)...

**उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा):** धन्यवाद। नेक्स्ट..

**श्री शंभू शरण पटेल:** महोदय, मुझे 30 सेकंड का समय दिया जाए। मुझे कंक्लूड तो करने दीजिए। जब स्कूल प्रबंधक ने डॉ. केशवराव बलिराम हेडगेवार जी को कहा कि आप 'वंदे मातरम्' नहीं

बोलिए, नहीं तो आपको स्कूल से निष्कासित कर दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं 'वंदे मातरम्' बोलूँगा। अगर इसके लिए मुझे 100 बार भी सजा होगी, तो मैं उस सजा को भुगतने के लिए तैयार हूँ।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. DINESH SHARMA): Shri Rwngrwa Narzary, not present. Shri Samik Bhattacharya. You have 15 minutes.

SHRI SAMIK BHATTACHARYA (West Bengal): Sir, I thank you for giving me the opportunity. कल से सदन में इस पर चर्चा हो रही है और दोनों सदनों में चर्चा सुनने के बाद मैं यह महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ ऐसा कोई नेता मौजूद है, जिनकी उम्र 60 साल नहीं, बल्कि 160 साल है और कुछ पार्टियों की बातें सुन कर ऐसा लग रहा है कि उस पार्टी का जन्म 'इंडियन नेशनल कांग्रेस' से पहले ही हो गया था। वे इतनी बारीकी से, विस्तार से बोल रहे थे कि कांग्रेस ने 'वंदे मातरम्' को कैसे अपनाया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस ने 'वंदे मातरम्' को अपनाया है, 'वंदे मातरम्' के लिए लड़ाई लड़ी है और स्वतंत्रता सेनानियों के साथ 'वंदे मातरम्' का नारा दिया है। चूँकि इस चर्चा में बार-बार रबीन्द्रनाथ टैगोर और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का नाम लिया जा रहा है, इसीलिए मैं आपकी इजाजत से यह पत्र आपके सामने रख रहा हूँ।

Netaji Subhas Chandra Bose wrote a letter to Ramananda Chatterjee, father of modern journalism, editor and owner of Modern Review on 20<sup>th</sup> October, 1937. Netaji wrote, "I am delighted to have received your letter. I will reach Calcutta on 24<sup>th</sup> and will stay there for a week. My address is 38/2, Elgin Road. Mahatma ji and Pandit Nehru ji will reach Calcutta on 26<sup>th</sup> and will stay in Woodburn Park. I will be grateful if you can kindly discuss with Mahatma ji regarding *Vande Mataram*. I need your earnest help in this regard and will be very grateful. I am the only Bengali in the Congress Working Committee and have no idea what action will be taken by them in this regard. If it is possible, kindly request Mr. Tagore to communicate this to Mahatma ji." यह 20 अक्टूबर को लिखा जा रहा है, लेकिन 19 अक्टूबर से ही हिन्दू महासभा ने चारों तरफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिया था कि अब 'वंदे मातरम्' को खंडित नहीं किया जा सकता है। उस समय इसको लेकर अखबार में एक लेख भी लिखा गया - 'Do not surrender lofty Anthem at the altar of communal dichotomy'. उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक पत्र लिखा। 26 और 27 अक्टूबर, 1937 को कोलकाता में कांग्रेस का अधिवेशन था, इसलिए 26 या 27 तारीख को निर्णय लेना था, लेकिन 25 तारीख को नेहरू जी अपने मित्रों को लिख रहे हैं- On 25<sup>th</sup> October, 1937, Nehru ji wrote, "We have recognized that in the rest of the song, there is ideology, images, allegory etc., which people of various groups cannot put up with."

“... Remember, we are thinking in terms of a National Song for all India. Therefore, if there is an ideology which various groups in India cannot honestly and sincerely accept, then it is an improper ideology for a National Song.” यह नेहरू जी 25 तारीख को लिख रहे हैं, जबकि निर्णय 26 तारीख को हुआ। यह सब लिखा हुआ है। हमारा यह सोचना है कि जब 1885 से 1990 तक का जितना समय था, उस समय की कांग्रेस और उसके बाद की कांग्रेस - बार-बार रबीन्द्रनाथ टैगोर का नाम लिया जा रहा है, क्या हुआ था रबीन्द्रनाथ टैगोर के सामने? After the Jallianwala Bagh massacre, तीन दिन बाद रबीन्द्रनाथ टैगोर को असलियत का पता चला about the brutality of that incident. Dinabandhu Andrews को उन्होंने गांधी जी के पास भेजा और उन्होंने यह बोला कि हमारे पास जो खबर है, हम कुछ ही दिनों में दिल्ली आ रहे हैं। आप दिल्ली में इंतजार कीजिए, हम दिल्ली पहुंचने वाले हैं। अगर हम दोनों पंजाब पहुंच जाएंगे और एक साथ उसके भीतर जाएंगे, तब एक बड़ा प्रोटेस्ट हो सकता है। तब गांधी जी ने इसमें कोई इंटरैस्ट नहीं लिया। उसके बाद, देशबंधु चित्तरंजन दास को बुलाया गया। उनसे एक बड़ी मीटिंग को अरेंज करने के लिए कहा गया। चित्तरंजन जी ने पूछा कि उस मीटिंग को प्रिसाइड कौन करेंगे? टैगोर राजी हो गये। उन्होंने पूछा कि क्या आप भाषण देंगे, तो टैगोर जी ने कहा कि हाँ, हम भाषण देंगे। फिर उन्होंने कहा कि जब आप भाषण भी देंगे, प्रिसाइड भी करेंगे, तो मीटिंग भी आप ही बुला लीजिए। उस जमाने में रबीन्द्रनाथ टैगोर के साथ कांग्रेस का संपर्क कैसा था, इसमें कुछ नया बताने की जरूरत नहीं है। रबीन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड त्याग दिया, जिसको एक हथियार बना लिया गया। उसके बाद क्या हुआ?

1911 में, जब जॉर्ज पंचम भारत में आ रहे थे, उस समय कांग्रेस का एक नेता, बैरिस्टर आशुतोष चौधरी ने रबीन्द्रनाथ से रिक्वेस्ट किया था कि आप एक ऐसा गाना लिख दीजिए, जिसमें इनकी थोड़ी स्तुति हो जाए। रबीन्द्रनाथ का जो मत था, उसे वे 1937 और 1939 में दो पत्रिकाओं में लिखकर गए हैं। लेकिन, उस समय हुआ क्या था? उस समय रबीन्द्रनाथ के परिवार का एक व्यक्ति, सरला देवी चौधरानी के हस्बैंड, जो कि रामभज दत्त चौधरी थे, उन्होंने एक गाना लिखा, जिसका नाम था - "हमारा बादशाह।" दोपहर में धीरेंद्रनाथ के ऑर्केस्ट्रा के साथ एक समावेशी गीत हुआ, "जन-गण-मन अधि" और शाम को कांग्रेस ने "हमारा बादशाह" गाना चला दिया। The very next day, the Statesman and the Englishman, इन दो पत्रिकाओं के अलावा एक और पत्रिका भी थी। इन तीनों ने pro-British magazine में यह लिखा कि रबीन्द्रनाथ ने George the V की स्तुति के लिए गाना गाया। ...(व्यवधान)... प्लीज, सुनिए।

**उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा):** पहले पूरी बात सुनिए।

**श्री सामिक भट्टाचार्य:** इसको एक myth बना दिया गया। 1937 में Bichitra और उसके बाद, Purbasha में रबीन्द्रनाथ ने स्पष्ट कर दिया कि यह रिक्वेस्ट सुनकर हमारे मन में इतनी घृणा,

इतनी हताशा, इतना क्रोध पैदा हुआ कि हमने एक दूसरा गाना लिखा, हमने किसी जॉर्ज पंचम और किसी जॉर्ज षष्ठम के लिए गाना नहीं लिखा।

सर, इसी समय, 1904 में एक और गाना आया - "सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा।" लेकिन, जिस इकबाल के इस गाने को लेकर सभी जगह आज इतनी चर्चा हो रही है और हम लोग इस गाने के बारे में बहुत बार सुन रहे हैं, इसके बारे में बहुत लोग बातें कर रहे हैं, वहीं जिन्ना, जिन्होंने एक बार कहा था कि यह "वंदे मातरम्" चीज क्या है? A non-practising Muslim, जिसके खान-पान के साथ किसी धर्म या मजहब का कोई संबंध नहीं था। 1937 के पहले के जिन्ना और 1937 का जिन्ना संपूर्ण रूप से दूसरा है, लेकिन इस मोहम्मद इकबाल ने tarana-e-milli में 1910 में लिखा - "चीन और अरब हमारा, हिंदोस्तां हमारा, मुस्लिम हैं हम, वतन है सारा जहाँ हमारा।" इन्होंने और लिखा - "तौहीद की अमानत सीने में है हमारे, आसान नहीं है मिटाना, नाम-ओ-निशाँ हमारा।"

महोदय, इस देश में दो धाराएँ चलती रही हैं। सर, 1937 में जो हुआ, उसका रबीन्द्रनाथ टैगोर जी से कोई संबंध नहीं है। टैगोर जी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की चिट्ठियों से स्पष्ट है कि वे वंदे मातरम् के छंदों को अलग करने के पक्ष में नहीं थे। कल यहां कहा गया कि हिंदू महासभा इसके पक्ष में थी - यह तथ्यात्मक रूप से गलत है। हिंदू महासभा ने 19 से 27 तारीख तक इसका protest किया था। 1937 से 1939 तक सावरकर जी के जितने भी भाषण हैं, उनमें उन्होंने वंदे मातरम् का उल्लेख किया है और इसके संदेश को आगे बढ़ाया है।

सर, आज जो नारा 'सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा' बार-बार बोला जा रहा है, उसी इकबाल ने 1930 की इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस में दो अत्यंत महत्वपूर्ण बयान दिए थे। मैं उसके दो स्टेटमेंट्स सुनाता हूँ, "If the principle of self-government is the basis of political structure, then, the Muslims are justified in demanding the formation of a Muslim India within India." The next statement is: "To my mind, a unitary India is impossible. The future Constitution of India must be federal and must give the Muslims a large, major autonomy. I, therefore, demand the formation of a consolidated Muslim State in the best interests of India and Islam." कोलकाता में उस समय नारे शुरू हो गए - आज यहां जितने कम्युनिस्ट लोग बैठे हैं, उनका क्या स्टैंड था। Minority has a right to self-determination. We want the right to self-determination. कोलकाता में उस समय नारे गूंजने लगे "कान में बीड़ी, मुंह में पान, लड़ के लेंगे पाकिस्तान।" और "पहले पाकिस्तान देना पड़ेगा, तभी भारत स्वाधीन होगा" - Direct Action Day की बात हुई। सोहराबुद्दीन ने घोषणा भी कर दी। कल कई वक्ताओं ने यह भी कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का गठबंधन मुस्लिम लीग के साथ था। लेकिन सत्य यह है कि 'कृषक प्रजा पार्टी' मुस्लिम लीग से अलग होकर फज़लुल हक द्वारा बनाई गई थी। जिन्ना और सुरहावर्दी से मतभेद होने के कारण उन्होंने लीग छोड़ी और उसी परिस्थिति में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उनके साथ मिलकर सरकार बनाई।

इस सरकार के गठन में मुख्य भूमिका किसकी थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई शरद चंद्र बोस की थी। वे कैबिनेट में न जा पाए, इसलिए पहले ही दिन रातों-रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जो लोग आज इस मंत्री सभा की बात कर रहे हैं, उनको जानना चाहिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के forward block के दो कैबिनेट मिनिस्टर्स इस मंत्री सभा में थे। एक वर्ष के भीतर ही डॉ. मुखर्जी ने त्यागपत्र दे दिया और जहां तक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संबंध है, आज अगर हम पश्चिम बंगाल के लोग खड़े होकर गर्व से कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं, तो उसका श्रेय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जाता है। सर, हम बहुत सा इतिहास भूल गए हैं। आज आपका फरक्का बैराज नहीं होता - वह सज्जन जो वहां बैठे हैं सुखेंदु शेखर राय, उनके पिताजी शिवेंदु शेखर राय का नाम और योगदान इतिहास से लगभग मिटा दिया गया। In spite of all odds शिवेंदु शेखर राय, बंगाल के जमींदारों को एकजुट कर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मेघनाथ साहा और रमेश चंद्र मजूमदार के पास लाए थे। जिसने Bengal Boundary Commission में लीड किया था कि मालदा जिला पाकिस्तान नहीं, हिंदुस्तान में ही रहे, उसका नाम शिवेंदु शेखर राय था। इतिहास में उनकी एक भी तस्वीर दर्ज नहीं है। - We are enjoying the topographic advantage of Farakka Barrage. अगर वे नहीं होते, तो यह संभव नहीं होता। मैं सभी सदस्यों के सामने मांग करता हूँ कि उनकी एक तस्वीर संसद भवन में लगाई जाए और उन्हें सम्मान दिया जाए। सर, पूरा कोलकाता जल रहा था, वे बंगाल के partition की बात कर रहे हैं।

राम भी आया, सीता भी आया, एक-साथ हैं। हम उनके बारे में क्या बोलें। वे most talented person हैं। पार्टिशन पर साइन किसने किया? जो स्पेशल हिंदू होमलैंड बिल लाया गया था, उसमें यह था कि बंगाली हिंदुओं के लिए सेपरेट होमलैंड चाहिए। यह आंदोलन डा. मुखर्जी ने खड़ा किया था और उनके साथ एन.सी. चटर्जी, जदुनाथ सरकार, रमेश चन्द्र मजूमदार, मेघनाद साहा, रानी ज्योतिर्मयी और कांग्रेस के सारे हिंदू इकट्ठा हो गए। जो कम्युनिस्ट पार्टी भारत को 28 हिस्से में बांटकर फिर dominion status देने की बात करती थी, जो minority has a right to self-determine की बात करते थे, two-nation theory में विश्वास करते थे, आगे वही कम्युनिस्ट पार्टी का नेता ज्योति बसु और रतन लाल जी ने भी उस दिन वोट दिया। उस दिन सारे हिंदू कांग्रेस विधायकों के साथ और हिंदू महासभा के विधायकों के साथ थे और इसी कारण आज हम लोग यहां खड़े हैं। आज भाषण के लिए कोई भी कुछ भी बोले जा रहा है। नेहरू जी की पार्टी के लोग मुस्लिम लीग की बात बोल रहे हैं। जब इंटेरिम गवर्नमेंट बनी, तो उसका वित्त मंत्री कौन था? उस वित्त मंत्री का नाम लियाकत अली खान था और वे मुस्लिम लीग के नेता थे। प्रणब मुखर्जी जी ने अपनी annual Budget Speech in 2010 में इसका जिक्र किया था कि 1947-48 का जो इंडियन बजट था, वह उन्होंने पेश किया था। ...**(समय की घंटी)**...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. DINESH SHARMA): Dr. Fauzia Khan; not present. ...*(Interruptions)*... जब तक पार्टी नहीं कहेगी, तब तक नहीं कर सकते।

SHRI SAMIK BHATTACHARYA: Sir, I want to conclude.

**उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा):** जब तक पार्टी की तरफ से नहीं कहा जाएगा, तब तक समय नहीं दिया जाएगा। आपको पहले ही बता दिया था कि एक मिनट का समय है। डा. फौजिया खान। Not present. सामिक जी, आपको पार्टी से निवेदन करना चाहिए। आप एक मिनट के अंदर अपनी बात समाप्त कीजिए।

**श्री सामिक भट्टाचार्य:** \* चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. DINESH SHARMA): Next is Shri Kanad Purkayastha. ...(*Interruptions*)...

**श्री सामिक भट्टाचार्य:** यह राजनीति कितने दिन चलेगी? ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. DINESH SHARMA): Next is Shri Kanad Purkayastha. ...(*Interruptions*)... Shrimati Rajathi. ...(*Interruptions*)...

**श्री देरेक ओब्राईन:** सर...(**व्यवधान**)...

**उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा):** जब आपकी बारी आएगी, आप तब बोलिएगा। Now, Shri Kanad Purkayastha — maiden speech. आपका प्रथम भाषण है। सामिक जी, आप सब बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... अभी बारी आएगी, तो आपको बोलने देंगे। सामिक जी, आप सब बैठ जाइए। आपकी बात आ गई है।

**श्री कणाद पुरकायस्थ (असम):** उपसभाध्यक्ष महोदय, आज इस ऐतिहासिक चर्चा में भाग लेने का मौका देने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। सर, दो दिन से यहां चर्चा चल रही है। ...(**व्यवधान**)...

**उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा):** सभी सदस्य बैठ जाइए। मैं आपको कणाद पुरकायस्थ जी के बाद बुलाता हूँ।

---

\* Not recorded.

**श्री कणाद पुरकायस्थ:** हमारे सभी सम्माननीय सांसदों ने इस चर्चा में भाग लिया। उन्होंने अपने-अपने पक्ष रखे हैं। आज यह मौका देने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और इस ऐतिहासिक चर्चा पर अपने दो शब्द रख रहा हूँ। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आज की जो चर्चा है, यह एक ऐतिहासिक चर्चा है, जो हमारे राष्ट्र की आत्मा को सीधे स्पर्श करती है। मुझे इस पर बोलने के लिए अवसर प्रदान किया गया है। महोदय, यह वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूर्ण होने का अवसर है। यह वह रचना है, जिसने पीढ़ियों को प्रेरित किया, हमारे सामूहिक संकल्प को मजबूत किया और भारत की राष्ट्रीय चेतना का एक अभिन्न हिस्सा बन गया।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, वंदे मातरम्, जिसे बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय जी ने 1875 में लिखा, वह केवल एक साहित्यिक रचना नहीं थी, बल्कि एक पुकार थी, एक संदेश था, एक जागरण था। उस समय, जब भारत पराधीन था, इन शब्दों — *हे माँ, मैं तुम्हें वंदन करता हूँ*, ने करोड़ों लोगों के हृदय में स्वतंत्रता की ज्वाला प्रज्वलित कर दी। स्वतंत्रता संग्राम के शुरुआती दिनों से लेकर स्वदेशी आंदोलन के उत्कर्ष तक वंदे मातरम् का उद्घोष भारत की आजादी की यात्रा का प्रेरणा संगीत बन गया।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, इस गीत की शक्ति उसकी धुन में नहीं, बल्कि उसकी एकाकारी शक्ति में थी। वह शक्ति, जो भारत को, भारत के लोगों को भाषा, क्षेत्र, धर्म और पृष्ठभूमि की विविधताओं के पार एक सूत्र में बाँध देती थी। इसने सामान्य लोगों को असाधारण स्वतंत्रता सेनानियों में बदल दिया। इसने महात्मा गाँधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, खुदीराम बोस, उल्लासकर दत्ता और अनगिनत नेताओं को प्रेरणा दी, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जब हम इस अमर रचना के 150 वर्ष मना रहे हैं, तो हमें यह स्मरण करना आवश्यक है कि वंदे मातरम् केवल भारत भूमि का उत्सव नहीं, बल्कि उस सभ्यागत भावना का भी प्रतीक है, जो हममें विविधता, सहिष्णुता, साहस और करुणा की भावना परिभाषित करती है। महोदय, यह हमें याद दिलाता है कि देशभक्ति किसी को अलग करने का माध्यम नहीं, बल्कि समर्पण, एकता और साँझा जिम्मेदारी की भावना है। आज जब भारत विश्व मंच पर एक उभरती हुई शक्ति के रूप में स्थापित हो रहा है, तब ये मूल्य और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वंदे मातरम् हम सभी जन प्रतिनिधियों का आह्वान करता है कि हम संसद की गरिमा की रक्षा करें, उन लोकतांत्रिक आदर्शों को सुरक्षित रखें, जिनके लिए हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया और सुनिश्चित करें कि आने वाले 150 वर्ष सद्भाव, गौरव और राष्ट्रीय एकता के मार्गदर्शन में आगे बढ़ें।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, इस ऐतिहासिक क्षण का उत्सव मनाते हुए हम बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय जी को नमन करते हैं, जिन्होंने हमें ऐसी रचना दी, जो आज भी देश के हर कोने में गूँजती है। इसी अवसर पर हम अपनी प्रगति, एकता और मातृभूमि की उन्नति के प्रति अपने सामूहिक संकल्प को पुनः दृढ़ करते हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर पवित्र मातृभूमि को नमन करता हूँ और गर्व से कहता हूँ, वंदे मातरम्!

**उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा):** कणाद पुरकायस्थ जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। Next speaker is Shrimati Rajathi. It is her maiden speech. You can speak for ten minutes. She would speak in Tamil.

SHRIMATI RAJATHI (Tamil Nadu): &“Hon. Chairman Sir, Vanakkam. I thank you for giving me this opportunity. I begin my first speech by thanking the great leader Kalaignar, who secured rights and freedom for countless women in Tamil Nadu, our Chief Minister and leader of the Dravidian Model government, Thiru M.K. Stalin, who has given me — a woman from a minority community — the opportunity to stand here and speak \* our ideological heir and Deputy Chief Minister, hon. Udhayanidhi Stalin; and the leader of our party in the Rajya Sabha, our elder brother Shri Tiruchi Siva, who permitted me to speak in this debate, I thank all of them.

Sir, India is not united by a single religion. It is united by justice, equality, social harmony, and humanity. While we are stuck in endless debates about “Vande Mataram,” what are the real problems India is facing? What are the true challenges to national unity? And how do we actually build a truly united country?

Sir, this debate has not been brought for the sake of the nation’s unity. With the upcoming West Bengal elections, there is an attempt to revive the old divisive politics of blaming the Congress and Jinnah. When real issues exist, raising the “Vande Mataram” debate for electoral gain is nothing but political drama meant to distract the people. Emotional politics is being deliberately used to divert attention from economic growth, rising prices, unemployment, and livelihood issues. With the forthcoming elections in mind, identity politics is stimulated. The names of national symbols that are supposed to unite everyone are used as political weapons. This will only create unnecessary division and tension.

The House must remember: “Vande Mataram” is a song that came from the novel “*Anandamat*”. When India and Pakistan were divided into two nations, we Muslims still held onto one belief, that is, “India is our motherland, and we will make our home here. Our ancestors stayed in India with this firm conviction, believing that the majority community are our brothers. Our families continued to live here with that

---

& English translation of the original speech delivered in Tamil.

\* Not recorded.

confidence. \* You question our patriotism, and you expect us to prove our patriotic spirit continuously. Wherever we have felt safe, you attempt to turn the majority against us. At this moment, we must remember Hazrath Mohani who raised the slogan "Inquilab Zindabad," Maulana Abul Kalam Azad who contributed to the freedom movement through his powerful writings, Mohammed Ismail popularly known as Quaid-e-Milleth and Surayya Tyabji, who helped design the Indian national flag. Sir, yesterday our leader mentioned about the association of Tipu Sultan and Velu Nachiyar. Though Tipu Sultan and Velu Nachiyar belonged to different religions, they united and fought against British rule. That is the true history. Emperor Akbar introduced the concept of *Din-i-Ilahi* in India, promoting equality among all religions and creating an administration that respected all faiths. He did not force any citizen to follow a particular religious symbol, song, or ritual.

Sir, hon. Home Minister, Shri Amit Shah, proudly spoke about the "Azadi Ka Amrit Mahotsav," claiming it was celebrated wonderfully even during the years of COVID. But a nation's true greatness lies not in celebration of festivals, but in protection of people during crisis. \* Hon. Prime Minister says this is the "Amrit Kaal" and claims he will take India to the number one position in the world. \* Hon. Home Minister, Mr. Amit Shah said that children should be taught patriotism through "Vande Mataram."

#### 5.00 P.M.

Nehru spent many years in prison for India's freedom. Sir, yesterday, hon. Home Minister mentioned what Mrs. Indira Gandhi, former Prime Minister of India, did during 1975. But I would like to remind you that your former leader Shri Atal Bihari Vajpayee, one of the great leaders of your own ideological lineage, called Mrs. Indira Gandhi "Maa Durga" in 1972 for the way she handled the Bangladesh war. It is now clear that you neither value nor accept the words of your own predecessors, and rewrite them. We do not do that. I would like to say that our leader continues to uphold the principles for which senior leaders of our Movement stood for. When Manonmaniam Sundaranar's *Tamil Thaaai Vaazhthu* was introduced, our leader Dr. Kalaignar removed the line "Outdated like Aryanism -- Disappearing from common

---

\* Not recorded.

discourses like Aryanism -- and shaped it into our Tamil anthem. With the good intention of treating everyone equally, our leader Dr. Kalaignar made this gesture. I would like to point out that our Dravidian model government, our administration, will never degrade any section of people. We treat everyone equally and do not hurt anyone's feelings. This ideal was the basis of this gesture."...(*Interruptions*)...

SHRI RAM CHANDER JANGRA: Sir, I have a point of order.

**उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा):** आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)...जांगड़ा साहब, बीच में प्वाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता है। इस विषय पर कोई ...(**व्यवधान**)... पहले इनकी बात खत्म हो जाने दीजिए। ...(**व्यवधान**)... इनके भाषण के बाद आपको बुलाएंगे। ...(**व्यवधान**)... इनके वक्तव्य के बाद पूछेंगे।

SHRIMATI RAJATHI: "Let me conclude with one last thought. Martin Luther King Jr. said in his famous speech, "I have a dream." Sir, we too have a dream to live in this country as fellow human beings, as brothers and sisters, as citizens united together harmoniously, to take this nation towards its next stage of progress. Thank you."

**उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा):** माननीय जांगड़ा साहब, आपको किस बात पर आपत्ति है?

**श्री रामचंद्र जांगड़ा:** सर, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर रूल नम्बर 240 के तहत है। सभापति, किसी ऐसे सदस्य के आचरण की ओर, जो वाद-विवाद में बार-बार असंगत बातें करे या जो स्वयं अपने तर्कों की या अन्य सदस्यों द्वारा प्रयुक्त तर्कों की उकता देने वाली पुनरावृत्ति करता रहे, राज्य सभा का ध्यान दिलाने के बाद उस सदस्य को अपना भाषण बंद करने का निदेश दे सकेगा। इसमें कोविड और अन्य चीजों का जिक्र किया, जबकि विषय वंदे मातरम् है।

**उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा):** जांगड़ा साहब, आपकी बात रिकॉर्ड पर आ गई है।

**श्री रामचंद्र जांगड़ा:** सर, बाकी की बातों को डिलीट कीजिए।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. DINESH SHARMA): As per convention, the maiden speech is not interrupted. ...(*Interruptions*)... प्रथम भाषण के बीच में व्यवधान नहीं होता है, लेकिन अगर कोई गलत बात होगी, तो उसका परिक्षण करके निकाला जाएगा। Next speaker is

Dr. Sumer Singh Solanki. You have five minutes. प्रयत्न यह कीजिए कि पांच मिनट में ही समाप्त कर दें।

**डा. सुमेर सिंह सोलंकी** (मध्य प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, नर्मदे हर! वंदे मातरम! मातृभूमि है सब कुछ, इसलिए वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम। 150 वर्षों से धरा पर गुंजायमान है वंदे मातरम, देशभक्ति का गीत है वंदे मातरम, स्वतंत्रता का मूल मंत्र वंदे मातरम, बलिदान का मंत्र वंदे मातरम, ऊर्जा का मंत्र वंदे मातरम, सात्विकता का मंत्र वंदे मातरम, समर्पण का मंत्र वंदे मातरम, त्याग एवं तपस्या का मंत्र वंदे मातरम, आजादी के आंदोलन का मंत्र वंदे मातरम, कर्तव्य का मूल मंत्र वंदे मातरम, मायूसी में भी ऊर्जा का संचार वंदे मातरम, भारतीय जीवन दर्शन का प्रतीक वंदे मातरम, हर एक समस्या और अवसाद को समाप्त करने का मंत्र वंदे मातरम।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, यह गीत नहीं, बल्कि एक ऐसा मंत्र है, जो 140 करोड़ भारतीयों के मन में देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और स्वाभिमान की ऊर्जा का संचार करता है। वंदे मातरम, जो डेढ़ शताब्दी से अनवरत गुंजित हो रहा है, यह मात्र गीत नहीं, बल्कि राष्ट्र जागरण का वह दिव्य महामंत्र है, जिसने पराधीनता की बेड़ियों में जकड़े भारत को आत्मबोध का प्रकाश दिया, निराशा के घोर तमस में अस्मिता की ज्योति प्रज्वलित की, संघर्षों को संबल और स्वाधीनता का स्वरूप प्रदान किया। यह गीत संपूर्ण भारत की सामूहिक चेतना का प्रतीक है। यह चेतना हजारों वर्षों की सभ्यता, संस्कृति और अध्यात्म से निर्मित हुई है। इस गीत ने हमें यह सिखाया है कि राष्ट्र केवल एक भौगोलिक सीमा नहीं, बल्कि एक जीवंत संवेदनशील मातृ स्वरूपा सत्ता है, जिसके प्रति हमारी निष्ठा, श्रद्धा और समर्पण हमारी असली पहचान है। यह गीत भारतीय जीवन दर्शन का प्रतीक है। वंदे मातरम की रचना अपने आप में एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण था। ब्रिटिश शासन भारत की धार्मिक-सांस्कृतिक चेतना को कुचलने का प्रयास कर रहा था, तब बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय जी ने अपने उपन्यास आनन्द मठ में इस गीत को स्थान दिया। बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय जी ने सन् 1875 में जब इस गीत की रचना की, तब उन्होंने केवल काव्य नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने राष्ट्र की सोई हुई आत्मा को जगाने का संकल्प किया। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, यह गीत नहीं, यह संपूर्ण भारत की आत्मा का स्वर है। यह उस मातृभूमि की वंदना है, जिसकी कृपा से हम सब अस्तित्व पाते हैं। यही कारण है कि 24 जनवरी, 1950 को भारत की संविधान सभा ने सर्वसम्मति से वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता दी।

माननीय प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी के शब्दों में वंदे मातरम के गान में करोड़ों देशवासियों ने हमेशा राष्ट्र प्रेम के अपार उफान को महसूस किया है। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। आज भारत आत्मनिर्भरता और विकास की नई यात्रा पर अग्रसर है। इस यात्रा की मूल प्रेरणा वही है, जो डेढ़ शताब्दी वर्ष पूर्व बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय जी ने दी थी - मातृभूमि पर गर्व करने की भावना और कर्म को सेवा में बदलने की भावना। माननीय प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जब देश 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के मंत्र

के साथ आगे बढ़ रहा है, तब वंदे मातरम उस एकता की भावना को और गहराई देता है। यह गीत हमें स्मरण कराता है कि भारत की शक्ति उसकी विविधता में है, उसकी लोक जीवन भाषाओं और संस्कृतियों के समन्वय में है। वंदे मातरम का अर्थ केवल मातृभूमि को प्रणाम करना नहीं है, बल्कि यह वचन देता है कि उसकी रक्षा करेंगे, उसे समृद्ध और गौरवान्वित बनाएंगे। जब कोई किसान अपनी भूमि को उपजाऊ बनाता है, सैनिक सीमा पर डटा रहता है, शिक्षक अपने विद्यार्थियों में संस्कार बोता है और युवा नवाचार से देश का नाम रोशन करता है, तब वंदे मातरम अपने सार्थक रूप में जीवित रहता है। आज की युवा पीढ़ी को इस गीत के मूल भाव को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। तकनीकी युग की तेज रफ्तार में भी हृदय में मातृभूमि के प्रति प्रेम और कर्तव्य का संकल्प बना रहे, तब यह गीत अजर और अमर होगा। वंदे मातरम गीत में भारत माता की दिव्यता झलकती है, जो केवल भूभाग नहीं, बल्कि सभ्यता, संस्कृति व सनातन चेतना का जीव स्वरूप है।

**उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा):** आप conclude करिए।

**डा. सुमेर सिंह सोलंकी:** माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य है कि आज कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी वंदे मातरम पर प्रश्न चिह्न लगाने का साहस करते हैं और कभी इसको सांप्रदायिक कह कर सीमित करने का प्रयास करते हैं। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस ने इसके दो टुकड़े करने का काम किया था। फांसी के तख्ते पर चढ़ते क्रांतिकारियों के होठों पर अंतिम उच्चारण भी वंदे मातरम ही होता था। ...**(समय की घंटी)**...

**उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा):** सुमेर जी, धन्यवाद। आप conclude करिए।

**डा. सुमेर सिंह सोलंकी:** माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि लोक सभा में और राज्य सभा में भी 'वंदे मातरम्' पर चर्चा हो रही है। महोदय, मैं आपसे, आपके माध्यम से सरकार और सदन से भी आग्रह करता हूँ कि जब संविधान सभा ने 24 जनवरी, 1950 को इसको मान्यता प्रदान की ..

**उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा):** अब संक्षिप्त कीजिए।

**डा. सुमेर सिंह सोलंकी:** तो मैं आग्रह करता हूँ कि सदन के अंदर भी राष्ट्र गीत 'वंदे मातरम्' को पूरा गाया जाना चाहिए। मैं यह मांग करता हूँ। महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर! वंदे मातरम्!

**उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा):** माननीय ए.ए. रहीम। Three minutes. हम सबको बिल्कुल समय का ध्यान रखना है।

SHRI A. A. RAHIM (Kerala): Sir, thank you very much for the opportunity given to me. Sir, on 10th September, 1943, four warriors of Netaji Subhash Chandra Bose and INA Army were hanged by the British at St. George Fort, Madras, who were Vakkom Abdul Khader, Anandan Nair, Fauja Singh and Bardhan. Sir, only two people could be hanged at a time. One of those heroes was Vakkom Abdul Khader, who hailed from Thiruvananthapuram. He requested the jail officials as his final wish: "You kindly hang Anandan Nair with me," as Anandan Nair was also from Kerala. He further marked history with his immortal words. Sir, I quote: "You hang my comrade Anandan Nair with me. I am a Muslim and he is a Hindu. Let history record that a Muslim and a Hindu were hanged together for the fight against British colonialism." Sir, this is our history and this is our legacy. India fought against British Rule irrespective of caste, creed and religion. That is why 'Unity in Diversity' became the soul of Indian Constitution.

Sir, I would like to highlight another chapter of the history -- the 1941 Kayyur struggle. Madathil Appu, Kunjambu Nair, Chirukandan and Abu Bakr were hanged together. They were Communist and Kisan leaders. Sir, I would also like to recall another secular movement of our freedom struggle. In 1940, during the Anti-Imperialist Day protest, two communist leaders, Abu and Chatthukutty, were shot dead by the British. Muslims, Hindus, Christians, Tribals and Communists all fought against the British. \*

**उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा):** आप विषय पर आइए।

SHRI A.A. RAHIM: \*

**उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा):** यह विषय कुछ और है, लेकिन आप कुछ और ही बोल रहे हैं।

SHRI A.A. RAHIM: Sir, just a minute. All of his letters to the British ended with the words, "Your most obedient servant, Vinayak Damodar Savarkar." ...(*Time-bell rings*)...

---

\* Not recorded.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. DINESH SHARMA): Next is, Dr. Sangeeta Balwant. ...*(Interruptions)*...

SHRI A.A. RAHIM: Sir, Sir ... *(Interruptions)*...

**उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा):** आपका समय खत्म हो गया। ...*(व्यवधान)*... तीन मिनट से ऊपर नहीं। ...*(व्यवधान)*... डा. संगीता बलवन्त। ...*(व्यवधान)*... आधा मिनट बोलिए और विषय पर आधा मिनट बोलिए। ...*(व्यवधान)*...

**डा. संगीता बलवन्त (उत्तर प्रदेश):** माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 'वंदे मातरम्' चर्चा पर बोलने का जो अवसर दिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, मैं अपनी बात स्वरचित इन पंक्तियों से आरंभ करना चाहती हूँ:-

*"मातृभूमि को शीश झुका कर निस दिन वंदन हो जननी का।  
'वंदे मातरम्' के गुंजन से नित्य अभिनंदन हो जननी का।"*

महोदय, 'वंदे मातरम्' - ये दो शब्द कभी ब्रिटिश साम्राज्य के कोड़ों को रोक देते थे और ये दो शब्द सामान्य मनुष्यों को शहीद बना देते थे। बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय ने 7 नवम्बर, 1875 को कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन इसे लिखा था। उन्होंने सिर्फ एक गीत नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने स्वतंत्र भारत की भविष्यवाणी लिखी थी। उन्होंने भारत माता को केवल धरती नहीं, बल्कि धन में लक्ष्मी, ज्ञान में सरस्वती और शक्ति में दुर्गा के रूप में देखा। 'वंदे मातरम्' भारत की आत्मा है। यह केवल कविता नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता की गरज है। 'वंदे मातरम्' - यह शब्द नहीं, बल्कि माँ भारती की साधना है, माँ भारती की आराधना है। यह शब्द हमें इतिहास में ले जाता है। हमारे वर्तमान को आत्मविश्वास से भर देता है और हमारे भविष्य को एक नया हौसला देता है कि ऐसा कोई संकल्प नहीं, जिसकी सिद्धि न हो सके।

बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय जी का 'आनंदमठ' मात्र एक उपन्यास नहीं, बल्कि एक ऐसा मंत्र है, जिसने सबको देशभक्ति के भाव में डुबो दिया। 'वंदे मातरम्' से ऐसी ज्वाला निकली, जिसने लाखों भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा दी। आजादी के आंदोलन में जब भी इस गीत का नारा लगाया जाता था, तो स्वतंत्रता सेनानियों के मन में एक नई ऊर्जा, नया साहस भर जाता था। 1896 में रबीन्द्रनाथ टैगोर जी ने 'वंदे मातरम्' को धुन में पिरोया, इसे गाया। इसे वाणी और अमरता प्राप्त हुई। यह गीत भाषा और क्षेत्र की सीमाओं से आगे बढ़ कर पूरे देश में गूँज उठा। तमिलनाडु में सुब्रमण्यम भारती जी ने इसका तमिल अनुवाद किया और पंजाब में क्रांतिकारियों ने

इसे गाते हुए ब्रिटिश साम्राज्यवाद को खुली चुनौती दी। 1905 में 'बंग- भंग आंदोलन' के दौरान बंगाल में विद्रोह भड़क उठा। अंग्रेजों ने 'वंदे मातरम्' के सार्वजनिक पाठ पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर भी 14 अप्रैल, 1906 को बरीशाल में हजारों लोगों ने इस आदेश की अवहेलना की। जब पुलिस ने शांतिपूर्ण सभा पर लाठी चार्ज किया, तो क्या पुरुष, क्या महिलाएं, सभी सड़कों पर 'वंदे मातरम्' का नारा लगाते हुए लहूलुहान हो गए। वहाँ से 'वंदे मातरम्' का मंत्र गदर पार्टी के क्रांतिकारियों के साथ कैलिफोर्निया पहुँच गया। यह आजाद हिंद फौज में भी गूँजा, जब नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के सैनिक सिंगापुर से मार्च कर रहे थे। इस तरह यह 1946 में रॉयल इंडियन नेवी की क्रांति में भी गूँजा और जब भारतीय नाविकों ने ब्रिटिश युद्धपोतों पर तिरंगा फहराया, खुदीराम बोस से लेकर अशफाकउल्ला खान तक, चंद्रशेखर आजाद से लेकर तिरुपुर कुमारन तक का एक ही नारा था - 'वंदे मातरम्'।

**उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा):** कृपया समाप्त कीजिए।

**डा. संगीता बलवन्त:** महोदय, 26 अक्टूबर को 'मन की बात' कार्यक्रम में मोदी जी ने इसके लिए एक आह्वान किया। दो पंक्तियाँ कह कर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। यह मेरी स्वरचित पंक्तियाँ हैं :

*'जब वंदे मातरम निकलता है वीणा की तान से,  
मन गर्वित हो जाता है राष्ट्रीय गीत के गान से।  
झूल जाते थे फांसी पर वंदे मातरम बोलकर,  
गदगद थे शहीद, अपने इंकलाबी शान से।  
गदगद थे शहीद, अपने इंकलाबी शान से,  
मन गर्वित हो जाता है राष्ट्रीय गीत के गान से।*

बहुत-बहुत धन्यवाद।

**THE VICE-CHAIRMAN (DR. DINESH SHARMA):** Shri Jose K. Mani; three minutes.  
कृपया आप टाइम का ख्याल रखिएगा।

**SHRI JOSE K. MANI (Kerala):** Sir, every Indian, regardless of religion, region, language, caste or political belief, respects *Vande Mataram*. The song was the heartbeat of India's anti-colonial struggle. It was written not for political propaganda, but to inspire courage against oppression. We cherish it, we honour it, we admire it and it is part of our national soul.

However, the Government is using this moment as a distraction from the real crisis gripping the country. The BJP, whose ideological ancestors never participated in the freedom struggle, now wants to claim ownership over patriotism while hiding its failures.\*

**उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा):** आज का जो विषय है, उस पर बोलिए, नहीं तो ये सब जो आप बोलेंगे, वह दर्ज नहीं होगा।

SHRI JOSE K. MANI: \*...(Interruptions)....

**उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा):** आज का विषय, "वंदे मातरम् के 150 वर्ष" है। आप इसी पर बोलिए।

SHRI JOSE K. MANI: I am coming to the point. \*..(Interruptions)...

**उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा):** आप ऐसा करेंगे, तो आपका समय खत्म हो जाएगा। अब आपका समय नहीं बचा है।

SHRI JOSE K. MANI: Nationalism is also relating to patriotism. What service is the Government doing? \*...(Interruptions)...

**उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा):** आप विषय की तैयारी करके आया करें, क्योंकि विषय की जानकारी न होने से आप जो चाहते हैं, वह बोलते हैं, जो कि दर्ज नहीं होगा।

SHRI JOSE K. MANI: Instead of addressing this burning issue, the Government wants to create an atmosphere where the nationalism is measured not by service to the people, but by how loudly you chant slogans. The Government believes that celebrating 'Vande Mataram' will hide its failures. I am concluding. \*....(Interruptions)...

**उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा):** धन्यवाद। आपने एक भी शब्द विषय पर नहीं बोला है।

---

\* Not recorded.

SHRI JOSE K. MANI: They inserted themselves to places where they never stood. ...(*Interruptions*)... 'Vande Mataram' belongs to the people of India, not to any party. ...(*Interruptions*)...

**उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा):** अब आपकी कोई बात दर्ज नहीं होगी। अगले वक्ता श्री दोरजी त्शोरिंग लेप्चा हैं। आपके पाँच मिनट्स हैं।

**श्री दोरजी त्शोरिंग लेप्चा (सिक्किम):** माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात रखने से पहले इस ओजस्वी सदन में एक जानकारी देना चाहता हूँ। सिक्किम को देश से प्रदेश बने हुए 50 साल हो रहे हैं। हम इसकी गोल्डन जुबली मना रहे हैं। 1975 में सिक्किम देश से प्रदेश बना, लेकिन देश से प्रदेश बनने से पहले, जिस समय सिक्किम देश था, उस समय भी यह वंदे मातरम् गाना गाया करता था। वंदे मातरम् की रचना बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय बाबू ने की थी। यह गीत पहली बार 7 नवंबर, 1875 और कुछ स्रोतों के अनुसार, 1876 को साहित्यिक पत्रिका "बंग दर्शन" में प्रकाशित हुआ था। बाद में, 1882 में उनके उपन्यास "आनंद मठ" में वंदे मातरम् को शामिल किया गया। भाषा, स्वरूप और पहलू में वंदे मातरम् का मूल गीत संस्कृत और बंगाली मिश्रित भाषा में लिखा गया था। इसमें पहले की दो पंक्तियाँ संस्कृत में हैं, बाकी पद बंगाली में हैं। इस गीत के शुरू में वंदे मातरम्, वंदे मातरम् से देश और मातृभूमि के प्रति प्रेम, श्रद्धा और भक्ति का भाव व्यक्त होता है। इसका मतलब है, मैं मातृभूमि को नमन करता हूँ, भारत माता को प्रणाम करता हूँ, यानी इस गीत के माध्यम से मातृभूमि भारत को पवित्र माँ समझकर उसकी स्तुति की जाती है। स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीय जागरुकता में भूमिका निभाते हुए 1896 में रबींद्रनाथ टैगोर ने इस गीत को संगीतबद्ध किया और उसी वर्ष कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में इसे पहली बार सार्वजनिक रूप से गाया गया। 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ, तो उसके विरोध-आंदोलन में वंदे मातरम् ने जन आंदोलन में जन एकता की आवाज बनकर लोगों को जोड़ने में मदद की। स्वतंत्रता प्राप्ति तक और उसके आगे भी यह गीत देश की एकता और मातृभूमि-भक्ति का प्रतीक बन गया।

इसे संवैधानिक मान्यता और आधुनिक महत्व 24 जनवरी, 1950 को तब मिला, जब भारत की संविधान सभा ने वंदे मातरम् को आधिकारिक रूप से देश के राष्ट्रीय गीत, यानी नेशनल साँग के रूप में स्वीकार किया। भले ही जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है, लेकिन वंदे मातरम् को भी राष्ट्रगान के समान ही सम्मान प्राप्त है। 2025 में वंदे मातरम् की रचना के लगभग 150 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश में इसे यादगार रूप से मनाया जा रहा है। यह गीत आज भी राष्ट्रीय एकता, मातृभूमि-प्रेम और देशभक्ति का प्रतीक बना हुआ है। महोदय, वंदे मातरम् केवल एक कविता या गीत नहीं है, बल्कि यह भारतीयों की मातृभूमि के प्रति श्रद्धा, सम्मान, प्रेम और समर्पण की भावना का पवित्र प्रतीक है। स्वतंत्रता संग्राम के समय यही गीत लोगों को एक सूत्र में बांधता था और अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट रहने की प्रेरणा देता था। आज भी इसे सुनते या गाते समय हमें अपना इतिहास,

संघर्ष और उन बलिदानों की याद आती है जिनके कारण हम आज स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। महोदय, इस संदर्भ में मैं केंद्र सरकार से एक विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ कि देश के प्रत्येक सरकारी विद्यालय में वंदे मातरम् से संबंधित essay competition और quiz competition जैसी गतिविधियाँ अनिवार्य रूप से आयोजित की जाएँ। क्योंकि आज भी अधिकतर बच्चे, अभिभावक और यहाँ तक कि कई शिक्षक भी वंदे मातरम् को केवल एक गीत की तरह जानते हैं। इसके अर्थ, महत्व और इतिहास को समझाना अत्यंत आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ।

**उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा):** आपने समय से पहले अपना भाषण समाप्त किया है। सभी से अनुरोध है कि जितना समय allotted है, उसका पालन करें।

**श्री कपिल सिब्बल (उत्तर प्रदेश):** उपसभाध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। इस सदन में बहुत कुछ बातें ऑलरेडी कही जा चुकी हैं, तो मैं दोहराऊंगा नहीं। कुछ चंद बातें आपके सामने रखूंगा।

पहली बात यह है कि जो वंदे मातरम् का historical context है, उसको हमें समझने की ज़रूरत है। आनंद मठ लिखा क्यों गया था? इसके पीछे जो कॉन्टेक्ट है, वह यह है कि 1770 में बंगाल में famine हुआ और जब 1770 में famine हुआ, तो निश्चित रूप से जो खाद्यान्न था, वह किसानों को मिलना चाहिए था, लेकिन वह मिला नहीं और जो कॉलोनियल सरकार थी, उन्होंने वह खाद्यान्न खुद अपने troops के लिए भेज दिया और जो hoarders थे, वे अपने खाद्यान्न को होल्ड करने लगे। प्राइसेस बढ़ गए, And, ten million people died in Bengal in the famine. That is the context in which Anandmath was written, and what Anandmath says is the following कि उस समय क्या हुआ कि एक सन्यासी का rebellion हुआ। शांति एक सन्यासिन थी जिसका पति उसको छोड़ कर चला गया था। उसने colonial powers का सामना करने के लिए और जान देने को तैयार होने के लिए अपने आप को तैयार किया। शांति एक औरत थी जिसने अपना भेष बदला और एक पुरुष का भेष लेकर वह अपने हर्बैंड को ढूँढने गई। जब वह उसको मिला, तो उन्होंने कहा कि अब तो हम मिल गए हैं, चलो इकट्ठा लड़ाई लड़ते हैं और इकट्ठा लड़ाई किससे लड़ते हैं? जो अत्याचार करता है। तो उन दोनों ने अपनी जान दे दी। यह आनंद मठ की कहानी है। यह आज सदन में किसी ने नहीं रखी। इसके पीछे भेद क्या है कि मातृभूमि की रक्षा करना तो हमारा कर्तव्य है ही, लेकिन एक दूसरा कर्तव्य भी है जिसके बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। वह यह है कि जहां-जहां अत्याचार होगा, वहां हम विरोध करेंगे। यही असली आनंद मठ का मतलब है। कोई भी अत्याचारी वंदे मातरम् की बात नहीं कर सकता। जिसके खिलाफ अत्याचार हो, वही वंदे मातरम् की बात करेगा, चाहे वह कहीं भी हो। मैं आपको एक बड़ी इंटरस्टिंग बात बताता हूँ कि एक अंग्रेज़ था Henry Craik, 1937 में उसने हमारे स्वतंत्र सेनानियों के बारे में यह बोला, “Vande Mataram has been literally the war cry of the terrorists.” क्या मतलब था

कि जो वहां colonial power के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, उनको “terrorist” बुलाया गया। क्यों बुलाया गया, क्योंकि वे अपने हकों के लिए लड़ रहे थे, इसलिए बुलाया गया। आज कल जो हमारे छात्र हैं, वे टेररिस्ट हो गए हैं, हमारे जर्नलिस्ट टेररिस्ट हो गए हैं, उनके खिलाफ यूएपीए जैसी चीजें लग रही हैं। उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? सत्ता पक्ष के लोग तो लड़ नहीं सकते। अचम्भे की बात यह है कि ये वन्दे मातरम् की बात करते हैं, जबकि हमें वन्दे मातरम् की बात करनी चाहिए। वन्दे मातरम् हमें चलाना चाहिए। इनका क्या हक है, जबकि ये तो जनता के ऊपर रोज अत्याचार करते हैं। इनका क्या हक है?

सर, दूसरी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा कि यह Muslim appeasement है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि 25 अप्रैल, 1998 में यूपीए सरकार ने एक सर्कुलर इश्यू किया, जिसको ‘कल्प योजना’ बोलते थे। एक सर्कुलर इश्यू हुआ था, जिसके बारे में यह कहा गया कि हर गवर्नमेंट एडिड स्कूल में वन्दे मातरम् गाया जाएगा। उस समय वाजपेयी जी प्रधान मंत्री थे। वहां बड़ा बवाल हो गया। वहां बच्चों को स्कूल से बाहर कर दिया गया। वाजपेयी जी, जब नवंबर में उत्तर प्रदेश गए, तब उन्हें यह बात पता चली, तो उन्होंने कहा कि यह क्या हो रहा है। तब उन्होंने 3-4 दिसंबर में मीटिंग बुलाई और इस सर्कुलर को वापस लिया गया। यह इतिहास की बात है। उस समय कोई Muslim appeasement नहीं थी। वाजपेयी जी ने समझा कि हम विवाद की राजनीति नहीं करना चाहते हैं। उस समय बेसिक एजुकेशन का मंत्री डा. रवीन्द्र शुक्ला था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो वन्दे मातरम् है, वह मातृभूमि की रक्षा के लिए भी है, लेकिन अत्याचारियों के खिलाफ यह हमारा हक भी है। ...**(व्यवधान)**...

**उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा):** आप संक्षिप्त कीजिए, क्योंकि समय हो गया है।

**श्री कपिल सिब्बल:** हमारा मानव अधिकार है कि जहां-जहां अत्याचार होगा, हम उसके प्रति प्रोटेस्ट करेंगे। ...**(समय की घंटी)**...

**उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा):** आपका धन्यवाद। सभी के साथ एक-सा है। मैं समझता हूँ कि आपको बहुत सारे लोग सुनना चाहते हैं। आप एक विद्वेता है, लेकिन आप कम समय के लिए आते हैं, इसलिए कम लोग सुनते हैं।

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, please allow me to speak. ...**(Interruptions)**...

**उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा):** आपकी पार्टी के पास समय नहीं है। कपिल जी, आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

SHRI KAPIL SIBAL: Just one minute, Sir. I just want to say... ..(*Interruptions*)... सर, दो छोटी बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब यह बात रबीन्द्रनाथ टैगोर को बताई गई कि इसमें विवाद हो जाएगा, तो रबीन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या कहा, वह मैं आपको बताता हूँ। He said, “To me, the spirit of tenderness and devotion expressed in its first portion, the emphasis to give to the beautiful and beneficent aspects of our motherland made a special appeal, so much so that I found no difficulty in dissociating it from the rest of the poem...” And, this was endorsed by Gandhi ji. ...(*Interruptions*)... This was endorsed by Gandhi ji, and Gandhi ji said, “It is an anti-imperialist cry. It had never occurred to me that it was a Hindu song or meant only for Hindus.” This is what Gandhi ji said, and he said that these are evil days that have come in this country.” So, the point is that... ..(*Time-bell rings*)... Just one sentence, Sir. This was the movement against the partition of Bengal. Now, you are partitioning the minds of this country.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. DINESH SHARMA): Now, Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba. आप बोलिए। कपिल जी, आपकी बात आ गई है। लेशंबा जी पांच मिनट के अंदर अपनी बात रखिए।

SHRI MAHARAJA SANAJAOBA LEISHEMBA (Manipur): &“Sir, thank you for giving me the opportunity to speak in my mother tongue, Manipuri, on this historic occasion commemorating 150 years of *Vande Mataram*. The journey of *Vande Mataram* is truly extraordinary. From a small piece of literature to the slogan that energised an entire nation, and eventually becoming India’s National Song. Bankim Chandra Chatterjee originally composed this hymn in a blend of Bengali and Sanskrit. It played a significant role during India’s freedom struggle and was later incorporated into his celebrated Bengali novel *Anandamath*. The hymn first appeared in the journal *Bangadarshan* on 9<sup>th</sup> November 1875, and was subsequently included in *Anandamath* in 1882. In 1896, during the Calcutta Session of the Indian National Congress, *Vande Mataram* was sung publicly for the first time by Gurudev Rabindranath Tagore. Following the Partition of Bengal in 1905, during the Swadeshi Movement, this song became the heartbeat of the national awakening. It electrified the spirit of resistance and inspired countless freedom fighters across the country. From 1857 onwards,

---

& English translation of the original speech delivered in Manipuri.

*Vande Mataram* evolved into a powerful cry for freedom, stirring profound patriotic emotion among the masses. Recognising its revolutionary potential, British colonial authorities attempted to suppress its use. Yet, the song continued to spread not only within India but across the world.

In 1907, Madam Bhikaji Cama carried the spirit of *Vande Mataram* abroad. At a gathering in Stuttgart, Germany, she unveiled an early version of the Indian National Flag with the words *Vande Mataram* inscribed on it, symbolising India's deep yearning for freedom. Revolutionaries like Madan Lal Dhingra, Khudiram Bose, Bhagat Singh, Sukhdev, and Rajguru drew immense inspiration from this song. Musicians such as Pandit Vishnu Digambar Paluskar and later Hemant Kumar created enduring renditions that embedded the hymn even more deeply in India's national consciousness. At times, the Congress party has alleged that the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) opposed this song. However, historical accounts show that RSS founder, Dr. Keshav Baliram Hedgewar, during his early school days at the age of 14–15, used to greet his teacher with *Vande Mataram* instead of 'Good Morning', for which he was expelled and later denied admission at government schools.

Sir, debates did emerge within the Congress and among Hindu and Muslim leaders regarding certain stanzas of the hymn, particularly references to goddesses like Durga, Lakshmi, and Saraswati. Some felt that these reflected specific religious imageries. After extensive deliberations, only the first two stanzas were adopted for national use. In 1937, the Congress formally accepted these portions. Even today, these two stanzas are cherished as symbols of India's freedom struggle. Importantly, *Vande Mataram* does not focus on Hindu goddesses; it poetically compares Mother India to divine virtues. On 24 January 1950, Dr. Rajendra Prasad, then President of the Constituent Assembly, declared *Vande Mataram* as the National Song and *Jana Gana Mana* as the National Anthem. He emphasised that *Vande Mataram* must receive the same respect as the National Anthem...

**उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा):** मैं चाहूंगा कि आप लोग बैठ जाइए। मेरा सम्मानित सदस्यों से अनुरोध है कि आज आप सभी को सुनिए। आदरणीय कपिल जी को सभी लोग सुनते हैं, इसलिए आज आप भी इन्हें सुनिए।

SHRI MAHARAJA SANAJAOBA LEISHEMBA: Sir, hon. Prime Minister Shri Narendra Modi, in one of his *Mann ki Baat* addresses, beautifully said, “If patriotism is an emotion beyond words, then, *Vande Mataram* is the song that gives that emotion a tangible voice.” Indeed, *Vande Mataram* is not a mere song, it is the soul of India. It united people across regions, castes, religions, and languages, and became the symbol of India’s quest for freedom. It awakened the spirit of Indians suppressed under colonial rule, and instilled the courage to sacrifice even their lives for the nation. As we commemorate 150 years of *Vande Mataram*, the Government under the leadership of the hon. Prime Minister is celebrating this milestone throughout the year. I humbly request the Government to ensure that future generations are made aware of the history, significance, and emotional depth of this great hymn, so that its value flows through their blood and nerves. With these words, I conclude. *Vande Mataram*. My humble tribute to my Motherland. Thank you, Sir.”

**उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा):** श्री महाराजा संजाओबा लेशंबा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ..(व्यवधान)।.

**श्री रामचंद्र जांगड़ा:** उपसभाध्यक्ष जी, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। मुझे अपनी बात रखने के लिए केवल दस सेकंड दे दीजिए। मैं दस सेकंड में अपनी बात कह दूंगा। ..(व्यवधान)।.

**उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा):** ठीक है।

**श्री रामचंद्र जांगड़ा:** रूल नं. 235, नंबर 3 पर लिखा गया है कि राज्य सभा में प्रवेश करते समय या राज्य सभा से बाहर जाते समय, अपने स्थान पर बैठते समय या उठते समय सभापीठ के प्रति नमन करेंगे। कपिल सिब्बल जी बहुत बड़े वकील हैं, कानून को जानने वाले हैं, लेकिन उन्होंने न तो आते वक्त नमन किया और न ही जाते वक्त किया है। सदन में इस बात के लिए उनकी निंदा की जाती है। ..(व्यवधान)।. ये दुनिया को नियम बताते हैं, लेकिन खुद नियमों का पालन नहीं करते हैं।

**उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा):** यह एक सामान्य प्रक्रिया है, जो सभी माननीय सांसदों को स्वतः पूरी करनी होती है और सभी माननीय सांसदों से यह अपेक्षा होती है क्योंकि पूरा भारतवर्ष इस माननीय सदन की कार्यवाही देखता है। केवल भाषण के समय पर आना और पाँच मिनट में

बोलकर चले जाना किसी भी माननीय सदस्य के लिए उचित नहीं है। ..(व्यवधान).. मैं समझता हूँ कि सभी माननीय सदस्य अपनी उपस्थिति भी दर्ज करेंगे और पीठ के प्रति सम्मान का जो आपका प्रावधान है, उसको भी जरूर रखेंगे – ऐसी अपेक्षा है। माननीय डा. फौजिया खान जी, आपके पास तीन मिनट हैं, आप अपना भाषण आरंभ कीजिए।

**डा. फौजिया खान (महाराष्ट्र):** सर, वंदे मातरम्। सर, आज्ञादी के संघर्ष में वंदे मातरम् हर भारतीय की आत्मा की पुकार बनकर उठा था और आज भी यह नैसर्गिक रूप से हमारी आत्माओं में गूँजता है। गृह मंत्री जी ने अपनी ओपनिंग स्पीच में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात की। मैं उनसे बड़ी नम्रता से पूछना चाहती हूँ कि वे कौन-सी संस्कृति की बात कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि भारत माता अनेक संस्कृतियों का एक सुंदर संगम है। यही तो भारत माता का अस्तित्व है और यही भारत माता का रूप है। This is what exactly the spirit of our Constitution is. I say, 'Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram.' But I never want anyone to be forced to recite it if it hurts their faith. People should sing it with devotion that it demands. Vajpayee ji had also ensured it, as Kapil Sibal ji said. आज जागृति मानव अधिकार दिवस है और हो रही इस चर्चा का शायद यही संकेत है, नीयति का यही संकेत है कि आज जागृति मानव अधिकार दिवस है। गृह मंत्री जी ने समर्पण की भी बात की। समर्पण का भाव केवल जुबान से प्रकट नहीं होता, वह तो खोखला समर्पण होता है। समर्पण का भाव आज कार्य से होना अपेक्षित है। We must be careful that this song is not treated as mere ceremony or celebration. We should submit ourselves to the service of our motherland through concrete action. सर, जो पवित्र गान भारत को जोड़ने के लिए गाया गया था, जिसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी गाते-गाते शहीद हो गए थे, क्या आज उसका इस्तेमाल हमें तोड़ने के लिए तो नहीं हो रहा है? मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार इसका ज़रूर ध्यान रखेगी।

सर, हम अब एक प्रजातंत्र हैं। हमें किसी और से लड़ाई नहीं करनी है। हम गुलाम नहीं हैं। सर, अब हमें इतिहास की गलियों में भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब हम गुलाम नहीं हैं। We need this war cry more than ever today. But why? हमें सबसे पहले उन लोगों के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए, जो इस पवित्र गाने का इस्तेमाल देश की शांति बरबाद करने की नीयत से कर रहे हैं। देश को पाकिस्तानी आतंकवाद से मुक्ति दिलाने के लिए, देश को कर्जों से आज़ाद करने के लिए -- सर, आज देश पर 197 लाख करोड़ कर्ज का बोझ है, यानी एक इंसान पर एक लाख तेईस हजार का बोझ है। उस कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए वंदे मातरम् होना चाहिए। देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए, जो हमारे देश की जड़ों को आज दीमक की तरह खा रहा है, उस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए वंदे मातरम् होना चाहिए।



SHRI RAVI CHANDRA VADDIRAJU (Telangana): &“Thank you, hon. Vice-Chairman Sir. *Vande Mataram!* It is my privilege to speak on the glorious 150<sup>th</sup> Anniversary of the National Song “Vande Mataram”. I express my gratitude to the architect of Telangana State and the first Chief Minister of Telangana, Shri K. Chandrashekar Rao Garu, for giving me this opportunity. It is a matter of great pride for all of us that our National Song Vande Mataram, a song that inspired India’s freedom struggle, has completed 150 historic years. Historical evidence shows that Bankim Chandra Chattopadhyay composed this song on 7<sup>th</sup> November 1875. It first appeared in his novel Anandamath. Later in 1882, it was published as a separate book. At a time when resistance to colonial rule was growing, Vande Mataram strengthened national unity and self-respect among Indians. Over the years, it became a permanent symbol of patriotism.

Sir, the song, which electrified the freedom struggle across the country, also resonated powerfully in Telangana, inspiring student movements here. On 28<sup>th</sup> November 1938, students of the B-Hostel at Osmania University gathered and sang Vande Mataram in one voice. Unable to tolerate this, the authorities locked them inside and barred them from attending classes the next day. They were not allowed to step out of the hostel either. This triggered massive student protests. What began in Hyderabad soon spread across the entire Nizam State. As many as 1,550 students who participated in this movement were expelled from Osmania University. The authorities even passed harsh orders prohibiting any other university in India from admitting them. Yet, the Nagpur University courageously offered admissions to all those students. Among the students who continued their education there was none other than our former Prime Minister, Shri P. V. Narasimha Rao, and I am proud to say this.

There were many warriors who fought against the autocratic rule of the Nizam. In the Telangana Armed Struggle, stalwarts such as Doddi Komarayya, Komaram Bheem, Ravi Narayana Reddy, Baddam Yellareddy, Chakali Ellamma, Sarvai Papanna, and the Dashar brothers fought for land, livelihood, and freedom from bonded labour. They laid the foundations for Telangana’s liberation. Their sacrifices were crucial in the integration of the Hyderabad State into the Indian Union. Among the Telugu freedom fighters, leaders such as Sarojini Naidu, Kandukuri Veeresalingam, Uyyalawada Narasimha Reddy, Konda Venkata Ranga Reddy,

---

& English translation of the original speech delivered in Telugu.

Pochampally Sundarayya, Madapati Hanumantha Rao, Borugula Ramakrishna Rao, Mugdha Mohiuddin, and Swami Ramananda Tirtha all drew inspiration from the Vande Mataram song.

Vande Mataram, which inspired thousands to join the freedom movement, continues even today to promote national pride and unity. Just as Asatoma Sadgamaya in the Vedas, Satyameva Jayate in the Upanishads, Janani Janmabhoomischa in the Ramayana, Ma Phaleshu Kadachana in the Bhagavad Gita, Socrates' teachings of self-examination, and Marx's call that "nothing is lost if you fight except your chains", all these guided human progress; in the same way, Vande Mataram too stands in that esteemed category of immortal expressions.

With these words, I conclude by saying: Jai Telangana. Jai Hind. Jai Telangana. Vande Mataram. Vande Mataram."

THE VICE-CHAIRMAN (DR. DINESH SHARMA): Now, Dr. Anil Sukhdeorao Bonde; five minutes.

**डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे (महाराष्ट्र):** उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपको सबसे पहले वंदे मातरम् कहता हूँ। वंदे मातरम् बंकिम चन्द्र चटर्जी ने हमें दिया है। यह युग-युग की देन है। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी तथा गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो यह चर्चा उपस्थित की है, मैं उसका स्वागत करता हूँ।

महोदय, आज सभी लोगों ने बताया है कि कांग्रेस ने कैसे 1937 से वंदे मातरम् का विरोध शुरू किया। जवाहरलाल नेहरू जी के पत्र के बारे में भी सभी ने बताया। मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस की यह जो परंपरा है, यह कभी रुकी नहीं। यह चलती ही रही है। ब्रिटिशर्स ने वंदे मातरम् बैन किया, क्योंकि वह स्वराज का, स्वतंत्रता का मंत्र था, लेकिन कांग्रेस अभी censure करती है, क्योंकि इसमें हिंदू एकजुट होते हैं, भारतीय एकजुट होते हैं। देखिए, मैं 1937 से फास्ट फॉरवर्ड 2024 तक जब जाता हूँ, तो नौ दशकों के बाद कांग्रेस की पोलिटिक्स में same strain, सेम चीजें रिपीट होती हैं। जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, न्याय यात्रा की, उन्होंने क्या बोला था? We are fighting against the *shakti*. कांग्रेस का विरोध शक्ति, भक्ति, वंदना इन सब शब्दों से है। यह पोलिटिकल स्लिप नहीं है।

\*जो भारत की spiritual power है, जो आध्यात्मिक शक्ति है, उसका विरोध करना, यही उनका काम बचा हुआ है। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज जब औरंगजेब के विरोध में खड़े हुए, तब एक ही नारा था, जय भवानी का नारा था और अब हम भी एक ही नारा देते हैं - जय

---

\* Not recorded.

भवानी और जय शिवाजी। उससे युवा पूरे संचलित होते हैं। नेहरू जी ने दुर्गा शब्द का वंदे मातरम् में से विरोध किया और...(व्यवधान)...

**उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा):** विषय पर बोलिए। ...(व्यवधान)... आप विषय पर आइए। ...(व्यवधान)...

**डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे:** वंदे मातरम में हम जिस भारत को माता के रूप में पूजते हैं, नदी को पूजते हैं, मां मानते हैं, उसको ड्रामा कहने, यानी करोड़ों लोगों की भावनाओं का बार-बार अपमान करने का काम ये करते हैं। देखिए, हम वंदे मातरम के माध्यम से इसको एक powerful counter narrative बोल सकते हैं कि जहां-जहां भी भारत में फूट होती है, जहां-जहां भी देशद्रोह की कुछ ठिणगी लगती है, उसको दबाना हो, उसको नष्ट करना हो, तो एक ही मंत्र रहेगा और वह मंत्र रहेगा - वंदे मातरम। वंदे मातरम ने फ्रीडम फाइटर्स को एकत्रित किया था, यूनाइट किया था। गांव-गांव में वंदे मातरम का नारा लगता था। अगर आज भी कोई वंदे मातरम बोलता है, तो शहारे, यानी रोम-रोम खड़े हो जाते हैं। यह सिर्फ इनका अपिजमेंट है। इनको डर क्यों लगता है? आज जो 80 प्रतिशत करोड़ों हिन्दू हैं, उनके बारे में कुछ भावना नहीं है, उनके बारे में कुछ भक्ति नहीं है, उनकी शक्ति के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन 20 प्रतिशत लोगों को प्लीज़ करने के लिए ये वंदे मातरम में से स्टैंजा हटाने की बात कहते हैं।

महोदय, मैं यही चाहता हूँ कि अब सभी स्कूलों में भी, सभी कॉलेजों में भी वंदे मातरम हो और पूरे छः स्टैंजा के साथ में हो। अभिमान से हम कह सकें कि सिर्फ रहेगा, तो वंदे मातरम रहेगा, हम वंदे मातरम के लिए जिएंगे, भारत माता के लिए जिएंगे और प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी का विकसित भारत का 2047 का संकल्प वंदे मातरम कह कर ही पूरा कहेंगे। धन्यवाद, उपसभाध्यक्ष जी।

**उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा):** बहुत धन्यवाद। माननीया श्रीमती ममता मोहंता।

**श्री प्रमोद तिवारी (राजस्थान):** सर, माननीय सदस्य ने जो आपत्तिजनक कहा है, उसे कार्यवाही से निकाल दीजिए।

**उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा):** यह तो पहले से ही है कि अगर कोई शब्द आपत्तिजनक होता है, तो उसका परीक्षण होता है और परीक्षण के बाद ही निर्णय होता है।

**श्रीमती ममता मोहंता (ओडिशा):** उपसभाध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम! भारत माता को नमन करते हुए आज मैं इस पवित्र सदन में इस विषय पर बोलने जा रही हूँ। यह केवल एक गीत नहीं, बल्कि

भारत माता और स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक है। यह हमारे अस्तित्व से जुड़ा है। जब हम वंदे मातरम, इन दो शब्दों का उच्चारण करते हैं, तो दिलों में एक मां की छवि आ जाती है, जैसे धरती के समान धैर्यवान, आकाश की तरह विराट, समुद्र की तरह गहरी और प्रेम से भरी हुई हमारी माता।

महोदय, यह केवल शब्द नहीं, बल्कि 150 वर्ष से इसने युवाओं, नेताओं, हर भारतीय को हमारी संस्कृति, स्वतंत्रता और राष्ट्रभक्ति की भावना से जोड़ा है। हमारे हर शहीद की आत्मा हमारे कंधे को स्पर्श करके कह रही है कि अब तुम्हें इस देश के सपने को जिंदा रखना है। जब मैं वंदे मातरम गीत बोलती हूँ, तो मेरे मयूरभंज जिले के सिमलीपाल अभ्यारण्य की हरियाली, गंगा की पवित्र धारा, हिमालय की ऊंची चोटियां और किसानों की मेहनत से सजी खेत, सब मिल कर जैसे भारत माता के चरणों में ढल जाती हैं और हवाओं की फुसफुसाहट, यह मिट्टी की महक चुपचाप कहती है कि मैं तुम्हारी भारत मां हूँ। हम वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यह गीत 1875 में बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित हुई थी। फिर धीरे-धीरे यह गीत देशभक्ति, त्याग और राष्ट्र चेतना की प्रतीक बन गई। यह कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैल गई।

उपसभाध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम हमारी प्राचीन संस्कृति से जुड़ा है। वेद में कहा गया है - "माता भूमि पुत्रोहं पृथिव्याः"। यह भूमि हमारी माता और हम सब इसके पुत्र हैं। प्रभु श्री राम ने कहा कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़ कर हैं। आचार्य शंकर, आचार्य चाणक्य जैसे अनेक ऋषियों ने मातृभूमि का महान वर्णन किया है। उसी विचार को बंकिम बाबू ने वंदे मातरम के माध्यम से आधुनिक युग में पुनर्जीवित किया है।

महोदय, जैसे कि परसों माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा कि 'वंदे मातरम्' केवल राजनीति या आजादी की लड़ाई का मंत्र नहीं था, यह त्याग, तपस्या और राष्ट्रभक्ति का जीवंत मंत्र रहा है, जिसने पूरे स्वतंत्रता आंदोलन को ऊर्जा दी और भारत के चरित्र को ढाला है। कल माननीय गृह मंत्री जी ने भी इस विचार को आगे बढ़ाते हुए कहा कि 'वंदे मातरम्' पर चर्चा की आवश्यकता, जब यह रचा गया था, तब भी थी, आजादी के आंदोलन के समय भी थी, आज भी है और जब 2047 में महान भारत की रचना होगी, तब भी रहेगी, क्योंकि यह भारत मां के प्रति श्रद्धा, भक्ति और कर्तव्य का भाव जगाने वाली एक अमर कृति है।

महोदय, इस गीत में भारत माता को जल, फल, शक्ति और समृद्धि देने वाली, पुष्पों से मन को प्रसन्न करने वाली, माता लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा के रूप देखा गया है। यह भारत माता, जिसकी संस्कृति, ज्ञान, प्रेम, साहस और शक्ति पूरे विश्व के लिए प्रेरणा है, तो एक महिला सांसद होने के नाते, मैं गर्व से कहना चाहती हूँ कि भारत की नारी शक्ति ने ही इस गीत को सबसे अधिक जीवन में उतारा है और आज भी उतार रही है।

महोदय, ओडिशा की धरती भी इस भावना को गहराई से रचती है। राष्ट्र को महान बनाने के लिए हर भारतीय के मन में, सभी युवाओं के मन में राष्ट्रभक्ति, मातृभक्ति, स्वतंत्रता, एकता और जनहित जागृत करना है और हमारी मातृभूमि की रक्षा करना है। यह भारत माता, जिसका

संस्कृति, ज्ञान, साहस और शक्ति सारे विश्व के लिए प्रेरणा है, आइए, हम सभी मिलकर 'वंदे मातरम्' गीत को सम्मान और गौरव के साथ श्रवण करें, धन्यवाद। वंदे मातरम्!

THE VICE-CHAIRMAN (DR. DINESH SHARMA): Hon. Member, Shri Satnam Singh Sandhu; not present; hon. Member, Shri Iranna Kadadi; not present. Hon. Member, Shri Mayankkumar Nayak; five minutes.

**श्री मयंककुमार नायक (गुजरात):**

*"वंदे कहो, कहो मातरम्,  
बात है अपने आन की,  
बात है अपने शान की।  
जय भारत, जय भारती,  
जय बोलो हिंदुस्तान की।"*

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गौरवशाली क्षण है, जब मुझे 'वंदे मातरम्' के गौरवशाली 150 वर्ष पूरे होने पर, चर्चा का अवसर दिया गया है। आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी ने भारत देश की आजादी के मूल में बसी संस्कृति की चेतना को पुनः स्मरण करने का अवसर समस्त देशवासियों को दिया है। हमारी सरकार ने 'वंदे मातरम्' के 150 वर्ष पूरे होने पर इस ऐतिहासिक अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान केवल एक गीत का उत्सव नहीं है, बल्कि यह उस दबी हुई भारतीय आत्मा का पुनर्जागरण है, जिसे दशकों तक जान-बूझकर अंधेरे में रखा गया। यह पुनः उसका खोया हुआ सम्मान दिलाने का महायज्ञ है।

महोदय, इतिहास गवाह है कि बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय जी की लेखनी से निकला यह गीत, अंग्रेजों के लिए बारूद से कम नहीं था। एक ऐसा बारूद, जिसने 1905 में बंग-भंग आंदोलन से लेकर 1947 की आजादी तक, हर क्रांतिकारी के नसों में आग भर दिया था। यह गीत किसी धर्म, जाति या संप्रदाय का नहीं है, यह उस मिट्टी की वंदना है, उस मां की आराधना है, जो हमें अन्न देती है, जल देती है और अंत में अपनी गोद में सुला लेती है। आजादी के बाद क्या हुआ कि जिस गीत को गाकर हमारे पूर्वजों ने लाठियां खाईं, गोलियां खाईं, उस गीत के साथ आजाद भारत में क्या सलूक किया गया? यह सवाल आज हर भारतीयों से पूछना चाहता हूं।

महोदय, कांग्रेस की सरकारों ने एक सुनिश्चित षड्यंत्र के तहत इस महामंत्र को विवादित बना दिया। कांग्रेस ने तुष्टिकरण की राजनीति की नींव रखी थी और कहा था कि 'वंदे मातरम्' के केवल पहले दो छंद ही आएंगे और बाकी के दो छंद, जिनमें मां दुर्गा और मां लक्ष्मी के रूप में भारत

भूमि का वर्णन था, उसे सांप्रदायिक बताकर काट दिया गया था। जरा सोचिए कि जिस मां के पैरों में बेड़ियां पड़ी थीं, उसकी मुक्ति के लिए गाए गए गीत को इन लोगों ने खंडित कर दिया।

6.00 P.M.

सिर्फ इसलिए ताकि कुछ वर्ग के वोट बैंक को नाराज न किया जाए। उन्होंने हमें बताया कि अपनी संस्कृति पर गर्व करना सांप्रदायिक है।

महोदय, यह छुपा नहीं है कि भारत माता की संस्कृति को नष्ट करने के लिए कोशिशों की गईं। वे चाहते थे कि हम भूल जाएँ। हम सन्यासी विद्रोह की संतान हैं। यह देश केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक जागृत राष्ट्रपुरुष है। कांग्रेस ने दशकों तक भारत की सांस्कृतिक चेतना को सेक्युलरिज़्म के नाम पर कुचलने का प्रयास किया है। उनके लिए 'वंदे मातरम्' एक राजनीतिक सिर दर्द था, लेकिन हमारे लिए यह प्राण-वायु है। नमक तो इस देश का खाते हो और 'वंदे मातरम्' गाने में शर्माते हो - यह शर्म की बात है। लेकिन आज समय बदल चुका है। केंद्र में एक ऐसी सरकार है, जो किसी परिवार के प्रति नहीं, बल्कि भारत माता के प्रति वफादार है। अगर वह अपनी जनता के लिए रोजगार के लिए वफादार है, तो उसी जनता की आस्था और उसकी संस्कृति की रक्षा के लिए भी उतनी ही वफादार है। हमने 'वंदे मातरम्' के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यह भव्य अभियान शुरू किया है, तो हमने उस इतिहास की गलती को सुधारने का भी बीड़ा उठाया है। आज हम डंके की चोट पर कहते हैं कि हम पूरा 'वंदे मातरम्' गाएँगे, अपनी नदियों को, अपने पहाड़ों को, अपनी विद्या को, विद्या की देवी को और अपनी शक्ति की देवी को नमन करेंगे - यह हमारा अधिकार और कर्तव्य है।

**उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा):** कृपया आप संक्षिप्त कीजिए।

**श्री मयंककुमार नायक:** महोदय, आज भारत जाग चुका है। यह नया इंडिया है। यह आंखों में आंखें डाल कर बात करता है। यह अपनी संस्कृति पर शर्मिंदा नहीं होता, बल्कि उसे माथे का तिलक बनाता है।

*'यह गीत नहीं है, बल्कि यह तो हमारे देश की धड़कन है,  
वीरों के लहू की स्याही से लिखा हुआ एक तर्पण है।  
जिसे 'वंदे मातरम्' का नारा चुभता है,  
समझ लो उसकी नीयत में भी कोई अड़चन है।'*

महोदय, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम्!

THE VICE-CHAIRMAN (DR. DINESH SHARMA): Next speaker is Shrimati Darshana Singh. You have five minutes.

**श्रीमती दर्शना सिंह** (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, आज मैं जिस 'वंदे मातरम्' के विषय पर चर्चा में भाग ले रही हूँ, यह वह गीत है, जो भारत की आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों की आवाज बनी। 'वंदे मातरम्' की 150वीं वर्षगांठ की इस चर्चा में मैं भाग ले रही हूँ, इसके लिए आपका बहुत आभार।

महोदय, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित 'वंदे मातरम्' सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि देश की आत्मा की आवाज है। यह हमारे राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। यह गीत हमें याद दिलाता है कि यह देश केवल भूमि का टुकड़ा नहीं, बल्कि जीवंत मां का रूप है, जिसकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है।

महोदय, मैं इस अवसर पर माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व की सराहना करती हूँ कि उन्होंने पूरे देश में राष्ट्रीय भावना और सांस्कृतिक गौरव को जिस तरह से फिर से जागृत किया है, वह सचमुच अभूतपूर्व है। उनके नेतृत्व में देश में 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना और भी मजबूत हुई है। प्रधान मंत्री जी का कहना है कि देश की शक्ति उसके लोगों के मन में बसने वाले राष्ट्र प्रेम में है और 'वंदे मातरम्' उसी भावना की सबसे मजबूत कड़ी है।

महोदय, गृह मंत्रालय द्वारा 7 नवंबर, 2025 से एक वर्ष के लिए 'वंदे मातरम्' की 150वीं जयंती मनाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। 'वंदे मातरम्' पर यह चर्चा केवल इतिहास या संस्कृति की बात नहीं है, बल्कि इस गीत ने सदियों से सोए भारत को जगाने का काम किया है।

महोदय, बंगाल के गौरव बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर, 1875 को 'वंदे मातरम्' गीत की रचना की। गुलाम भारत में अंग्रेजी शासन के अत्याचारों से द्रवित होकर बंकिम चंद्र चटर्जी ने अंग्रेजी दासता से भारत माता को मुक्त कराने का संकल्प लेकर इस गीत की रचना की।

महोदय, बंकिम चन्द्र चटर्जी ने अपने समस्त लेखन से अंग्रेजी शासन की गुलामपरस्त नीतियों और भारतीयों पर हो रहे अत्याचार को सामने लाने का कार्य किया। आजादी की लड़ाई के समय यह गीत लोगों की प्रेरणा बना और इसके शब्दों ने उन्हें एक साथ जोड़ा तथा आजादी की लड़ाई लड़ने वालों को भरोसा दिलाया कि हम एकजुट होकर भारत को आजाद करा सकते हैं। महोदय, वीर सावरकर जी ने वंदे मातरम् बोलकर विदेशी वस्तुओं की होली जलाई। वंदे मातरम् बोलकर लाला लाजपत राय जी ने लाठी का प्रहार सहन किया। स्वराज प्राप्ति के लिए लाखों क्रांतिकारी वंदे मातरम् बोलकर फांसी पर चढ़े।

महोदय, उस दौर में वंदे मातरम् लोगों के लिए सिर्फ एक गीत नहीं था, बल्कि यह उनकी ताकत था। जैसे, एक मां अपने बच्चों को कठिन समय में दिलासा देती है, ठीक वैसे ही यह गीत

हर भारतीयों को प्रेरणा देता रहा। वंदे मातरम् गीत का प्रभाव इतना था कि अंग्रेजी हुकूमत ने इससे डरकर इस गीत पर प्रतिबंध लगा दिया। यह गीत हमारी भावनाओं, हमारी पहचान और हमारे संघर्ष का प्रतीक रहा है। महोदय, इस गीत के बारे में महात्मा गांधी जी ने "इंडियन ओपिनियन" के 1905 के एक अंक में लिखा था कि बंकिम का यह गीत इतना लोकप्रिय हो गया है, जैसे यह हमारा राष्ट्रगान बन गया है। इसका एकमात्र उद्देश्य हमारे भीतर देशभक्ति की भावना को जगाना है।

महोदय, कुछ लोग इस गीत को विवादों से जोड़ते हैं, लेकिन सच यह है कि वंदे मातरम् किसी धर्म या किसी एक समुदाय का गीत नहीं है, बल्कि यह पूरी भारत भूमि का गीत है। यह राष्ट्रगीत है। यह हमारे देश की विविधता में एकता का संदेश देता है। लेकिन, कांग्रेस पार्टी के द्वारा आजादी के पहले से ही देश को तुष्टीकरण की आग में झोंक दिया गया। जिस गीत ने स्वतंत्रता आंदोलन में देश को जोड़ने का काम किया, उसका कांग्रेस पार्टी ने बंटवारा कर दिया और इसी तुष्टीकरण की नीति ने आगे चलकर भारत को दो भागों में विभाजित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

**उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा):** संक्षिप्त कीजिए।

**श्रीमती दर्शना सिंह:** महोदय, मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि कम्युनिस्ट पार्टी के एक संस्थापक सदस्य, मुजफ्फर अहमद की आत्मकथा में लिखा है कि बंकिम चंद्र का आनंद मठ शुरू से अंत तक घृणा से भरा हुआ है। एक मुस्लिम बालक और मुझ जैसे एकेश्वरवादी के लिए वंदे मातरम् अस्वीकार्य है। ...**(समय की घंटी)**...

महोदय, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि हम सब मिलकर इस अमर राष्ट्रगीत को गर्व के साथ नई पीढ़ी को बताएँ। ...**(व्यवधान)**...

**उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा):** श्री महेंद्र भट्ट।

**श्री महेंद्र भट्ट (उत्तराखंड):** माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आसन को नमन करता हूँ। वंदे मातरम्, सुजलाम्, सुफलाम्, मलयजशीतलाम्, शस्यशामलाम् मातरम्!

महोदय, आज जब मैं इस गरिमामयी सदन में खड़ा हूँ, तो मेरा हृदय उस गर्व से भरा हुआ है, जो हिमालय जितना ही प्राचीन है और नंदा देवी के शिखरों को छूने वाली सूर्य की पहली किरण जितना ही पवित्र है। आज हम वंदे मातरम् के 150 वर्षों पर चर्चा कर रहे हैं। महोदय, यह केवल एक गीत नहीं, एक महामंत्र है। एक ऐसा मंत्र, जिसने साधारण धूल को क्रांति में बदल दिया। एक ऐसा मंत्र, जिसे गाते हुए, हँसते हुए इस देश के युवाओं ने फांसी के फंदे को गले से लगा लिया।

सर, मैं देवभूमि उत्तराखंड से आता हूँ, जो ऋषियों की तपोभूमि है। मेरी रगों में गंगा और यमुना का जल बहता है। मैं उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूँ, जो तपस्या का अर्थ जानते हैं। मेरे पहाड़ के लोग, जो सीढ़ीदार खेतों में पसीना बहाते हैं, जो शून्य से नीचे के तापमान में सीमाओं की रक्षा करते हैं और जो केदारनाथ-बद्रीनाथ की चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। हमारे लिए यह धरती केवल भूगोल का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि यह धरती साक्षात् माँ है। जब गढ़वाल या कुमाऊं रेजीमेंट का कोई सैनिक सीमा पर गोली खाता है, तो उसकी अंतिम सांस में केवल दो ही शब्द निकलते हैं- जय हिंद या वंदे मातरम्। वह जमीन के टुकड़े के लिए नहीं मरता, बल्कि वह उस जीवित जागृति के लिए प्राण त्यागता है, जिसे हम भारत माता कहते हैं।

महोदय, आज का दिन गहरे आत्मचिंतन और एक कड़वे सत्य को स्वीकारने का भी दिन है। आज जब हम इस गीत के उत्सव को मना रहे हैं, तो हमें यह प्रश्न पूछना होगा कि आज हमारा यह गीत पूर्ण राष्ट्रगान क्यों नहीं है? इसे क्यों खंडित किया गया? इसे क्यों बांटा गया? कांग्रेस के दरबारी इतिहासकारों द्वारा लिखी गई इतिहास की पुस्तकें आपको बताएंगी कि यह सहमति के लिए किया गया था, लेकिन सत्य, जिसे दशकों की धर्म रक्षा के बोझ तले दबा दिया गया, यह अत्यंत भयावह है।

बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने आनंद मठ में हमें यह स्तुति दी थी। यह मातृभूमि की पूर्ण आराधना थी, जिसमें मां को दुर्गा के रूप में सत्य धारण किए हुए, लक्ष्मी के रूप में धन देते हुए और सरस्वती के रूप में ज्ञान देते हुए दिखाया गया था। यह वह गीत था कि जो इससे थरथर कांपते थे, उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि वे जानते थे कि यह गीत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई - सभी को इस मिट्टी की संतान के रूप में एक सूत्र में पिरोता है।

फिर शुरू होती है तुष्टीकरण की नीति। यह पंडित नेहरू जी और कांग्रेस का नेतृत्व था, जिसने बाद में तय किया कि वह छंद - जहां भूमि को देवी के रूप में पूजा जाता है - विवादास्पद है। महोदय, मैं इस सदन से पूछता हूँ कि अपनी मां की शक्ति की स्तुति करना कब से किसी और का अपमान हो गया? समाज के एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए, वह मूल पाप किया। उन्होंने इस राष्ट्र की आत्मा पर कैंची चला दी। उन्होंने कहा कि हम केवल दो छंद गाएंगे, बाकी हिंदू लोग जाने। धिक्कार है ऐसी सोच पर। उन छंदों को हटाकर आपने केवल एक गीत को छोटा नहीं किया, बल्कि आपने इस देश की जनता को यह सिखाया कि अपनी संस्कृति, अपने प्रतीक और अपनी श्रद्धा को राजनीतिक सुविधा के लिए कुचला जा सकता है। आपने राष्ट्र को यह सिखाया कि साथ रहने के लिए बहुसंख्यकों को अपनी आत्मा को मौन करना होगा। इस गीत की महान बलि का परिणाम क्या हुआ? क्या इससे एकता आई? क्या मुस्लिम लीग ने कहा कि आपने वंदे मातरम् काटा, आपका धन्यवाद, हम साथ रहेंगे?

महोदय, इससे अलगाववादियों के हौसले बुलंद हो गए, जिसने द्विराष्ट्र के सिद्धांत पर मोहर लगा दी। इसने यह संदेश दिया कि यदि आप पर्याप्त शोर मचाएंगे तो कांग्रेस भारत की सांस्कृतिक पहचान को मिटा देगी। महोदय, मैं आज यह कहने का साहस करता हूँ कि गीत के

विभाजन ने ही ज़मीन का विभाजन कराया। यदि उन्होंने उस समय दृढ़ता दिखाई होती, यदि उन्होंने कहा होता कि यह हमारी भूमि है, हमारा गीत है और यह हमारी देवी है - इसे स्वीकार करो या जाओ - तो शायद आज इतिहास कुछ और होता। लेकिन वे घुटनों पर आ गए और जब आप विभाजनकारी शक्तियों के आगे घुटने टेकते हैं, तो आपको शांति नहीं मिलती, आपको टुकड़े मिलते हैं। आपको एक लहलुहान सीमा मिलती है, आपको 1947 की विभीषिका मिलती है। महोदय, उन पंक्तियों को मिटा दिया गया जिनमें मां के हाथ में तलवार थी

**उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा):** कृपया संक्षिप्त कीजिए।

**श्री महेंद्र भट्ट:** और क्योंकि हम भूल गए कि मां के हाथ में तलवार भी है, हमने अपनी अखंडता के लिए लड़ने की इच्छा-शक्ति खो दी। 70 वर्षों तक हमें अपनी जड़ों पर शर्म करना सिखाया गया। उत्तराखंड में, जहां हर पत्थर शंकर है, हमें बताया गया कि धार्मिक होना पिछड़ापन है। लेकिन मान्यवर, आज समय बदल चुका है। आज इस सदन में अगर हम वंदे मातरम् के पूर्ण स्वरूप की बात कर पा रहे हैं, तो यह उस नेतृत्व के कारण है जिसने 70 वर्षों की हीन भावना को उखाड़ फेंका है।

**उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा):** कृपया संक्षिप्त कीजिए।

**श्री महेंद्र भट्ट:** दशकों तक इस देश ने ऐसे प्रधानमंत्री भी देखे जो अपनी संस्कृति पर गर्व करने में हिचकते थे...(समय की घंटी)... महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, वंदे मातरम्!

**उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा):** श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाण, आपके पास बोलने के लिए 12 मिनट का समय है।

**श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाण (महाराष्ट्र):** उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे वंदे मातरम् गीत की 150वीं वर्षगांठ पर इस सदन में बोलने का मौका दिया। उपसभाध्यक्ष जी, मुझे आश्चर्य होता है कि जब इस बात पर इस सदन में चर्चा हो रही है, तो विपक्ष ने आलोचना की कि बंगाल के चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह चर्चा यहां लाई गई है। यह बड़ी शर्म की बात है कि ऐसे महत्वपूर्ण इवेंट को जब सदन में चर्चा के लिए लिया जाता है, तो इस तरह की बातें कही जाती हैं। चुनाव तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे। चुनाव इस देश के लिए कोई नई बात नहीं है। हम लोकतंत्र में विश्वास करने वाले हैं - चुनाव आएं-जाएं, पर यह जो मौका है, इस गीत के 150 साल पूरे होने पर अगर चर्चा इस सदन में नहीं होगी तो कहां होगी? तो मैं समझता हूँ कि यह बिल्कुल बेबुनियाद है। इस तरीके से जो आलोचना की जा रही है, वह बिल्कुल गलत है,

निराधार है। उपसभाध्यक्ष जी, आज जब इस गीत के ऊपर चर्चा हो रही है, तो मैं एक खास बात का जिक्र करना चाहता हूँ। मैं उस मराठवाड़ा रीजन से आता हूँ, जिसने दो बार आज़ादी की लड़ाई लड़ी। पहली बार, देश को स्वतंत्रता मिलने के लिए जो प्रयास किए गए, उनमें हमारे पिताजी ने और हमारे परिवार के लोगों ने हिस्सा लिया और दूसरी बार, देश के आज़ाद होने के एक साल बाद, निजाम से लड़कर हमारा क्षेत्र मराठवाड़ा, उस वक्त के गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल जी द्वारा ऑपरेशन पोलो के माध्यम से, निजाम से मुक्त कराया गया और महाराष्ट्र में शामिल किया गया। ये दो मौके थे, जब हमने महसूस किया कि वन्दे मातरम् जैसे गीत ने हमें आज़ादी की लड़ाई में प्रेरित किया।

उसी शक्ति के साथ हम सब लड़ रहे हैं, उसी शक्ति के साथ हमें जो ऊर्जा मिली, उसी वक्त से मिली है, जब बंकिम चन्द्र जी इस देश में वन्दे मातरम् लेकर आए और उस वक्त से आज तक इस राष्ट्रीय गीत को लोग बड़े सम्मान के साथ गाते हैं और हर प्रोग्राम में इसका जिक्र होता है। आज जब इतिहास के इस गीत पर चर्चा हो रही है, तो इस गीत ने करोड़ों देशवासियों के हृदय में स्वतंत्रता की ज्वाला प्रज्वलित की है। 7 सितम्बर को भाजपा ने पूरे देश में करोड़ों लोगों द्वारा एकसाथ वन्दे मातरम् का सामूहिक गायन किया और हजारों लोग, जब एक ताल और एक सुर में वन्दे मातरम् गा रहे थे, तो वह क्षण सचमुच रोमांचकारी और अविस्मरणीय था। वह केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि वह भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल था। जब अंग्रेजों की सरकार थी, देश भक्तों की आवाज़ दबाई जा रही थी। बंकिमचन्द्र जी ने भारत माता को देवी के स्वरूप में चित्रित कर यह अमर गीत रचा था। यह गीत युवाओं में जोश भरता है, अन्याय के विरुद्ध उठ खड़े होने की प्रेरणा देता है। इसलिए यह स्वतंत्रता संग्राम का उद्घोष वाक्य बन गया।

सर, यह गीत इतना लोकप्रिय हुआ कि अंग्रेज सरकार ने भी गायन पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की। हमें जिस गीत से ऊर्जा मिलती थी, ताकत मिलती थी, उस ताकत से ब्रिटिश सरकार बहुत डर गई और उन्होंने वन्दे मातरम् बोलने से लोगों पर पाबंदी लगाने का प्रयास किया, लेकिन लोग नहीं माने। स्वतंत्रता सेनानी जब जेल में जाते थे, तो वन्दे मातरम् की गूंज से आसमान भर देते थे। वन्दे मातरम् को राष्ट्रीय गीत का सम्मान प्राप्त है। आज़ादी के बाद पंडित रविशंकर जी ने इसे सुंदर धुन से स्वरबद्ध किया। आज भी यह गीत भारत की एकता, अखंडता और देशभक्ति का प्रतीक है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक परिवर्तन में कला, साहित्य, संगीत, नाटक, भजन और समाचार पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे समय में जो पढ़ सकते थे, उन्हें समाचार पत्र और साहित्य प्रेरित करते थे, लेकिन जो निरक्षर थे, उन तक गीतों ने, कविताओं ने, भजन और नाटक ने संदेश पहुंचाया। रबीन्द्रनाथ टैगोर के जन गण मन, रामप्रसाद बिस्मिल के सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, मोहम्मद इकबाल के सारे जहां से अच्छा, जैसे देशभक्ति के लोकप्रिय गीतों ने स्वतंत्रता की चिंगारी हर घर तक पहुंचाई। मैं महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ और महाराष्ट्र की संस्कृति और परंपरा ने स्वतंत्रता आंदोलन को एक असीम शक्ति दी है। लोकशाहीर अन्ना भाऊ साठे, शाहीर अमीर शेख, शाहीर वानम दादा कड़क जैसे

कई कवियों ने लोगों के मन में क्रांति की, सामाजिक सुधारों की जोत जलाई। ग्रामीण क्षेत्र में भजन सबसे प्रभावी माध्यम था। रातों में मंदिरों में भजन होना आम बात थी। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, संत गाडके महाराज जैसे कई संत कीर्तनकार अपने भजन-कीर्तन और प्रवचनों से देशभक्ति, समानता और सामाजिक सुधार का संदेश देते थे। उस युग में समाचार-पत्र स्वतंत्रता का शस्त्र थे। लोकमान्य तिलक के अखबार केसरी, मराठा गोपालकृष्ण गोखले जी का अखबार सुधारक और डा. बाबा साहेब अम्बेडकर जी का अखबार मूकनायक जैसे समाचार-पत्रों ने अन्याय के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और लोगों को एकसाथ जोड़ने और शक्ति देने का काम इन्होंने किया है।

महोदय, जब वन्दे मातरम् के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो यह केवल इस गीत की 150वीं वर्षगांठ नहीं है, बल्कि उन लाखों देशभक्तों को याद करने का मौका है, जिन्होंने अपनी कला, अपने लेखन और अपने गीतों से भारत को स्वतंत्रता के मार्ग पर आगे बढ़ाया। इस चर्चा के माध्यम से मैं उन सभी महान आत्माओं को नमन करता हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा):** धन्यवाद, श्री अशोकराव जी। श्री राजेन्द्र गहलोत।

**श्री राजेन्द्र गहलोत (राजस्थान):** उपसभाध्यक्ष महोदय, इस पवित्र सदन में वन्दे मातरम् बोलना मेरे लिए गौरव की बात है। वन्दे मातरम्, स्वतंत्रता संग्राम और देश की सांस्कृतिक चेतना का प्रतिग्रह है। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम् केवल दो शब्द नहीं हैं, बल्कि हमारी मातृभूमि की वंदना, स्वाभिमान का उद्घोष और हमारी सांस्कृतिक चेतना का शाश्वत मंत्र है।

महोदय, जब बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय जी ने 1875 में यह अमर गीत लिखा, तब उन्होंने भारत की जागृत आत्मा को स्वर दिया था। 1857 की क्रांति के बाद यह गीत स्वतंत्रता संग्राम का महान मंत्र बन गया। स्वाधीनता आंदोलन में लाखों भारतीयों ने सड़कों पर यही नारा लगाया। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष जैसे महान क्रांतिकारियों और स्वाधीनता के लाखों देशभक्तों ने "वंदे मातरम्" का जयघोष करते हुए अंग्रेजों के अत्याचार सहे और स्वतंत्रता आंदोलन में अपना बलिदान दिया।

महोदय, मैं वंदे मातरम् के साथ ही यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस ने आज़ादी के बाद, पिछले कई वर्षों से इतिहास बदलने की कोशिश की है। कई विपक्षी नेता और कांग्रेस आज भी यह असत्य दोहराते रहे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा नहीं रहा। यह सरासर मिथ्या और भ्रम फैलाने की कोशिश थी। सच यह है कि संघ के संस्थापक डॉ. हेडगेवार के साथ कई स्वयंसेवकों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। संघ के संस्थापक डॉ. केशवराव बलिराम हेडगेवार ने मात्र 13 वर्ष की आयु में, 1908 में "वंदे मातरम्" का नारा लगाते हुए अंग्रेजी हुकूमत का विरोध प्रकट किया, जिसके कारण उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। उन्होंने कई क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय भाग लिया। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान

राजद्रोह के आरोप में उन्हें एक वर्ष की सजा हुई, 1930 में जंगल सत्याग्रह के समय उन्हें नौ माह के सश्रम कारावास की सजा हुई। डॉ. हेडगेवार ने महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले कई आंदोलनों में प्रत्यक्ष हिस्सा लिया। आज भी संघ की प्रत्येक शाखा में वंदे मातरम के भाव से प्रार्थना शुरू होती है। "नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे... त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्।" अर्थात् हे प्यार करने वाली मातृभूमि! मैं तुझे सदा (सदैव) नमस्कार करता हूँ। तूने मेरा सुख से पालन-पोषण किया है।

महोदय, आजादी के बाद भी जब 1975-77 में इंदिरा गांधी जी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए संविधान की हत्या कर देश पर आपातकाल लगा दिया था, तब भी लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने का सबसे सशक्त नारा फिर से वही था - "वंदे मातरम्।" वंदे मातरम् के नाम को नौजवानों ने सत्याग्रह करके इमरजेंसी को समाप्त करने का हथियार बनाया। उस अंधकारपूर्ण दौर में जो लोग सड़कों पर "वंदे मातरम्" बोलकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए उतरे, उन पर लाठियाँ बरसाई गईं, हजारों-लाखों कार्यकर्ताओं को जेलों में ठूस दिया गया, अमानुषिक अत्याचार किए गए। मैं स्वयं भी उस आंदोलन का एक हिस्सा रहा हूँ। जनता ने इमरजेंसी के काले दौर को स्वीकार नहीं किया, परिणामस्वरूप देश के इतिहास में पहली बार कोई सत्ताधारी प्रधानमंत्री अपना स्वयं का चुनाव तक हार गई। वंदे मातरम् ने हमें न केवल अंग्रेजी गुलामी से आजादी नहीं दिलाई, बल्कि आपातकाल जैसे तानाशाही निर्णय से भी आजादी दिलाई है।

महोदय, आज हमारे वीर जवान सीमा पर "वंदे मातरम्" का उद्धोष करते हुए अपने प्राणों को न्योछावर करते हैं। विकसित भारत का संकल्प ही वंदे मातरम् है। मैं अंत में केवल इतना कहूँगा कि जब हम "वंदे मातरम्" कहते हैं, तब हम केवल दो शब्द नहीं बोलते, बल्कि हम अपनी माँ को हृदय से प्रणाम करते हैं। वंदे मातरम्! जय हिंद!

**उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा):** राजेन्द्र गहलोत जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माया नारोलिया जी, आप अपना भाषण आरंभ कीजिए।

**श्रीमती माया नारोलिया (मध्य प्रदेश):** माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। मैं देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने वंदे मातरम् गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे देश में वंदे मातरम् का उद्धोष और शंखनाद हो - ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने की प्रेरणा हम सभी को दी है।

महोदय, मैं चंद पंक्तियों से अपनी बात प्रारम्भ करूँगी:

“देशभक्तों का परम प्रिय गीत वंदे मातरम्,  
राष्ट्रभक्ति चेतना का गीत वंदे मातरम्,  
आज भी हमको जी-जान से प्यारा है,  
ये एकता-अभिव्यक्ति वाला गीत वंदे मातरम्,

*बंसी के बहते स्वरों का प्राण वंदे मातरम्,  
झल्लरी झलकार झनके नाद वंदे मातरम्,  
शंख के संघोष का संदेश वंदे मातरम्।”*

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आज मैं इस सदन में अत्यंत गर्व की अनुभूति के साथ वंदे मातरम् के 150 वर्षों के इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने विचार रख रही हूँ। यह वह गीत है, जिसने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में केवल प्रेरणा ही नहीं दी, बल्कि हमारे स्वतंत्रता संघर्ष को एक भावनात्मक आत्मा भी प्रदान की है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित यह गीत आनंदमठ में जन्मा और देखते ही देखते स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक-अभिव्यक्ति बन गया।

महोदय, मैं मध्य प्रदेश के अंचल से आती हूँ, जहाँ नर्मदा मैया कल-कल बहती हैं। स्वदेशी आंदोलन, आंदोलकारी जुलूसों और सत्याग्रह के दिनों की गिरफ्तारियों तक हर कठिन दौर में वंदे मातरम् ने हमें एकता और साहस का अमिट संदेश दिया। ब्रिटिश शासन द्वारा बार-बार वंदे मातरम् के सार्वजनिक गायन पर प्रतिबंध लगाए जाने पर भी देशवासियों ने इसे निर्भय होकर गाया। परिणामतः यह गीत केवल नारा नहीं रहा, बल्कि अत्याचार के विरुद्ध एक सांस्कृतिक प्रतिरोध की ध्वजा बन गया। माननीय महोदय, आज जब देश का नेतृत्व माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी जैसे दूरदर्शी नेतृत्व के हाथों में है, तब भारत में एक गहरा सांस्कृतिक पुनर्जागरण दिखाई दे रहा है। मंदिरों, तीर्थ-परंपराओं, सांस्कृतिक धरोहरों, आध्यात्मिक पर्वों और सभ्यतागत स्मृतियों का पुनर्जीवन - इन सबका भाव यही है कि वंदे मातरम्, वंदे मातरम्। केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि वर्तमान भारत की जीवित आत्मा है वंदे मातरम्, वंदे मातरम्।

महोदय, आज जब देश भर में 150 वर्ष की इस स्मृति को जन-भागीदारी, सामूहिक गायन, सांस्कृतिक उत्सवों, डिजिटल प्रसार और लोक-परंपराओं के माध्यम से मनाया जा रहा है, तब राजस्थान का योगदान केवल सांस्कृतिक नहीं, बल्कि भावनात्मक भी है। यहाँ का हर कण, हर स्मृति मातृभूमि के प्रति निष्ठा का संदेश देती है और यही भावना युवाओं तक पहुँचाना इस उत्सव का वास्तविक उद्देश्य है। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, इस सरकार की नीतियों में वंदे मातरम् के मूल्य स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल-संकट वाले क्षेत्रों में नलों का विस्तार, उज्ज्वला योजना के माध्यम से महिलाओं के स्वास्थ्य और सम्मान की रक्षा तथा आयुष्मान भारत के अंतर्गत महिलाओं की विशाल चिकित्सा कवरेज - ये सभी योजनाएँ उस मातृस्वरूप शक्ति को नमन है, जो भारत की सभ्यता का आधार है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ राजनीतिक शक्तियाँ समय-समय पर वंदे मातरम् को संकीर्ण दृष्टि से देखने का प्रयास करती रही हैं। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने कभी इसके गायन को सीमित किया, वही आज इसके राजनीतिक अर्थ निकालने के प्रयास करते हैं। लेकिन यह सरकार इसे किसी मतभेद का विषय नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की एकीकृत पहचान के रूप में देखती है। मैं कहना चाहूँगी कि वंदे मातरम् केवल एक गीत भर नहीं, बल्कि भारतीय अस्मिता का घोष है, हमारी मातृभूमि के प्रति

निष्ठा का संकल्प है। यह गीत हमें याद दिलाता है कि भारत केवल एक राजनीतिक इकाई नहीं, बल्कि जीवित सभ्यता है। आने वाली पीढ़ियों को इस गीत के भीतर छिपे साहस, त्याग, राष्ट्रीय जिम्मेदारी और सांस्कृतिक गौरव को जीवन-मूल्य के रूप में अपनाना होगा। इस गीत ने हमारे स्वतंत्रता संघर्ष को एक गहरी भावनात्मक आत्मा प्रदान की है। यह वही गीत था, जिसने लाखों भारतीयों को यह एहसास कराया कि भारत केवल एक भूभाग नहीं, बल्कि माता है। ...**(समय की घंटी)**...

**श्री उपसभापति:** अब समाप्त कीजिए।

**श्रीमती माया नारोलिया:** वह मातृभूमि है और उसकी रक्षा हमारे जीवन का धर्म है। माननीय महोदय जी...

**श्री उपसभापति:** धन्यवाद, माया नारोलिया जी। माननीय श्री तेजवीर सिंह जी। आपकी बात ही रिकॉर्ड पर जाएगी। ...**(व्यवधान)**... माया नारोलिया जी, आपका समय खत्म हो गया है।

**श्री तेजवीर सिंह (उत्तर प्रदेश):** माननीय उपसभापति महोदय, आज मैं इस पवित्र सदन में उस मंत्र की महत्ता प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हूँ, जिसने भारत की आत्मा में स्वतंत्रता की लौ जगाई। वह मंत्र, जो करोड़ों भारतीयों की नसों में बिजली बनकर दौड़ा। वह मंत्र जिसने स्वाधीनता आंदोलन को गति ही नहीं, बल्कि दिशा भी दी और वह मंत्र है, बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित वंदे मातरम्। वंदे मातरम् केवल एक गीत ही नहीं, बल्कि यह हमारी चेतना का उद्गार है, यह हमारी मिट्टी का स्पंदन है, यह हमारी संस्कृति की धड़कन है और यह हमारे अस्तित्व की पहचान है। जब-जब यह गूंजता है, तब-तब हमारे भीतर सोया हुआ बल जाग उठता है, हमारा माथा गर्व से ऊंचा हो जाता है और हमें याद आता है कि हम केवल एक देश के नागरिक ही नहीं, बल्कि मां भारती के सपूत हैं।

माननीय उपसभापति महोदय, इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि जब अंग्रेजों ने भारतीयों पर अत्याचार किए, जब आवाज उठाना अपराध बन गया, जब लाठी, गोली और जेलें भी भारतीयों को डरा न सकीं, तब हमारे क्रांतिकारियों के मुख से यही पुकार उठी - वंदे मातरम्! वंदे मातरम्! यह नारा आजादी की लड़ाई का ईंधन बना। यही वे शब्द थे, जिन्हें सुनकर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने सीना तानकर रास्ता चुना। खुदीराम बोस हंसते-हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। अरबिंदो, लाला लाजपत राय मातंगिनी हाजरा, जैसे अनगिनत सेनानी प्रज्ज्वलित हुए। ब्रिटिश सरकार ने इसे प्रतिबंधित कर दिया था, क्योंकि वे जानते थे कि जहां वंदे मातरम् की गूंज है, वहां भय की कोई जगह नहीं है और वंदे मातरम् हमारी संस्कृति की विरासत है। इस गीत में बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय जी ने भारत माता को केवल भूमि नहीं, बल्कि करुणा, सत्य ज्ञान, समृद्धि,

प्रकृति और संस्कृति के रूप में चित्रित किया। यह वही भावना है, जिसने भारत को हजारों वर्षों से एक सूत्र में बांधे रखा है। सुजलाम् सुफलाम् मलयजशीतलाम् यह पंक्ति केवल काव्य नहीं है, बल्कि यह हमारी धरती का चरित्र है। यह वह भूमि है, जो हम सबको अन्न भी देती है, जल भी देती है और जीवन भी देती है।

उपसभापति महोदय, आज भारत दुनिया में नए आत्मविश्वास के साथ खड़ा है। जहां एक ओर हमारे वैज्ञानिक चंद्रमा से लेकर सौरमंडल तक छाप छोड़ रहे हैं, वहीं हमारे युवा डिजिटल इनोवेशन, उद्यमिता और स्टार्टअप से इतिहास बदल रहे हैं। वंदे मातरम् हमें याद दिलाता है कि प्रगति का मार्ग तभी सार्थक है, जब उसका उद्देश्य मातृभूमि की सेवा हो। यह मंत्र हमें सीख देता है कि प्रगति हो, पर संस्कार न छूटे। विकास हो, पर विवेक न खोएं। आधुनिकता आए, पर मातृभूमि से नाता और गहरा हो। आज जरूरत है कि हम अपनी युवा पीढ़ी को बताएं कि वंदे मातरम् कोई पुराना नारा नहीं, बल्कि जीवन का उद्देश्य है, राष्ट्र का व्रत है और भविष्य की प्रेरणा है। अगर हम चाहते हैं कि भारत 2047 तक विश्व गुरु बने, तो आवश्यक है कि हर युवा, हर छात्र, हर नागरिक इस मंत्र के पीछे की भावना को आत्मसात करे। जब हम इस सदन में वंदे मातरम् उच्चारित करते हैं, तो हम केवल परंपरा नहीं निभाते, बल्कि हम एक संकल्प दोहराते हैं कि हम अपनी मातृभूमि की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए समर्पित रहेंगे। हम अपने संविधान, अपने लोकतंत्र और अपने कर्तव्यों के प्रति सदैव निष्ठावान रहेंगे।

अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी माता ने हमें बहुत कुछ दिया है। अब समय है कि हम सब मिलकर इसे और महान बनाएं। आइए, हम सब मिल कर यह प्रण लें कि जहां भेद हो, वहां एकता का दीप जलाएं; जहां भ्रष्टाचार हो, वहां ईमानदारी का मार्ग चुनेंगे; जहां निराशा हो, वहां उम्मीद का संदेश देंगे और जहां भारत माता का अपमान हो, वहां सीना तान कर खड़े होंगे, क्योंकि वंदे मातरम् केवल मंत्र नहीं, बल्कि हमारी आत्मा का संगीत है। ...**(समय की घंटी)**... यह हमारी जन्मभूमि को समर्पित वचन है।

**श्री उपसभापति:** तेजवीर जी, आप conclude करें।

**श्री तेजवीर सिंह:** यह हमारे राष्ट्र की पहचान का शाश्वत स्वर है। धन्यवाद। वंदे मातरम्!

**श्री उपसभापति:** डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी।

**डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी (महाराष्ट्र):** माननीय उपसभापति महोदय, वंदे मातरम्! मैं माननीय प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी का बहुत हृदय से अभिनंदन करना चाहती हूँ, आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि इस वंदे मातरम् के सार्धशती समारोह का उन्होंने आयोजन किया और पूरे साल अलग-अलग कार्यक्रम को लेकर यह महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इस सदन में भी

यह चर्चा इसीलिए उपस्थित हो गई है। यह इतनी उपयुक्त है कि देशवासी अपने-अपने घर से यह चर्चा सुन पाएंगे और इतिहास को सुन सकेंगे कि किन लोगों ने देश के हित में अपनी भूमिका निभाई और किसने नहीं।

यह बार-बार बोला जा रहा है कि उस वक्त कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। मैं कहना चाहूंगी कि हर बार स्कूल में एक गीत पढ़ाया जाता है - "दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल", लेकिन कोई भी ऐसी आजादी बिना खड्ग और बिना ढाल के नहीं मिली है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मदन लाल ढींगरा, इन सब लोगों ने वंदे मातरम कह कर हंस-हंस कर फांसी की सजा को स्वीकार किया है। भगत सिंह से लेकर कोई भी क्रांतिकारी कांग्रेस के सभासद नहीं थे। उस बेंच से यह कहा जा रहा था कि कांग्रेस ने ही स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और आप कहां थे। मैं यह कहना चाहूंगी कि भगत सिंह और ये सब जो बाकी क्रांतिकारी थे, उनका अलग संगठन था। वे सशस्त्र क्रांतिकारी थे और उनका अलग संगठन था।

माननीय उपसभापति महोदय, ये स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी की भी आलोचना करते हैं, लेकिन स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी और इनकी तुलना ही नहीं हो सकती। ये कहते हैं कि हम जेल में गए। इनकी जेल की सजा और स्वातंत्र्य वीर सावरकर की जेल की सजा, इनकी तुलना कैसे हो सकती है? स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी ने अंधेरी कोठरी की अंडमान की सजा भुगती और उनको दो जन्मठेप की सजा दिलाई गई थी, जबकि इनके लिए तो सभी सुविधाएं थी। इन्होंने वहां बैठ कर 'डिस्कवरी ऑफ इंडिया' और 'ग्लिंपसेज़ ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री', ये किताबें लिखीं। ये वहां लिख पाए और उन्होंने यह लिखा कि छत्रपति शिवाजी महाराज £ थे। उनको बाद में इसके लिए माफी मांगनी पड़ी, वह अलग बात है। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में इन्होंने गलत लिखा। इतनी उनकी मजाल थी! स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी अलग थे। उन्होंने लिखा:

&“ For You, death is but a rebirth,  
death turning into birth again!  
Without You, even birth is but a death,  
every birth becomes a death again!  
To You, the entire universe surrenders.”

"मातृभूमि, हे मातृभूमि! आपके लिए मेरा हर कण समर्पित है।" यह उनकी भावना थी। यह फर्क है असली देशभक्ति और सत्ता लालच में किए गए समझौतों की।

बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय जी ने जो गीत लिखा, उस गीत के बारे में भी इन्होंने यह कहा कि इसे अलग-अलग दो पार्ट में लिखा गया। पहले दो छंदों की निर्मिति की, फिर उर्वरित छंदों की

£ Exupnged as ordered by the Chair.

& English translation of the original speech delivered in Marathi.

निर्मिती की। ऐसा नहीं किया गया है। बंकिम बाबू ने यह गीत एक साथ लिखा है। बंकिम बाबू डिप्टी कलेक्टर थे, उनको गांव-गांव जाना पड़ता था, लेकिन फिर भी वे नवरात्रि के महोत्सव में अपने मूल गांव में आते थे। जब वे मूल गांव में आए, तो उन्होंने मां दुर्गा के सामने बैठ कर एक साथ यह गीत लिखा। पहले उन्होंने कथा लिखी, उस कथानक का कथा नायक था - कमलाकांत। उसमें भी कमल है। कमलाकांत उसके नायक का नाम था। फिर बाद में उसका रूपांतरण करके उन्होंने वंदे मातरम्, यह गीत लिखा। छह छंदों का वह गीत एक साथ लिखा गया है। ये कहेंगे कि इसमें दुर्गा का वर्णन है। दुर्गा का वर्णन तो होगा ही, क्योंकि इसे दुर्गा के सामने ही बैठ कर तो लिखा गया है। लेकिन इनको उसमें आपत्ति है। हम मां दुर्गा में भारत माता को देखते हैं। उन्होंने जब महिषासुर को देखा, तो उनको वह अंग्रेजों की प्रतिमा लगी, इसलिए उन्होंने इसमें पूरा वर्णन किया है।

महोदय, मैं आपसे थोड़ा समय चाहूंगी। नेहरू जी ने कहा था कि अगर इस गीत का पठन किया जाएगा, तो मुस्लिम समाज इरिटेड होगा। ...**(व्यवधान)**...

**श्री उपसभापति:** एक मिनट। मैंने सभी माननीय सदस्यों का पक्ष रखा। ...**(व्यवधान)**... उसी के तहत माननीय चेयरमैन ने अनुमति दी है। ...**(व्यवधान)**... प्लीज़। ...**(व्यवधान)**...

**डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी:** महोदय, उन्होंने कहा कि इससे मुस्लिम समाज इरिटेड होगा। ...**(व्यवधान)**... वह कैसे इरिटेड होगा? ...**(व्यवधान)**... टीवी पर भी एक चर्चा चल रही थी, तो टीवी पर मुस्लिम समुदाय के एक आदमी ने कहा कि हम substitute को क्यों मान लें, अगर अल्लाह ने ही दुर्गा का निर्माण किया है? सर, ये कैसी बात करते हैं? मां दुर्गा कब की है और आपका धर्म कहां से है और कब पैदा हुआ? मां दुर्गा को अल्लाह कैसे पैदा कर सकता है? ...**(समय की घंटी)**...

**श्री उपसभापति:** प्लीज़, आप विषय पर बोलें। ...**(समय की घंटी)**... अब आप कन्क्लूड कीजिए।

**डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी:** महोदय, एक मिनट। गोपाल चन्द्र राय, विश्वनाथ मुखर्जी, समकालीन ललित कुमार मित्र - इन सब लोगों ने अपनी-अपनी किताबों में यह लिखा है कि 'वंदे मातरम्' एक साथ लिखा गया है। ...**(समय की घंटी)**... मैं यह कहना चाहती हूँ कि..

**श्री उपसभापति:** अब आप कन्क्लूड कीजिए। खत्म कीजिए।

**डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी:** महोदय, मैं कन्क्लूड करती हूँ। मैं यह कहना चाहती हूँ कि यह जो देशद्रोही मानसिकता है, उसको खत्म करने के लिए, हर स्कूल में, हर पाठशाला में और हर कॉलेज में यह पढ़ा जाना चाहिए। ...**(समय की घंटी)**... 'आनंद मठ' का एक नाट्य रूपांतरण

पुणे में हो रहा है, तो उसका भी आयोजन दिल्ली वासियों के लिए करें। पुणे में मिलिंद सबनिस नामक एक व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन 'वंदे मातरम्' के लिए समर्पित किया है। ...**(व्यवधान)**...

**श्री उपसभापति:** माननीय श्री किरेन रिजिजु जी।

**संसदीय कार्य मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजु):** सर, जैसे यह सदन कल काफी देर तक बैठा, आज भी इस महत्वपूर्ण चर्चा में सब मेंबर्स भाग ले रहे हैं। आज जो सूची तय की गयी है, जो सूची हम लोगों ने वहां अप्रूव की है, वे सब लोग आज बोल रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि लीडर ऑफ़ दि हाउस कल बोलेंगे और बाकी लोग आज बोलेंगे। कल लीडर ऑफ़ दि हाउस के बोलने के तुरंत बाद, हम लोग इलेक्शन रिफॉर्म्स पर चर्चा करेंगे। कल हम लोग लंच स्किप करेंगे, लंच नहीं करेंगे। हम लंच स्किप करेंगे और लीडर ऑफ़ दि हाउस के बोलने बाद, हम लोग लगातार बैठेंगे, ताकि कल देर रात तक बैठना नहीं पड़े। ...**(व्यवधान)**...

**कुछ माननीय सदस्य:** ठीक है। ...**(व्यवधान)**...

**श्री उपसभापति:** सदन की सहमति है। अब हम आगे बढ़ते हैं।

**श्री जयराम रमेश:** सर, इनका समय खत्म हो चुका है। ...**(व्यवधान)**... इनकी पार्टी का समय खत्म हो चुका है। ...**(व्यवधान)**...

**श्री उपसभापति:** माननीय चेयरमैन ने सबको अतिरिक्त समय दिया है। ...**(व्यवधान)**... यह महत्वपूर्ण विषय है। सबको बोलने का अवसर दिया जा रहा है। Let them speak. ...**(Interruptions)**... Please.

**श्री किरेन रिजिजु:** सर, एक मिनट। प्रमोद तिवारी जी ने भी यही बात बोली और जयराम रमेश जी ने भी यही बात बोली है। कहीं गलतफहमी नहीं हो जाए, इसलिए यह क्लियर होना जरूरी है कि सबका समय बढ़ाया गया है। संख्या के हिसाब से, हमारा समय थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, otherwise सबका proportionately बढ़ा है। ...**(व्यवधान)**...

**श्री उपसभापति:** थैंक यू डा. भीम सिंह जी। ...**(व्यवधान)**...

**श्री प्रमोद तिवारी:** सर, ...**(व्यवधान)**...

**श्री उपसभापति:** भीम सिंह जी, एक मिनट। माननीय प्रमोद जी कुछ कहना चाहते हैं।

**श्री प्रमोद तिवारी:** सर, समय का एक बार निर्धारण होता है। सभी पार्टिज़ के बीच बीएससी में बैठकर यह तय हो गया कि चर्चा इतनी देर की होगी। उसी के अनुसार, संख्या के अनुपात में दलों का समय तय हो जाता है। दलों के अनुसार, जो तय समय था, वह समाप्त हो गया। हम लोगों को पिछली बार - भाजपा के कम से कम 10 वक्ता इसीलिए बोल रहे हैं कि इधर किसी का समय नहीं ...**(व्यवधान)**...

**श्री उपसभापति:** धन्यवाद, माननीय प्रमोद जी। आपकी बात क्लियर हो गई।

**श्री प्रमोद तिवारी:** नहीं, सर। अभी कहां क्लियर हुई? ...**(व्यवधान)**... अभी बात कहां क्लियर हुई? ...**(व्यवधान)**...

**श्री उपसभापति:** माननीय सदस्यगण, इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए एक ही दल के कई लोगों ने, विभिन्न दलों से, माननीय चेयरमैन से रिक्वेस्ट किया था। ...**(व्यवधान)**... माननीय चेयरमैन ने तो उन सबको अनुमति दी है और कई दलों को अतिरिक्त समय दिया है। उसी के तहत ये नाम भी दर्ज हैं। प्लीज़। ...**(व्यवधान)**...

**श्री प्रमोद तिवारी:** कहां दिया है? ...**(व्यवधान)**...

**श्री उपसभापति:** धन्यवाद। ...**(व्यवधान)**... डा. भीम सिंह जी।

**डा. भीम सिंह (बिहार):** वंदे मातरम्, उपसभापति महोदय। 'वंदे मातरम्' मात्र दो शब्द नहीं हैं, बल्कि यह हमारी सभ्यता की आत्मा की पुकार है, यह एक युद्ध घोष है। यह एक युद्ध घोष था, एक war cry था। जब हमारे स्वतंत्रता सेनानी इसका उच्चारण करते थे, तो अंग्रेजों के दिल दहल जाते थे, उनके पैर कांपने लगते थे और इस युद्ध घोष ने अंततोगत्वा अंग्रेजों के शासन को यहां से उखाड़ फेंका।

'वंदे मातरम्' ने स्वदेशी का अलख जगाया, देशभक्तों को प्रेरणा दी, क्रांतिकारियों को ऊर्जा दी। इसने अटक से कटक और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हमारे देशवासियों को ऊर्जान्वित किया। हमारे स्वतंत्रता सेनानी जब गोलियों की ओर बढ़ रहे थे, तब उनके मुख पर 'वंदे मातरम्' था। जब हमारे क्रांतिकारी फांसी के फंदे पर झूल रहे थे, तब उनकी अंतिम साँसें भी 'वंदे मातरम्' का उच्चारण कर रही थीं। सीमा की रक्षा करने वाला जवान हो या हमारे देश का पेट

भरने वाला किसान हो या भारत का भविष्य युवा हो या मेहनत से उत्पादन करने वाले हमारे श्रमिक हो, हम सभी एक ही भारत माता की संतान हैं - इस बात को याद दिलाने वाला भी यही एक मंत्र है 'वंदे मातरम्'। पर, अफसोस है कि ऐसे पवित्र मंत्र को भी कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने, कांग्रेस पार्टी की तरह जो तथाकथित सेक्युलर पार्टियाँ हैं, उन्होंने 'वंदे मातरम्' का विरोध किया या विरोध करने वालों का साथ दिया है। उसी तुष्टीकरण का परिणाम था कि 1937 में इस 'वंदे मातरम्' को खंडित कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया कि 1937 में कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी में मौलाना आजाद, सरदार वल्लभभाई पटेल, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, रबीन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू - ये सारे लोगों ने कहा कि इसका पहला दो स्टैंजा ही गाया जाए। इसका क्या तात्पर्य हुआ? 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में जो 'वंदे मातरम्' गाया गया था, वह पूरा का पूरा पांच स्टैंजा गाया गया था। कहा गया कि बनारस में 1905 के कांग्रेस अधिवेशन में भी 'वंदे मातरम्' गाया गया। इसका तात्पर्य हुआ कि 1905 में भी पूरा स्टैंजा गाया गया। आपने 1937 में जिन्ना के विरोध पर और अन्य लोगों तथा सांप्रदायिक तत्वों के विरोध पर तुष्टीकरण के लिए इसका काट-छांट किया, खंडन कर दिया। हम मान लेते हैं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक निर्णय लिया, हम मान लेते हैं कि गुरुदेव रबीन्द्रनाथ टैगोर ने इसके समर्थन में वक्तव्य दिया, लेकिन उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि प्रथम दो स्टैंजा में कोई भी ऐसी आपत्तिजनक की बात नहीं है। क्या उन्होंने ऐसा कहा या नहीं कहा? आपने ही क्वोट किया कि इसमें कोई भी आपत्तिजनक बात नहीं है। अगर ऐसा है, तो अब 1937 से 2025 तक 'वंदे मातरम्' पर कोई भी विवाद नहीं होना चाहिए था। क्या आज इस पर विवाद हो रहा है या नहीं हो रहा है? आप इसको सोच लीजिए। विवाद तो नहीं मिटा। यह कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की नीति है। आप सांप्रदायिक तत्वों को जितना भोजन देंगे, उनका मुँह उतना ही बढ़ता जाएगा और इसके अनेकों उदाहरण हैं।

महोदय, हम 2006 की बात करते हैं, जब देश में यूपीए की सरकार थी और माननीय अर्जुन सिंह जी मानव संसाधन मंत्री थे। उन्होंने इस 'वंदे मातरम्' के 100 वर्ष पूरा होने पर, जिसको उन्होंने 'स्वदेशी आंदोलन' से जोड़ा था, स्वदेशी आंदोलन में जो 'वंदे मातरम्' का नारा लगा, उसके 100 वर्ष पूरा होने पर मानव संसाधन मंत्रालय ने, यूपीए की सरकार ने सर्कुलर जारी किया कि स्कूलों में 'वंदे मातरम्' का पाठ किया जाए। कठमुल्लों ने इसका विरोध किया। जयराम जी, आप बताएँ कि उस सरकार ने उस आदेश को क्यों वापस ले लिया? क्या यह तुष्टीकरण नहीं था? यह बिल्कुल तुष्टीकरण था। अब आगे आइए। जब 2013 में संसद में राष्ट्रगीत गाया गया, तब एक सदस्य, जो बहुजन समाज पार्टी के थे...**(समय की घंटी)**... उन्होंने वॉकआउट किया।

**श्री उपसभापति:** कृपया आप conclude कीजिए।

**डा. भीम सिंह:** महोदय, उस समय यह कहा गया कि उनको इसके लिए दंडित किया जाएगा, लेकिन जब कारवाई की बात हुई, तो उन पर कोई कारवाई नहीं हुई।

**श्री उपसभापति:** धन्यवाद, भीम सिंह जी। डा. कविता पाटीदार।

**डा. कविता पाटीदार** (मध्य प्रदेश): माननीय उपसभापति महोदय, मैं अपनी बात की शुरुआत इन दो लाइनों से करना चाहूँगी:

*'राष्ट्र की जय साधना का गान वंदे मातरम्,  
राष्ट्र भक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम्।  
वंदे मातरम्, वंदे मातरम्।'*

माननीय उपसभापति महोदय, आज हम 'वंदे मातरम्' के 150 गौरवशाली वर्षों की चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मन मेरा बहुत हर्षित है, गौरवान्वित है और मस्तक माँ भारती के चरणों में श्रद्धा से नतमस्तक है। यह वंदे मातरम् मात्र गीत नहीं है, शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि यह मृत चेतना में प्राण फूंकने का एक बीज मंत्र है। यह उद्घोष है:

*"आओ, मिलकर नए युग का निर्माण करें हम,  
मृतकों में भी जीवन की हुंकार भरें हम।"*

मृतकों में मातृभूमि के प्रेम की हुंकार भरने का काम वंदे मातरम् ने किया है। माननीय उपसभापति महोदय, बंकिम चन्द्र जी ने अपने उपन्यास "आनंद मठ" में माँ भारती के तीन स्वरूपों का चित्रण किया है। पहला, माँ जगतदात्री, वह स्वरूप जो हमारे अतीत को बताता है। रत्नों से अलंकृत हमारा स्वर्णिम अतीत, जब हमारे देश को "सोने की चिड़िया" कहा जाता था। दूसरा, माँ काली का स्वरूप, यानी यह क्रोध को प्रदर्शित करता है। गले में मुंडमाला और अन्याय के प्रति क्रोध का प्रतीक, जो हमारे बीच के कार्यकाल को प्रदर्शित करता है। अंत में, माँ दुर्गा का स्वरूप, दशप्रहरधारिणी, जिसके हाथ में शस्त्र है, जिसकी भुजाएँ दसों दिशाओं में फैली हुई हैं, जो संपन्न है, जिसमें वैभव है, संपन्नता है। माननीय उपसभापति महोदय, मुझे यह कहते हुए खेद है कि माँ के अंतिम स्वरूप का स्वप्न तो विपक्ष के लोगों ने हमें दिखाया, लेकिन उन्होंने उसको पूरा करने की कभी कोशिश नहीं की। उसको पूरा करने का काम अगर किसी ने किया है, तो इस देश के लाल ने किया है, इस देश के सच्चे सपूत ने किया है और उनका नाम माननीय नरेन्द्र मोदी है।

माननीय उपसभापति महोदय, मैं बताना चाहूँगी कि यह गीत पूछता है - "अबला, केनो माँ एतो बोले?" हे माँ, इतनी शक्ति होने पर भी तुम्हें अबला कौन कहता है? दशकों तक हमें अबला समझा गया। ...**(समय की घंटी)**... हम अपनी रक्षा के लिए विदेशों पर निर्भर रहे, लेकिन आज माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में माँ भारती अबला नहीं, आत्मनिर्भर है। गीत के वर्णन हैं- माँ के

हाथों में शस्त्र है। आज ब्रह्मोस, तेजस, विक्रान्त के रूप में माँ दुर्गा की भुजाएँ सशक्त हुई हैं। आज भारत दुनिया के सामने गिड़गिड़ाता नहीं है, बल्कि आँखों में आँखें डालकर बात करता है।

**श्री उपसभापति:** अब आप कनक्लूड कीजिए, क्योंकि दो स्पीकर्स और हैं। Please conclude it.

**डा. कविता पाटीदार:** गीत कहता है - सुजलाम्, सुफलाम्।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude, Dr. Kavita Patidar.

**डा. कविता पाटीदार:** "हर घर जल योजना" से 14 करोड़ परिवारों की प्यास बुझाकर रिकॉर्ड कृषि निर्यात करके मोदी जी ने इस भूमि को सही अर्थों में सुजलाम् सुफलाम् किया है।

**श्री उपसभापति:** डा. कविता, अभी दो स्पीकर्स और हैं और हमें 7 बजे तक बैठना है।

**डा. कविता पाटीदार:** माननीय, मेरा वक्त है।

**श्री उपसभापति:** मैं निवेदन कर रहा हूँ, हमें 7 बजे तक बैठना है और अभी आपके दो स्पीकर्स और हैं।

**डा. कविता पाटीदार:** मैं कनक्लूड कर रही हूँ।

**श्री उपसभापति:** नहीं, अब आप खत्म कीजिए।

**डा. कविता पाटीदार:** माननीय महोदय, आज देश की बागडोर एक सच्चे सपूत के हाथ में है, इसलिए हम पूर्ण भाव से वंदे मातरम् को जी रहे हैं, क्योंकि हम इसे गीत नहीं, जीवंत मानते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम्! भारत माता की जय!

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Mokariya Rambhai, you have four minutes.

SHRI MOKARIYA RAMBHAI (Gujarat): &"Hon. Deputy Chairman Sir, Vande Mataram. I thank you for giving me this opportunity to speak today. The song Vande Mataram holds a very special place in the history of our nation. It was composed by

---

& English translation of the original speech delivered in Gujarati.

the eminent poet and writer Shri Bankim Chandra Chattopadhyaya on the 7th of November in the year 1875. The purpose behind composing this song was to awaken a sense of national pride and to inspire a revolutionary spirit among the people of India who were then under colonial rule. This powerful song was first published in the Bengali magazine called Banga Darshan. Later on, it was included in Shri Bankim Chandra Chattopadhyaya's renowned novel Anandmath, which was published in 1882. The novel and the song both played a crucial role in stirring patriotic sentiments among Indians and became symbols of the freedom struggle. The song Vande Mataram was sung for the very first time by the great poet Gurudev Rabindranath Tagore during a session of the Indian National Congress, marking an important moment in the freedom movement. Following this, the esteemed poetess Sarala Devi Choudhary rendered Vande Mataram as a powerful political slogan during the Congress session held on August 7, 1905, in Benaras.

Another significant event linked to this song is when Madam Bhikaji Cama hoisted the tri-colour flag bearing the words VANDE MATARAM in Berlin in 1907. This act was historic as it was the very first time the tri-colour flag was raised outside India, symbolizing India's struggle for freedom on the international stage. Thus, Vande Mataram is not only a song but also a symbol of our nation's resolve and aspiration for freedom. It has inspired generations of Indians and continues to evoke a deep sense of patriotism.

The President of the Constituent Assembly, Dr. Rajendra Prasad, moved a resolution on 24th January 1950 to adopt Jana Gana Mana as the National Anthem and Vande Mataram as the National Song of India. With the utmost respect, I would like to congratulate our esteemed Prime Minister, Shri Narendra Modi, for the resolution passed at the Cabinet meeting on 1st October 2025 to celebrate the 150th anniversary of Vande Mataram across the nation. This initiative aims to ensure that the youth of India fully understand the essence and importance of this revolutionary song. I earnestly request the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi, and the hon. Home Minister, Shri Amit Shah, to make the singing of Vande Mataram mandatory in every school, college, and madrasa across India. Vande Mataram is not only the immortal song of our country, sung by the immortal martyrs of India, but it also inspires deep reflection on how to protect our motherland. The Sanskrit slogan, 'Vande Mataram' means "Mother, salutations to you" (Maa Tujhe Salam). This song united the people

of India and fuelled their fight against British colonial rule for national freedom. It became instrumental in spreading the feeling of love for the nation in every individual across India. It is of utmost importance to remember the struggle for freedom and to pass this legacy on to future generations. With great regret, I must express before this august House that many Governments have ruled India after independence, with the Congress party holding power for long periods. Yet, no serious efforts were made to preserve and promote the heritage of our National Song, Vande Mataram, to future generations.

Sir, this song remains a symbol of the freedom struggle. Vande Mataram unnerved the British, becoming a symbol of unity and pride for our people. It inspired millions to actively participate in the freedom movement that ultimately paved the way for India's independence. Historically, the National Session of the Indian National Congress was organized in Calcutta, where Gurudev Rabindranath Tagore first sang Vande Mataram. The song also became the chief slogan in the movement against the Partition of Bengal in 1905. Its role in uniting and motivating the people during these critical moments in our history cannot be overstated."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Mokariyaji. Now, Shrimati Seema Dwivedi. Please.

**श्रीमती सीमा द्विवेदी (उत्तर प्रदेश):** माननीय उपसभापति महोदय, आज का दिन बहुत ही पवित्र है, क्योंकि आज वंदे मातरम् गीत की 150वीं वर्षगांठ है। आज हम वंदे मातरम् गौरव गाथा के बारे में चर्चा करेंगे। मैं भारत के अमर सपूत बंकिम चंद्र चटर्जी जी के प्रति नतमस्तक हूँ, जिन्होंने इस गीत के माध्यम से पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया। महोदय, उस समय न कोई हिंदू था, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई। उस समय सिर्फ भारतीय थे, भारतवासी थे, हिंदुस्तानी थे। महोदय, वंदे मातरम् 24 पंक्तियों का चार छंदों वाला गीत है। इन चारों छंदों में मातृभूमि का वर्णन है। भारत में दुर्गा की शक्ति है, लक्ष्मी की समृद्धि है तथा सरस्वती का ज्ञान है। इन्हीं कारणों से आज भारत विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है।

महोदय, वंदे मातरम् गीत गाने वालों की प्रताड़ना को जब हम याद करते हैं तो आंखों से आंसू निकल आते हैं। आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों के घर जलाए गए, उन्हें गाड़ियों में बांधकर घसीटा गया, उन्हें भयानक यातनाएं दी गईं, लेकिन इतना सब सहने के बावजूद भी उन्होंने भारत माता के लिए वंदे मातरम् गाने से कोई परहेज नहीं किया। महोदय, मैं आपके माध्यम से चार पंक्तियों की एक कविता सुनाना चाहती हूँ:

“वंदे मातरम् जो राष्ट्र एकता का मंत्र है।  
 वंदे मातरम् जो राष्ट्रभक्ति का यंत्र है।  
 वंदे मातरम् जो राष्ट्र भावना का तंत्र है।  
 वंदे मातरम् वो जिससे देश ये स्वतंत्र है।”

महोदय, तो फिर कुछ लोगों को वंदे मातरम् बोलने में शर्म क्यों आती है? कल एक माननीय सांसद ने कहा कि वे वंदे मातरम् नहीं बोल सकते। यह सुनकर मुझे बहुत पीड़ा हुई, पर मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहूंगी कि वंदे मातरम् हमारी जान है, हमारी पहचान है, हमारा सम्मान है, हमारा अभिमान है, हमारा स्वाभिमान है।

महोदय, आज इस सदन के माध्यम से मैं एक अपील करना चाहूंगी कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत में भी वंदे मातरम् की अनिवार्यता कर दी जाए और मैं यही आपसे अपील करती हूँ - आइए, हम सब मिलकर वंदे मातरम् बोलें, वंदे मातरम् का गायन करें। क्योंकि वंदे मातरम् गाने का यह सौभाग्य हमें ऐसे ही नहीं मिला है; इसे पाने के लिए हमारे देश के वीर जवानों को अनेक यातनाएं सहनी पड़ी हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, the House stands adjourned to meet at 11.00 a.m. on Thursday, the 11<sup>th</sup> December, 2025.

*The House then adjourned at fifty-nine minutes past six of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 11th December, 2025.*

---

PUBLISHED UNDER RULE 260 OF RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF  
BUSINESS IN THE COUNCIL OF STATES (RAJYA SABHA)